आय-कर के प्रारम्भिक सिद्धान्त

(ELEMENTS OF INCOME-TAX)

[भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० के विद्यार्थियों के लिये]

लेखक

रूपराम गुप्त, एम० ए०, ए० सी० ए०

चारटर्ड एकाउन्टेंट

[रिटायर्ड प्रिंसिपल तथा प्रोफेसर ऑफ अकाउन्टेंसी,

सेठ जी० बी० पोद्दार कॉलेज, नवलगढ (राजस्थान)]

एवं

विश्नूसरन गुप्त, एम० कॉम०, एल-एल० बी०, एफ० सी० ए०

चारटर्ड एकाउन्टेंट

वैस्टर्न कचहरी रोड,

पंचम संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

आगरा बुक स्टोर

प्रकाशक, विक्रेता एवं मुद्रक

आगरा अजमेर इलाहाबाद कानपुर दिल्ली नागपुर

पटना मेरठ लखनऊ वाराणसी

१६५६]

[मूल्य ५.०० रुपये

विषय-सूची

पंचम संस्करण की भूमिका

लेखको के लिए यह बडे प्रोत्साहन की बात है कि इस पुस्तक का पिछला सस्करण इतनी शीघ्रता से बिक गया है ।

इस सस्करण के तैयार करने मे, सम्पूर्ण पुस्तक को १६५६ के फाइनेस एक्ट द्वारा आय-कर सन्नियम मे किये गये सशोधनो के प्रकाश मे, बडी सावधानी से सशोधित किया गया है ।

एक नया अध्याय जिसमे दोहराने के उत्तर सहित ३१ प्रश्न दिये गये है तथा एक अध्याय उद्गम स्थान पर कर-कटौती का जोड दिया गया है ।

पूर्ण विश्वास है कि प्रारम्भिक विद्यार्थी इस पुस्तक को रोचक और उपयोगी पायेगे ।

वैस्टर्न कचहरी रोड,
मेरठ
१ अगस्त १६५६

रूपराम गुप्त
विश्नूसरन गुप्त

प्रथम संस्करण की भूमिका

यह पुस्तक आय-कर सन्नियम का परिचय मात्र है और मुख्यत. उन विद्यार्थियो के लिए है जो इस विषय का अध्ययन प्रारम्भ करते है, विशेषत. उनके लिए जो विभिन्न विश्वविद्यालयो की बी० कॉम० परीक्षा के लिये तैयारी कर रहे है ।

भारतीय आय-कर अधिनियम बडा जटिल विषय है किन्तु फिर भी उसे एक विश्लेषित रूप मे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई हैं । प्रत्येक आवश्यक स्थान पर उपयुक्त उदाहरण भी दिये हैं ताकि विद्यार्थी उसे सरलता से समझ ले ।

यह आशा की जाती है कि प्रस्तुत पुस्तक आय कर सन्नियम के विषय का अध्ययन प्रारम्भ करने वालो के लिए सचमुच मे उपयोगी प्रमाणित होगी ।

नवलगढ
१–१–५४

रूपराम गुप्त

अध्याय १

विषय-प्रवेश

(Introduction)

भारतवर्ष मे आय-कर (Income Tax) सन्नियम सन् १९२२ के आय-कर अधिनियम (Income Tax Act of 1922) मे मिलता है। सन् १९२२ मे इस अधिनियम के पास होने के समय से लेकर अब तक, समय-समय पर और विशेष रूप से सन् १९३९ म, इसके अन्दर बहुत से सशोधन और परिवर्तन किये जाते रहे हैं। आय-कर से सम्बन्धित जिन धाराओ का इस पुस्तक मे हवाला दिया गया है, वे सब इसी अधिनियम की धाराएँ है।

सन् १९२२ का आय कर अधिनियम सम्पूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है। आय-कर व्यक्ति की आय पर लगाया हुआ कर है। आयकर अधिनियम की धाराएँ ३ और ४ कर-निर्धारण सम्बन्धी धाराएँ है। यह कर पहली अप्रेल से आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिये गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष (१ अप्रैल से अगली ३१ मार्च तक) को ही कर-निर्धारण-वर्ष (Assessment Year) अथवा कर-वर्ष (Tax Year) कहा जाता है।

प्रत्येक कर-निर्धारण-वर्ष मे, १ अप्रैल से पहले ससद (Parliament) द्वारा पास किये हुये वार्षिक वित्त-अधिनियम (Annual Finance Act) के अनुसार वर्ष के लिए निश्चित की गई दरो के हिसाब से ही आय-कर लगाया जाता है। यह कर निम्न पर लगाया जाता है —

(क) व्यक्ति विशेष,

(ख) सयुक्त हिन्दू परिवार,

(ग) कम्पनी,

(घ) स्थानीय सत्ता (Local authority),

(ङ) स्वय फर्म पर अथवा फर्म के हिस्सेदारो पर अलग-अलग रूप से, और

(च) दूसरे किसी जन-मण्डल (Other association of persons) पर, अथवा मण्डल के सदस्यो पर पृथक-पृथक।

जिस आय पर कर लगाया जाता है, वह आय गत वर्ष (Previous Year) की होती है न कि कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) की, और इसकी गणना अधिनियम के आदेशो के अनुसार की जाती है।

आय-कर अधिनियम कर-निर्धारण की प्रणाली और दायित्व स्थापित करता है, किन्तु वार्षिक वित्त अधिनियम (Annual Finance Act) के पास हुए बिना कर-दायित्व स्थिर नही हो सकता। आय-कर गत वर्ष (Previous Year) की आय पर लगाया जाता है, किन्तु उस पर कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) के कानून के अनुसार विचार किया जाता है न कि उस कानून के हिसाब से जो कि उस वर्ष प्रचलित था जिसकी आय पर कि कर लगाया जा रहा है।

परिभाषाएँ (Definitions)

धारा २ के अन्तर्गत आय-कर अधिनियम मे व्यवहृत कतिपय महत्व की परिभाषाए दी गई है, जिनमे से मुख्य परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

कृषि आय (Agricultural Income)

धारा २(१)

आय-कर अधिनियम के अनुसार 'कृषि-आय' उस जमीन की आय मानी जाती है जो कृषि के काम मे लाई जाती हो तथा जिस पर सरकार को लगान और स्थानीय सत्ता को कर दिया जाता हो। जब तक उपयुक्त दोनो शर्तें लागू न हो, जमीन की किसी आय को कृषि आय नही कहा जा सकता। कृषि शब्द मे बनारोपण (Forestry) का भी बोध होता है। यदि कोई जमीदार अपनी जमीन पर पेड लगाता है और उनसे उसे आय होती है, तो यह आय कृषि आय मानी जायगी, बशर्ते कि उस जमीन से लगान वसूल किया जाता हो। किन्तु जो जगली पेड अपने आप उग गये है, उनकी लकडी, छाल, फूल-पत्तियो आदि की आय कृषि-आय मे सम्मिलित नही है, क्योकि जब तक जमीन पर किसी प्रकार की खेती-कास्त नही की जाती तब तक उस जमीन को कृषि कार्य के हेतु काम मे लाया नही कहा जा सकता। निम्न प्रकार की आय भी कृषि-आय के क्षेत्र मे नही आती —

(i) हाट बाजारो, घाट अथवा मछली क्षेत्रो से होने वाली आय।

(ii) सिचाई के लिए पानी मुहैया (Supply) करने से आय।

(iii) पत्थरो की खानो से होने वाली आय

(iv) खानो से प्राप्त होने वाली 'रायल्टी' से आय।

(v) ईंटे बनाने के लिए जमीन बेचने से होने वाली आय।

(vi) किसी कृषि फार्म के मैनेजर के रूप मे मिलने वाला पारिश्रमिक।

निम्न मदो से होने वाली आय कुछ अशो मे कृषि आय है और कुछ अशो मे कृषि आय नही—

(अ) भारत मे विक्रेता द्वारा पैदा और निर्मित की गई चाय को बेचने से हुई आय ।

(ब) किसी चीनी कारखाना कम्पनी की आय, जिसके अपने निजी कृषि फार्म है तथा जो कारखाने के लिए अपनी ही ईख पैदा करती है ।

उस प्रत्येक व्यक्ति को हुई आय कृषि आय नही कही जा सकती कि जिसके हाथो जमीन की पैदावार पहुचती है । केवल जमीन के मालिक, आसामी अथवा भूमि बन्धक रखने वालो का ही भूमि मे हित रहता है और उन्ही को जमीन पर कृषि कार्य द्वारा जमीन से आय प्राप्त हुई कही जा सकती हे । यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, जिसने जमीन पर जोत-बोकर पेदावार की है, खडी फसल खरीद लेता है और उसे काट कर फायदे से बेचता है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ लाभ कृषि आय नही माना जाता ।

आय-कर-दाता (Assessee)

आय-कर दाता वह व्यक्ति है, जिसे कर अदा करना होता है । मृत व्यक्ति की आय पर आय कर निर्धारण के लिए, उसके कानूनी रूप से जायज उत्तराधिकारी को भी आय कर-दाता (Assessee) माना जाता है । यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की आय मे से कर काटना चाहिए, कर नही काटे अथवा काट लेने के उपरान्त उसे सरकार को अदा नही करे तो उस व्यक्ति को भी आय-कर-दाता माना जायेगा

व्यक्ति (Person) २(६)

आय-कर के मतलब के लिए, करदाताओ को उनकी स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार वर्गित किया जाता है —व्यक्ति विशेष (Individual), हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी, स्थानीय अधिकारी और अन्य जन-मण्डल ।

'व्यक्ति' शब्द मे एक अविभाजित हिन्दू परिवार, स्थानीय सत्ता, कम्पनी और एक जन-मण्डल (Association of persons) शामिल हे । स्थानीय सत्ता के अन्तर्गत म्यूनिस्पल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट आदि सस्थाए आती है। व्यक्ति शब्द मे एक नाबालिग अथवा पागल व्यक्ति भी शामिल होता है ।

गत वर्ष (Previous year)

क्योकि कर-दाता को अपनी गत वर्ष की आय पर ही कर अदा करना होता है, इसलिए गत वर्ष की परिभाषा बडी महत्वपूर्ण हे । गत वर्ष से आशय उन बारह महीनो से है, जो आय-कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) के पहले ३१ मार्च को समाप्त होते है । किन्तु यदि किसी आय-कर-दाता का हिसाबी वर्ष (Accounting year) पूर्व के वित्तीय वर्ष के दौरान मे किसी अन्य तिथि पर समाप्त होता है, तो यही हिसाबी वर्ष उसका गत-वर्ष माना जायगा । उदाहरण के लिये, वह अपना गत वर्ष सवत्

साल, दिवाली साल, दशहरा साल अथवा कलेंडर वर्ष के अनुसार रख सकता है। गत वर्ष की समाप्ति पूर्व वित्तीय वर्ष (Preceding financial year) के अन्दर ही अथवा उसके साथ ही अवश्य हो जानी चाहिए।

आय के भिन्न-भिन्न साधनो के लिए कर-दाता द्वारा अपनी आय के प्रत्येक साधन के सम्बन्ध मे वास्तव मे माने गये हिसाबी वर्ष के आधार पर, पृथक्-पृथक गत वर्ष रखे जा सकते है। लेकिन इस नियम की दो मर्यादाये है —

(१) एक बार अपना गत वर्ष निश्चय कर लेने के पश्चात् उसे अगले वर्षों के लिए बदला नही जा सकता, जब तक कि ऐसा करने के लिए इनकम टैक्स ऑफीसर की मजूरी न मिल जावे। इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य टैक्स की चोरी पर अकुश रखना है और दूसरी ओर इस बात की सावधानी भी रखना है कि कही दुहरा आयकर-निर्धारण (Double assessment) न हो जाय,

(२) यदि आय की कोई मद विशेष किसी साझेदारी के लाभ मे प्राप्त हुए भाग के रूप मे है तो उस मद के लिये गत वर्ष वही माना जायगा, जो फर्म ने रखा है। यह बन्धन उस दशा मे लागू होना है जबकि फर्म पर इकाई के रूप मे कर लगाया गया हो।

नये व्यवसायो के लिये गत-वर्ष, व्यापार आरम्भ करने की तिथि से आने वाले ३१ मार्च तक (अथवा, यदि आय-कर दाता चाहे तो, उसके हिसाबी साल के अन्त तक) माना जाता है। यदि किसी व्यापार की हिसाबी तिथि (Accounting date) आने वाली ३१ मार्च के बाद पडती है, तो ऐसी दशा मे यह समझा जायेगा कि उस व्यापारी का कोई गत वर्ष नही है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय १ जून १९५७ को आरम्भ करता है और प्रथम वर्ष का हिसाब-किताब ३१ मई १९५८ तक के लिये बनाता है, तो वह ३१ मई तक समाप्त होने वाले वर्ष को मान सकता है। ऐसी दशा मे १९५८-५९ के आय-कर-निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत वर्ष नही होगा, क्योकि ३१ मई १९५८ तक समाप्त होने वाले प्रथम हिसाबी वर्ष के लाभ पर १९५९-६० के आय-कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जायगा।

आय कर लगने वाले क्षेत्र (Taxable Territories)

आय-कर लगने वाले क्षेत्र से आशय सम्पूर्ण भारतवर्ष का है।

आय (Income)

आय-कर अधिनियम का उद्देश्य आय पर कर लगाना है, किन्तु 'आय' शब्द की परिभाषा वह नही करता। हाँ, वह इस शब्द से दैनिक व्यवहार मे समझे जाने वाले अर्थ को इस प्रकार विस्तृत करता है कि उसमें कुछ ऐसी प्राप्तियाँ भी आ जाती हैं, जिन्हे आम तौर पर आय नही कहा जा सकता। ऐसी प्राप्तियो की चर्चा आगामी अध्याय में यथा-अवसर की जायगी।

निश्चित साधनो द्वारा नियमित रूप से जो सामयिक द्राव्यिक (Monetary) आय होती है उसे आय मानते हैं। आय का साधन ऐसा होना जरूरी नही है कि वह निरन्तर उत्पादक बना रहे, बल्कि वह ऐसा होना चाहिये कि जिसका उद्देश्य निश्चित फल प्रदान करना हो और जिसमे 'आँधी के आम' सदृश आय की गणना नही हो। आय के इन साधनो को अधिनियम मे नौकरी, विनियोग, मकान-जायदाद, व्यवसाय वाणिज्य, अन्य साधन तथा पूंजी लाभ के रूप मे वर्गीकृत किया गया है। आय की तुलना किसी पेड के फलो अथवा किसी जमीन से मिलने वाली फसल से की गई हे। आय से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त निम्न प्रकार ह।

(१) अगर कोई प्राप्ति विशेष (Particular receipt) ऐसी है जिसका साधन स्थिर नही किया जा सकता, तो इस प्राप्ति को कर-योग्य-आय नही माना जा सकता। उदाहरणस्वरूप, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सडक पर घूम रहा हे। यदि मार्ग मे उसे ५,०००) की थैली पडी हुई मिले और वह उसे उठाकर अपने कब्जे मे करले, तो उसकी यह प्राप्ति आय के अन्तगत शामिल नही की जा सकती, क्योकि इसका साधन स्थिर नही है।

(२) कर लगाने की दृष्टि से इस बात को कोई महत्व नही दिया जाता कि अमुक व्यक्ति को आय गैर कानूनी रूप से पैदा की गई हे। यह ख्याल करना मूर्खतापूर्ण है कि कर केवल ईमानदारी से कमाई हुई आय पर लगता है और बइमानी से प्राप्त आय कर लगने से बच जाती हे। आय-कर अधिनियम कानूनी ढग से कमाई हुई आय पर ही लागू होगा, यह कोई बन्धन नही ह। यह अधिनियम अवैध आय पर भी समान रूप से लागू होता है।

(३) आय द्रव्य के अथवा द्रव्य तुल्य वस्तु के रूप मे (Money's worth) प्राप्त की जाती है। द्रव्य-तुल्य प्राप्ति आय की प्राप्ति ही समझी जायगी।

(४) यह कोई जरूरी नही कि आय नियमित रूप से प्राप्त हो। एक इकट्ठी रकम की प्राप्ति भी आय हो सकती हे। वह पारिश्रमिक, जो आय है यदि वह कई वर्षों पर फैला कर दिया जावे, तब भी आय ही गिना जायगा जबकि वह केवल एक बार मे एक मुश्त चुका दिया जाय, उदाहरण के लिये वष का वेतन जो एक मुश्त पेशगी चुका दिया गया हो।

(५) आयकर के 'उद्देश्य के लिये, किसी प्राप्ति (receipt) की प्रकृति सदेव के लिए उस समय निश्चित हो जाती है जबकि वह प्राप्त की जाती हे। कोई प्राप्ति (receipt), जो प्राप्त होने के समय आय के अन्तर्गत नही आती, बाद मे भी आय के रूप मे सम्मिलित नही की जा सकती। जैसे, किसी फर्म को एक ग्राहक से एडवास स्वरूप कोई रकम प्राप्त हुई। उसे कई वर्षों तक वापस नही माँगा जाता और अन्त मे फर्म-क

पूँजी खाते (Capital Account) मे जमा करली जाती है। ऐसी परिस्थिति मे पूँजी खाते की यह जमा रकम फर्म की आय मे शामिल नही हो सकती, क्योकि वह रकम, जब ग्राहक से प्राप्त हुई थी, तो आय के रूप मे प्राप्त नही हुई थी।

(६) आय बाहर से ही प्राप्त होनी चाहिए। कोई म्युचुअल सस्था (जैसे कोई क्लब) ऐसे आपसी कार्यो मे सलग्न हो सकती है, जिससे कर-अयोग्य (Non-taxable) आधिक्य उदय होता हो और वही सस्था किन्ही ऐसे गैर आपसी कार्यो (Non-mutual activities) मे भी सलग्न हो सकती है, जिनकी आय कर लगने योग्य हो। अत सदस्यो के एक क्लब मे ऐसा आधिक्य, जो सदस्यो द्वारा विभिन्न सुख सुविधा के लिए चुकाये गये शुल्क एव अन्य चन्दो से उदय हो, आय नही होती और न एक सामाजिक क्लबो से यही आशा की जा सकती है कि वह अपने सदस्यो से कोई व्यापार करेगे। किन्तु क्लब पर उस आय के लिये जो उसे गैर सदस्यो से शुल्क व चन्दे के रूप मे प्राप्त हो, और जो पूँजी सम्पत्तियो (जैसे विनियोग) से प्राप्त हो, कर लगाया जा सकता है।

कमाई हुई आय (**Earned Income**)

कुछ प्रकार की आये, जैसे वेतन, व्यावसायिक आमदनी अथवा व्यापार के लाभ, वैयक्तिक परिश्रम (Personal exertion) से प्राप्त होती है। किन्तु इसके विपरीत अन्य प्रकार की आय, जैसे जायदाद की आय, सिक्योरिटियो पर मिलने वाला ब्याज, लाभाश (Dividend), ऐसा कोई परिश्रम किये बिना ही प्राप्त हो जाती है। वैयक्तिक परिश्रम से प्राप्त आय कमाई हुई आय कही जाती है और ऐसी कमाई हुई आय पर करारोपता व्यवस्था मे मानव यन्त्र की घिसावट (Depreciation) के रूप मे कुछ रियायत दी जाती है। कमाई हुई आय पर, बिना कमाई हुई आय की अपेक्षा कर-भार (Incidence of taxation) कुछ हल्का होता है।

कमाई आय की छूट (**Earned income Allowance**)

३१ मार्च १६५७ तक अतिरिक्त-कर के लिये कमाई आय की छूट का कोई आयोजन न था। हाँ, आय कर के सम्बन्ध मे २५००० रु० से कम 'कमाई हुई आय' के लिये २०% या ४,००० रु० अधिकतम छूट का आयोजन था। इस रकम से अधिक आय वालो के लिये ४,००० रु० की छूट २५,००० रु० से जितनी रकम अधिक हो उसके २०% की दर से कम कर दी गई है। इस प्रकार यदि कमाई हुई आय ४५,००० रु० है, तो छूट बिल्कुल भी नही मिलेगी।

१ अप्रैल १८५७ से यह पद्धति बिलकुल बदल दी गई है। अब तो सब आय पर एक आदर्श अनुसूची से आय कर तथा अतिरिक्त कर की दरे लगाई जाती है तथा कमाई हुई आय की अपेक्षा न कमाई आय पर अधिक सर-चार्ज लगाया जाता है। इसका

अर्थ यह हुआ कि कमाई आय की छूट अब आय-कर व अतिरिक्त कर दोनो के लिये प्राप्त होगी।

१९५९ के फाइनेंस एक्ट के अनुसार, कुल आय पर आय-कर और अतिरिक्त-कर प्रथम तो दरो मे गणना किये जायेगे और निम्न दरो से सर-चार्ज लगाया जायेगा।

(अ) कमाई हुई आय पर सामान्य सरचार्ज कुल आय पर लगे आय-कर तथा अतिरिक्त कर का ५% । तथा अतिरिक्त सरचार्ज आय-कर और अतिरिक्त-कर का ५% यदि कमाई हुई आय १००,००० रु० मे अधिक हो, तथा

(ब) न कमाई हुई आय पर आय-कर और अतिरिक्त-कर का १५% विशेष सरचार्ज, ऐसी आय कुल आय के सबसे ऊपर के हिस्से (top brackets) मे मानी जाती है।

यह सरचाज तब ही लागू होगा जब कि ऊँची छूट पाने वाले हिन्दू अविभाजित परिवार को कुल आय, १५,००० रु० से तथा अन्य किसी दशा मे ७,५०० रु० से अधिक हो। यह सीमा कुल आय मे १,५०० रु० तक शामिल इक्विटी अशो पर लाभाश से बढा दी गई है।

कमायी हुई आय के सम्बन्ध मे रियायत केवल उसी दशा मे प्रात हो सकती है जब कि आय-कर-दाता एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार या ~~अरजिस्टर्ड~~ फर्म अथवा कोई अन्य जन-समूह हो। किन्तु एक कम्पनी, स्थानीय सत्ता (Local authority) या रजिस्टड फर्म की आय किसी भी दशा मे कमाई हुई आय नही हो सकती। कम्पनियो और स्थानीय सत्ताओ को पृथक करने का कारण यह है कि इनका निर्जीवी स्वरूप होने से आय प्राप्ति मे कोई वैयक्तिक परिश्रम (Personal exertion) नही होता और एक रजिस्टड फर्म को पृथक करने का कारण यह है कि ऐसी फर्म मे कर-निर्धारण (Assessment) भागीदारो पर अलग अलग होता है, फम पर नही।

सभी वेतन, जिनमे पेंशन तथा पूव सेवाओ के बदले में प्राप्त होने वाले एलाउन्स आदि शामिल है, कमायी हुई आय है। स्वीकृत प्राविडेन्ट फड की दशा मे मालिक का चन्दा तथा प्राविडेन्ट फड खाते पर ब्याज (यदि कोई हो) जो कि किसी कमचारी के कर्मचारी के वेतन के रूप मे उसकी कुल आय मे सम्मिलित हो, कमाई आय मानी जाती है। व्यापार, व्यवसाय, अथवा किसी पेशे से होने वाली आय कमायी हुई है, बशर्ते उस व्यापार व्यवसाय का सचालन कर दाता स्वय करता हो, किन्तु कोर्ट ऑफ वार्ड्स अथवा किसी ट्रस्टी द्वारा सचालित व्यापार से कर-दाता को होने वाली आय कमाई हुई आय नही है। अन्य साधनो से आय कमाई हुई आय तभी मानी जायगी जब कि वह वैयक्तिक

परिश्रम (Personal exertion) से उपार्जित की गई हो, जैसे डायरेक्टर की फीस, पुस्तको से मिलने वाली रॉयल्टी आदि ।

रजिस्टर्ड और अरजिस्टर्ड फर्मो का भेद आयकर दाता (Assessee) मे सम्बन्धित एक आगामी अध्याय मे स्पष्ट किया गया है ।

कम्पनी, फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार कुल आय (Total Income), कुल विश्व आय (Total World Income) आदि शब्दो की व्याख्या आगामी अध्यायो मे यथावसर की जायगी ।

आयकर प्राधिकारी
(Income Tax Authorities)

भारतवर्ष मे आयकर सन्नियम को सुधार रूप से प्रशासित तथा कार्यान्वित करने का कार्य निम्नलिखित प्राधिकारियो को सौपा गया है :—

(१) सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue)

केन्द्रीय सरकार ने कतिपय सदस्यो के इस बोर्ड की स्थापना आय-कर, उत्पादन-कर, चुगी आदि से प्राप्त सरकारी आय पर नियन्त्रण करने के लिए की है । इस बोर्ड के एक सदस्य को सम्पूर्ण भारतवर्ष के आयकर-विभाग का नियन्त्रण सौपा गया है । वह उस विभाग का अध्यक्ष है और भारत सरकार इस व्यक्ति की सिफारिशो पर ही कमिश्नर, असिस्टेट कमिश्नर, और इन्कम टैक्स आफीसरो की नियुक्ति करती है । किन्तु बोर्ड को अपीलेट असिस्टेट कमिश्नरो के अपील सम्बन्धी कार्यों मे किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करने का अधिकार नही है ।

(२) डायरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन (Director of Inspection)

केन्द्रीय सरकार जितने ठीक समझे उतने डायरैक्टर आफ इन्सपैक्शन नियुक्त कर सकती है और उन्हे किसी दूसरी आयकर-सत्ता के ऐसे काय करने होगे जो उनको सौपे जायें । हॉ, उन पर सेन्ट्रल बोड ऑफ रेवेन्यू का नियन्त्रण रहेगा । ये अपने अधीन इन्कम टैक्स आफीसरो के लिये कर निर्धारण के किसी मामले मे ऐसे नियम, जो भी वे ठीक समझे, पथ प्रदर्शन के हेतु जारी कर सकते है । पूछताछ के उद्देश्य के लिये उनको वे तमाम अधिकार होगे जो इन्कम-टैक्स आफीसरो को पूछ-ताछ करने के सम्बन्ध मे मिले होते है ।

'डायरैक्टर ऑफ इन्सपैक्शन' वाक्याश मे एडीशनल डायरैक्टर, डिप्टी डायरैक्टर या असिस्टैण्ट डायरैक्टर ऑफ इन्सपैक्शन नियुक्त हुए व्यक्ति भी शामिल होते है ।

(३) कमिश्नर ऑफ-इन्कम टैक्स
(Commissioner of Income Tax)

किसी राज्य अथवा अन्य क्षेत्र के आयकर-विभाग का अध्यक्ष कमिश्नर ऑफ

इन्कम टैक्स कहलाता हे । इस अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। आयकर सम्बन्धी कार्य के सचालन हेतु जो अधिकार उसे दिये गये है, उनका वर्णन आयकर अधिनियम मे किया गया है। इसी के हाथो अपने अधिकार-क्षेत्र के आय-कर विभाग का सामान्य नियन्त्रण और सचालन होता हे ।

(४) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर
(Appellate Assistant Commissioner)

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर सेण्ट्रल बोड ऑफ रेवेन्यू के सीधे नियन्त्रण मे होता है और उसका प्रमुख कार्य इन्कम-टैक्स आफीसरो के निर्णयो के विरुद्ध अपीले सुनना है। इस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को 'रेंज' (Range) कहा जाता है। 'रेंज' के अन्दर कई इन्कम-टैक्स आफीसरो के अधिकार क्षेत्र आते हैं ।

(५) इन्सपैक्टिग असिस्टेट कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स
(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax)

इन्सपेक्टिग असिस्टेण्ट कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नियन्त्रण मे काय करता है और इसका प्रमुख कार्य अपने क्षेत्राधीन इनकम टैक्स आफीसरो के कार्य का निरीक्षण करना है। कुछ मामलो मे इनकम टैक्स आफीसरो को दण्ड (Penalty) अथवा अभियोग (Prosecution) चलाने से पूर्व इस असिस्टेण्ट कमिश्नर से अनुमति लेनी पडता हे। यद्यपि कर-निर्धारण (Assessment) मे उसका प्रत्यक्षत कोई हाथ नही, तथापि आय-कर निधारण की सामान्य कार्य-विधि मे हस्तक्षेप करने और इनकम टैक्स आफीसर को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार उसे प्राप्त हे।

(६) इनकम टैक्स आफीसर (Income Tax Officer)

इनकम टैक्स आफीसर ही वास्तविक कर-निर्धारण-कर्त्ता अधिकारी होता हे। वही कर निर्धारित करता है, कर-दाता से कर की मॉग करता है और वसूल करता है। इसके अधिकार आय-कर अधिनियम द्वारा निर्धारित हैं और उसका अधिकार क्षेत्र जिसे डिस्ट्रिक्ट (District) कहा जाता है, सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सलाह से कमिश्नर द्वारा निश्चित किया गया है। जब किसी इनकम टैक्स आफीसर की पदोन्नति अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के पद पर हो जावे, तो वह अपने पूव निर्णयो और आदेशो के विरुद्ध अपीलो की सुनवाई नही कर सकता। ऐसे मामले किसी दूसरे अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के पास भेजे जाते हैं।

(७) इनकम टैक्स इन्सपैक्टर (Income Tax Inspector)

इनकम टैक्स इन्सपैक्टर केन्द्रीय सरकार के नियमो एव आदेशो के अधीन कमिश्नरो द्वारा नियुक्त किये जाते है। वे ऐसे सब कार्य करते है जो उन्हे इनकम टैक्स

आफीसर या कोई अन्य आय-कर-अधिकारी, जिसके अधीन वे काम करने के लिये नियुक्त किये जायें, करने के लिये सौपे ।

(८) अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)

आय-कर विभाग के प्रशासन एव सचालन कार्य से पृथक 'अपीलेट ट्रिब्यूनल' की स्थापना की गयी है । इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है और वह इसमे जितने सदस्य रखना उचित समझती है, रखती है । इसमे या तो जुडिशियल सदस्य होते है अथवा एकाउण्टैण्ट सदस्य, किन्तु इसका सभापति कोई जुडीशल सदस्य ही होना है । इस ट्रिब्यूनल की प्रत्येक बैच मे एक जुडीशल मैम्बर तथा दूसरा एकाउण्टैण्ट मैम्बर होता है, और प्रत्येक बैच भारतवर्ष के किसी एक भिन्न भाग की आय-कर सम्बन्धी अपीलो की सुनवाई करती है । किसी अपील पर विचार करते समय जब बैच के दोनो सदस्यो मे मतभेद हो और उनकी एक राय नही होती तो ऐसी दशा मे ट्रिब्यूनल के सभापति द्वारा तीन सदस्यो की बच बना दी जाती है ।

अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निर्णयो के विरुद्ध की गई अपीलो की सुनवाई इस अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा होती हे । अपील के तथ्य (Facts) सम्बन्धी प्रश्नो पर ट्रिब्यूनल का निणय अन्तिम (Final) होता हे । हाँ, यदि इसके सन्नियम सम्बन्धी प्रश्नो के निर्णयो से आय-कर-दाता सन्तुष्ट न हो, तो केवल सन्नियम सम्बन्धी प्रश्नो (Points of Law) पर पुनर्विचार करने के लिये मामलो को हाईकोट मे भेजा जा सकता है ।

अध्याय २

कर—दायित्व
(Tax-Liability)

धारा ३ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उसकी कुल आय (Total Income) के सम्बन्ध मे आय-कर लिया जाता है, जबकि धारा ४ मे कुल आय के क्षेत्र की व्याख्या की गयी है। किसी व्यक्ति की कुल आय को उसके निवास स्थान (Residence) के हिसाब से निश्चय किया जाता है जबकि निवास स्थान का आशय उसके गत वर्ष के निवास स्थान से है।

कर-दाताओ का निवास स्थान
(Residence of Assessees)

निवास-स्थान के बिचार से आय-कर दाताओ को तीन वर्गों मे विभाजित किया गया है—

(अ) व्यक्ति जो भारत मे निवास नही करते हो।

(आ) व्यक्ति जो भारत मे निवास करते हो किन्तु वहाँ के साधारण निवासी (resident but not ordinarily resident) न हो।

(इ) व्यक्ति जो भारत मे निवास करते हो और वहाँ के साधारण निवासी (resident and ordinarily resident) हो।

कोई आय-कर-दाता किस वर्ग मे आता है, इसका निर्णय कई बातो पर निर्भर है, जिन पर आय-कर निर्धारण के हेतु, प्रत्येक वष पुर्नविचार किया जाता है। परिस्थितियो के अनुसार आय-कर दाता किसी एक वर्ष के लिये निवासी (resident) और दूसरे वर्ष के लिये परदेशी (non-resident) हो सकता है।

इनमे मे प्रत्येक वर्ग पर एक भिन्न आधार पर कर लगाया जाता है। आय कर-दाता व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म अथवा कोई अन्य जन-मण्डल हो सकता हे। इनके निवास-स्थान (residence) का निश्चय निम्नलिखित नियमो के द्वारा होता है।

व्यक्ति (Individual)

कोई व्यक्ति किसी वष विशेष मे भारत का निवासी तभी माना जायगा जब कि—

(अ) वह भारत मे उस वर्ष कुल मिला कर कम से कम १८२ दिन रहा हो, या

(आ) वह भारत मे उस वर्ष कम से कम १८२ दिन से कोई रहने का मकान रखता हो, बशर्ते वह उस वर्ष मे कम से कम एक दिन के लिये अवश्य ही कर लगने वाले क्षेत्र मे उपस्थित रहा हो, या

(इ) वह भारत मे (अ) उस वर्ष से पहले चार वर्षों के अन्दर कम से कम ३६५ दिन उपस्थित रहा हो और (ब) उस बर्ष मे कम से कम एक दिन के लिए तो अवश्य ही कर लगने वाले क्षेत्र में आया हो, परन्तु उसका यह आगमन सयोगवश अथवा आकस्मिक (Casual Visit) न होना चाहिए , या

(ई) वह भारत मे उस वर्ष रहा हो और इनकम टैक्स अफसर को यह इत्मीनान हो गया हो कि वह भारत मे आने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिये रहने के इरादे से आया है।

यदि किसी व्यक्ति पर उपर्युक्त चार शर्तों मे से कोई भी शर्त लागू नही होती, तो वह परदेशी (non-resident) माना जायगा। किन्तु यदि इन शर्तों मे से कोई भी शर्त लागू होने के कारण वह व्यक्ति निवासी ठहरता है, तो उसे निवासी किन्तु साधारण निवासी अर्थात् कच्चे निवासी (resident but not ordinarily resident) की श्रेणी मे रखा जायगा। पक्का निवासी अर्थात् 'निवासी और साधारण निवासी' (resident and ordinarily resident) होने के लिए उसे निम्न दो और शर्तों को पूरा करना होगा—

(अ) कि वह उस वर्ष से पूर्व के दस वर्षो मे कम से कम नौ वर्ष उपर्युक्त शर्तों के अनुसार कर लगने बाले क्षेत्र मे निवासी (resident) रहा हो।

(आ) कि वह उस वर्ष के पहले ७ वष के दौरान मे कुल पर दो वर्षो से अधिक अवधि तक कर लगने वाले क्षेत्र मे रहा हो।

उदाहरण

(१) एक व्यक्ति भारत मे लगभग २५ वर्षों तक रहने के पश्चात् अप्रैल १९५६ मे इगलैंड चला गया और फरवरी १९५९ मे किसी वैतनिक पद पर नियुक्त होकर कर लगने वाले क्षेत्र में पुन वापस आ गया।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे वह भारत में १८२ दिन की अवधि के लिये नही रहा, न उसका यहाँ कोई मकान ही था। किन्तु १९५८–५९ से पूर्व

के ४ वर्षों मे वह ३६५ दिनो से अधिक समय रहा और उसका वापस आना सयोगवश भी न था। इसीलिये वह १९५८–५९ के लिये निवासी (resident) माना जायगा।

इसके अतिरिक्त १९५८–५९ से पूर्व के १० वर्षों में से ९ वर्षों के लिये वह कर लगने वाले क्षेत्र मे निवासी रहा और १९५८–५९ से पूर्व ७ वर्षों मे से २ वर्ष से अधिक समय वह यहाँ रहा है। इसलिये सन् १९५८–५९ के लिये उसे पक्का निवासी (resident and ordinarily resident) माना जायगा।

(२) उपर्युक्त उदाहरण के सिलसिले में ही, मानलें कि वह व्यक्ति अप्रैल १९५६ के बजाय मार्च १९५६ मे ही इगलैंड चला जाता है (और सब बातें पूर्ववत रहती हैं) तो १९५८–५९ के लिये वह कच्चा निवासी (resident but not ordinarily resident) माना जायगा, क्योंकि पूर्व के १० वर्षों मे से ९ वर्षों के लिये वह निवासी नही था।

(३) ईरान में व्यवसाय करने वाले एक पजाबी व्यापारी को, जिसका कर लगने वाले क्षेत्र में बाप-दादो का कोई मकान नही है किन्तु जो हर दूसरे-तीसरे साल लगभग दो महीने के लिये कर लगने वाले क्षेत्र मे आता है, परदेशी (non-resident) माना जायगा।

(४) एक व्यक्ति अफ्रीका मे कारोबार चलाता है, कर लगने वाले क्षेत्र मे उसका पैतृक मकान है और वह नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष लगभग २ महीनो के लिए आता है, तो ऐसी दशा मे उसे कच्चा निवासी (resident but not ordinarily resident) माना जायगा क्योंकि पूर्व के (preceding) ७ वर्षों मे वह कर लगने वाले क्षेत्र में २ वर्षों से अधिक समय तक नही रहा।

(५) कलकत्ता के एक जूट मिल का यूरोपियन मैनेजर कर लगने वाले क्षेत्र में पहले-पहल १५ वर्ष पूर्व आया और ३ वर्ष पहले उसने १५ महीने (मार्च १९५७ से मई १९५८ तक) की छुट्टियाँ स्वीजरलैण्ड मे बिताई। तो ऐसी दशा मे उसे १९५९–६० वर्ष के लिये पक्का निवासी (resident and ordinarily resident) माना जायगा।

(६) एक अमेरिकन ६ वर्ष पहले भारत आया था तथा ३ वर्ष पूर्व वह अमेरिका ४ महीने की छुट्टी पर गया था। वह निवासी तो है लेकिन कच्चा निवासी है, क्योंकि वह पिछले दस वर्षों में से ९ वर्षों में निवासी नही रहा है।

नोटः—किसी व्यक्ति का किसी वर्ष के लिए निवास जानने के लिये उसकी पूर्व दस वर्षों की आने और जाने की तारीखो की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये। यदि वह दो वर्षों के लिये परदेशी रहा है तो वह निवासी तथा पक्का निवासी नही हो सकता।

हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu undivided families)

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास-स्थान निर्धारित करना इस बात पर निर्भर है कि उसकी देखभाल और प्रबन्ध कहाँ स होता है। भारत मे इसे निवासी (resident) तभी माना जायगा जबकि इसकी देखभाल और प्रबन्ध का कोई भाग (any portion) भारत मे अवस्थित हो। लेकिन यदि परिवार की देखभाल, प्रबन्ध और नियन्त्रण पूर्ण रूप से भारत से बाहर हो तो उस दशा मे परिवार को विदेशी (non-resident) माना जाता है। परिवार के पक्का निवासी (ordinarily resident) माने जाने के लिये यह जरूरी है कि इसका कर्त्ता या प्रबन्धक भारत का पक्का निवासी हो।

कम्पनियाँ (Companies)

कम्पनी को भारत में किसी वष के लिये निवासी समझा जायगा, यदि (अ) यह भारतीय कम्पनी है, अथवा (ब) उस वर्ष मे उसका प्रबन्ध एव नियन्त्रण पूर्ण रूप से भारत मे हो ; यदि वह निवासी है तो वह पक्का निवासी समझा जायगा।

भारत से बाहर की प्रतिस्थापित कम्पनियाँ भारत मे जब ही निवासी होगी जबकि उनका सचालन व नियन्त्रण पूरा रूप से भारत मे हो। साथ ही वे सब कम्पनियाँ जो भारत मे प्रतिस्थापित हुई है निवासी कम्पनियाँ होगी चाहे कुछ स्थितियो मे प्रबन्ध एव नियन्त्रण भारत से बाहर ही क्यो न स्थित कर दिया गया हो।

कम्पनी का प्रबन्ध एव नियन्त्रण उस स्थान पर स्थित माना जाता है जहाँ सचालक कम्पनी के व्यापार को करने के लिए मिलते है, प्रतिवेदन (reports) प्राप्त करते है, कम्पनी की पॉलिसी निश्चित करते हैं, लाभाश घोषित करते हैं, इत्यादि।

फर्म तथा अन्य जन-मण्डल

(Firms and other Association of Persons)

किसी फर्म अथवा जन-मण्डल को निवासी (resident) तभी माना जायगा जबकि उसके प्रबन्ध, नियन्त्रण और सचालन का कोई अश (any portion) भारत मे अवस्थित हो। लेकिन जब उसका प्रबन्ध, नियन्त्रण और सचालन पूरा रूप से भारत के बाहर से होता हो, तो उसे परदेशी (non-resident) माना जायगा। यदि कोई फर्म अथवा जन-मण्डल भारत मे निवासी है, तो उसे पक्का निवासी (ordinarily resident) माना जायगा।

नोट :—पक्के निवास-स्थान (ordinarily resident) की उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि केवल व्यक्ति तथा हिन्दू सयुक्त परिवार ही कच्चे निवासी (resident but not ordinarily resident) हो सकते हैं। यदि कोई कम्पनी,

फर्म अथवा जन-मण्डल किसी कर लगने वाले क्षेत्र का निवासी है, तो वह आवश्यक रूप से उस क्षेत्र का पक्का निवासी (ordinarily resident) हो जाता है।

कर भार (Incidence of Tax)

पक्के निवासी व्यक्ति
(Person resident and ordinarily resident)

ऐसे व्यक्तियो का निम्न प्रकार की आयो पर कर देना पडता है —

(अ) उस आय पर जो गत वर्ष भारत मे प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त मानी गई हो भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर पैदा की गई है।

(आ) उस आय पर जो गत वर्ष मे भारत मे उपार्जित अथवा उदय हुई अथवा उपार्जित की हुई या उदय हुई समझी जावे भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर प्राप्त की गई हो।

(इ) उस आय पर जो गत वर्ष भारत के बाहर उदय और प्राप्त हुई, लेकिन उस वष के अन्दर भारत मे लाई गई हो।

(ई) आय जो गत वर्ष भारत के बाहर उपार्जित और पैदा हुई किन्तु उस वर्ष भारत मे नही लाई गई, और

(उ) उन तमाम रकमो पर जो गत वर्ष से पहले किन्तु १ अप्रैल १९३३ के बाद भारत के बाहर उपार्जित की हुई बिना कर लगी आय मे से भारत मे लाई गई हो।

कच्चे निवासी व्यक्ति
(Person resident but not ordinarily resident)

ऐसे व्यक्तियो को निम्न प्रकार की आय पर कर देना पडता है —

(अ) उस आय पर जो गतवर्ष भारत मे प्राप्त हुई थी या प्राप्त हुई मानी गई है भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर पैदा की गई हो।

(आ) उस आय पर, जो गत वर्ष भारत मे पैदा हुई या उपार्जित की गई है अथवा पैदा हुई या उपार्जित हुई मानी गई है, भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर प्राप्त की गई थी।

(इ) उस आय पर जो गत वर्ष भारत से बाहर उपार्जित और प्राप्त की गई किन्तु उस वर्ष के भीतर ही भारत मे ले आई गई है।

(ई) आय जो गतवष भारत के बाहर (चाहे भारत मे न लाई गई हो) पैदा अथवा उपार्जित की गई है, बशर्ते यह आय भारतवर्ष मे नियन्त्रित होने वाले किसी व्यापार या भारत मे ही स्थापित किसी पेशे से पैदा हुई हो।

(उ) उस कुल रकम पर जो गतवर्ष से पहले किन्तु १ अप्रैल सन् १९३३ के पश्चात, भारत के बाहर उपार्जित की हुई बिना कर लगी आय मे से कर लगने वाले क्षेत्र मे लाई गई है।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष से पहले निवासी की दशा मे भारत से बाहर पैदा हुई या अर्जित हुई वह आय जो भारत को न भेजी जाय, ४,५०० रु० तक की सीमा तक कर-मुक्त थी। भारत के वर्तमान आर्थिक विकास में यह छूट अनावश्यक है अतएव यह छूट अब समाप्त कर दी गई है।

वेतन-आय के सिलसिले मे इस छूट की समाप्ति उद्गम स्थान पर कटौती के हेतु १ अप्रैल १९५९ से लागू होगी। लेकिन कर-निर्धारण (Assessment) के हेतु यह १ अप्रैल १९६० से लागू होगी।

सभी निवासियो ((residents) को १ अप्रैल १९३३ के पश्चात् होने वाली बिना कर लगी पिछली विदेशी आय के उस भाग पर कर देना पडेगा जो भारत मे लायी जावे। यह इस सामान्य नियम का एक अपवाद है कि किसी भी कर-निर्धारण वर्ष (any assessment year) मे केवल गत वर्ष, (previous year) की आय पर ही कर लगता है। यहाँ आय गत वर्ष की आय नही, बल्कि गत वर्ष से पहले के किन्ही वर्षों की आय है।

आय को 'प्राप्त करने' (receipt) और उसे 'अन्दर लाने' (bringing in) में एक अन्तर है। एक बार प्राप्त की हुई आय दूसरी बार प्राप्त नही की जा सकती और जो आय भारत मे बाहर एक बार प्राप्त करली गई है, उसका भारत मे स्थानान्तरण 'दुबारा प्राप्त होना' नही बल्कि इस क्षेत्र मे 'लाई हुई आय' मानी जायगी।

परदेशी व्यक्ति (Persons not resident)

परदेशी (non resident) की निम्न आय पर कर लगता है —

(अ) उस आय पर जो भारत मे गत वर्ष मे प्राप्त हुई है, अथवा जिसका भारत में प्राप्त होना माना गया है भले ही वह भारत के अन्दर या बाहर पैदा की गई हो।

(आ) उस आय पर जो गतवर्ष मे भारत मे उपार्जित की गई है या उत्पन्न की गयी है अथवा जिसका उपार्जन और पैदा होना भारत मे माना गया है भले ही वह भारत के अन्दर अथवा बाहर प्राप्त की गई थी।

परदेशी (non-resident) को अपनी विदेशी आय (Foreign income) पर आय-कर नही देना पडता, चाहे वह उसे भारत मे ही क्यो न ले आवे। इस बात को अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना चाहिये कि परदेशी की विदेशी आय उसी हालत मे कर लगाने योग्य है जबकि वह भारत मे की जावे, किन्तु जब वह भारत के बाहर प्राप्त की जावे और बाद को भारत मे लायी जाय तो इस पर कर नही लग सकता। आय की प्राप्ति (receipt) का आशय हमेशा पहली प्राप्ति से होता है।

"प्राप्त हुई मानी गई" (deemed to be received) वाक्याश के अन्दर वे आय आती है जिन्हे सन्नियम द्वारा प्राप्त हुआ माना जाता है यद्यपि यथाथ मे ऐसी कोई प्राप्ति नही होती, जैसे उद्गम स्थान पर कर काट लेना। जब उद्गम स्थान (source) पर किसी की आय (जैसे वेतन) मे से कर काट लिया जाता है, तो कर की वह रकम, जिसे काट लिया गया है, उस व्यक्ति को प्राप्त हुई मानी जाती है यद्यपि वास्तव मे वह उस रकम को प्राप्त नही करता।

भारत मे उपार्जित अथवा पैदा हुई मानी गई" (deemed to accrue or arise in India) इस वाक्याश के अन्तर्गत वे आय मानी जाती है जो यथार्थ में उपार्जित और पैदा हुई नही होती, किन्तु सन्नियम ने उन्हे ऐसा मान लिया है। निम्न-लिखित रूपो मे आय कर लगने वाले क्षेत्रो मे उपार्जित और पैदा हुई मानी जाती है—

(क) वेतन, चाहे वह कही चुकाया जावे, यदि वह भारत मे कमाया गया है।

(ख) भारतीय कम्पनियो द्वारा भारत से बाहर उस सीमा तक चुकाये गये लाभाश (dividend) जहाँ तक कि वे भारत मे पहले ही से कर लगे लाभो से वितरित किये गये है।

(ग) भारत मे रहने वाली पत्नी को अपने परदेशी (non-resident) पति की बिना कर लगी आय मे से मिलने वाली रकम। ऐसी रकम पत्नी की आय मानी जायगी।

(घ) भारत मे व्यापारिक सम्बन्धो के कारण अथवा अन्य साधनो द्वारा पैदा होने वाली आय। इन मामलो मे आय वास्तव मे भारत के बाहर उपार्जित हो सकती है किन्तु उसे भारत के अन्दर उपार्जित माना जाता है।

परदेशियो की दशा मे, भारत मे अर्जित या अर्जित समझी जाने वाली आय कर लगने योग्य है। वास्तविक अर्जन (actual accrual) कर पर दायित्व समझना तो बडा सरल है, लेकिन 'समझी जाने वाली' (Deemed) वाक्याश भ्रम पैदा कर देता है।

सन्नियम के अनुसार साधारणत. एक परदेशी पर केवल इस कारण ही कोई कर दायित्व नही होगा कि वह एक भारतीय व्यापारी से आयात अथवा निर्यात करता है।

हाँ, यदि वह 'प्रधान से प्रधान' (Principal to Principal) आधार पर कार्य करे, तो बात दूसरी है। वास्तव मे कर-दायित्व तभी उदय होता है जबकि एक परदेशी फर्म किसी 'निवासी' फर्म या व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप मे अपनी ओर से क्रय-विक्रय करने या कोई अन्य कार्य करने (जैसे भुगतान सग्रह करने) के लिये नियुक्त करता है। ऐसी दशाओ मे स्वभावत ही परदेशी भारत मे अपनी कार्यवाहियो के कारण, जो कि वह प्रतिनिधि द्वारा करता है, कुछ लाभ उठाता है और इसलिये यह उचित है कि वह कर का कुछ दायित्व भी उठाये।

सारांश

(Summary)

भिन्न-भिन्न प्रकार की आय के विचार से निवासियो (residents) और परदेशियो (non-residents) के कर दायित्व को इस प्रकार सक्षिप्त किया जा सकता है—

(१) सभी आयकर दाताओ को भारत मे प्राप्त हुई आय पर (चाहे वह यहाँ) कमाई गयी है अथवा बाहर) कर लगेगा।

(२) सभी आयकर दाताओ की भारत मे कमाई हुई आय पर (चाहे यहाँ प्राप्त हुई है अथवा बाहर) कर लगेगा।

(३) भारत के बाहर कमाई और प्राप्त की हुई किन्तु उसी वर्ष भारत मे लायी गयी आय पर सब निवासियो (Residents) को कर देना पडेगा।

(४) सभी निवासियो को बिना कर लगी विदेशी आय पर, जो भारत में लाई गई है, लाने के वर्ष मे कर लगेगा।

(५) आय जो किसी भी स्रोत से भारत के बाहर कमाई गई हो लेकिन जो भारत मे न ही प्राप्त की गई हो और न ही लाई गई हो, पक्के निवासियो की दशा मे कर योग्य होगी।

(६) कच्चे निवासी (resident not ordinarily resident) की आय पर, जो भारतवर्ष के बाहर ऐसे किसी व्यापार से कमायी गयी है जिसका नियन्त्रण और प्रबन्ध भारत मे ही हुआ है किन्तु जो भारत में न तो प्राप्त ही की गयी और न लायी गयी है, कर लगेगा।

यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति कच्चे निवासी है उन पर पक्के निवासियों की तरह ही कर लगता है। हॉ, उनके लिये एक खास छूट अवश्य है। कच्चे निवासी की भारत मे न भेजी हुई आय पर तब तक कर नहीं लगेगा जब तक कि यह आय भारत से संचालित व्यापार, पेशे या व्यवसाय से पैदा न हुई हो।

विषय-सूची

भाग रेलवे लाइन के बराबर जाता था। रेलवे ने इस जमीन से खुदाई बन्द कर देने के लिए उस कम्पनी को मुआवजे के रूप मे एक मुश्त रकम दी। यह प्राप्ति पूँजी-प्राप्ति है, क्योकि वह एक पूँजी सम्पत्ति (मिट्टी के मैदान) की क्षतिपूर्ति के रूप मे प्राप्त हुई है।

एक अन्य कम्पनी ने कुछ जमीन खरीदी, जिस पर मकान बनाकर बेचे जा सकें, किन्तु म्युनिस्पिल बोर्ड ने उस जमीन पर मकान बनाने की अनुमति नही दी, जिसके लिये कम्पनी को मुआवजा दिया गया। मकान बनाकर बेचने के व्यापार मे जमीन व्यापारिक सम्पत्ति (Trading Asset) अथवा चल-पूँजी (Circulating Capital) होती है, इसलिये जो क्षति-पूर्ति प्राप्त हुई वह आगम प्राप्ति है।

(२) जब कोई प्राप्ति किसी आय के साधन की प्रतिस्थापना (Substitution) के रूप मे प्राप्त हुई हे तो वह पूँजी-प्राप्ति होगी, किन्तु यदि वह आय के ही बदले मे प्राप्त हुई हो तो उसे प्राप्ति माना जायगा।

एक नौकर को अपने मालिक से नौकरी खत्म कर देने के हर्जाने मे जो रकम प्राप्त होती है, वह पूँजी-प्राप्ति होगी, क्योकि वह आय के साधन की पुनर्स्थापना के रूप में हे। किन्तु कर्मचारी को अपनी पूव सेवाओ के स्वरूप मिला पुरस्कर (gratuity) अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप मे प्राप्त आय है।

एक कम्पनी ने आग से अपने कारखाने और मशीनरी की हानि तथा उसके फलस्वरूप बन्द हो जाने से होने वाले लाभ की हानि से सरक्षण के लिये बीमा कराया। कारखाने और मशीनरी की हानि के लिए क्षति स्वरूप मिलने वाली बीमे की रकम पूँजी-प्राप्ति है किन्तु लाभ की हानि के लिए मिलने वाली रकम आगम-प्राप्ति है, क्योकि पहली (पूँजी) प्राप्ति तो एक पूँजी सम्पत्ति की पुनर्स्थापना के रूप मे है और दूसरी प्राप्ति आय के बदले मे है।

किसी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन आगम-प्राप्ति है, क्योकि वह उसकी पूर्व सेवाओ के मुआवजे के रूप में है। किन्तु पेशन के बदले मे मिलने वाली एक मुश्त रकम पूँजी प्राप्ति है, क्योकि यह एक पूँजी सम्पत्ति (पेंशन पाने के अधिकार) के बदले मे है।

एक कम्पनी ने, जिसके पास खडिया की खाने थी, किसी खरीदार ने दस वर्षों तक खडिया की एक निश्चित मात्रा देने का सौदा किया। कुछ अर्से पश्चात् खरीदार ने आगे माल नही लेना चाहा। खडिया कम्पनी ने उसे सौदे के दायित्व से बरी करते हुये एक मुश्त रकम लेना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्राप्त हुई रकम आगम प्राप्ति होगी, क्योकि यह प्राप्ति उस होने वाली आय के बदले मे है, जो सौदा खत्म न होने की हालत में उसे प्राप्त होती।

किरायेदारो से मकान मालिक को मिलने वाली 'पगडी' आगम-प्राप्ति है, क्योकि यह किराये का अग्रिम भुगतान है।

एक व्यक्ति कई वर्षों से किसी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के माल का वितरक था। कम्पनी ने यह एजेन्सी खत्म कर दी और एजेण्ट को क्षति-पूर्ति के रूप मे रकम दे दी। एजेण्ट को मिलने वाली यह रकम पूँजी-प्राप्ति है, क्योकि वह उसे आय के साधन (एजेन्सी) की क्षति-पूर्ति मे मिली है।

यदि कोई रेलवे यात्री रेल-दुर्घटना मे मर जाता है अथवा हमेशा के लिये अपगु हो जाता है, तो क्षति-पूर्ति के रूप मे रेलवे कम्पनी द्वारा मिलने वाली रकम पूँजी-प्राप्ति है, क्योकि वह आय के साधन (जिन्दगी) की क्षति-पूर्ति मे प्राप्त हुई है। दूसरी ओर, यदि वह कुछ समय के लिये ही हाथ पैर से बेकार हो जाता है, और उस अवधि मे आय का नुकसान उठाना पडता है तो ऐसी हालत मे, मिलने वाली क्षति-पूर्ति की रकम आगम प्राप्ति होगी, क्योकि वह रकम केवल आय की प्रतिस्थापना के रूप मे है।

(३) किसी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय सम्बन्धी सौदे मे, सम्पत्ति के स्वामी का क्या उद्देश्य (motive) रहा है, यह इस बात को तय करेगा कि प्राप्ति आगम-सम्बन्धी है या पूँजी सम्बन्धी। यदि सम्पत्ति-विनियोग के रूप मे है, तो बेचने से होने वाली प्राप्ति पूँजी-प्राप्ति कहलायेगी। दूसरी ओर, यदि यह सम्पत्ति लाभ पर बेचने के लिए रखी हुई (Held for profit) समझी जाय, तो विक्रय राशि आगम-प्राप्ति मानी जायगी, क्योकि वह सौदा व्यापार के रूप मे हुआ है।

अंश और प्रतिभूतियो के बेचने से मिलने वाला लाभ पूँजी-प्राप्ति के रूप मे है, बशर्ते कि विक्रेता एक ऐसा विनियोगकर्त्ता है जो अपने धारण (Holding) का रोककरण कर रहा है। किन्तु यही आय उस दशा मे आगम-प्राप्ति मानी जायगी, जबकि वह अंशो और प्रतिभूतियो मे सट्टा (Speculation) कर रहा हो।

एक व्यक्ति काफी मात्रा मे सोना खरीदता है और इसके लिये वह मियाद (maturity) से पूर्व ही अपने स्थायी जमा खाते (Fixed Deposit) मे से रुपया निकाल कर अथवा कर्जा लेकर रकम जुटाता है। सोना खरीद लेने के बाद वह उसे बेच देता है। सोना बेचने से हुई आय आगम-प्राप्ति है, क्योकि वह व्यवहार एक व्यापारिक प्रयास है।

व्यय (**Expenditure**)

यह निश्चित करना भी सरल नही है कि कोई व्यय विशेष पूँजी व्यय है अथवा आगम-व्यय। बहुत से मामलो मे तो यह भेद इतना सूक्ष्म होता है कि इनके अन्तर की सीमा रेखाओ को स्पष्ट करना भी कठिन है। इस भेद को समझने के लिये व्यापार की प्रकृति, सौदे का सही स्वरूप तथा व्यय के उद्देश्य भी विचार करना आवश्यक है। निम्नलिखित सिद्धान्तो को लागू करने पर यह भेद भली-भाँति समझ मे आ जायगा।

(१) जब कोई व्यय व्यापार के लिये किसी स्थाई सम्पत्ति अथवा कोई स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिये किया गया है, तो वह पूँजी व्यय होगा, जैसे स्थायी सम्पत्ति को क्रय करने का व्यय अथवा किसी लाइसेंस या एजेन्सी प्राप्त करने मे हुआ व्यय।

किसी व्यापारिक चिह्न (Trade Mark) के रजिस्ट्रेशन कराने का व्यय आगम व्यय है। ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री की मियाद ७ वर्ष तक रहती है, उसके बाद उसे पुन नया (renew) कराया जाता है इसलिए इसमे स्थायित्व नही है, जिसका होना पूँजी व्यय कहलाने के लिये जरूरी समझा जाता है।

(२) किसी कर-दाता द्वारा स्वय को किसी पूँजी-दायित्व (Capital liability) से मुक्त करने के लिये किया हुआ भुगतान पूँजी-व्यय होता है, जबकि कर-दाता द्वारा स्वय को किसी वार्षिक आगम भुगतान (Annual Revenue Payment) के दायित्व से मुक्त करने की दृष्टि से किया गया भुगतान आगम-व्यय कहलायेगा।

किसी कम्पनी ने एक नये जहाज के निर्माण और क्रय के लिये ठेका दिया। व्यापार मे उस समय भारी मदी आ जाने और यह दिखाई देने के कारण कि जहाज चलाने से लाभ नही हो सकेगा, उस कम्पनी ने निर्माताओ को कुछ रकम देते हुए इस ठेके को खारिज करा लिया। इस रूप मे जो रुपया दिया गया वह पूँजी व्यय है, क्योकि यह रकम कम्पनी द्वारा एक पूँजी दायित्व (अर्थात् जहाज के लिये भुगतान करने) से मुक्त होने के लिए दी गई है '

कर-दाता द्वारा किसी अलाभप्रद (Disadvantageous) एजेन्सी के ठहराव से मुक्ति पाने के लिए दी हुई रकम अथवा वार्षिक पेंशन के दायित्व के निपटारे मे किसी कर्मचारी को दी गई रकम आगम-व्यय है।

(३) किसी स्थायी सम्पत्ति की प्राप्ति अथवा उसके सुधार मे किया जाने वाला व्यय पूँजीगत व्यय है, किन्तु यदि रुपया देने से किसी भी स्थायी सम्पत्ति मे कोई बदल (alteration) नही हुई, तो यह व्यय आगम व्यय होगा, क्योकि वह पूँजी सम्पत्ति के पोषण (Maintenance) की लागत मात्र है।

एक कम्पनी ने पुरानी और मरम्मत-तलब हालत मे मशीनरी खरीदी और उसे अपने काम मे लेने से पूर्व ठीक-ठाक करा लिया। मशीनरी की मरम्मत और ठीक-ठाक कराने में हुआ व्यय पूँजी व्यय है, क्योकि इसके द्वारा स्थायी सम्पत्ति मे सुधार हुआ है।

व्यापारी गण अपनी सम्पत्ति को कायम रखने, तथा उस पर अपने वर्तमान हक की रक्षा करने के लिए प्राय मुकद्दमे लडते रहते हैं। इन मुकद्दमो मे हुए व्यय से किसी स्थायी सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि वे सम्पत्ति की रक्षा करने तथा उसे कायम रखने के सामान्य खर्चे हैं। अत ये व्यय आगम-व्यय है।

हानियाँ (Losses)

पूँजी हानि और आगम हानि के मध्य भेद स्पष्ट करना सरल काय नही है। आगम-हानि के अन्तर्गत निम्न हानियाँ आती है—

(i) किसी आगम सम्बन्धी प्राप्ति (revenue receipt) की हानि, या

(ii) व्यापारिक स्कन्ध की हानि, या

(iii) वह हानि जो व्यापार करते हुए और व्यापार के परिणाम स्वरूप (incidental to) हो। वह न केवल व्यापार से सम्बन्धित हो अपितु वह वास्तव मे व्यापार के फलस्वरूप भी हो।

जो हानि आगम-हानि (revenue loss) नही है, पूँजी-हानि (capital) होगी। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते है।

(क) अग्नि, दीमक या चोरी से हुई व्यापारिक स्कन्ध (stock-in-trade) की हानि आगम-हानि है, जैसे डाकुओ द्वारा ले जाया गया एक साहूकार का रुपया-पैसा (जो उसका व्यापारिक स्कन्ध है।)

(ख) किसी कर्मचारी के छल-साधन (defalcations) से व्यापार को हुई हानि एक व्यापारिक हानि है और कर-दाता उसकी घटोत्तरी के लिए माँग करने का अधिकारी है।

(ग) १२ बजे दोपहर मे कुछ डाकू किसी कपडे के व्यापारी की दूकान मे घुस आते है और तमाम नकदी लूट कर भाग जाते है। इस प्रकार की हानि पूँजी-हानि है, क्योकि एक कपडे के व्यापारी के लिये नकदी उसकी पूँजी के एक अश के रूप मे है, व्यापारिक स्कन्ध (stock-in-trade) के रूप मे नही।

(घ) कर्मचारी द्वारा दुकान के कार्य-काल मे की गयी चोरी, आगम हानि होगी, क्योकि यह व्यापार से सम्बन्धित है (being incidental to trade) किन्तु दुकान के समय के बाद यदि कोई कर्मचारी दुकान मे घुसकर चोरी करता है, तो उसका यह कार्य चोर-डाकुओ द्वारा की गयी चोरी के समान ही है और इसलिये ऐसी हानि पूँजी-हानि है।

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा एक मैन्यूफैक्चरिग कम्पनी की एजेन्सी प्राप्त करने के लिए जमा की गई रकम पूँजी-व्यय है। यदि वह जमा की हुई रकम कम्पनी के दिवालिया हो जाने से मारी जावे तो इस प्रकार की हानि पूँजी-हानि होगी।

अध्याय ४

कर-मुक्त आय
(Incomes Exempt From Tax)

कर से मुक्त आय दो प्रकार की है। कुछ आय केवल कर से ही मुक्त नहीं है, बल्कि उन्हे कुल आय (total income) मे भी शामिल नही किया जाता, किन्तु कुछ आय कर से तो मुक्त अवश्य है, लेकिन उन्हे कुल आय मे शामिल करना पडता है।

(१) आय जो कर से मुक्त है और कुल आय मे शामिल नही की जाती

(१) किसी धर्म-पुण्य सम्बन्धी कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा या सामान्य जनता के हितार्थ किसी अन्य कार्य के लिये, ट्रस्ट या किसी अन्य कानूनी दायित्व के अन्तर्गत धारण की हुई (Held) जायदाद (किसी भी प्रकार की जायदाद, जिसमे एक व्यापार शामिल है) से प्राप्त की गई आय कर से मुक्त है और कुल आय मे भी शामिल नही की जाती। यदि वह किसी धार्मिक काय के लिये है तो वह किसी प्राइवेट धार्मिक कार्य से सम्बन्धित न होनी चाहिये। इस अपवाद के लागू होने के लिये कुछ बन्धन लगाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(अ) वह आय सम्पूर्ण रूप से किसी धर्म या पुण्य सम्बन्धी कार्यों मे ही लगाई जानी चाहिये।

(आ) पुण्य कार्य साधारणत: भारत मे की गई किसी बात से सम्बन्धित होना चाहिये।

(इ) यदि आय ऐसी आय है जो किसी पुण्यार्थ सस्था की ओर से चलाये गये व्यापार से हुई है, तो वह तभी मुक्त होगी जब वह पूर्णत उस सस्था के उद्देश्यो की पूर्ति मे इस्तैमाल की जाय और जब या तो व्यापारिक कार्य स्वय उस सस्था का प्रारम्भिक उद्देश्य हो या व्यापार सम्बन्धी कार्य मुख्यत हितार्थियो (beneficiaries) द्वारा चलाया जाता है। उदाहरण के लिये, किसी अनाथालय का औद्योगिक स्कूल, जो फर्नीचर बनाता और बेचता तथा जिसमें कार्य विद्यार्थी स्वय करते हैं।

(२) किसी धर्मार्थ सस्था द्वारा प्राप्त ऐच्छिक चन्दे, जो पूर्णत धर्मार्थ कार्यो में लगाये जाये ।

(३) किसी स्थानीय सत्ता की आय, जैसे म्यूनिस्पिल बोर्ड । किन्तु किसी स्थानीय सत्ता द्वारा अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान की गई वस्तुओ और सेवाओ से प्राप्त लाभ कर योग्य होगे ।

(४) १६२५ का भारतीय प्रॉवीडेण्ट फण्ड कानून जिस प्रॉवीडेण्ड फण्ड को लागू होता हो उसके रुपये से ली गई प्रतिभूतियो का ब्याज ।

(५) वह विशेष भत्ता या लाभ (जो मनोरजन भत्ता नहीं है और न 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगने योग्य है), जो किसी पद या नियुक्ति के कर्त्तव्यो को पूरा करने के खर्चों के सम्बन्ध मे स्वीकार किया गया हो, उस सीमा तक कर मुक्त है, जिस तक कि वह उस कार्य के लिये वास्तविक रूप से किया जाय । यह अपवाद उन मामलो मे लागू होता है जहाँ नियोक्ता और कर्मचारी का सम्बन्ध आवश्यक रूप से नही हो । जब किसी कर्मचारी को भत्ता दिया जाता है, तो धारा ७ के आदेश लागू होगे ।

(६) भारतीय मालिक से प्राप्त रास्ते का निशुल्क या कम मूल्य पर प्राप्त मूल्य जो एक अभारतीय अपने घर जाने के लिए प्राप्त करता है वह कुछ शर्तो के अन्तर्गत कर मुक्त है । इसी तरह की छूट भारतीय कर्मचारी को उसके घर के गाँव या शहर (जो भारत में स्थित है) जाने के लिए भी मिलती है ।

(७) आकस्मिक आय (Casual Income) । 'आकस्मिक (Casual) शब्द केवल सयोगवश प्राप्त आय के लिए ही लागू हो सकता हे, जो बिना किसी आशा अनुबन्ध या परिश्रम से मिले वह आय आँधी के आम अथवा अन्य प्रकार की आकस्मिक प्राप्ति के रूप मे होनी चाहिए, जैसे कोई कीमती चीज पडी मिल जाये या शत जीतने में मिली रकम अथवा सयोगवश मिला उपहार । निम्न आय आकस्मिक आय नही है :—

(अ) वे प्राप्तियाँ जो किसी व्यापार मे या किसी व्यवसाय, पेशे या अन्य काम को करने से उदय हो ।

(ब) वे प्राप्तियाँ जिनका स्वरूप आकस्मिक नही है , और

(स) वे प्राप्तियाँ जो किसी कर्मचारी को अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप मे प्राप्त हों ।

निम्न उदाहरणो मे हुई आय आकस्मिक आय नही है, क्योकि वह या तो किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा किसी पेशे से उदय होती है या वह किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक मे अतिरिक्त आमदनी स्वरूप है । यह ध्यान रहे कि व्यापार के रूप मे किया गया केवल एक प्रयत्न (single adventure) भी व्यवसाय समझा जायगा, जैसे :—

(अ) अ, एक रुई का एक व्यापारी, किसी रुई की फर्म के कारबार को बन्द करने के लिए नियुक्त किया जाता है और इस सेवा के लिए उसे कमीशन प्राप्त होता है।

(आ) अ एक साहूकार है। यदि उसके कजदार रुपया वापस नही कर पाते है, तो वह कर्ज की अदायगी मे उनकी चल-अचल सम्पत्ति ग्रहण कर लेता है। इसी तरह वह एक अच्छी जमीन पा जाता है, जिसे वह लाभ मे बेच लेता है।

(इ) अ सरकारी दफ्तर मे एक क्लर्क है। उसे किसी प्रकार सुराग लगता है कि सोने का दाम ऊपर जायेगा। वह अपने सम्बन्धियो से रुपया उधार लेकर १०० तोले सोना खरीद लेता है और बाद मे उसे फायदे पर बेचकर लाभ उठाता है।

(ई) एक जमीदार किसी बडे भू-भाग को खरीद लेता है, जिसे वह मकान बनाये जाने योग्य 'प्लाटो' मे बाट लेता है और उन्हे लाभ मे बचता है।

(उ) अ किसी बीमा कम्पनी का कर्मचारी है। वह बोनस के रूप मे २ महीने का वेतन प्राप्त करता है।

(ऊ) अ को, जो किसी कम्पनी का सेक्रेटरी है, कम्पनी के शेअर बेचने मे अतिरिक्त सेवाएँ देने के कारण पुरस्कार (Gratuity) प्राप्त होता है।

निम्न उदाहरणो मे आय आकस्मिक आय है क्योकि वह न तो किसी व्यापार या व्यवसाय से उदय होती है और न वह किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक मे अतिरिक्त आमदनी स्वरूप ही है—

(अ) अ अपने रहने के लिये एक मकान खरीदता है और बाद मे उसे लाभ मे बेच लेता है,

(ब) एक व्यक्ति लॉटरी मे इनाम पाता है।

(स) अ अपने किसी सम्बन्धी से कोई धनराशि बतौर भेंट (Gift) प्राप्त करता है।

(८) कृषि-आय (Agricultural Income)। वह आय जो कृषि-आय के अन्तर्गत आती है। (जिनका वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है।) कर से मुक्त है।

(९) स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड की आय (Income of a recognised Provident Fund)। स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड क्या है, इसकी चर्चा आगामी अध्यायो में की जायगी।

(१०) (अ) प्रीवी पर्स के रूप मे किसी भारतीय नरेश को मिलने वाली धनराशि तथा (ब) विदेशी सरकार (Foreign Government) के कसल (Consuls), ट्रेड कमिश्नर्स तथा अन्य आफिसीयल प्रतिनिधियो द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक। छूट (ब) केवल पूर्ण-समय के प्रतिनिधियो तथा उनके स्टाफ के सदस्यो के लिए जो कि विदेशी सरकार के नागरिक है, को मिलेगी लेकिन यह उनके लिए नही मिलेगी जो कि अवैतनिक (Honorary) रूप मे कार्य कर रहे है।

(११) उस नेपाली मिलिट्री फोर्स के सदस्य का वेतन, जो भारतीय यूनियन मे सेवा कर रहा है।

(१२) १ अप्रेल १९४६, और ३१ मार्च १९५६ के बीच बनवाये किसी मकान की आय, जो 'मकान जायदाद से आय' शीर्षक के अन्तगत प्रभारित (Charge) की जा सकती है। (अर्थात उस मकान से आय, जो व्यापारिक कार्यों के लिये प्रयोग नही किया जाता), मकान बनाने की तारीख से दो कर-निर्धारण वर्षों के लिये कर से मुक्त है।

(१३) मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक अनुसन्धान सस्था की आय भी कर से मुक्त जो ३१ मार्च सन् १९४९ के बाद अर्जित हो और उस सस्था के हित मे ही लगाई जाये।

(१४) विदेशी व्यापारी के कर्मचारी का पारिश्रमिक उदाहरण के लिए एक विदेशी फर्म द्वारा भारत मे काम करने के लिए दिये गये (deputed) टेक्नीसियन (Technician) का पारश्रमिक कर-मुक्त है, बशर्ते (अ) कर्मचारी भारत मे कुल ९० दिन से अधिक न रुके, तथा (ब) विदेशी साहस, जो ऐसे व्यक्ति को भेजता है, भारत मे किसी व्यापार या व्यवसाय मे नही लगा हुआ (engaged) है।

(१५) पोस्टल बचत खाते पर ब्याज तथा नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट, ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट, तथा नेशनल प्लान सार्टिफिकेट से प्राप्तियाँ।

(१६) सरकार अथवा स्थानीय सत्ता अथवा एक भारतीय औद्योगिक इकाई द्वारा परदेशी व्यक्ति से अथवा भारत से बाहर स्थापित सस्था से लिए गये ऋण पर चुकाया गया ब्याज।

(१७) लोकसभा के अथवा प्रान्तीय विधान सभा अथवा उनकी किसी सभा के सदस्य द्वारा प्राप्त किया गया दैनिक भत्ता।

(१८) केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार द्वारा गैलेन्ट्री अवार्ड्स जैसे वीर चक्र, महावीर चक्र, परम वीर चक्र तथा अशोक चक्र प्राप्त करने वालो को नकद या किस्म में किया गया भुगतान।

(१९) किसी व्यक्ति को हिन्दू अविभाज्य कुटुम्ब के सदस्य के नाते हुई आय।

(२) आय-कर और अतिरिक्त कर से मुक्त किन्तु कुल आय मे शामिल की जाने वाली आय

(१) किसी सहकारी समिति की आय, हाँ, तब नही जब कि वह बीमा व्यापार चलाती हो।

(२) किसी सहकारी समिति से उसके सदस्यो द्वारा प्राप्त लाभांश।

(३) कुल आय मे शामिल् की जाने वाली वह आय जो आय कर से मुक्त है लेकिन अतिरिक्त कर से नही

(१) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन मे से उसे एन्युइटी (Annuity) अथवा उसके स्त्री-बच्चो के भरण-पोषण के हेतु आयोजन करने के लिए सरकार जो रकम काटे वह भी आय-कर मुक्त है। हाँ, कटी हुई रकम वेतन के पाँचवे हिस्से से अधिक नही होनी चाहिये।

(२) कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो पर मिलने वाला ब्याज।

(३) अरजिस्टड फर्म अथवा कोई अन्य जन-मण्डल (other associatien of persons) द्वारा मिलने वाले लाभ का हिस्सा, जिस पर फर्म अथवा जन-मण्डल ने पहले ही कर चुका दिया है।

(४) आयकर-दाता के जीवन पर अथवा उसकी पत्नी या पति के जीवन पर (या एक सयुक्त हिन्दू परिवार की दशा मे किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन पर) लिए गये बीमा या डेफर्ड ऐन्यूइटी (deferred annuity) के प्रीमियम की रकम कर से मुक्त है परन्तु कुल आय मे शामिल होगी, बशर्ते प्रीमियम की वार्षिक रकम, बोनस को छोडते हुए, बीमा की रकम के १० प्रतिशत से अधिक न बैठे।

(५) स्टैच्यूटरी प्राविडेंट फण्ड मे कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान।

(६) स्वीकृत प्राविडेट फण्ड मे कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान, बशर्ते कि यह राशि उसके वार्षिक वेतन के पाँचवें भाग या ८,००० रु० जो भी कम हो, से अधिक न हो।

(७) स्वीकृत सुपरअन्यूएशन फड (approved superannuation fund) में कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान।

जरूरी नोट :—(१), (४), (५), (६), तथा (७) एक साथ लेकर व्यक्ति की दशा मे कुल आय के चौथाई या ८,००० रु०, जो भी कम हो, अधिक नही होना चाहिए तथा हिन्दू अविभाज्य परिवार की दशा मे कुल आय के चौथाई या १६००० रु० जो भी कम हो, से अधिक नही होना चाहिए।

पुण्यार्थ दिये गये दान (Charitable Donations)

१ अप्रैल १९५३ को या इसके बाद कर दाता द्वारा भारत मे धर्मार्थ कार्य के लिये स्थापित किसी सस्था या फण्ड को, जो किमी ट्रस्ट के अधीन है या एक कम्पनी अथवा समिति के रूप में रजिस्टर्ड करा ली गई है या सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता द्वारा सचालित है या कोई यूनीवर्सिटी अथवा अन्य स्वीकृत शिक्षण-सस्था है, और जो नियमित हिसाब-किताब रखती है किन्तु जो किसी जाति विशेष के लाभ के

लिए नही है, दी गई रकम आय-कर से मुक्त है। किन्तु इस छूट के लिये कुछ प्रतिबन्ध भी है :—

(अ) दान मे दी हुई कुल रकम २५० रु० से कम न हो, और

(आ) दान मे दी हुई कुल रकम कर-दाता की कुल आय (जो कर मुक्त भाग को घटाने के बाद बचे, जैसे अनरजिस्टर्ड फर्म की आय का भाग, जीवन बीमे का प्रीमियम आदि) का १/२० या १,००,००० रु० दोनो मे जो कम हो उससे अधिक न हो।

उक्त छूट-प्राप्त दान या चन्दे की रकमे आय-कर-दाता की कुल आय मे शामिल की जायेगी और उस पर छूट की रकम (Amount of relief) कर की सामान्य दर से निकालनी चाहिये।

हाँ, कम्पनियो को छोडकर अन्य कर-दाताओ के लिये यह छूट आय-कर और अतिरिक्त कर दोनो के लिये है। कम्पनियाँ, केवल आय-कर से मुक्ति की माँग कर सकती है।

अध्याय ५

कर-योग्य आय की गणना (१)
(Computation of Taxable Income (1))

आय कर अधिनियम की धारा ६ के अनुसार छ शीर्षको (Heads) के अन्तर्गत कर लगता है, जो इस प्रकार है —(१) वेतन, (२) प्रतिभूतियो पर मिलने वाला ब्याज (३) मकान जायदाद से आय, (४) व्यापार, पेशा, व्यवसाय अथवा उद्योग से लाभ, (५) अन्य साधनो से प्राप्त आय और (६) पूँजी लाभ। प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना किस प्रकार की जानी चाहिये यह ७, ८, ९, १०, १२ और १२ (बी) धाराओ मे बताया गया है प्रत्येक शीर्षक से प्राप्त आय की गणना के हेतु अलग-अलग रीतियो (Methods) की व्यवस्था है और जो छूटे और रियायतें दी जाती हैं वे भी प्रत्येक शीर्षक के अन्तगत समान नही है। यदि आय के किसी शीर्षक के अन्तगत एक से अधिक मदे है, जैसे मकान जायदाद की कई मदे, तो इन भिन्न-भिन्न मदो से प्राप्त आय एक साथ रखी जायगी और स्वीकृत कटौतियो की कुल योग से गणना की जायगी।

(१) वेतन (Salaries)

धारा ७ के अनुसार, आय-कर-दाता को अपने वेतन या मजदूरी पर, जो उसे देय है, कर देना पडेगा, चाहे वह उसे प्राप्त हुई है या नही। १ अप्रैल १९३९ तक केवल उसी वेतन पर आय-कर लगता था, जो कर दाता द्वारा प्राप्त कर लिया जाय, किन्तु इस तारीख के पश्चात् वह वेतन, जो कर-दाता को देय हो, कर-योग्य माना जाने लगा है भले ही उसकी प्राप्ति हुई हो या नही।

जहाँ सेवा दी जाती है, वही से वेतन की आय उदय होती है। यदि वह व्यक्ति भारत मे काम-काज या नौकरी-चाकरी करता है, तो उसे इसी स्थान मे वेतन उदय होता है किन्तु यदि वह कर लगने वाले क्षेत्रो के बाहर काम मे लगा है, तो वेतन एक विदेशी आय (Foreign Income) है।

धारा ७ के अन्तर्गत कर लगने वाला वेतन वह वेतन है जो सरकार, स्थानीय सत्ता, कम्पनी, कोई अन्य सार्वजनिक सस्था अथवा कर-क्षेत्र के किसी व्यक्तिगत अन्य

स्वामी (Private employer) द्वारा दिया जाय। इसलिए विदेशी सरकार द्वारा दिये हुये वेतन या पेंशन पर इस धारा के अनुसार कर नहीं लगता, किन्तु धारा १२ के अनुसार अन्य साधनो द्वारा प्राप्त आय के रूप मे, उन पर कर लगेगा।

परदेशी सरकारी नौकरो को चुकाए गए वेतन का करारोपण

एक व्यक्ति, जो कि भारत का निवासी नही है, पर उस आय पर, जो कि भारत से बाहर उदय होती है, कर नही लगता। इसलिये सरकारी नोकरो पर, जो कि भारत से बाहर लगाये जाते है, और जो कि कुछ समय बाद परदेशी हो जाते है, उस वेतन के लिए, जो कि वे बाहर ही लेते है, कर नही लगता।

धारा ४ (१) के एक्सपेलेशन २ A के अनुसार ऐसे वेतन पर जो कि भारत के नागरिक सरकारी नौकरो को भारत के राजस्व मे दिए जाए (लेकिन वेतन से तमाम भत्ते तथा अन्य सुविधाओ को, जो कि भारत से बाहर रहने के लिये दी गई हैं, को निकाल कर) कर देना होगा, चाहे वे भारत से बाहर कितनी ही अवधि के लिए रहे।

उद्गम स्थान पर कटौती के लिए यह नियम १ अप्रैल १९५९ से लागू होगा लेकिन कर-निर्धारण के लिये यह १ अप्रैल १९६० से लागू होगा।

वेतन के अन्तगत जिन आय पर कर लगेगा वे निम्न प्रकार है—

(१) वेतन के लिये एक मुश्त रकम, घटौती अथवा परिवतन, (A lump sum paid in cummutation, reduction or substitution of salary) मे मिली रकम, पेन्शन अथवा नौकरी के अन्य लाभ (other profits of employment) ये सब वेतन की आय की तरह ही समझी जाती है।

(२) वेतन के हिसाब मे अपने मालिक से ली हुई पेशगी (Advance), उस तिथि को, जिस दिन कि पेशगी ली गई है, प्राप्य वेतन (Salary due) ही समझी जायगी। अन्य पेशगियाँ जो कर्मचारी अपने स्वामी से ले, जैसे मकान बनाने के सम्बन्ध में ली हुई पेशगी, वेतन के अन्तर्गत शामिल नही की जायेगी, क्योंकि यह पेशगी ऋण के रूप मे है।

(३) कोई बोनस, एन्यूइटी (Annuity), पेंशन, कमीशन, फीस, ग्रेचुटी (Gratuity), प्रतिफल (Perquisite) व अन्य दूसरे एलाउन्स, अथवा वेतन के स्थान मे या उसके अतिरिक्त अन्य कोई लाभ, कर लगने वाले वेतन के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार वेतन की परिभाषा वहुत विस्तृत हो जाती है और यह मालूम करना कठिन हो जाता है कि पारिश्रमिक का कौनसा रूप इसमे शामिल नही किया गया है।

(४) मकान के किराये का भत्ता (भले ही उसकी रकम कितनी भी हो) या मालिक द्वारा दिये हुए नि:शुल्क मकान का मूल्य (Value), यह मूल्य बिना सजे हुये मकान के लिये कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से और सजे हुए मकान (Furnished house) के लिये वेतन के १२½% से अधिक न होना चाहिये।

(५) किसी कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारी को, जो उसका डायरैक्टर है या जो कम्पनी म कोई विशेष हित रखता है, नि शुल्क या रियायती दर पर दी गई किसी सुविधा या किसी लाभ का मूल्य । 20% vote Ad an Brawan the Sale

(६) किसी कर्मचारी को (जिसे उक्त चौथा नियम लागू नही होता) मालिक द्वारा निःशुल्क या रियायती दर पर दी गई सुविधा या किसी लाभ का मूल्य जबकि कर्मचारी के वेतन की आय (ऐसे सब लाभो का मूल्य, जो मौद्रिक भुगतान Monetary payment से, आयोजित नही है, अलग रखते हुये, १८,००० रु० से अधिक हो ।

(७) मालिक द्वारा किसी दायित्व के सम्बन्ध मे दी गई कोई रकम, जिसे यदि वह नही चुकाता तो खुद कर्मचारी को चुकानी पडती ।

(७) किसी कर्मचारी द्वारा अपने मालिक अथवा पूर्व मालिक से मिली रकम भले ही वह उसे पूरणत रोजगार की हानि के क्षति-पूर्ति स्वरूप या किसी अन्य प्रतिफल के लिये प्राप्त हुई हो ।

(९) अस्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund) अथवा किसी अन्य फण्ड से प्राप्त हुआ भुगतान, उस भाग को निकालते हैं जो स्वय कर्मचारी द्वारा दिये गये अश दान (Contribution) और उस पर ब्याज की वापिसी है ।

कर-मुक्त वेतन (Tax-free Salary) —जहाँ कि कर-मुक्त वेतन दिया जाए वहाँ पर कर्मचारी को अपनी कुल आय में ग्रॉस वेतन जोडना होगा अर्थात् वास्तविक मिला हुआ वेतन तथा उसकी ओर से मालिक द्वारा दिया गया कर । इस बात से कि मालिक स्वेच्छा से या सविदा के कारण कर वहन कर रहा है, से कोई अन्तर नही पडता । हाँ यह अवश्य है कि मालिक द्वारा दिये गये कर की कर्मचारी को छूट (Credit) मिल जाएगी ।

कर-मुक्त वेतन को ग्रास करने की विधि 'कर-गरणना' के अध्याय मे समझाई गई है ।

दायित्व का आधार (Basis of Liability)

यदि किसी प्रकार का कोई भुगतान, जो कि वेतन मे शामिल है, देय (due) हो जाता है, तो भले ही उसी वर्ष, जिसमे कि वह देय हुआ है, चुकाया जावे या नही, उसको उस वर्ष की आय के रूप मे कर-निर्धारण के लिये विचार मे लेना पडेगा तथा जिस वर्ष मे वह चुकाया जाये उस वर्ष की आय के रूप मे कर-निर्धारण करना गलत होगा 'भुगतान कर आधार' (Payment basis) तो ऐसी रकमो के लिये विचार मे लिया जाता है, जो कि देय (Due) नही हुई ? जैसे कि वेतन की मद में से पेशगी ले लेना ।

कटौतियाँ (Deductions)

वेतन से कर योग्य आय निकालने के लिये निम्नलिखित कटौतियाँ दी जाती है

(१) कर्मचारी अपने कर्त्तव्यो के लिये आवश्यक पुस्तकें व अन्य प्रकाशनो की खरीद पर खर्च की रकम, जो ५००) से अधिक नही होगी।

(२) धारा ४/३ (vi) में परिवर्तन के अनुसार, मनोरजन भत्ते अब कर मुक्त नही है। इसलिये मनोरजन भत्ते की राशि वेतन की आय मे सम्मिलित की जानी चाहिये। लेकिन जोडने के बाद उसमे से निम्न छूट मिलेंगी. —

(अ) सरकारी कमचारी की दशा में वेतन (विशेष भत्ते, लाभ या अन्य को छोड कर) के पाँचवें हिस्से या ५००० रु०, जो भी दोनो मे से कम हो। यह छूट तब भी मिलेगी चाहे कर्मचारी को १ अप्रैल १९५५ से पहले यह भत्ता मिलता हो या न मिलता हो।

(ब) अन्य कर्मचारी की दशा मे वेतन (विशेष भत्ते, लाभ या अन्य को छोड कर) के पाँचवें हिस्से या ७,५०० रु०, जो भी दोनो मे से कम हो (लेकिन भत्ते की रकम से न बढे)। यह छूट केवल तब ही मिलेगी जब कि कर्मचारी अपने वर्तमान मालिक से १ अप्रैल १९५५ के पहले से लगातार यह भत्ता प्राप्त कर रहा हो।

(३) कर-दाता द्वारा अपने रोजगार के आशय के लिये स्तैमाल की गई निजी सवारी के सम्बन्ध मे, उस खर्चे और सामान्य टूट-फूट के यथोचित भाग की छूट मिलेगी, जो कि प्राइवेट कार्य से पृथक केवल रोजगार के आशय के लिये इस्तैमाल करने मे हुई हो।

हाँ, यह कटौती तब उपलब्ध न होगी जबकि कर-दाता को कुछ सवारी भत्ता (Conveyance allowance) मिलता है, चाहे पृथक या वेतन के एक ही भाग के रूप मे हो, क्योकि सवारी भत्ता कर मुक्त है।

(४) कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी की शर्त के अन्तर्गत वास्तव मे खच की गई ऐसी रकम, जो पूर्णत: उसके कर्तव्यो के पालन के लिये ही हे और आवश्यक भी है।

इसलिये, जहाँ एक इञ्जीनियर या एक बीमा एजेण्ट को उसके नौकरी के शतनामे के अनुसार, अपने कर्त्तव्यो की पूर्ति के लिए, कार रखना जरूरी है तो ऐसी दशा मे उन कर्त्तव्यो की पूर्ति के हेतु किये गये कार के खर्चो की छूट दी जायगी।

उदाहरण

(१) अ (बम्बई के किसी बैंक का मैनेजर जिसे १०,०० रु० मासिक वेतन मिलता है) १ दिसम्बर १९५८ को पूरे वेतन पर छ महीने की छुट्टी पर स्विट्जरलैण्ड

गया। दिसम्बर १९५८ से जनवरी १९५९ के महीनो का वेतन उसे स्विट्जरलैण्ड मे ही भेजा गया, किन्तु छुट्टी की शेष अवधि का वेतन उसे जून १९५९ मे बम्बई आकर ही प्राप्त हुआ।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये उसकी वेतन से आय १२,००० रु० मानी जायेगी जो उसकी प्राप्य रकम (Amount due) है, १०,००० रु० नही, जो कि उसने वास्तव मे प्राप्त किये हैं।

(२) १ जून १९५८ को एक व्यापारिक फर्म ने किसी व्यक्ति को २५० रु० मासिक वेतन तथा उसके द्वारा प्राप्त होने वाले ऑर्डरो पर ५ प्रतिशत कमीशन के आधार पर, सैल्समैन नियुक्त किया। नौकरी पर रखने के तीन महीने बाद उसे नौकरी से अलग कर दिया गया और हर्जाने के रूप मे उसे ३,००० रु० दिया गया। नौकरी की अवधि मे उसके द्वारा जो ऑर्डर प्राप्त किये गये उनकी रकम १२,५०० रु० थी।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये वेतन से होने वाली उसकी आय ७५० रु० तीन महीने का वेतन, ६२५ रु० कमीशन और ३,००० रु० हर्जाना इस प्रकार कुल ४,३७५ रु० थी।

(३) कई वर्षो से स एक फर्म मे २०० रु० मासिक वेतन पर कार्य कर रहा था। किन्तु १ जुलाई १९५८ को वह छँटनी मे आकर नौकरी से अलग हो गया। वह अस्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड का सदस्य भी था, जिसे स्वामियो ने चला रक्खा था। खुद अपने माहवारी वेतन से कटाया हुआ हिस्सा तथा उसका ब्याज दोनो की रकम इस फण्ड मे ३,४५० रु० थी। नौकरी से अलग होने पर उसे प्रॉवीडेण्ट फण्ड से ५,७५० रु० दिये गये। १ अक्टूबर १९५८ को १८० रु० मासिक वेतन पर उसे एक और नौकरी मिल गयी।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये वेतन से होने वाली उसकी आय निम्न प्रकार निकाली जायगी—

	रु०
पुराने मालिक के यहाँ से ३ महीने का वेतन	६००
अस्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड प्राप्ति (मालिक द्वारा दिया हुआ भाग और उस पर ब्याज)	२,३००
नये मालिक के यहाँ ६ महीनो का वेतन	१,०८०
	३,९८०

(४) एक बैंक के मैनेजर को ५,००० रु० मासिक वेतन तथा १ अप्रैल १९५२ से ५,००० रु० वार्षिक मनोरजन भत्ता दिया जाता है। ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के अन्तर्गत उसने ६५० रु० 'बैंकिग लॉ तथा प्रेक्टिस' की किताबे खरीदी।

(अ) १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी वेतन आय निकालिए।

(ब) क्या उसमे कोई अन्तर होगा यदि उन्हे ८,००० रु० वार्षिक मनोरजन भत्ता दिया जाए।

		रु०
(अ) वष के लिए वेतन		६०,०००
वर्ष के लिए मनोरजन भत्ता		५,०००
		६५,०००
घटाओ—अपने कर्त्तव्यो के लिए		
पुस्तको की लागत	५००	
मनोरजन भत्ता	५,०००	५,५००
	वेतन से आय	५९,५००
(ब) वर्ष के लिए वेतन		६०,०००
वर्ष के लिए मनोरजन भत्ता		८,०००
		६८,०००
घटाओ—अपने कर्त्तव्यो के लिए		
पुस्तको की लागत	५००	
मनोरजन भत्ता (वेतन के १/५ या ७,५०० रु० जो भी कम हो)	७,५००	८,०००
	वेतन से आय	६०,०००

(५) अ महोदय एक कॉलिज के प्रिंसीपल हैं। उन्हे १,००० रु० मासिक वेतन और १०० रु० मँहगाई प्राप्त होती है। १ दिसम्बर १९५८ को अपनी पुत्री के विवाह के लिए उन्होने ८ महीने का वेतन पेशगी लिया और कॉलिज के अधिकारियो से इस काय के लिये ३,००० रु० बतौर कर्जे भी लिए। गत वर्ष १९५८-५९ के लिये उनका वेतन क्या है ?

	रु०
वेतन और मँहगाई ८ मास की	८,८००
८ महीने का पेशगी वेतन	८,८००
वेतन से हुई कर योग्य आय	१७,६००

ऋण-स्वरूप ली हुई ३,००० रु० की रकम वेतन के अन्तर्गत कर लगने योग्य नही है।

वेतन निवासी व परदेशी दोनो को चुकाया जाना होता है। यह भारत मे कमाया जा सकता है और यहाँ ही या बाहर चुकाया जा सकता है, या यह भारत के बाहर कमाया जा सकता है और वहाँ ही या भारत मे चुकाया जा सकता हे, या वेतन भारत से बाहर कमाया तथा प्राप्त किया जा सकता है जो कि उसी या अगले वर्ष भारत मे लाया जाए।

(६) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वष मे निजी कर्मचारी (non-Govt employee) की दशा मे कौनसा वेतन कर योग्य हे जबकि प्राप्त कर्त्ता (अ) पक्का निवासी, (ब) कच्चा निवासी, तथा (स) परदेशी हो।

(१) वेतन दिल्ली में कमाया व वहाँ ही चुकाया	५,००० रु०
(२) वेतन नेपाल में कमाया व दिल्ली में चुकाया	५,००० रु०
(३) वेतन दिल्ली में कमाया लेकिन नेपाल में चुकाया	५,००० रु०
(४) वेतन नेपाल में कमाया व नेपाल में चुकाया	५,००० रु०
(५) वेतन नेपाल में कमाया व नेपाल में चुकाया लेकिन दिल्ली में गत वर्ष में लाया गया	५,००० रु०
(६) वेतन ३१ मार्च १९५५ वर्ष में नेपाल में कमाया व चुकाया लेकिन दिल्ली को मार्च १९५६ में लाया गया।	५,००० रु०

क्योंकि कर-भार कर-दाता के निवास पर निर्भर करता है, वेतन निम्न प्रकार से कर योग्य होगा :—

	पक्के निवासी रु०	कच्चे निवासी रु०	परदेशी रु०
(१)	५,०००	५,०००	५,०००
(२)	५,०००	५,०००	५,०००
(३)	५,०००	५,०००	५,०००
(४) ४,५०० रु० से अधिक	५००	—	—
(५)	५,०००	५,०००	—
(६) रकम जिस पर भूत में कर नही लगा	४,५००	५,०००	—

प्रॉवीडेण्ट फण्ड (Provident Funds)

प्रॉवीडेण्ट फण्ड, जिसका एक वैतनिक कर्मचारी सदस्य हो सकता है, तीन प्रकार के होते हैं।

(१) स्टेन्यूटरी प्रॉवीडेन्ट फण्ड :—ये वे फण्ड हैं, जिन पर १९२५ का प्रॉवीडेण्ट फण्ड अधिनियम लागू होता है, जैसे स्थानीय सत्ताओं (Local Authorities) अथवा यूनीवर्सिटी आदि द्वारा स्थापित प्रॉवीडेण्ट फण्ड।

यदि कोई व्यक्ति इस फण्ड का सदस्य हो तो केवल उसका ही भाग (Contribution) आय-कर की दरें निकालने के लिए उसकी कुल आय में शामिल किया जाता है और मालिक के भाग पर तथा उसके (कर्मचारी के) हिसाब में जमा धन राशि की ब्याज पर विचार नहीं किया जाता। ऐसे किसी फण्ड में कर्मचारी का भाग (Contribution) तथा उसके जीवन बीमा का प्रीमियम (यदि कोई है) उस कर्मचारी की कुल आय के चौथे हिस्से या ६,००० रु० तक, जो भी दोनों में कम हो, आय-कर से तो मुक्त हैं, किन्तु अतिरिक्त-कर से नहीं। ऐसे किसी फण्ड का सदस्य के हिसाब में जमा धन जब सदस्य को मिलता है तो उस पर प्राप्तकर्ता को कर नहीं देना पड़ेगा और न उसे कुल आय में ही शामिल किया जायगा।

(२) स्वीकृत प्रॉवीडेन्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)—स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड वह फण्ड है जो धारा ५८ (C) की शर्तों को पूरा करता है

और जिसे कमिश्नर ऑफ इनकमटैक्स की स्वीकृति मिल चुकी है। एक स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड से सम्बन्धित आय-कर के निम्न आयोजन हैं—

(१) कर्मचारी की कुल आय मे कर्मचारी के वेतन के १०% तक मालिक का अशदान नही जुडेगा, लेकिन मालिक का अशदान जो १०% से अधिक हो कर्मचारी की कुल आय मे वेतन के ही भाग के रूप मे सम्मिलित होगा।

(२) प्रॉवीडेण्ट फण्ड खाने पर जमा ब्याज कर्मचारी की कुल आय मे नही जुडेगा, अगर यह ब्याज कर्मचारी के वेतन के तिहाई या प्रस्तावित दर ६% से अधिक न हो। ब्याज जो इन दोनो सीमाओ से अधिक हो कर्मचारी की कुल आय मे वेतन के भाग के रूप मे सम्मिलित होगा।

(३) कर्मचारी का प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे स्वय का अशदान आय-कर से (अतिरिक्त कर से नही) मुक्त है, बशर्ते यह राशि वार्षिक वेतन के पाँचवे भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनो से कम हो, से अधिक न हो।

(४) कर्मचारी के रिटायर होने पर जो एकत्र धन प्राप्त होता है वह भी कर से मुक्त है और यह कुल आय मे नही जोडा जायेगा बशर्ते कर्मचारी ने मालिक की लगातार ५ साल तक सेवा की है।

(५) कर्मचारी को उसके द्वारा चुकाए गये जीवन बीमा प्रीमियम के हेतु रिबेट प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन उसका प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे स्वय का अशदान तथा बीमा प्रीमियम दोनो मिला कर उसकी कुल आय के चौथाई या ८,००० रु०, जो भी कम हो, से अधिक न हो।

(३) अस्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड (**Unrecognised Provident Fund**)—किसी प्राइवेट फण्ड मे, जिसे आय-कर विभाग से मान्यता प्राप्त नही है, कर्मचारी द्वारा दिया हुआ अशदान आय-कर से मुक्त नही है और कर्मचारी को इस प्राइवेट फण्ड से मिला एकत्रित धन भी (कर्मचारी का स्वय का चन्दा और उस पर प्राप्त ब्याज की रकम निकालते हुए) कर लगने योग्य है, क्योकि यह धन उस वर्ष के वेतन का एक भाग ही समझा जायगा। लेकिन अस्वीकृत फण्ड के सदस्य द्वारा जीवन बीमा के लिए दिये हुए प्रीमियम पर, सामान्य नियम के अनुसार ही छूट मिलेगी।

उदाहरण

किसी व्यक्ति को ६०० रु० मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसका ८% वह प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अपना अशदान देता है और मालिक का चन्दा १२% है। मालिक ने उसे रहने के लिए बिना किराये का मकान भी दे रखा है जिसका वार्षिक किराये का मूल्य ६०० रु० है और उसे १२०० रु० मालिक से बोनस के प्राप्त हुए।

५% वार्षिक की दर से ४५० रु० उसके प्रॉवीडेण्ट फण्ड खाते मे ब्याज के जमा हुए ।

उसने २,००० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के चुकाये ।

उसका १९५९–६० कर निर्धारण वर्ष के लिये कर दायित्व बतलाइये यदि वह (अ) १९२५ के प्रॉवीडेण्ट फण्ड अधिनियम के अनुसार स्थापित फण्ड का सदस्य है, (ब) स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड का सदस्य है अथवा (स) अस्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड का सदस्य है ।

१९५९–६० के लिये दायित्व

		रु०
(अ) वेतन—कुल आय के रूप मे		९,०००
कर-मुक्त आय —		
प्रॉ० फण्ड मे स्वय का चन्दा (७,२०० रु० का ८%)	५७६	
जीवन बीमा प्रीमियम (प्रा० फण्ड चन्दे तथा प्रीमियम ९,००० रु० के चौथाई तक सीमित)	१६७४	
	२,२५०	
(ब) वेतन		९,०००
मालिको का प्रॉ० फड मे चन्दा (१०% से अधिक अर्थात् ७,२०० रु० का २%)		१४४
प्रॉवीडेण्ट फण्ड पर जमा ब्याज (लेकिन यह वेतन के तिहाई या ६% के प्रतिवर्ष से कम है)		
	कुल आय	९,१४४
कर मुक्त आय :		
स्वय का प्रॉ० फड मे चन्दा	५७६	
जीवन बीमा प्रीमियम (प्रॉ० फड चन्दे तथा प्रीमियम ९,१४४ रु० के चौथाई तक सीमित	१,७१०	
	२,२८६	
(से) वेतन-कुल आय के रूप मे		९,०००
कर मुक्त आय		
जीवन बीमा प्रीमियम (कुल आय के चौथाई तक सीमित)	२,०००	

जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premiums)

जो प्रीमियम कर-दाता या उसकी पत्नी या पति (अथवा हिन्दू अविभाज्य परिवार की दशा मे किसी पुरुष सदस्य या उसकी पत्नी) के जीवन बीमे (या डेफर्ड

ऐन्यूइटी खरीदने) के लिये दिया गया है, आय-कर से (लेकिन अतिरिक्त कर से नही) मुक्त है, बशर्ते—

(अ) वार्षिक प्रीमियम, बीमा कराये हुए धन के, जिसमे बोनस की रकम न मिली हो, १०% से अधिक न हो। यह सीमा डेफर्ड ऐन्यूइटी खरीदने की राशि पर लागू नही होगी , तथा

(ब) वार्षिक प्रीमियम तथा किसी कर-मुक्त प्रॉवीडेण्ट फण्ड के चन्दे की रकम दोनो मिलाकर, यदि कर-दाता व्यक्ति है, तो उसकी कुल आय के चौथे हिस्से या ८,००० रु०, जो भी कम हो, से और यदि कर-दाता हिन्दू अविभाज्य परिवार है तो, उस परिवार की कुल आय के चौथे भाग अथवा १६,००० रु० से अधिक न हो।

किन्तु यदि कर दाता ने अपने प्रावीडेण्ट फण्ड से कोई रकम जीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान करने के लिये निकाली है, तो उस रकम पर आय-कर की कोई छूट नही मिलेगी और भारतीय आय-कर से मुक्त आय मे से चुकाए गये प्रीमियम के लिये कोई भी छूट नही मिलेगी।

उद्गम स्थान पर कटौती (Deduction of Tax at Source)

यह एक अगले अध्याय 'उद्गम स्थान पर कर-कटौती' मे समझाया गया है।

(२) प्रतिभूतियो का ब्याज (Interest on Securities)

धारा ८ के अनुसार कर-दाता को प्रतिभूतियो की 'ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियो तथा सावजनिक सस्थाओ और कम्पनियो के ऋण-पत्रो (debentures) के ऊपर मिलने वाले ब्याज के सम्बन्ध मे कर देना होता है। यद्यपि प्राप्य ब्याज (Interest receivable) कर लगने योग्य है तथापि ऐसा ब्याज उस समय तक उस व्यक्ति की आय नही कही जा सकती जब तक वह उस व्यक्ति को सचमुच न मिल जाये। किन्तु, जहाँ ब्याज किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ का एक भाग है, जो लेखाकर्म की व्यापारिक पद्धति (Mercantile system of Accountancy) व्यवहार मे लाता है, तो इस दशा मे उस पर 'उपार्जन होने के आधार' (accrual basis) पर कर लगेगा।

यह बताना भी यहाँ आवश्यक है कि लाभाशो (dividends) के रूप मे हिस्सो (shares) से होने वाली आय पर, प्रतिभूतियो के ब्याज की भाँति कर नही लगेगा। लाभाँशो पर, अन्य साधनो से होने वाली आय के रूप मे, कर लगता है। इस विषय पर आगे चलकर चर्चा की जायेगी।

ब्याज सहित व्यवहार—प्रतिभूतियो पर ब्याज दिन प्रति दिन पैदा हुआ नही माना जाता है बल्कि एक निश्चित तिथि पर पैदा होता है। जब प्रतिभूति ब्याज सहित

खरीदी जाती है तो चुकाई गई कीमत मे पिछली ब्याज तिथि से क्रय की तिथि तक का ब्याज भी सम्मिलित होता है लेकिन क्रेता पर अगली व्याज तिथि पर पूर्ण ब्याज पर कर लगेगा और उसे उस द्वारा विक्रेता को दिये गये ब्याज पर कोई छूट पाने का अधिकार नही है। इसी कारण से ब्याज सहित विक्रेता को प्राप्त हुए ब्याज पर कर नहीं देना होता है।

आय कर के लिये सामान्य नियम यह है कि ब्याज तिथि पर जो प्रतिभूति का मालिक है उस पर ही कर लगेगा।

कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ—कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो से ब्याज आय-कर से (अतिरिक्त-कर से नही) कर-मुक्त है लेकिन यह आय-कर कर की दर निकालने के लिये उसकी कुल आय मे जोडा जाता है। फिर भी कुछ सरकारी प्रतिभूतियो, जैसे पोस्ट आफिस कैश सार्टिफिकेट, नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट, नेशनल प्लान सार्टिफिकेट तथा ट्रेजरी डिपाजिट रिसीट्स आदि से ब्याज आय-कर व अतिरिक्त कर दोनो से मुक्त है और कुल आय मे नही जोडा जाता।

कर-मुक्त डिबेंचर—जब कर-मुक्त डिबेंचर कम्पनी द्वारा जारी किए जाएँ तो अशधारियो के लिए उनको प्राप्त ब्याज पर कम्पनी कर अदा करती है तथा ऋणपत्रधारी, न केवल उस रकम पर जो उन्हे प्राप्त हुई है, बल्कि उस रकम पर भी जो कर के रूप मे कम्पनी ने वहन की है, कर देगे, क्योकि ऐसा आय-कर ऋणपत्रधारियो को प्राप्त हुई ऋण पत्रो से आय का भाग है।

कटौतियाँ—प्रतिभूतियो के ब्याज से प्राप्त होने वाली कर-योग्य आय की गणना के लिये निम्न कटौतियाँ (deductions) स्वीकार की जाती है :—

(i) ब्याज के सग्रह हेतु (for collecting of interest) किसी बैंकर द्वारा ऐसे ब्याज से काटी गई या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे ब्याज की वसूली के लिये पुरस्कार स्वरूप दी गई कोई उचित धन राशि।

(ii) प्रतिभूतियो की खरीद के निमित्त विशेष रूप से उधार लिए हुए ऋण का ब्याज।

जब कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए ऋण लिया जाए तो ऐसे ऋण पर ब्याज कर-मुक्त प्रतिभूतियो के ब्याज से घटाना चाहिए।

यह भी सम्भव है कि इस मद मे हानि हो, क्योकि ऐसे ऋण पर ब्याज ऐसी प्रतिभूतियो के ब्याज से बढ सकता है। ऐसी हानि दूसरे मद के अन्तर्गत आय से काटी जा सकती है।

प्रतिभूतियो के विक्रय पर होने वाला हानि-लाभ

जहाँ कर-दाता के पास प्रतिभूतियाँ विनियोग (Investment) के रूप में हो 'व्यापार सम्पत्ति' (Trading Asset) के रूप मे नही, तो विनियोगो मे परिवर्तन करने के उद्देश्य से उनको बेच देने पर जो हानि-लाभ हो वह पूँजी हानि-लाभ होगा। दूसरी ओर जहाँ कर-दाता प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने का व्यवसाय करता है, उस दशा मे वह प्रतिभूतियो को अपने पास 'व्यापार सम्पत्ति' अर्थात् व्यापारिक स्कन्ध Stock-in-trade) के रूप मे रखता है और इन प्रतिभूतियो के बेचने से होने वाला हानि-लाभ आगम-हानि लाभ (Revenue Profit or loss) है। उसके व्यवसाय के हानि-लाभ की गणना करने के लिये, जो प्रतिभूतियाँ प्रत्येक हिसाबी वर्ष की समाप्ति पर उसके पास रह जायें, उनका मूल्य व्यापारिक स्कन्ध के रूप मे एक रूप आधार पर (on a Uniform basis) मालूम करना चाहिये।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

यह एक अगले अध्याय 'उद्गम स्थान पर कर-कटौती मे समझाया गया है।

उदाहरण

(१) अ के विनियोग (Investments) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वष मे निम्न प्रकार थे —

(क) ४०,००० रु० ३½% सरकारी पेपर, (ख) २०,००० रु० ५% म्यूनिसिपल ऋण-पत्र, (ग) ६०,००० रु० ४½% पोर्ट ट्रस्ट बौण्ड्स। उसके बैंक ने ब्याज सग्रह करने के लिये १० रु० बतौर कमीशन लिये। पोर्ट ट्रस्ट के बौन्ड्स खरीदने के लिये उसने कर्जा लिया था। इस कर्जे का ब्याज मे उसने ७०० रु० दिये। प्रतिभूतियो के ब्याज से प्राप्त होने वाली आय मे कर योग्य आय निकालिये —

	रु०	रु०
सभी विनियोगो की ब्याज		५,१००
घटाया बैंक कमीशन	१०	
ऋण पर ब्याज	७००	७१०
प्रतिभूतियो के ब्याज से कर लगने योग्य आय		४,३९०

१,५०० रु० में से आय-कर उद्गम स्थान पर ३०% की दर से काटा जायगा।

(२) १ अप्रैल १९५८ को ब के विनियोग निम्न प्रकार थे —

(क) ९०,००० रु० ३% सरकारी ऋण, (ख) ६०,००० रु० ३% पोर्ट ट्रस्ट बौण्ड्स (ग) ८०,००० रु० ५% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऋण-पत्र, और (घ) ३०,००० रु० किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के ५% ऋण-पत्र।

१ अगस्त १९५८ को, उसने २०,००० रु० ३% सरकारी बौण्ड्स ९२½ ब्या० स०

(ब्याज सहित Cum Dividend or c d) पर खरीदे। इन पर १ जून और १ दिसम्बर को ब्याज प्राप्त होता है।

ब्याज सग्रह के लिए बैंक का कमीशन २५ रु० था। प्रतिभूतियो के ब्याज से होने वाली आय मे कर लगने योग्य कितनी है ?

	रु०
१ अप्रैल १६५८ को रखे हुये विनियोगो पर ब्याज	१०,०००
½ वष के लिये ३% सरकारी बौण्ड्स का ब्याज	३००
	१०,३००
घटाया बेक कमीशन	२५
प्रतिभूतियो के ब्याज से होने वाली कर-योग्य आय	१०,२७५

(३) १ अप्रैल १६५८ को स के विनियोग निम्न प्रकार थे —

(क) ६०,००० रु० ४% उ० प्र० सरकार को ऋण, (ख) ३०,००० रु० ५% इम्प्रूवमेट ट्रस्ट, (ग) २०,००० रु० ५% जूट मिल कम्पनी ऋण-पत्र (घ) १५,००० रु० ६% प्रीफ्रेंस शेअर्स, एक शुगर मिल कम्पनी मे।

१ सितम्बर १६५८ को उसने जूट मिल के ऋण-पत्र (debentures) बेच दिये और ४०,००० रु० ४% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड खरीद लिये। इस कार्य के लिये उसने बैंक से ६% वार्षिक पर २०,००० रु० का ऋण लिया। प्रतिभूतियो के बेचने खरीदने में बैंक का कमीशन १% और ब्याज-सग्रह का कमीशन १५ रु० था। ब्याज से होने वाली आय मे से कर लगने योग्य आय निकालिये। ब्याज १ जनवरी और १ जुलाई को मिलता है।

		रु०
१ वर्ष के लिये ४% उ० प्र० ऋण का ब्याज		२,४००
१ वर्ष के लिये ५% इम्प्रूवमेट ट्रस्ट ऋण-पत्रो का ब्याज		१,५००
½ वर्ष के लिये ४% जूट मिल ऋण-पत्रो का ब्याज		५००
½ वर्ष के लिये ४% पोर्ट ट्रस्ट बाण्ड्स का ब्याज		८००
		५,२००
ब्याज-सग्रह या कमीशन घटाया	१५	
७ मास की बैंक से लिये ऋण की ब्याज	७००	७१५
प्रतिभूतियो के ब्याज की कर-योग्य आय		४,४८५

प्रतिभूतियो के क्रय-विक्रय के लिये बैंक का कमीशन नही घटाया जायगा। क्योकि वह पूंजी-व्यय (Capital expenditure) है।

प्रतिभूतियाँ विनियोग के रूप मे है, इसलिये जूट मिल के ऋण पत्रो के बेचने मे हुए हानि लाभ को विचार मे नही लिया जायगा।

(४) एक हिन्दू अविभाज्य परिवार के पास ७% कर-मुक्त ५,००० रु० के एक चीनी मिल के ऋणपत्र है उसकी प्रतिभूतियो से ब्याज से कर योग्य आय क्या होगी ?

हिन्दू अविभाज्य परिवार ने ३५० रु० कर-मुक्त ब्याज प्राप्त किया। कर-मुक्त ब्याज पर कम्पनी ने आय कर ३०% चुकाया है। इसलिए परिवार की प्रतिभूतियो से ब्याज की कर योग्य आय ५०० रु० (३५० रु० का १००/७० होगी)।

(३) जायदाद की आय (Income from Property) X

धारा ९ के अनुसार, आय-कर-दाता को अपनी जायदाद के वास्तविक वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) पर आय कर देना पडता है। जायदाद के अन्तर्गत मकानात और उससे लगी हुई जमीन समझी जाती है, जिसका कर-दाता स्वय मालिक है। इसमे जायदाद के उस भाग को सम्मिलित नही किया जायगा, जिसे वह अपने व्यवसाय के लिये, जिसके लाभ पर कर लगता है, प्रयोग मे लाता हो। इस मद के अन्तगत केवल जायदाद के स्वामी पर ही कर लग सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसी जायदाद से आय होती हो, जो पट्टे पर उसके कब्जे मे है, तो इस आय पर 'अन्य साधनो से प्राप्त आय' के अन्तर्गत आय-कर लगता है। इसी प्रकार उस जमीन से होने वाली आय पर जो मकान के साथ लगी हुई नही है, 'अन्य साधनो से प्राप्त आय' की भाँति ही कर लगेगा।

जबकि कर-दाता का वह मकान-जायदाद का भाग, जोकि व्यापार मे प्रयोग किया जाता है, व्यापार के किसी कर्मचारी को किराए पर दे दिया जाए जिसका वहाँ पर रहना व्यापार के कुशल कार्य-कलाप के लिये आवश्यक है तो उस कमचारी से प्राप्त किराया व्यापार से आय के रूप मे कर-देय होगा यह आय मकान जायदाद की आय नही मानी जायगी।

मकान-जायदाद से आय क्योकि एक अलग मद है अतएव मकान-जायदाद से प्राप्त किराया किसी अन्य मद मे नही ले जाया जा सकता चाहे वह मकान व्यापार के दौरान मे किराए पर उठाया गया हो तथा वह किराया किसी व्यापारिक सस्था का लाभ ही हो।

वार्षिक मूल्य (Annual Value)

आय किसी तारीख विशेष को प्राप्त हुई या प्राप्य (due) मानी जाती है। किन्तु मकानातो के मामले मे कर-योग्य आय मालूम करने की विधि दूसरी है। वह यह है कि कर लगने योग्य आय कुछ अनुमानित अक (Gross Notional Figure) के द्वारा, जिसे वास्तविक वार्षिक मूल्य (Bonafide Annual Value) भी कहते है, मालूम की जाती है। यह जरूरी नही है कि ऐसा अक वह धन हो जो किसी जायदाद के किराये मे सचमुच मे प्राप्त हो। वास्तविक वार्षिक मूल्य जायदाद का वह मूल्य है जिस पर वह किराये पर उठाई जा सकती है अर्थात् वह मूल्य जिस पर खुले बाजार मे जायदाद किराये पर दी जा सकती है। म्युनिस्पिल शहरो मे, जहाँ स्थानीय कर वास्तविक वार्षिक मूल्य के आधार पर समय-समय के मूल्याँकन (Periodical Valuation) द्वारा अदा किये जाते है, म्यूनिस्पेलिटी द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य की, आय-कर के उद्देश्य के लिये, वास्तविक वार्षिक मूल्य से तुलना की जा

सकती है। हाँ, जब वास्तविक रूप मे प्राप्त हुए किराये म्युनिस्पिल मूल्यांकन से बहुत अधिक बैठते हो, तो ऐसी दशा मे वास्तविक रूप मे प्राप्त किराया ही वास्तविक वार्षिक मूल्य माना जायगा।

जायदाद का वार्षिक मूल्य निम्न समायोजन करने के बाद निकाला जायगा :—

(अ) जहां जायदाद किसी किरायेदार के पास है और उस पर स्थानीय सत्ता द्वारा लगाये गये कर (जिसमे सेवा कर जैसे पानी कर, कन्जर्वेन्सी कर आदि सम्मिलित है) वसूल किये जाते है तो ऐसी दशा मे वार्षिक मूल्य निश्चित करने के लिये ऐसे करो का आधा भाग काट दिया जायेगा। निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस नियम के अनुसार वार्षिक मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है।

किरायेदार द्वारा दिया जाने वाला किराया ६,००० रु० वार्षिक है। जायदाद पर स्थानीय-करो की अदायगी मे ६०० रु० दिए जाते हैं, जिसमे से २०० रु० किरायेदार, मकान मालिक को ६,००० रु० देने के अतिरिक्त, सीधे स्थानीय सत्ता को देता है। जायदाद का वार्षिक मूल्य क्या होगा।

	रु०
मालिक को प्राप्त हुई किराये की रकम	६,०००
उसकी ओर से किरायेदार द्वारा दिये हुए स्थानीय करो की रकम	२००
कुल किराया जो प्राप्त हुआ	६,२००
घटाया स्थानीय करो का आधा	३००
वार्षिक मूल्य	५,९००

(ब) जहाँ जायदाद कर दाता के निजी निवास के लिए काम मे आ रही हो, तो उस दशा मे जायदाद का वार्षिक मूल्य पहले तो इस प्रकार निकाला जायगा कि मानो वह जायदाद किसी किरायेदार को उठा दी गई हो और जो रकम इस प्रकार निकले उसके आधे या १८०० रु०, दोनो मे से जो कम हो, उसे घटा देते है। परन्तु यदि इस प्रकार घटाकर निकली रकम मालिक की कुल आय के १०% से अधिक बैठे तो जायदाद का वार्षिक मूल्य उसकी कुल आय का १०% मान लिया जायेगा। यदि जायदाद में केवल एक ही रहने का मकान है और उसे मकान मालिक, कही बाहर काम पर रहने के कारण, अपने रहने के लिए रखता है, जो खाली रहता है, तो इसका वार्षिक मूल्य कुछ भी नही होगा। किन्तु यदि इस मकान मे साल भर मे कुछ समय तक निवास किया गया है, तो इसका वार्षिक मूल्य आनुपातिक (porportionate) होगा। लेकिन किसी भी दशा में ऐसी जायदाद से हानि नही दिखलाई जा सकती।

कटौतियाँ (Deductions)

जायदाद की कर लगने योग्य आय मालूम करने के लिये वार्षिक मूल्य मे से निम्न-लिखित कटौतियाँ स्वीकृत की गई हैं—

(१) वार्षिक मूल्य का छठा भाग मरम्मत के लिये काट दिया जायेगा चाहे मरम्मत पर कुछ खर्चा हुआ हो या नही। यह छूट (Allowance) पूरी रकम से उस दशा मे भी दी जावेगी जबकि जायदाद खाली पडी रहने के लिये कोई छूट (Allowance for vacancies) दी गई हो।

हाँ, जहाँ किरायेदार ने मरम्मत की लागत वहन करना स्वीकार कर लिया है वहाँ मरम्मत की छूट 'वार्षिक मूल्य' और 'चुकाये गये किराये' मे अन्तर तक ही सीमित है लेकिन वह वार्षिक मूल्य के १/६ भाग से अधिक नही हो सकती। प्रस्तुत अध्याय मे दिया गया अन्तिम उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालता है।

(२) जायदाद को नुकसान पहुँचने के खतरो (risk) (जैसे, आग, भूकम्प, बिजली गिरने, गृह-युद्ध आदि) की हानि से बचाव के लिये कराये गये बीमो का प्रीमियम।

(३) जायदाद के रहन (mortgage) पर ब्याज या कोई अन्य पूँजी प्रभार जो जायदाद पर हो। धन किस उद्देश्य के लिये उधार लिया गया था यह विचारणीय न होगा।

(४) जायदाद पर कोई ऐसा वार्षिक भार (Annual charge) जो पूँजीगत भार नही है।

(५) जायदाद के खरीदने, बनवाने या मरम्मत कराने के लिए जो ऋण लिया गया है उसका ब्याज।

(६) यदि जायदाद की जमीन का कोई किराया दिया जाता है, तो ऐसे किराये की रकम।

(७) जायदाद पर दी जाने वाली किसी मालगुजारी (Land revenue) की रकम।

(८) संग्रहण व्यय, जो वार्षिक मूल्य या वास्तविक रकम (दोनो मे जो कम हो) का ६% होगा।

(९) जायदाद खाली पडे रहने के सम्बन्ध की छूट (Vacancy Allowance), जो वार्षिक मूल्य का वह भाग है जो जायदाद खाली पडी रहने की अवधि के अनुपात मे हो।

यदि मिलने वाली छूटें (Admissible allowances) जायदाद के वार्षिक मूल्य से अधिक बैठें तो यह जायदाद से हानि हुई दूसरे शीर्षको के अन्तगत उसे होने वाली आय में से काटा जा सकता है।

जहा जायदाद सयुक्त स्वामित्व मे हो और इन स्वामियों के हिस्से निश्चित हो, तो उन पर व्यक्तियो के सघ (Association of persons) के रूप मे कर-निर्धारण नही होगा, बल्कि प्रत्येक मालिक के हिस्से पर उसकी कुल आय के अश के रूप में कर लगेगा।

कर-मुक्त जायदाद की आय (Exempted Property Income)—

निम्न प्रकार के मकान जायदाद से होने वाली आय-कर से मुक्त रखी गई है—

(१) वह मकान जो कृषि कार्य मे काम आने वाली भूमि के बिल्कुल निकट स्थित है और कृषि कार्यों की देखभाल के हेतु रहने के लिये आवश्यक हो।

(२) कर-दाता द्वारा अपने व्यापार के लिये इस्तैमाल किया जाने वाला मकान या जायदाद, जिसके लाभो पर कर लगता हो।

(३) वह मकान जो १ अप्रैल १९४६ और ३१ मार्च १९५६ की अवधि मे बनकर तैयार हुआ है और जिसे व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग नही किया गया है, वह इस प्रकार तैयार हो जाने के बाद के दो कर-निर्धारण वर्षों (Assessment Years) के लिये आय-कर से पूर्णत मुक्त था।

उदाहरण

(१) अ एक सरकारी दफ्तर मे क्लर्क है। उसे २५० रु० मासिक वेतन मिलता है। उसके पास ४०,००० रु० ३% सरकारी प्रतिभूतियाँ है। वह एक बडे मकान का मालिक भी है, जिसका म्यूनिस्पिल मूल्याकन ८०० रु० है। इस मकान का एक तिहाई भाग उसने ३० रु० मासिक किराये पर उठा रखा है और शेष भाग को अपने इस्तैमाल मे रखा है। अपनी बहिन की शादी के लिये उसने कर्जा लिया था जिसके लिये मकान रेहन रखा है। कर्जे पर साल भर मे ३०० रु० ब्याज हुआ, मकान के सम्बन्ध मे १५० रु० म्यूनिस्पिल कर दिये गये।

जायदाद की आय मे कर लगने योग्य आय निकालिये और यह भी बताइये कि ३१ माच १९५९ को समाप्त होने वाले गत वष के लिए उसकी कुल आय क्या है?

	रु०	रु०
किराये पर उठे तिहाई भाग का किराया	३६०	
घटाया अनुपातिक म्यूनिस्पिल करो का एक तिहाई	२५	
किराये पर उठे मकान का वार्षिक मूल्य		३३५
स्वय के इस्तैमाल में आने वाले भाग का मूल्य, जो उसी तरह निर्धारित किया गया है, जिस प्रकार कि किराये पर उठे भाग का	६७०	
घटाया उसका आधा (स्टेच्युटरी अलाउन्स)	३३५	३३५
जायदाद का ग्रॉस वार्षिक मूल्य		६७०

घटाया १/६ मरम्मत के लिये	१११	
बन्धक का ब्याज	३००	४११
जायदाद से कर-योग्य आय		२५९
१ वेतन		३,०००
२ प्रतिभूतियो का ब्याज		१,४००
३ जायदाद से आय		२५९
	कुल आय	४,६५९

मालिक द्वारा घेरे हुये मकान का वार्षिक मूल्य उसी तरह निर्धारित किया जाता है, जिस तरह की किराये पर उठी हुई जायदाद का, और तब इस प्रकार निर्धारित की गई रकम मे से उसका आधा या १,८०० रु० जो दोनो मे कम हो, उसे घटा दिया जाता है लेकिन निज के निवास मे काम आने वाली जायदाद का इस प्रकार निश्चित किया गया वार्षिक मूल्य जायदाद के मालिक की कुल आय के १०% से अधिक नही होना चाहिये ।

(२) कॉलिज के एक प्रोफेसर को ८०० रु० मासिक वेतन मिलता है। वह स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे अपने चन्दे का अपने वेतन का ६¼% कटाता है और कॉलिज की ओर से भी इतनी ही रकम उसके फण्ड मे मिलाई जाती है। ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे प्रॉवीडेण्ट फण्ड के हिसाब की ब्याज (४% वार्षिक से ६७२ रु० हुई।

प्रोफेसर महोदय दो मकानो के भी मालिक है, जिनमे से एक (जिसका म्यूनिस्पिल मूल्याकन ८०० रु० है, वे अपने रहने के लिए इस्तैमाल करते है और दूसरा (जिसका म्यूनिस्पिल मूल्यॉकन १००० रु० है) १०० रु० मासिक किराये पर उन्होने किसी अन्य व्यक्ति को उठा रखा है। दोनो मकानो पर उन्होने जो खर्चे किये है, वे निम्न प्रकार हे —

	रु०
म्यूनिस्पिल कर	१८०
किराये पर उठाये गये मकान की माल-गुजारी (land revenue)	४०
अग्नि बीमा का प्रीमियम	१२०
अपने रहने वाले मकान की मरम्मत के निमित्त लिये कर्जे पर ब्याज	२००
अपने रहने के मकान मे बिजली के फिटिंग को और कई स्थानो पर कराने का खर्चा	२५०

इन प्रोफेसर महोदय की जायदाद की आय मे कर लगने योग्य आय, इनकी कुल आय और ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वष के लिये कर मुक्त आय बतलाइए। यह मान लीजिए कि किराये पर उठा मकान दो महीने खाली पडा रहा और १०,००० रु० के कराये हुए अपने जीवन बीमे पर (जो ८,००० रु० के लिये था) उन्हे ८५० रु० प्रीमियम के दिये ।

	रु०	रु०
किराये पर उठे मकान का किराया	१,२००	
घटाओ म्यूनिस्पिल कर का आधा (म्यूनिस्पिल मूल्याकन के अनुसार)	५०	
किराये पर उठी जायदाद का वार्षिक मूल्य		११५०
रहने के मकान का किराया मूल्य (म्यूनिस्पिल मूल्याकन का ६/५, जैसा कि किराये पर उठी जायदाद के सम्बन्ध मे होना है)	९६०	
घटाया म्यूनिस्पल करो का आधा	४०	
	९२०	
घटाया आधा (स्टेच्युटरी अलाउन्स)	४६०	४६०
दोनो मकानो का वार्षिक मूल्य		१,६१०
घटाया १/६ मरम्मत के लिये	२६८	
मालगुजारी	४०	
ऋण पर ब्याज	२००	
अग्नि बीमा प्रीमियम	१२०	
खाली पडे रहने की छूट जो किराये पर उठे मकान मे वार्षिक मूल्य का १/६ है	१९१	८१९
जायदाद से कर योग्य आय		७९१
१ वेतन		९,६००
२ जायदाद से कर योग्य आय		७९१
कुल आय		१०,३९१

आयकर से मुक्त आय

	रु०
१ प्रा० फण्ड मे स्वय का चन्दा	६००
२ जीवन बीमा प्रीमियम (बीमे के १०% तक तथा प्रीमियम और प्रा० फण्ड चन्दे दोनो मिलाकर कुल आय के चौथे भाग तक सीमित)	८००
	१४००

प्रा० फण्ड मे मालिक का चन्दा जो कि कर्मचारी के वेतन के १०% से कम है तथा प्रॉ० फण्ड खाते पर ब्याज जो कि कर्मचारी के वेतन के एक तिहाई से तथा ६% प्र० वर्ष से कम है कुल आय में सम्मिलित नही होगा।

बिजली फिटिग विस्तार व्यय पूँजी व्यय है जो जायदाद से कर योग्य आय मालूम करने के लिए नही घटाया जायेगा।

(३) X एक मकान का, जिसका वार्षिक मूल्य ८,००० रु० है, स्वामी है। उसने इसे Y को ७,०००रु० वार्षिक पर उठा दिया है। Y मरम्मत की लागत स्वय उठाने को तैयार हो जाता है। मकान के सम्बन्ध मे X के छूट योग्य (admissible) खर्चे, मरम्मत-व्ययो को छोडते हुए २,५०० रु० हुए। इस मकान की कर-योग्य आय क्या है ?

यदि मकान को ६००० रु० में उठाया जाता, तो क्या अन्तर पडता ?

जहाँ किरायेदार मरम्मत व्यय स्वय वहन करने को तैयार हो गया है, वहाँ मरम्मत की छूट वार्षिक मूल्य और चुकाये गये किराये के अन्तर तक सीमित है लेकिन वार्षिक मूल्य के १/६ से अधिक नही हो सकती । इस नियम के अनुसार, प्रश्न मे वर्णित मकान की कर-योग्य आय इस प्रकार होगी —

		रु०
वार्षिक मूल्य		८,०००
घटाओ —मरम्मत के लिये छूट, जो वार्षिक मूल्य और चुकाये गये किराये का अन्तर है, और वार्षिक मूल्य के १/६ से अधिक नही है ।	१,०००	
अन्य व्यय	२,५००	३,५००
कर योग्य आय		४,५००

अथवा

		रु०
वार्षिक मूल्य		८,०००
घटाओ —मरम्मत के लिये छूट जो कि वार्षिक मूल्य और चुकाये गये किराये का अन्तर है लेकिन वार्षिक मूल्य के १/६ तक सीमित है	१,३३३	
अन्य व्यय	२,५००	३,८३३
कर योग्य आय		४,१६७

अध्याय ६

कर-योग्य आय की गणना (२)

(४) व्यापार, पेशा अथवा व्यवसाय के लाभ
(Profits of Business, Profession or Vocation)

व्यापार मे कोई भी वाणिज्य (Trade), लेन-देन (Commerce) या वस्तु उत्पादन अथवा अन्य कोई भी प्रयत्न, जो वाणिज्य, व्यापार या वस्तु-उत्पादन की प्रकृति का हो, शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि एकाकी सौदे (isolated transaction) के लाभ भी, यदि वह एक वाणिज्य सम्बन्धी प्रयत्न है, कर लगने योग्य होगे। पेशा वह है जिसमे साधारणत दिमागी योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे कोई डाक्टर, इजीनियर, वकील या लेखपाल आदि। व्यवसाय (Vocation) से अभिप्राय किसी अन्य काम से है, जो कोई व्यक्ति अपनी जीविका उपाजन के लिए करे, जैसे कोई दलाल, बीमा एजेन्ट, गायक, चोर आदि।

धारा १० के अन्तर्गत, करदाता को अपने व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लाभो पर कर देना पडेगा। इस शीर्षक के अन्तर्गत कर लगने योग्य आय निर्धारित करने के निम्नलिखित नियम हे :—

(१) एक "व्यक्ति" (individual) ही जो कि कोई व्यापार चलाता है, इस शीर्षक के अन्तर्गत कर चुकाने के लिए दायी है। व्यापार के स्वामित्व की बात का महत्व नही अपितु कर दाता द्वारा उसका चलाया जाना महत्वपूर्ण है। हाँ, यह आवश्यक नही है कि कर दाता भौतिक रूप से (Physically) या अपने ही हाथो से व्यापार को चलावे। 'व्यापार चलाने का अधिकार' मात्र ही पर्याप्त है।

(२) इस धारा के अन्तर्गत कर प्रत्येक पृथक व्यापार के लाभो पर अलग-अलग नही अपितु करदाता द्वारा चलाये जाने वाले सभी व्यापारो के सम्पूर्ण लाभ पर इकट्ठा लगाया जाता है। इसका यह अर्थ है कि जहाँ करदाता दो या अधिक व्यापार चलाता है, वहाँ वह एक की हानि को दूसरे के लाभ से पूरी कर सकता है (set off losses)।

(३) यह आवश्यक है कि व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशा गतवर्ष के दौरान में ही किसी भी समय तक चलाया जावे, भले ही पूरे वर्ष न चला हो। जब गतवर्ष में व्यापार बिल्कुल ही नही चलाया गया है तो व्यापार या व्यवसाय के समापन में उत्पन्न हुआ लाभ, जो कि केवल सम्पत्ति बेचने से प्राप्त हो, कर-योग्य (Taxable) नही होता।

(४) आय कर के आशय के लिये, प्रत्येक वर्ष अपने मे 'पूर्ण' हिसाबी वर्ष होता है और आय-कर अधिकारी केवल उस वर्ष मे हुई आय को ही विचार मे ले सकते है, भारी लाभ या हानियाँ नही।

(५) यदि किसी पिछले कर-निर्धारण वर्ष मे कर दाता को किसी हानि, व्यय या दायित्व के सम्बन्ध मे कोई छूट दी गई है और बाद को कर दाता ने ऐसी हानि, व्यय या व्यापारिक दायित्व के सम्बन्ध मे भुगतान, हर्जाना या क्षति प्राप्त कर ली हो, तो ऐसी प्राप्ति की रकम उस वर्ष का लाभ माना जायगा, जिसमे कि वह इस प्रकार प्राप्त हुई।

(६) एजेन्सी की समाप्ति के लिये प्राप्त हुई क्षति-पूर्ति उस वर्ष का लाभ मानी जायगी जिसमे वह प्राप्त हुई।

व्यापार, व्यवसाय या पेशे से होने वाला लाभ, आय-कर की दृष्टि से, वही लाभ नही होता जो कर-दाता अपने हिसाब की किताबो मे दिखाये। कुछ खर्चो की मदे, जिनका लाभ कमाने से सम्बन्ध नही है, अस्वीकृत कर दी जाती है। ह्रास सम्बन्धी छूट नियमो के अनुसार दी जाती है। पूँजी प्राप्तियाँ और पूँजी व्यय भी निकाल दिये जाते है तथा वे खर्चे, जो व्यक्तिगत है अथवा दान-पुण्य के लिए हुए है, स्वीकार नही किये जाते। हिसाब की किताबो में दिखाये गये लाभ के अको से कर योग्य लाभ की रकम निकालने से पहले इन सब मदो के सम्बन्ध मे आवश्यक सुधार (Adjustment) कर लेना चाहिये।

कटौतियाँ (Deductions)

धारा १० के अनुसार जो कर लगाया जाता है, यह व्यापार, व्यवसाय या पेशे की सकल प्राप्तियो (Gross receipts) पर नही अपितु इनके लाभ पर लगता है। लाभ क्या है, इसकी सन्नियम मे कोई परिभाषा नही की गई है। किन्तु आय-कर अधिनियम की विशेष आवश्यकताओ का ध्यान रखते हुये, व्यापारिक लेखाकर्म (Commercial accounting) के सिद्धान्तो पर ही लाभो को निश्चित किया जाता है। किसी व्यापार व्यवसाय या पेशे के कर लगने योग्य लाभ मालूम करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्त नीचे दिये जाते हैं :—

(१) आय कर-दाता द्वारा नियमित रूप से हिसाब-किताब रखने की जिस विधि का अनुसरण किया गया हो, उसी के अनुसार लाभ निकालना चाहिए। हाँ, इस विधि से वास्तविक लाभ (True Profits) निकालना सम्भव होना चाहिये। लेखाकर्म सम्बन्धी विभिन्न ढग इस अध्याय में आगे समझाये गये है।

(२) उन खर्चो को, जिनकी छूट स्पष्ट दे दी गई है, सकल प्राप्तियो मे से घटा देना चाहिए, किन्तु अस्वीकृत खर्चों को इस प्रकार नही घटाना चाहिए।

(३) कुछ अत्यावश्यक खर्चे, जिन्हे न तो स्पष्टत स्वीकृत किया गया है और न अस्वीकृत ही, और व्यापारिक हानियाँ (भले ही वे स्पष्टत स्वीकृत न की गई हो) भी सकल प्राप्तियो में से घटा देनी चाहिए बशर्ते ये खर्चे और हानियाँ वास्तविक रूप मे व्यापार से सम्बन्धित (Incidental to trade) हो।

(४) कटौतियाँ केवल उन्ही खर्चों और नुकसानो के लिये स्वीकृत की जा सकती है, जो सम्बन्धित हिसाबी वर्ष (Relevant accounting year) मे हुए हो। किसी वर्ष विशेष का कर लगने योग्य लाभ मालूम करने के लिए, उसके पूर्व अथवा बाद के वष मे किये गये खर्च या कमाये हुए लाभ से कोई मतलब नही होता।

(५) हिसाबी वर्ष के शुरू होने के पूव बन्द हुए किसी व्यापार से सम्बन्धित किसी दूसरे पृथक रूप से चालू व्यापार के लाभ मे से नही घटाये जा सकते। उस बन्द हुए व्यापार के खर्चे पूँजी हानि हो जाते हैं।

(६) किसी व्यापार के लाभो की गणना करते समय, सट्टे की हानियाँ केवल सट्टे के लाभो से पूरी की जा सकती है। जहाँ सट्टे के व्यवहार व्यापार के रूप मे किये जाते है तो यह व्यापार अन्य व्यापारो से बिल्कुल पृथक समझा जावेगा।

एक सट्टे के व्यवहार का अथ ऐसे व्यवहार का है जिसमे किसी वस्तु (स्टाक एव शेयस शामिल करते हुए) की खरीद बिक्री का अनुबन्ध बिना वस्तु या प्रलेख की वास्तविक सुपुर्दगी या हस्तातर हुए निबटा दिया जाता है। विभिन्न वस्तुओ मे या विभिन्न बाजारो मे सट्टे के व्यवहार एक माने जाते हैं।

"हैजिंग कन्ट्रैक्ट" (Hedging Contract) सट्टा नही माना जाता।

स्पष्ट स्वीकृत कटौतियाँ (Deductions expressly allowed)

धारा १० (२) के खण्ड (*i*) से (*XV*) तक मे वे विभिन्न कटौतियाँ दी हुई हैं, जिन्हे स्पष्टत स्वीकार किया गया है। वे व्यापारिक खर्चे जो दूसरे खण्डो मे नही आते, खण्ड (*XV*) मे आ जाते हैं। ये छूटें (Allowances) निम्न प्रकार है :—

(१) उस भवन या स्थान (Premises) का किराया, जहाँ व्यापार चलाया जाता है। यदि उस भवन या स्थान का काफी भाग कर-दाता अपने रहने के काम में लाता है, तो केवल किराये की अनुपातिक रकम ही व्यापारिक व्यय के नाते कम की जायगी। यदि कोई फर्म किसी साझीदार को, उसका मकान या स्थान इस्तैमाल मे लेने के लिए, किराया देती है, तो यह किराया फर्म के लाभ मे से घटा दिया जायगा।

(२) उस स्थान या भवन की मरम्मत का खर्चा, जिसमे कर-दाता किरायेदार के रूप मे रहता है और जिसकी मरम्मत के खर्चे का उसने दायित्व ले रखा है। यदि स्थान या मकान का काफी भाग कर-दाता अपने निवास के लिए इस्तैमाल मे लाता

है, तो केवल मरम्मत के खर्चे का अनुपातक भाग ही व्यापारिक व्यय के रूप मे कम किया जायगा।

(३) व्यापार के लिए उधार ली हुई पूँजी का ब्याज, किन्तु वह ब्याज, जो किसी परदेशी को दी गई है और जिसमे से उच्चतम दर मे आय-कर नही काटा गया है नही घटायी जायगी। फर्म द्वारा किसी साझीदार को उसकी पूँजी या ऋण पर दी गई ब्याज भी नही घटायी जायगी।

(४) व्यापार के काम मे आने वाले भवन, गोदाम, मशीनरी, सयन्त्र, फर्नीचर, स्कन्ध अथवा स्टोर्स की हानि या नाश के खतरे (Risk) के लिए बीमा कराने की बीमा किस्त (Premium)।

(५) व्यापार के काम मे आने वाले मकान, मशीनरी, फर्नीचर एव सयन्त्र के सम्बन्ध मे चालू मरम्मत (Current repairs) का खर्चा। 'चालू मरम्मत' से अभिप्राय उस मरम्मत से है जो इन वस्तुओ को काम योग्य (Serviceable) स्थिति मे बनाये रखने के लिए जिसकी आवश्यकता साधारण घिसन एव टूट-फूट के कारण पड जाती है, थोडे-थोडे समय पर करानी पडे। इसमे पुर्जो के मामूली परिवर्तन का व्यय भी शामिल किया जा सकता है, बशर्ते वह ऐसी व्यापक प्रकृति का न हो कि उनसे उस वस्तु का रूप (Identity) ही बदल जाय।

(६) व्यापार के काम मे आने वाले भवन, मशीनरी, प्लाट, फर्नीचर का ह्रास। यह प्रसग अगले अध्याय मे विस्तार से समझाया गया है।

(७) ह्रास की पूरी छूट प्राप्त होने से पूर्व किसी भवन, मशीनरी या प्लाट के बेचने पर हुई हानि। इस पर भी आगामी अध्याय मे प्रकाश डाला गया है।

(८) व्यापार के काम मे आने वाले मृतक या बेकार जानवरो को बेच देने पर हुई हानि

(९) व्यापारिक स्थान के ऐसे भाग के सम्बन्ध मे मालगुजारी, स्थानीय महसूल या म्यूनिसिपल कर, जो व्यापार के काम मे आता हो।

(१०) कर्मचारियो को दिया गया बोनस या कमीशन, बशर्ते उसकी रकम उचित हो।

(११) डूबे ऋण की रकम (Bad Debts), जहाँ हिसाब किताब व्यापारिक लेखा-कर्म के सिद्धान्तानुसार रखा जाता हो। लेकिन छूट की रकम उस रकम से अधिक नही होनी चाहिए, जो आय-कर-दाता ने वास्तव मे अपने हिसाब-किताब मे अपलिखित (written off) की हैं। यदि कर-दाता को प्राप्य ऋण (Debt due to the assessee) व्यापार के लिये आकस्मिक (incidental) नही है, (जैसे किसी व्यापारिक दूरदर्शिता के विचार से किसी ग्राहक को दिया गया कोई ऋण) तो उस पर छूट नही मिल सकेगी। यदि

डूबे ऋण की रकम, जिसे एक वर्ष छूट दे दी गइ हो, किसी दूसरे वर्ष वसूल हो जाय, तो वह उस वर्ष का कर योग्य लाभ मानी जायगी।

(१२) व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक खोज पर किया गया कोई रेवेन्यू व्यय।

(१३) किसी वैज्ञानिक खोज करने वाली सस्था को दिया गया चन्दा, जो व्यापार से सम्बन्धित अनुसधान कार्य करती हो।

(१४) वह सारा पूँजी व्यय, जो व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक अनुसधान पर किया गया हो, लगातार और बराबर की किश्तो मे व्यय करने के वर्ष से आगामी पाँच वषो तक घटाने दिया जायगा।

(१५) अन्य व्यापारिक व्यय, जो पूँजीगत या व्यक्तिगत न हो, और पूर्णत. तथा मूल रूप से व्यापारिक कार्यो के लिये किये जावे। इसमे व्यापार के अधिकाश खर्चे आ जाते हैं। कोई व्यय विशेष पूर्णतया और मूलरूप से लाभ पैदा करने की दृष्टि से ही किया गया है या नही, यह बात प्रत्येक मामले मे व्यापार के स्वरूप, व्यापारिक पद्धति, व्यय के स्वरूप तथा अन्य परिस्थितियो पर निर्भर रहती है। इसलिये इस खण्ड (clause) के अन्तगत क्या आता है और क्या नही आता, यह गिनाना बडा ही कठिन है। इस शीषक के अन्तर्गत घटाये जाने वाले खर्चों के निम्नलिखित उदाहरण है :—

(१) माल तैयार करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और उसे बेचने मे हुआ खर्चा।

(२) विज्ञापन व्यय, यदि वह साधारण रूप से माल बेचते हुये किया गया हो। किन्तु यदि व्यापार को बढाने की दृष्टि से विशेष रूप से विज्ञापन किया गया हो, तो इसमें हुआ व्यय पूँजी व्यय के रूप मे माना जायगा और घटाया नही जायगा।

(३) व्यापार का हिसाब तैयार कराने और उसे ऑडिट कराने के लिए प्रतिवर्ष होने वाला व्यय, जिसमे कर-दाता का आय-कर दायित्व निश्चित कराने का व्यय भी शामिल है। किन्तु आय-कर की अपील से सम्बन्धित व्यय की छूट नही दी जा सकती।

(४) माल बिकवाने के लिए या ऑर्डर प्राप्त करने के लिए दी हुई दलाली या कमीशन घटाया जाता है। किन्तु यदि कमीशन या दलाली ऋण लेने या पूँजी प्राप्त करने के लिए दी गई है, तो उस पर छूट नही मिलेगी।

(५) खान के काम (mining), कॉपीराइट और पेटेंट के लिए दी गई रॉयल्टी।

(६) कर्मचारियो की दुर्घटना के सम्बन्ध मे चुकाए गए बीमो का प्रीमियम या व्यापार की हानि के विरुद्ध कराए हुये बीमे का प्रीमियम।

(७) चोरी या रुपया गबन हो जाने से व्यापार को हुई हानियाँ, बशर्ते कि वे या तो व्यापार से सम्बन्धित (incidental) हो या व्यापारिक स्कन्ध की हानियाँ हो।

(८) कर्मचारी को क्षति-पूर्ति के रूप मे दी गई रकम, बशर्ते वह रकम उपहार (gift) के रूप में न दी गई हो।

(९) दिवाली अथवा मुहूर्त या हिसाब चालू करने के वार्षिक दिन के उत्सव मे पुरस्कार आदि तथा अन्य खर्चों की रकम। लेकिन यह रकम अधिक से अधिक २०० रु० तक हो सकती है।

(१०) किसी व्यापारिक सस्था द्वारा दिये गये चन्दे यदि इन्हे देना अनिवार्य हो या जो व्यापारिक दूरन्देशी के विचार से जरूरी और देने वाले को लाभप्रद हो।

(११) कर्मचारियो को उनकी सेवायें बनाये रखने या कार्यक्षमता को बढाने के लिये पेंशन, ग्रेच्यूटी तथा स्वेच्छा से दिये गए अन्य भुगतान।

(१२) कानूनी व्यय जिन्हे करदाता व्यापारी की हैसियत से अर्थात् जब वह व्यवहार, जिसके सम्बन्ध मे कानूनी कार्यवाहियाँ की गई है, करदाता के व्यापार व्यवसाय से सम्बन्धित (incidental) हो।

स्पष्टत. अस्वीकृत व्यय (Expenditure expressly disallowed)

किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे से कर लगने योग्य लाभ मालूम करते समय, निम्नलिखित खर्चे स्पष्टत' अस्वीकृत कर दिये गए हैं —

(१) किसी परदेशी

इसमें से कर न काटा गया हो।

(२) किसी फर्म द्वारा फर्म के साझीदार को दी हुई कोई ब्याज, वेतन, कमीशन या पुरस्कार। लेकिन साझीदारो को दी गई अन्य रकमो का निषेध नही है, जैसे किराया, जो फर्म के किसी साझेदार को, जो किसी भवन या स्थान का स्वामी है जिसमे कि फर्म का कारोबार होता है, चुकाया जाय तो वह काटा जा सकता है। 10(5) B

(३) प्राइवेट प्रॉवीडेण्ट फण्ड या कर्मचारियो के हितार्थ रखे गये अन्य किसी फण्ड में दिया हुआ चन्दा भी नही घटाया जायगा जब तक कि ऐसी दी हुई रकमो पर कर न काट लिया गया हो।

(४) कम्पनी द्वारा अपने किसी सचालक को या ऐसे व्यक्ति को, जो कि कम्पनी मे समुचित (substantial) हित रखता हो, दिया गया अत्यधिक पुरुस्कार, लाभ या सुविधा।

(५) किसी कम्पनी की सम्पत्तियो के सम्बन्ध में, जो कि उपर्युक्त व्यक्तियो द्वारा पूर्णतः या अशत. अपने निजी कार्यों के लिये प्रयोग की जाती हो, दिया गया अत्यधिक (Excessive) अलाउन्स।

(६) मालिक या साझीदारो द्वारा निकाली गई रकमे (drawings)।

(७) मालिको के निजी या व्यक्तिगत खर्चे ।

(८) सदिग्ध ऋण कोष या अन्य कोष ।

(९) दान-पुण्य के रूप मे किये गये खर्चे ।

(१०) आय-कर, अतिरिक्त कर (Super tax) और आय पर लगे अन्य कर। किन्तु बिक्री कर की रकम घटायी जा सकेगी ।

(११) पूँजी प्रकृति के खर्चे । हाँ, जिस पूँजी व्यय को लाभ मे से काटे जाने की स्वीकृति नही दी गई है, उसे ह्रास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकार है ।

(१२) किसी मकान जायदाद का किराया (Rental value) जो व्यापार के स्वामित्व मे हो और व्यापार के प्रयोग मे आती हो ।

(१३) लाभ-हानि खाते मे चार्ज की गई पिछली हानियाँ ।

(१४) स्वीकृत रकम से ह्रास का आधिक्य ।

(१५) अन्य खर्चे, जो पूर्णत व्यापार के लिए नही किये गये, उदाहरणार्थ कर्मचारियो को, कर बचाने के लिये चुकाया गया अधिक पुरस्कार (Excessive remuneration) ।

लाभ-हानि खाते से आय छूट जाना (Omission of Income From P & L Account)

यदि कोई आय किसी व्यापार के हानि-लाभ खाते मे दिखाई न गई हो (जैसे, मजदूरी की वे रकमे जो कर्मचारियो द्वारा नही ली गयी और जो सीधे कर्मचारियो के कल्याण कार्यो के फण्ड मे जमा कर दी गयी हो अथवा कोई कमीशन कोष जो बिक्री खाते को नाम (Debit) करके बने) तो ऐसी आय व्यापार की कर लगने योग्य आय मे शामिल की जानी चाहिये । दूसरी ओर, हानि लाभ खाते मे जमा की गई ऐसी आय, जिस पर कर नही लगता है, कर लगने योग्य आय मे से निकाल देनी चाहिए ।

लाभ-हानि खाते से व्यय छूट जाना (Omission of Expenditure from Profit and Loss Account)

यदि लाभ-हानि खाते को कुछ स्वीकृत व्यापारिक व्ययो (admissible business expenditure) से नाम (Debit) करना छोड (omit) गये हैं, लेकिन किसी रिजर्व खाते से काट लिया है (जैसे, डूबा ऋण 'सदिग्ध ऋण कोष खाते' से या श्रम-कल्याण सम्बन्धी व्यय 'श्रम कल्याण फण्ड' से काट लिया गया हो), तो कर-योग्य व्यापारिक लाभो की गणना करते समय ऐसे व्यापारिक व्ययो को घटा देना चाहिये ।

कैश क्रेडिट्स (Cash Credits)

कुछ बेईमान करदाता लाभ को छिपाने की गरज से व्यक्तिगत खातो मे झूठी जमाये दिखा देते है। किसी व्यक्तिगत खाते मे दिखाई गई कोई ऐसी रकम (विशेषकर यदि वह किसी महिला रिश्तेदार की हो, जब तक कि करदाता भली प्रकार और सतोषजनक रूप से उसे समझा न दे, छिपायी हुई आय समझी जाती है और उसे कर-योग्य लाभ मे सम्मिलित किया जायगा।

स्कन्ध का मूल्यांकन (Valuation of Stock)

व्यापार के लाभ निकालने मे स्कन्ध के मूल्याकन का प्रश्न भी उपस्थित होता है। यह शायद ही कभी हो कि साल भर मे खरीदा हुआ माल कोई व्यापारी सारे का सारा बेच डाले। इसलिये वर्ष का हानि-लाभ निकालने के लिए न केवल बिक्री को अपितु स्कन्ध के रूप में बच रहने वाले माल, साल भर की खरीद की लागत, पिछले वर्ष के हिसाब से आगे लाये हुये माल का मूल्य भी विचार मे लेना जरूरी है।

व्यापारिक स्कन्ध (Stock-in hand) का मूल्य किसी भी प्रकार स्थिर किया जा सकता है। व्यापारिक हिसाब-किताब की प्रचलित पद्धति के अनुसार स्कन्ध का मूल्य लागत के हिसाब से, बाजार मूल्य मे या लागत का बाजार मूल्य—इनमे जो भी कम हो उसके हिसाब से स्थिर किया जाता है। आय कर सन्नियम मे ऐसा कोई विशेष नियम नही है जो स्कन्ध के मूल्याकन का कोई विशेष ढग निर्धारित करता हो। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के मूल्याकन के लिए जिस पद्धति का एक बार अनुसरण किया जा चुका है, आने वाले वर्षों के लिए भी उसी का प्रयोग किया जाय। स्कन्ध के मूल्याकन की पद्धति मे यदि कोई परिवतन करना है, तो वह इनकम टैक्स आफीसर की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

चाय कम्पनियॉ

भारतवष म पैदा और तैयार की गई चाय के बेचने से हुई आय भी व्यापार से हुई आय मानी गई है। किन्तु इस आय की केवल ४० प्रतिशत आय ही आय-कर लगने योग्य समझी जाती है। शेष ६० प्रतिशत आय को कृषि आय मानते है।

चीनी बनाने वाली मिल कम्पनियाँ

जो चीनी मिल कम्पनियॉ अपने कृषि फार्म रखती है और कारखानें मे उपयोग के लिये गन्ना उपजाती है, वे व्यापार से कर-योग्य आय निकालते समय, किसी कृषि पैदावार (विशेषकर गन्ना) की कीमत को, जो वह पैदा करे और कच्चे माल के रूप मे अपने कारखानो के लिए काम मे लावें, बाजार भाव से लाभ-हानि खाते के नाम मे

दिखा सकती है। किन्तु काश्त मे किए गये अन्य खर्चे इसमे नही दिखाये जा सकेगे। इस प्रकार फार्म से प्राप्त हुई कृषि आय कर लगने योग्य आय मे शामिल नही की जाती।

तेल कम्पनियो (Oil Companies) के लाभ

भारत सरकार ने एक तेल कम्पनी के साथ खनिज तेल निकालने के लिए सविदा किया है। इस सविदे के अनुसार सरकार ने कुछ विशेष छूटे दी हैं।

धारा १० (२ AA) के अनुसार ऐसी कम्पनियो के कर-देय आय निकालने के लिये इस सविदे मे दी गई छूटें निकाली जायेगी।

लेकिन ऐसी कम्पनी को धारा १५ C की छूटे नही मिलेगी।

उदाहरण

(१) एक व्यापारी के (३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिये) हानि लाभ के निम्न खाते से १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के कर लगने योग्य लाभ बताइये और साथ ही उसकी कुल आय भी निकालिए —

	रु०		रु०
कार्यालय सम्बन्धी वेतन	४,८००	सकल लाभ (Gross Profits)	३५,५३२
सामान्य खर्चे	२,५५०	कमीशन	१,२०५
डूबे ऋण की अपलिखित रकम	२,१००	छूटें (Discounts)	७५१
सदिग्ध ऋण कोष ×	३,०००	विविध प्राप्तियाँ	५२
अग्नि बीमा प्रीमियम	४५०	डूबे ऋण की रकमें जो बाद मे प्राप्त हो गई	१५०
विज्ञापन	२,५००	सरकारी प्रतिभूतियो पर—ब्याज (शुद्ध)	२,८००
आय-कर ×	२,३७५	विनियोगो की बिक्री पर लाभ —	२,८४०
पूँजी पर ब्याज ×	१,०००		
बैंक ऋण पर ब्याज	१,५५०		
बिल्डिग (अबीमित) में आग लगने से हानि ×	१,५००		
ह्रास	१,२००		
शुद्ध लाभ	२०,३०५		
	४३,३३०		४३,३३०

सामान्य खर्चों मे एक स्वीकृत शिक्षण सस्था को मार्च १९५८ मे दी हुई ५०० रु० दान की रकम भी शामिल है। बिल्डिग और फर्नीचर के लिये स्वीकृत ह्रास की रकम १,००० रु० है। विज्ञापन व्यय में १,५०० रु० की वह रकम शामिल है जो दुकान पर स्थायी रूप से लगाए गये चिह्न का खर्चा है।

		रु०
लाभ—हानि-लाभ खाते से		२०,३०५
जोडो—खर्चे जो स्वीकृत नही है :—		
स्वीकृत सस्था को दान	५००	

संदिग्ध ऋण कोष	३,०००	
विज्ञापन व्यय जो पूँजीगत व्यय है	१,५००	
आयकर	२,३७५	
पूँजी पर ब्याज	१,०००	
बिल्डिग की हानि, जो पूँजीगत हानि है	१,५००	
ह्रास का आधिक्य	२००	१०,०७५
		३०,३८०
घटाओ—प्रतिभूतियो पर ब्याज (अलग मानते हुए)	२,८००	
विनियोगो की बिक्री से लाभ (जो पूँजी लाभ मान लिया है)	२,८४०	५,६४०
कर लगने योग्य लाभ		२४,७४०

१	प्रतिभूतियो पर ब्याज (यह मानते हुए कि १,२०० रु० आयकर उद्गम स्थान पर ही काट लिया गया)	४,०००
२	व्यापार का लाभ	२४,७४०
	कुल आय	२८,७४०

स्वीकृत संस्था को दी हुई ५०० रु० दान की रकम कुल आय मे शामिल करनी पडेगी, लेकिन आय-कर और अतिरिक्त-कर की छूट (Rebate) कर की औसत दर से दी जायगी।

(२) नीचे एक लिमिटेड कम्पनी का ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त हुए वर्ष का हानि-लाभ खाता दिया जाता है—

	रु०		रु०
कॉटन खाता	५७,०८,९७५	सूत खाता	५४,०५,९७८
स्टोर्स खाता	९,१७,८२४	कपडा खाता	४८,१२,०५६
मजदूरी और वेतन	१९,१५,९९२	क्षय (waste) खाता	६०,७५४
सामान्य खर्चे	१४,५०४	ट्रासफर फीस	३,१०८
दान	५,०००	बगलो और चौलो (chawls) का किराया	२८,९५१
महसूल और बीमा	२०,१८८	सरकारी प्रतिभूतियो का ब्याज	१३,७००
दलाली	३,८६२	विविध प्राप्तियाँ	३,०००
कार्यालय व्यय	१,२०,३४७		
संचालको की फीस	४,५००		
अकेक्षण व्यय	२,५००		
अनुसधान सम्बन्धी व्यय	६०,०००		
ब्याज	१,०५,९२५		
बिल्डिग और मशीनरी की मरम्मत	६२,२७८		
कानूनी खर्चे	२,८६५		

मजदूरो के कल्याणार्थ व्यय	२७,५६२		
कर्मचारियो के प्रो० फण्ड (स्वीकृत) मे चन्दे	३७,५००		
मैनेजिंग एजेण्ट्स का कमीशन	१,००,८४५		
लाभ (ह्रास कटेगा)	१२,१६,८५०		
	१,०३,२७,५४७		१,०३,२७,५४७

निम्नलिखित सूचनाओ को ध्यान मे रखते हुए, उपर्युक्त कम्पनी के १९५८ के वर्ष के लिये कर लगने योग्य लाभ तथा इसकी कुल आय बताइए —

(अ) दलाली की रकम मे से २,७०० रु० काटन तथा स्टोस खरीदने मे दिये गये और शेष कम्पनी व्यापार के हेतु ऋण प्राप्त करने मे दिया गया।

(ब) महसूल के १,८०० रु०, बीमे के १,२५० रु० और बिल्डिग की मरम्मत के २,८७२ रु० के खर्चे कमचारियो को किराये पर दिये हुए बगलो और चौलो के सम्बन्ध में किये गये थे।

(स) ९५० रु० का कानूनी खर्चा अतिरिक्त भूमि की खरीद से सम्बन्धित कानूनी कार्यो के लिये किया गया था।

(द) अनुसन्धान व्यय का दो-तिहाई पूँजी व्यय है।

(य) ह्रास की छूट २,७५,८५० रु० निश्चित हुई है।

	रु०	रु०
लाभ—हानि-लाभ खाते से		१२,१६,८५०
जोडो—अस्वीकृत खर्चा		
दान	५,०००	
ऋणो की दलाली जो पूंजी व्यय है	१,१६२	
बिल्डिग का किराया और बीमा जो व्यापार के काम मे नही आती	३,०५०	
बिल्डिग की मरम्मत जो व्यापार के काम में नही आती	२,८७२	
कानूनी खर्चे, जो पूँजी व्यय है	९५०	
अनुसन्धान सम्बन्धी पूंजी खर्चा	४०,०००	५३,०३४
		१२,६९,८८४
कम करो—व्यापार के अन्तर्गत कर न लगने योग्य आय		
भवन का किराया	२८,९५१	
प्रतिभूतियो पर ब्याज	१३,७००	४२,६५१
		१२,२७,२३३
कम करो—ह्रास की छूट	२,७५,८५०	
अनुसन्धान सम्बन्धी पूँजीगत खर्चो का ५ वॉ हिस्सा	८,०००	२,८३,८५०
व्यापार से कर लगने योग्य लाभ		९,४३,३८३

किराये पर उठे बगले और चौल्स का किराया		२८,६५१
स्थानीय करो की कटौती जो वास्तविक रकम की आधी है		६००
जायदाद का वार्षिक मूल्य (annual value)		२८,०५१
कम करो—छठा हिस्सा मरम्मत के लिए	४,६७५	
बीमा	१,२५०	५,६२५
जायदाद से कर लगने योग्य आय		२२,१२६
१ जायदाद से आय		२२,१२६
२ प्रतिभूतियो का ब्याज (इसके लिये उद्गम स्थान पर ६,३०० रु० आय-कर काटा गया है)		२०,०००
३ व्यापार से लाभ		६,४३ ३८३
कुल आय		६,८५,५०६

यदि ५,००० रु० का दान किसी स्वीकृत सस्था को दिया गया है, तो आय-कर की औसत दर से आय-कर की छूट (rebate) मिल जायगी। किन्तु इसके सम्बन्ध मे कम्पनी अतिरिक्त कर की कोई छूट (rebate) पाने की हकदार नही है।

(३) अ महाशय चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट है। अपनी प्रैक्टिस के अलावा वे एक लेखाकर्म-शिक्षण विद्यालय (Accountancy Coaching Institute) भी चलाते है। वे अपना हिसाब-किताब रोकडी आधार (Cash Basis) पर रखते है। ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वष के लिये उनका सक्षिप्त रोकड खाता निम्न प्रकार है :—

	रु०		रु०
शेष नी/ला	६,५१४	कार्यालय व्यय	४,१५०
अकेक्षण की फीस	१४,७७५	इ स्टीट्यूट के खर्चे	६०२
अन्य एकाउन्टैसी कार्यो से प्राप्त आय	५,४५०	निजी खर्चे	३,६००
		सदस्यता और प्रमाण-पत्र शुल्क	५५
इ स्टीट्यूट की फीस	२,१००	जीवन बीमा प्रीमियम	१,२५०
परीक्षक की फीस	६४५	आय-कर	२,५००
विनियोगो की ब्याज	३,५००	मोटरकार की खरीद	३,४५०
जायदाद का किराया, जिस पर कोई स्थानीय कर नही लगता	४,८००	कार के खर्चे	४२०
		जायदाद का बीमा	३००
		शेष आ/ले	२४,१५७
	४०,७८४		४०,७८४

निम्नलिखित सूचनाओ पर विचार करते हुए १९५८-५९ के गत वर्ष के लिये उनकी कुल आय निकालिए —

(क) कार्यालय व्यय मे टैकनीकल पुस्तको और कार्यालय के लिए फरनीचर की खरीद के क्रमश १०८ रु० एव ६५ रु० शामिल है।

(ख) मोटरकार के खर्चे का एक तिहाई भाग उनकी प्रैक्टिस के सिलसिले मे है।

(ग) उनके सभी विनियोग (1nvestmentI) सरकारी प्रतिभूतियो मे हैं।

(ङ) मोटरकार, पुस्तको और फरनीचर के ह्रास की छूट १४२ रु० है ।
व्यवसाय से सकल आय (Gross earning) —

		रु०	रु०
अकेक्षण की फीस		१४,७५०	
एकाउन्टैसी के काम से आय		५,४७५	
इस्टीट्यूट की फीस से आय		२,१००	
परीक्षक की फीस		६४५	२२,९७०
घटाओ—स्वीकृत खर्च :—			
कार्यालय व्यय		३,९७७	
इस्टीट्यूट के खर्चे		९०२	
सदस्यता और प्रमाण-पत्र का शुल्क		५५	
मोटरकार खर्च (एक तिहाई)		१४०	
ह्रास की छूट		१४२	५,२१६
पेशे से कर लगने योग्य आय			१७,७५४
१ प्रतिभूतियो की ब्याज (ग्रौस)			५०००
२. जायदाद से आय —			
वार्षिक मूल्य		४,८००	
घटाओ—मरम्मत के लिए छठा भाग	८००		
बीमा	३००	१,१००	३,७००
३ व्यवसाय की आय			१७,७५४
		कुल आय	२६,४५४

उसे औसत दर पर जीवन बीमा प्रीमियम १२५० रु० पर आय-कर की छूट मिलेगी ।

(४) नीचे ३० जून १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिए एक चीनी मिल कम्पनी का हानि-लाभ खाता दिया गया है :—

	रु०		रु०
चीनी आदि का प्रारम्भिक स्कन्ध	१,८२,३००	बिक्री	२६,५०,५००
ईख पिलाई की लागत	१२,५७,७००	विविध प्राप्तियाँ	७,७००
निर्माण व्यय	७,९८,५००	चीनी आदि का अन्तिम स्कन्ध	३,६६,०००
मजदूरी और वेतन	२,००,०००		
मरम्मत और नवकरण	४०,०००		
स्थापना व्यय	४१,७००		
बिक्री पर कमीशन	६२,५००		
सचालको की फीस	२,६००		
सामान्य खर्चे	१७,८००		
अकेक्षण की फीस	२,६००		
मैनेजिंग एजेंट का पारिश्रमिक	७८,६००		

ह्रास	१,३०,७००		
करो के लिए आयोजन	१,००,०००		
शेष नी/ले	१,०६,२००		
	३०,२४,२००		३०,२४,२००
सामान्य कोष •	१५,०००	शेष नी/ला	१,०६,२००
शेष स्थिति-विवरण को स्थानान्तरित	६४,२००		
	१,०६,२००		१,०६,२००

निम्न सूचनाओ पर उचित विचार करते हुए १६५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) के लिये कम्पनी की कुल आय बताइए —

(i) ईख पिलाई के खर्चो मे कम्पनी के फार्म पर पैदा किए गन्ने की लागत १,५४,००० रु० शामिल है, गन्नो का औसत बाजार भाव १,६६,००० रु० है।

(ii) माल निर्माण कराने के खर्चो मे (अ) उत्पादन-कर (Excise duty) के ४,२६,००० रु०, (ब) एक नयी वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला पर पूँजी खर्च के ६७,००० रु० और वर्ष-पयन्त उसके पोषण-व्यय (Maintenance Expenses) के ११,००० रु० शामिल हैं।

(iii) स्थापना व्यय (Establishment Charges) मे ३,२०० रु० की वह रकम भी शामिल है, जो एक कर्मचारी को, जिसे नौकरी मे रखना उचित नही समझा गया, नौकरी से अलग किए जाने के हर्जाने स्वरूप दी गई थी।

(iv) १,००० रु० कीमत की चीनी एक अनाथालय को खैरात मे दी गई।

(v) जून १६५७ मे कारखाने की बिल्डिंग मे वृद्धि (additions) के लिए १५,००० रु० का जो निर्माण कार्य हुआ था, वह मरम्मत और नवकरण (repairs and renewals) के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।

(iv) स्वीकृत ह्रास सम्बन्धी छूट की रकम ६८,२०० रु० है।

	रु०	रु०
लाभ—हानि-लाभ खाते से		१,०६,२००
घटाओ—उसमे शामिल कृषि आय (१,६६,०००—१,५४,०००)		४२,०००
		६७,२००
जोडो—खैरात मे दी गई चीनी की कीमत, जो हानि-लाभ खाते मे नही दिखाई गई है।		१,०००
		६८,२००
जोडो—अस्वीकृत खर्चे •		
अनुसधानशाला के पूँजी खर्चे	६७,०००	
करो के लिए आयोजन	१,००,०००	
कारखाने की बिल्डिंग मे वृद्धि	१५,०००	
ह्रास का आधिक्य	३२,५००	२,१४,५००

		२,८२,७००
घटाओ—अनुसंधान पर पूंजी खर्चे का (पाँचवा हिस्सा)		१३,४००
	कुल आय	२,६६,३००

कर्मचारी को (जिसे नौकरी मे रखना उचित नही समझा गया) दिया हर्जाना—आगम व्यय (revenue expenditure) है, क्योकि कम्पनी की सेवा मे उसे नौकरी पर रखे रहना, कम्पनी के लाभ सहित संचालन दृष्टि से हानिप्रद होता।

यह मान लिया गया है कि ६८,२०० रु० मे फैक्टरी इमारतो की वृद्धि के सम्बन्ध मे मिलने वाली ह्रास की छूट भी शामिल है।

(५) एक कम्पनी के हानि लाभ खाते (३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये) मे से निम्न रकमे कम (debit) कर दी गयी हैं। १९५९-६० के कर निर्धारण के लिये कम्पनी की कर लगने योग्य आय मालूम करने के हेतु क्या निम्न मदे कटने योग्य है ? कारण सहित उत्तर दीजिये।

(अ) अपूर्ण मशीनरी (imperfect machinery) को दुरुस्त कराने मे हुआ खर्च, १०,००० रु०।

(ब) कम्पनी द्वारा व्यापार बाजार के दौरान में किसी ठेके को प्राप्त करने मे दिया गया कमीशन, १०,००० रु०।

(स) डूबे ऋण खाते मे लिखे गये २०,००० रु०। कम्पनी को यह नुकसान अपने ग्राहको को दिये गये ऋणो के सम्बन्ध मे सहना पडा था।

(द) अप-लिखित अंशो (shares written off) पर हुई हानि के ८०,००० रु० इस कम्पनी ने दिल्ली मे अपनी एजेन्सी (Buying Agency) लेने के लिये एक दूसरी कम्पनी खडी की थी और इसमे उसने एक-एक हजार रुपये के अस्सी अंश ले लिये थे। नई कम्पनी फेल हो जाने से अंशो के रूप मे ८०,००० रु० की रकम मारी गई और वह अप लिखित कर दी गई।

उत्तर—

(अ) खरीदी हुई अपूर्ण मशीनरी को ठीक कराने मे जो १०,००० रु० व्यय हुआ, वह पूँजी व्यय है और इसीलिये उसे घटाया नही जा सकता। जब कोई अपूर्ण स्थायी सम्पत्ति व्यापार के लिये खरीदी जाती है तो उसे काम योग्य (serviceable) बनाने में जो खर्चा करना पडे वह सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत (cost) का ही एक भाग होता है।

(ब) कम्पनी के व्यापार के सिलसिले मे किसी ठेके को प्राप्त करने के लिये कम्पनी को १०,००० रु० कमीशन देना पडा है, यह आगम व्यय है, और इसलिये, कटने योग्य (deductable) है। जब कभी किसी व्यापारी को व्यापार करते हुए किसी ठेके या आर्डर के पाने के लिये कमीशन देना पड़े, तो वह व्यापारिक खर्चे के रूप मे घटाया जा सकता है।

(स) अप-लिखित डूबा ऋण (Bad debts written off) उस दशा मे कटने योग्य है जब कि ऋण व्यापार से सम्बन्धित (incidental) हो। जहाँ कोई कम्पनी अपने ग्राहको को व्यापारिक नीतिज्ञता (Commercial expediency) के विचार से ऋण दे तो ऐसा ऋण कर-दाता के व्यापार से सम्बन्धित (incidental) नही कहा जा सकता। अत ऐसे ऋण के सम्बन्ध में डूबे ऋण के लिये कोई कटोती नही दी जायगी। इसी कारण कम्पनी द्वारा डूबा ऋण खाते डाली गई २०,००० रु० की रकम कटने योग्य नही है।

(द) कम्पनी द्वारा अपलिखित अशो पर हुई ८०,००० रु० की हानि पूँजी हानि है, इसलिये वह कटौती के रूप मे स्वीकृत नही की जा सकती। किसी सहायक (subsidiary) या सम्बद्ध (associated) कम्पनी के लिये हुये शेयर पूँजी सम्पत्ति (Capital Asset) के रूप मे होते है और ऐसे अशो पर हुई हानि भी पूँजी हानि होती है।

(५) अन्य साधनो से आय (Income from other sources)

धारा १२ आय के पाँचवे शीषक से, जो अधिनियम के अन्तर्गत्त कर लगने योग्य हैं, सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार कर-दाता को उस प्रत्येक प्रकार की आय पर कर देना पडता है, जो उसे ऐसे साधन से प्राप्त हो जो दूसरे चार पदो मे से किसी के अन्तर्गत नही आती। जिस आय का कोई साधन न हो, उसे आँधी के आम (windfall) के रूप मे ही समझना चाहिये, और इसीलिये वह कर लगने योग्य नही है। अन्य साधनो से प्राप्त होने वाली आय के अन्तगत निम्न आय सम्मिलित की जाती हे —

१—कम्पनियो से मिले लाभाश।

२—कोई ऐसी फीस या कमीशन जिसे किसी कर्मचारी ने अर्जित किया हो (किन्तु अपने स्वामी से अर्जित किया हुआ नही)।

३—किसी वसीयत के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक (Annuities)।

४—सभी प्रकार के ब्याज केवल प्रतिभूतियो से प्राप्त ब्याज का छोडते हुये।

५—उस जमीन की आय जो किसी बिल्डिग से न लगी हो (वह कृषि-आय नही होनी चाहिये), जैसे शहरो मे खाली पडी हुई जमीने जो माल जमा करने के लिये किराये पर उठा दी जाती है।

६—जमीन से प्राप्त किराया (ground rent)।

७—मकान-जायदाद (housing property) का कुछ भाग किराये पर उठा देने (sub-letting) से हुई आय।

८—बाजार लगवाने, घाट और मछली पकडने से हुई आय।

९—रॉयल्टी की आय, सचालको की फीस आदि।

१०—किसी विदेशी सरकार से प्राप्त हुआ वेतन या पेंशन।

११—निवासी पत्नी द्वारा परदेशी पति की विदेशी आय से प्राप्त रकम।

१२—कृषि आय जो भारत से बाहर की जमीन से प्राप्त हो।

कटौतियाँ (Deductions)

अन्य साधनो से कर लगने योग्य आय मालूम करने के लिए उन सभी खर्चों को घटा देना चाहिए जो इस आय को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गये हैं। किन्तु ये खर्चे पूँजी खर्च या निजी खर्च नही होने चाहिए। वे सभी खर्चे, जिन्हे किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे की आय या लाभ मालूम करने मे अस्वीकृत कर दिया गया है, अन्य साधनो की आय निकालने मे भी अस्वीकृत होते है

लाभाश के रूप में प्राप्त आय की दशा म, किसी बेकर या अन्य व्यक्ति को कर दाता की ओर से सग्रह करने के बदले दिये गये पुरष्कार या कमीशन के लिये कटौती स्वीकृत की जायगी।

धारा १८ (३ A) के अनुसार, जब किसी परदेशी (Non-residents) को ब्याज (प्रतिभूतियो के ब्याज के अलावा) अथवा कोई अन्य रकम, जो कर लगने योग्य है, दी जाती है, तो देने वाले व्यक्ति को भुगतान करते समय उस पर उच्चतम (maximum) दर से आयकर और अतिरिक्त कर काट लेना चाहिए, नही तो त्रुटि का दिशा मे इस कर के चुकाने की जिम्मेदारी उस पर ही होगी। यदि जिस व्यक्ति को भुगतान दिया जा रहा है, वह निवासी (resident) है, तो ऐसी रकमो मे से आय-कर काटने की आवश्यकता नही है।

लाभांश (Dividends)

एक कम्पनी को अपने सदस्यो से पृथक, वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है। जब वह कर अदा करती है, तो वह अदायगी वह अपनी ओर से और अपने लाभ के सम्बन्ध मे ही करती है। इसलिए जब इसका लाभ अशधारियो (Share-holders) को बाँटा जाता है, तब इन प्राप्त लाभाशो (dividends) पर उन अशधारियो को कर देना पडता है। किन्तु धारा ३९ B के अनुसार, कम्पनी द्वारा लाभाशो पर चुकाये गये आयकर की सीमा तक आयकर अशधारियो द्वारा ही चुकाया माना जाता है। यही सिद्धान्त धारा १६ (२) और धारा १८ (५) मे सन्निहित है, जिसके अनुसार कम्पनी को लाभाशो पर जो आय-कर देना है वह अशधारियो की ओर से दिया हुआ ही माना जायगा और उनको अपने-अपने कर-निर्धारण (individual assessments) मे इसके ऊपर छूट (credit) दी जाती है। धारा ४८ के अनुसार, यदि अशधारी के लाभाशो पर अधिक आय-कर ले लिया गया है, तो उसे ऐसा आधिक्य वापस प्राप्त करने का अधिकार है, किन्तु कम्पनी द्वारा अदा किये अतिरिक्त कर (super Tax) के सम्बन्ध में अशधारी को यह छूट (relief) नही मिलेगी। अशधारी को अपने लाभाशो पर अतिरिक्त-कर

दूसरी बार भी देना पडता है, क्योंकि कम्पनी द्वारा दिया गया अतिरिक्त कर तो समूह-कर (Corporation Tax) है।

अतिरिक्त-कर के उद्देश्य के लिए लाभाश (dividend) की परिभाषा का विशेष महत्व है, क्योकि जहाँ तक आय कर का सम्बन्ध है, अशधारियो मे वितरित करने से पूर्व कम्पनी द्वारा अपने लाभ पर अदा किया गया कर अशधारियो की ओर से दिया हुआ माना जाता है, और इस कर के लिए उन्हे (अशधारियो को) अपने-अपने कर-निर्धारण (Assessment) मे छूट (Credit) मिल जाती है। लेकिन अतिरिक्त कर के मामले मे ऐसा नही होता।

किसी कम्पनी द्वारा अपने अशधारियो को साधारण रूप में वर्ष के लाभ मे से वितरित किया गया धन ही वह लाभाश है जिन पर अशधारियो के हाथो कर लगता है। लेकिन धारा २ (६ A) के अन्तगत लाभाश मे निम्न विशेष (Specific) वितरण भी शामिल है —

(१) कम्पनी द्वारा अपने सचित लाभ (Accumulated Profits) का (जो चाहे पूँजीकृत (Capitalised) हो या न हो) वितरण, बशर्ते इस वितरण मे कम्पनी को अपने अशधारियो को कुछ सम्पत्ति (Assets) देनी पडती हो। सचित लाभ (Accumulated Profits) का वितरण, निम्न मे से किसी भी प्रकार किया जा सकता है :—

(अ) नकद या वस्तु रूप मे (in cash or in kind)। ऐसी किसी अवस्था मे वितरण स्पष्टत लाभाश है।

(ब) कम्पनी के अधिलाभाश अशो (Bonus shares) के रूप मे। जब अधि-लाभाश अश दिये जाते है, तो कम्पनी को इस वितरण पर अपनी सम्पत्ति (Asset) नही देनी पडती। इसलिए अधिलाभाश अश को लाभाश (Dividend) के अन्तगत शामिल नही किया जा सकता और वह अशधारी के हाथो पर लगने योग्य नही है।

(स) किसी दूसरी कम्पनी मे विनियोग के रूप मे धारण किये हुये अशो या ऋण-पत्रो (Debentures) मे इस प्रकार जो वितरण किया जायगा, वह हिस्सेदारो के हाथो मे लाभाश माना जायगा, क्योकि इस रूप मे कम्पनी की सम्पत्ति (Assets) का वितरण होता है।

(२) ऋण-पत्रो (Bonus Debentures) या निक्षेप प्रमाणपत्रो (Deposit Certificate) का किसी भी रूप मे ब्याज सहित या बिना ब्याज वितरण, लाभाश मे शामिल होगा यदि वे कम्पनी के सचित लाभो के आश्रित (Covered by) दिये गये है, भले ही वह सचित पूँजीकृत (Capitalised) हो या नही।

(३) एक समाप्ति होने वाली कम्पनी द्वारा अपने सचित लाभ मे से अश-

धारियों को किया गया वितरण भी लाभाश मे शामिल होता है। ऐसे लाभ निरनारक (Liquidator) द्वारा वितरित किए जाने पर कर लगने योग्य हो जाते है।

(४) सचित लाभ की सीमा तक, चाहे वह पूँजीकृत हो या नही, अपनी पूजी घटाने पर कम्पनी द्वारा किया गया वितरण। यह वितरण लाभाश के अन्तर्गत इस लिये शामिल किया गया है कि कर बचाने के हेतु पूँजी मे कमी करने के बहाने कहीं लाभ का वितरण न कर दिया जाय।

(५) एक कम्पनी द्वारा किसी शेयर होल्डर को ऋण या पेशगी के रूप मे कम्पनी के सचित लाभो की सीमा तक किया गया भुगतान भी, जिसमे जनता का बडा हित नही है, (जैसे एक प्राइवेट कम्पनी) लाभाँश मे शामिल है।

यदि कोई कम्पनी अपने पूँजी लाभ (Capital profits) से लाभाश देती है, तो भुगतान अशधारी के हाथ मे कर लगने योग्य होगा, चाहे इस रकम को लाभाश, बोनस या किसी अन्य नाम से पुकारें।

सकल लाभाश निकालना (Grossing up of Dividends)

धारा १६ (२) के अनुसार किसी अशधारी द्वारा प्राप्त हुआ लाभाश उसकी उस गत वर्ष की, आय मानी जाती है, जिसमे कि कम्पनी ने इसकी घोषणा की है। अतएव यदि लाभाश एक गत वर्ष मे घोषित किया जाय और वह अगले वष प्राप्त हो तो उसकी आय उस वर्ष में जब कि वह घोषित किया गया है, मानी जायगी। यह नियम, चाहे जो भी हिसाब की पद्धति अपनाई जाए, लागू होगा।

अशधारी की कुल आय निकालने के लिए वास्तव मे प्राप्त लाभाश मे (चाहे वह कर-मुक्त हो या कर घटा कर हो) उस लाभाश पर लगे आय कर को जोड कर ग्रॉस करना होगा।

अशधारी के हाथ मे सम्पूर्ण लाभाश कर लगने योग्य है, भले ही उसका कुछ भाग कम्पनी के कर मुक्त लाभ (जैसे कृषि आय, पूँजी लाभ आदि) से प्राप्त हुआ हो, क्योकि एक भिन्न प्रकृति के लाभ की, जैसे ही वह किसी सामान्य लाभ राशि में एक बार मिला दिया जाता है, विशेषता (Identity) जाती रहती है। जब लाभाश का कुछ भाग कम्पनी के कर-मुक्त लाभ मे से घोषित किया गया हो, तो अशधारी अधिक से अधिक यह माँग कर सकता है कि वस्तुत. प्राप्त लाभाश मे जो कर जोडा जावे वह अनुपातिक हो।

लाभाशो के ग्रॉस करने के नियम इस प्रकार हैं :—

(१) शुद्ध लाभाश अर्थात् अशधारी द्वारा वस्तुत प्राप्त लाभाश की रकम (कम्पनी द्वारा आय-कर काटने के बाद या बिना काटे) को, उसमें कम्पनी द्वारा भारत मे उतने लाभाश के सम्बन्ध मे चुकाया गया आय-कर जोडकर ग्रॉस किया जा सकता है।

(२) जो अंशधारी कम्पनी की पुस्तकों में रजिस्टर्ड न हो, उसके द्वारा प्राप्त लाभांश ग्रॉस नही किया जा सकता।

(३) एक विदेशी कम्पनी से, जोकि भारत के बाहर कर चुकाती है, प्राप्त हुए लाभाँश भी ग्रॉस नही किये जाते।

(४) एक ऐसी कम्पनी से जोकि भारत मे और भारत के बाहर कर चुकाती है, प्राप्त हुये लाभांश को, उसमे कम्पनी द्वारा केवल भारत मे चुकाया गया आय-कर ही जोडकर ग्रॉस करना चाहिये।

(५) लाभांश को आय कर की उस दर के आधार पर ग्रॉस करना चाहिये जोकि कम्पनी की कुल आय पर लागू होती है। ऐसी दर के सम्बन्ध में कम्पनी को दी गई छूट (Rebate) या कम्पनी से चार्ज किया गया अतिरिक्त कर (Super tax) शामिल नही किया जाता। आय-कर की जिस दर पर शुद्ध लाभाँश ग्रॉस किया जायगा वह उस वित्तीय वष की कर दर होगी जिसमे कि लाभांश घोषित किया गया है।

(६) जब कोई लाभांश ऐसे लाभो मे से, जिन पर कम्पनी के हाथो कर नही लगता (उदाहरण के लिये, उनमे से कृषि से आय या कर न लगने योग्य पूँजी लाभ अथवा ह्रास सम्बन्धी छूट परिशोधित (set off) कर लेने के कारण), दिया जाये, तो लाभांश से जो वृद्धि की जाये वह, कम्पनी के कर-योग्य लाभो का उसके कुल लाभो से जो अनुपात है उसके आधार पर ही होनी चाहिये। इस प्रकार, यदि कोई कम्पनी अपने लाभो पर, जिसमे से लाभांश घोषित किया गया है, कर नही देती है (क्योकि उसके लाभ ह्रास सम्बन्धी छूट परिशोधित (set off) करने मे ही निबट गये) तो अंशधारी द्वारा प्राप्त हुये, लाभाँश को ग्रॉस नही करना चाहिये।

(७) जहाँ एक कम्पनी अपने पूँजी लाभो मे से लाभांश वितरित करती है, वह राशि जो एक अंशधारी प्राप्त करता है उसमे, पूँजी लाभो पर लागू होने वाला, आयकर, जोडकर ग्रॉस करना चाहिए।

(८) जो कम्पनी भारत में कर देती है, उससे प्राप्त हुआ शुद्ध लाभांश अंश-धारी के हाथ मे निम्न प्रकार ग्रॉस किया जाएगा —

(अ) १९५८-५९ तथा १९५९-६० कर निर्धारण वर्षो के लिए कम्पनी को लागू होने वाली आयकर की दर (सरचार्ज सम्मिलित करते हुए) ३१ ५% है। जहाँ कि सम्पूर्ण लाभ कर योग्य हो तो शेष ६८ ५% आयकर चुकाने के बाद वितरण के लिए बचता है। इसलिए नेट लाभांश ६८ ५ रु० के लिए सकल लाभांश १०० रु० होगा। इस प्रकार यदि शुद्ध लाभाँश ६८५ रु० प्राप्त हो तो सकल लाभाँश १,००० रु० होगा।

(ब) जहाँ केवल कम्पनी के लाभ का एक भाग ही कर-योग्य है, शुद्ध लाभाश को ग्रॉस करने की निम्न पद्धति होगी —माना कि कम्पनी के लाभ का केवल ४०% ही कर-योग्य है। तब ४० पर आय-कर ३१ ५% से १२ ६ होगा। दूसरे शब्दो मे कम्पनी अपनी आय पर १२ ६% आय-कर चुकाती है। ८७ ४ नेट लाभाश के लिए सकल लाभाश १०० होगा।

उदाहरण

३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए गत् वर्ष में एक कर-दाता ने विभिन्न कम्पनियो द्वारा घोषित निम्न लाभाश प्राप्त किया —

(१) यूनाइटेड किंगडम मे रजिस्टर्ड हुई कम्पनी से, जिस पर भारत मे कर नही लगता, १,००० रु०।

(२) एक कम्पनी मे जिसके लाभ पर ह्रास सम्बन्धी छूट के कारण कर नही लगा है, १००० रु०।

(३) एक कम्पनी से जिसके अश कर-दाता के पास एक कोरे हस्तान्तर (Blank transfer) के अन्तर्गत है, १००० रु०।

(४) एक कम्पनी से जिसने अपने कर लगे पिछले लाभो से लाभाश घोषित किया है, १००० रु०।

(५) एक कम्पनी से जिसके ८०% लाभ पर कर लगता है, १५% कर-मुक्त है तथा ५% कृषि आय है।

(६) एक कम्पनी से जिसने कुछ लाभो पर तथा कुछ पूँजी लाभो पर लाभाश घोषित किया है, १००० रु०।

(७) एस कम्पनी से जिसने अपने ५०% लाभ पर आय-कर दिया है, १००० रु०।

कर-दाता की १९५९–६० कर निर्धारण वर्ष के लिये कुल आय तथा लाभाश के लिये उद्गम स्थान पर की गई कटौती मालूम कीजिये।

जहाँ तक लाभाशो के ग्रास करने का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है—

(१) यह ग्रॉस नही होगा, क्योकि कम्पनी पर भारत मे कर नही लगा।

(२) यह ग्रॉस नही किया जाएगा, क्योकि कम्पनी के लाभो पर ह्रास सम्बन्धी छूट के कारण कर नही लगा था।

(३) यह ग्रॉस नही किया जाएगा,क्योकि कर-दाता कम्पनी का रजिस्टर्ड अशधारी नही है।

(४) यह सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रशासकीय हिदायतो के अनुसार ग्रॉस नही किया जाएगा, क्योकि लाभाश पिछले वर्ष के कर लगे लाभो से घोषित किया गया था।

(५) लाभाश ग्रॉस करने पर १,३३६ ९ रु० होगा। उद्गम स्थान पर आय-कर ३३६ ९ रु० है।

(६) लाभांश ग्रॉस करने पर १४५६ ८ रु० होगा। उद्गम स्थान पर आय-कर ४५६ ८ रु० कटा है।

(७) लाभाँश ग्रॉस करने पर १,१८७ रु० होगा। उद्गम स्थान पर आय-कर १८७ रु० कटा है।

१९५९—६० कर निर्धारण वष के लिए कुल आय ७,९८३ रु० है तथा आय-कर जो उद्गम स्थान पर चुकाया ९८३ ७ रु० हुआ।

परदेशी को किये गये भुगतानो पर कर का काटना

यह एक अगले अध्याय "उद्गम स्थान पर कर-कटौती" मे समझाया गया है।

किताबो के लेखको की आय (Income of Authors of Book)

धारा १२ AA के अन्तगत, यदि वह माँगे (Claims), तो कर-निर्धारण के लिये पुस्तक के कापीराइट बिक्री पर प्राप्त एक मुश्त रकम कई वर्षो मे बाँटी जा सकती है। यदि उस काय मे वह १२ से अधिक व २४ माह से कम लगे हो तो लेखक की इच्छानुसार वह २ लगातार वर्षो मे बाँटी व कर योग्य की जा सकती है। और यदि उस कार्य पर २४ माह से अधिक लगे हो तो वह ३ लगातार वर्षो मे बाँटी व कर योग्य की जा सकती है।

यदि लेखक यह नही मागता, जो तमाम भुगतान, जिस वर्ष मे उसने यह रकम प्राप्त की है, उस वर्ष की आय मान कर उस पर निर्धारित होगा।

हिसाब की पद्धतियाँ (Systems of Accounting)

यदि धारा १० और १२ को पढा जाय तो यह स्पष्ट पता चलता है कि व्यापार और अन्य साधनो से कर लगने योग्य आय का हिसाब रखने के हेतु सभी कर-दाताओ के लिए किसी समान पद्धति की व्यवस्था नही की गई। इसीलिए प्रत्येक कर-दाता अपनी सुविधा के विचार से हिसाब की किसी पद्धति को व्यापार मे ला सकता है। धारा १३ के अन्तगत इस दिशा मे केवल निम्नलिखित प्रतिबन्ध है —

(अ) हिसाब की जो पद्धति व्यवहार मे लायी जावे वह ऐसी हो कि गत वर्ष के लिये करदाता की आय का बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाय।

(ब) हिसाब की पद्धति ऐसी हो कि उसे करदाता अपने व्यापार का हिसाब रखने के लिये नियमित रूप से व्यवहार मे लावे।

यदि कर-दाता हिसाब रखने के लिये नियमित रूप से एक ऐसी पद्धति को व्यवहार मे नही लाता, जो उसके गतवर्ष की आय को साफ-साफ प्रकट करे तो ऐसी दशा मे उसकी आय ऐसे किसी ढग से निकाली जायगी जो इन्कम टैक्स ऑफीसर की राय मे उसे स्पष्टत. प्रगट करदे। इसलिए करदाता का यह कत्तव्य है कि वह अपने हिसाब ऐसे ढग मे प्रस्तुत

करे जो उसकी सच्ची आय बताये और यदि वह ऐसा नही कर पाता, तो इनकम टैक्स ऑफीसर अपने सन्मुख सामग्री के आधार पर उस आय का यथासभव उचित अनुमान निकालेगा और करदाता को वह अनुमान मानना पडेगा।

जब कोई करदाता अपना हिसाब रखने की पद्धति बदलने का इच्छुक हो और इसके लिए प्रार्थना-पत्र दे, तो इनकम टैक्स ऑफीसर को, यदि वह इस परिवर्तन के लिए सहमत है, यह देखना चाहिए कि इस परिवर्तन के कारण कोई आय या लाभ कर लगने से छूट न जाय।

हमारे देश मे हिसाब की साधारणतया निम्न तीन पद्धतियाँ व्यवहार मे लाई जाती हैं :—

(१) रोकड पद्धति (Cash System)

इस पद्धति के अनुसार वास्तविक प्राप्तियो और वास्तविक भुगतानो का एक लेखा रखा जाता है, बहियो मे रकमे तभी चढायी जाती है जबकि कोई रकम सचमुच मे मिले या किसी को दी जावे। उन व्यापारिक फर्मो के लिए, जिनके यहाँ काफी उधार लेन-देन होता है, यह पद्धति बिल्कुल अपर्याप्त है। अत सामान्यत इस पद्धति के अनुसार व्यापारी अपना लाभ नही निकाला करता। फिर भी, यदि कोई छोटा व्यापारी रोकड पद्धति पर अपना हिसाब रखता है और इसके अनुसार अपना लाभ निकालना चाहता है, तो ऐसी स्थिति मे ऐसा करते समय बिना बिके माल के प्रारम्भिक और अन्तिम स्कन्ध को भी ध्यान मे रखना आवश्यक है।

डाक्टर, वकील, एकाउन्टैण्ट आदि व्यक्ति (जो कोई व्यवसाय करते हैं) अपना हिसाब रोकड-पद्धति के अनुसार सुविधा से चला सकते है, क्योकि उनके यहाँ लेन-देन नकद होते हैं, और स्कन्ध का प्रश्न ही नही है।

(२) महाजनी-पद्धति (Mercantile System)

इस पद्धति के अनुसार नकद और उधार दोनो प्रकार के सभी व्यवहारो का लेखा रखा जाता है और वर्ष का सकल लाभ या हानि वर्ष से सम्बन्धित सभी आयो और व्ययो को (चाहे आय की रकम वास्तव मे प्राप्त हुई है या नही, और चाहे व्यय की रकम वास्तव मे दी गयी है या नही) शामिल करते हुए निकाला जाता है अर्थात् इस पद्धति से निकाला गया लाभ वह लाभ है जो वास्तव मे अर्जित किया गया है, भले ही वह नकदी प्राप्त न किया गया हो तथा इस प्रकार निकाली गई हानि वह हानि है जो वास्तव मे उठानी पडी है, यह आवश्यक नही कि वह नकदी म ही चुकाई गई हो।

(३) मिश्रित-पद्धति (Mixed Points)

रोकड-पद्धति और व्यापारिक-पद्धति के अतिरिक्त हिसाब की कई मिश्रितपद्धतियाँ भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यवसायी व्यवहारो के एक वर्ग को रोकड-पद्धति

पर और दूसरे वर्ग के लिए महाजनी-पद्धति का उपयोग कर सकता है, इसी प्रकार माल की बिक्री और खरीद को वह महाजनी-पद्धति पर तथा आय और व्यय को रोकड-पद्धति पर लिख सकता है।

वैधानिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए (कम्पनियो को छोडकर) हिसाब रखना जरूरी नही है। इनकम टैक्स ऑफीसर के सन्मुख आने वाली कठिनाइयो मे एक प्रमुख कठिनाई आय-कर दाता की सही-सही आय निश्चित करना है। यदि कर-दाता नियमित रूप से और ठीक प्रकार से रखा हुआ (यदि सम्भव हो तो किसी शासन-प्राप्त लेखपाल से अकेक्षित कराया हुआ) हिसाब प्रस्तुत किया करे तो यह कठिनाई बहुत कुछ हल हो सकती है।

(६) पूँजी लाभ (Capital Gains)

फाइनेन्स (न० ३) एक्ट १६५६ पूँजी लाभ सम्बन्धी कर-योजना की, जोकि १ अप्रैल १९४६ से ३१ मार्च १९४८ तक विद्यमान थी, पुन जीवन प्रदान करता है। धारा १२ बी के अनुसार, करदाता को 'पूजी-लाभ' के शीर्षक के अन्तगत उस लाभ के सम्बन्ध मे कर देना पडेगा, जो कि ३१ मार्च १९५६ के पश्चात् किये गये किसी पूँजी सम्पत्ति के विक्रय, विनिमय का हस्तातर से उदत हो और ऐसा लाभ उस 'गत वष' की आय माना जायगा जिसमे कि विक्रय, विनिमय या हस्तातर हुआ था।

'पूँजी-सम्पत्ति" (Capital assets) का आशय करदाता द्वारा रखी हुई (held) किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है चाहें वह व्यापार से सम्बन्धित हो या नही किन्तु इसमे निम्न शामिल नही है —

(अ) व्यापारिक स्कन्ध, उपभोग्य स्टोस या कच्चा माल जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए हो।

(आ) वैयक्तिक सम्पत्तियाँ (जैसे जेवर, फर्नीचर आदि) और

(इ) भूमि, जिसकी आय 'कृषि-आय' हो।

एक साझेदार का किसी साझेदारी सस्था मे हिस्सा 'सम्पत्ति' है और इसलिये वह पूँजी सम्पत्ति है। यदि करदाता ने कोई भूमि, जो किसी समय कृषि भूमि थी, इमारत बनाने के आशय से खरीदी और उस इमारत सहित भूमि को लाभ पर बेच दिया तो इस प्रकार अर्जित लाभ एक पूँजीगत लाभ है क्योकि कर-दाता ने भूमि को कृषि के लिये नही खरीदा था, अत. भूमि को पूँजीगत सम्पत्तियो की परिभाषा मे शामिल रखा जायेगा।

छूटे —निम्न पूँजी-लाभ स्पष्ट रूप से (Expressly) कर-मुक्त (Exempt) घोषित कर दिये गये हैं :—

(१) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आशिक विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियो के वितरण से उदय होने वाला लाभ,

(२) वसीयत अथवा दान (Will, gift or bequest) द्वारा सम्पत्तियो के हस्तातर से उदय होने वाला लाभ ,

(३) किसी पितृ-कम्पनी (Parent Company) द्वारा अपनी पूँजी सम्पत्तियाँ किसी पूर्णत भारतीय स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को हस्तातर करने से उदय हुआ लाभ ।

(४) कर-दाता या उसके माता पिता द्वारा दो वर्ष से रहने वाले मकान को बेचने से उदय हुआ लाभ, यदि पूँजीगत लाभ की यह रकम पूर्णत लाभ उदय होने के पहले या बाद मे १ वर्ष के अन्दर किसी नये रहायसी मकान की खरीद मे विनियोग कर दिया जाये । हाँ, यदि पूँजी-लाभ नई जायदाद की लागत से - अधिक बैठे, तो, आधिक्य पर कर लगेगा ।

मकान जायदाद के सम्बन्ध मे एक और छूट भी है । यदि सब मकानो का, जिनका कि कर-दाता स्वामी है, उचित बाजार मूल्य (Fair market value) ५०,०००) से अधिक नही है, और यदि वह अपनी किसी एक जायदाद को ऐसे मूल्य में, जो कि २५,०००) से अधिक न हो, बेच देता है, तो ऐसे विक्रय से होने वाले पूँजी-लाभ पर कोई कर नही लगेगा ।

कटौतियाँ (**Deductions**) .—विक्रय, विनिमय या हस्तातर के प्रतिफल के पूरे मूल्य मे से निम्न कटौतियाँ करने के बाद ही पूँजी-लाभ की रकम निकाली जायेगी —

(१) केवल ऐसे विक्रय, विनिमय या हस्तॉतर के सम्बन्ध मे किये गये खर्चे ,

(२) कर-दाता के लिये पूँजी सम्पत्ति की वास्तविक लागत, जिसमें किसी विस्तार या सुधार की लागत शामिल है लेकिन ऐसा व्यय शामिल नही है जोकि धारा ४, ६, १० और १२ के अन्तर्गत स्वीकार योग्य (admissible) है । हाँ, इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित नियम हैं —

(अ) यदि कर-दाता से पूँजी सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है और इन्कम टैक्स आफीसर के पास इस विश्वास का पर्याप्त कारण है कि उक्त विनिमय, विक्रय या हस्तातर कर बचाने के इरादे से किया गया था, तो उन पूँजी सम्पत्तियो या ऐसे विक्रय, विनिमय या हस्तातर की तिथि पर जो उचित बाजार मूल्य था वही उक्त विक्रय विनिमय या हस्तातर का सम्पूर्ण प्रतिफल (Full consideration) मान लिया जायेगा ।

(आ) यदि पूँजी सम्पत्ति वह है जिसके लिये कर दाता किसी वर्ष ह्रास सम्बन्धी छूट प्राप्त कर चुका है, तो कर-दाता के लिये सम्पत्ति की वास्तविक लागत उसका वह अपलिखित मूल्य (Written down value) होगी, जो कि धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत आवश्यक समायोजन करने के बाद निकले ।

(इ) कर-दाता को यह चुनने का अधिकार है कि वह पूँजी सम्पत्ति की वास्तविक लागत की बजाय १ जनवरी १९५४ के दिन उसका जो उचित बाजार मूल्य हो उसे स्वीकार कर ले। इसका यह अर्थ है कि १ जनवरी १९५४ तक जो पूँजी वृद्धि पूंजी सम्पत्ति के मूल्य मे हो गई है, उस पर कर नही लगाया जायेगा।

(ई) यदि कर-दाता को किसी पूँजी सम्पत्ति का स्वामित्व उत्तराधिकार, सयुक्त हिन्दू परिवार के विघटन, फर्म के भग होने या कम्पनी के समापन पर प्राप्त हुआ है, तो उसकी वास्तविक लागत वह होगी जो कि पूर्व स्वामी के लिये वास्तविक लागत (ह्रास सम्बन्धी छूट घटा कर) है, और जब पूव स्वामी की वास्तविक लागत का पता न लग पाये, तो जिस दिन पूँजीगत सम्पत्ति पूर्व स्वामी की सम्पत्ति बनी थी उस दिन जो उचित बाजार मूल्य था वही इसकी वास्तविक लागत मान ली जावेगी।

हाँ, उक्त के सम्बन्ध मे निम्न बाते स्मरणीय है—जब पूँजी सम्पत्ति किसी वसीयत सम्बन्धी इकरार(deed of gift) के अन्तर्गत या किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के विघटन पर, १ अप्रैल १९५६ के पहले कर-दाता की सम्पत्ति हो गई थी, तो ऐसी वसीयत या विघटन की तिथि पर जो उचित बाजार मूल्य है वही उसे स्वीकार की जाने वाली लागत होगी बशर्ते ऐसा मूल्य पूर्व स्वामी की वास्तविक लागत से या इसके १ जनवरी १९५४ को उचित बाजार मूल्य से अधिक हो, और १ अप्रैल १९५६ को या बाद मे, हिन्दू अविभक्त परिवार के विघटन पर, विघटन की तिथि को जो उचित बाजार मूल्य है वही उसे स्वीकार योग्य लागत होगी।

(उ) यदि पूंजी सम्पत्ति के लिये पहले कभी विक्रय हस्तातर या परित्याग के लिये कोई वार्ता हुई थी और कर-दाता ने कोई द्रव्य या अन्य अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो वास्तविक लागत निकालते समय ऐसी रकम को घटा दिया जायगा।

उदाहरण

(१) ऐक्स एक निर्माण व्यापार मे है। उसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। १ नवम्बर १९५८ को उसने कुछ मशीन, जिसकी लागत ४०,००० रु० थी और जिस पर १५,००० रु० ह्रास के मिल चुके थे, ६०,००० रु० मे बेच दी।

इस दशा मे ३५,००० रु० का बिक्री पर लाभ है। इसलिये १९५९–६० कर निर्धारण वर्ष मे ३५,००० रु० मे से १५,००० रु० धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत आय के रूप मे कर योग्य होगे तथा २०,००० पूँजी लाभ के रूप मे होंगे। पूँजी लाभ २०,००० रु० मालूम करने के लिए २५,००० रु० के अपलिखित मूल्य को धारा १०(२) (vii) के अन्तर्गत १५,००० रु० से समायोजित करके कर-दाता के लिए वास्तविक लागत आई।

(२) ऐक्स एक निर्माणी अपने हिसाब ३१ दिसम्बर को बनाता है। ३१ दिसम्बर १९५८ को उसने व्यापार बन्द कर दिया। मार्च १९५९ मे उसने कुछ मशीनरी, जिसकी लागत ४०,००० रु० थी और जिस पर १५,००० रु० घिसाई के मिल चुके थे, ६०,००० रु० मे बेच दी।

इस परिस्थिति मे इस सम्पत्ति के विक्रय पर ३५,००० रु० का लाभ रहा। लेकिन यह बिक्री व्यापार बन्द होने के बाद हुई है अत धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत किसी लाभ पर कर नही लग सकता। इसलिये सम्पूर्ण ३५,००० रु० १९६०–६१ कर निर्धारण वर्ष मे पूँजी लाभ के रूप मे कर योग्य होंगे।

(३) ऐक्स एक निर्माता रहा है जो अपना हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर मे बन्द करता है। १ नवम्बर १९५८ को उसने कुछ मशीन जिसकी लागत ४०,००० रु० थी और जिस पर १५,००० रु० ह्रास के कट चुके थे, २०,००० रु० मे बेची।

इस परिस्थिति मे इस सम्पत्ति की बिक्री पर ५,००० रु० की हानि रही जो सम्पूर्ण ही १९५९–६० कर निर्धारण वर्ष मे अपशोधित ह्रास के रूप मे मिल जायगा। २५,००० रु० का अपलिखित मूल्य इस शेष ह्रास से घट कर पूँजी लाभ मालूम करने के लिए २०,००० रु० हो गया है। इसलिए पूँजी लाभ बिलकुल नही है।

पूँजी लाभो पर कर की गणना

पूँजी-लाभो पर कर आय-कर का एक भाग है। अत वह अन्य आय पर कर के साथ ही लगाया और वसूल किया जायगा। यह कर वस्तुत: प्राप्त (actually received) पूँजी लाभ पर लगाया जाता है न कि अर्जित (earned) पूँजी लाभ पर दूसरे शब्दो मे, यदि किसी ने १९३२ मे २०,००० रु० मूल्य की जायदाद खरीदी और इसका मूल्य आज ३५,००० रु० है, तो इन दोनो मूल्यो के अन्तर, अर्थात् १५,००० रु० पर कोई कर नही लगेगा जब तक कि सम्पत्ति वास्तव मे बेची, विनिमय या हस्तातरित न की जाये। पूँजी लाभ पर कर की गणना करने का ढग धारा १७ (६) और १७ (७) मे दिया गया है और इस प्रकार है —

कम्पनियाँ —एक कम्पनी को उस कम्पनी पर लागू दर से पूँजी-लाभ पर आय-कर देना होगा लेकिन कम्पनी को पूँजी-लाभ पर कोई सुपर-टैक्स नही देना होगा। सुपर-टैक्स केवल अन्य आय पर देना होगा।

अन्य कर-दाता (Other assessees)—गैर कम्पनी कर-दाताओ की दशा मे भी, पूँजी लाभो पर कोई सुपर टैक्स नही देना पडेगा, हाँ, पूँजी लाभों एव अन्य आय पर दिये जाने वाले आय-कर की सगणना इस प्रकार की जावेगी :—

(अ) पूँजी लाभो पर दिये जाने वाले आय-कर की दर कर-दाता की अन्य आय से सम्बन्धित है। एक-तिहाई पूँजी लाभ अन्य आय मे जोड दिये जाते हैं और इस प्रकार जो योग आता है उस पर लागू होने वाली दर ही वह दर है जो सम्पूर्ण पूँजी पर लाभ

चार्ज की जावेगी। लेकिन किसी भी दशा मे, पूँजी लाभ पर आय कर उस रकम के आधे से अधिक नही होगा, जो कि पूँजी लाभ के ५,००० रु० पर आधिक्य के बराबर है (shall not exceed one half of the amount by which the capital gains exceed Rs 5,000)। यह सीमावर्ती छूट है। यही नही, पूँजी लाभो पर कोई आय-कर नही लगता, यदि (अ) पूँजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नही हो या (आ) कुल आय (पूँजी लाभ शामिल करते हुये) १०,००० रु० से अधिक नही हो।

पूँजी लाभ की पूर्ति और अग्रनयन —किसी वष की पूँजी हानियो को जिन्हे उसी वष के पूँजी लाभ मे से अप-लिखित (write off) किया जा सके, आठ वर्षों तक भावी पूँजी लाभ से अप-लिखित करन के लिये आगे ले जा सकते हैं। ऐसे अग्रनयन (Carry forward) की अनुमति के लिये यह आवश्यक है कि किसी गत वर्ष मे उठाई गई पूँजी हानि गैर कम्पनी कर-दाताओ की दशा मे ५,००० रु० से अधिक हो।

उदाहरण

एक व्यक्ति श्री X की आय का, ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वष के लिये विवरण इस प्रकार है —

(अ) वेतन २०,००० रु०
(आ) ऋणो पर ब्याज १०,००० रु०
(इ) अशो की बिक्री पर पूँजी लाभ १५,००० रु०
(ई) एक मकान की बिक्री पर पूँजी लाभ ८,००० रु०

जिस मकान की बिक्री से ८,००० रु० का पूँजी लाभ हुआ है वह २४,००० रु० मे बेचा गया था और X के पास २५,००० रु० मूल्य का एक और भी घर है। यह दिखाइये कि उनका कर दायित्व १९५९–६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कैसे निश्चित होगा ?

मकान के विक्रय से उदय हुआ ८,००० रु० का पूँजी लाभ कर से मुक्त है, क्योकि X की कुल मकान जायदाद का मूल्य ५०,००० रु० से अधिक नही है और मकान भी २५,००० रु० से कम मे बिका है। अशो की बिक्री पर १५,००० रु० का पूँजी लाभ कर लगने योग्य है।

१९५९–६० के कर निर्धारण वष के लिये कुल आय ४५,००० रु० है, जिसमे १५,००० रु० पूँजी लाभ है और ३०,००० रु०, अन्य आय है। उसके द्वारा दिया जाने वाला कर इस प्रकार निकलेगा :—

१५,००० रु० के पूँजी लाभ पर आय कर उस दर से दिया जायेगा, जो कि ३५,००० रु० (अर्थात् ३०,००० रु०+५,००० रु० जो कि पूँजी लाभ का एक तिहाई है) पर लागू होती है। लेकिन अन्य आय पर आय-कर और सुपर टैक्स ३०,००० रु० (अर्थात् कुल आय—पूँजी लाभ) पर लागू होने वाली दरो से दिया जायेगा।

अध्याय ७

ह्रास
(Depreciation)

आय कर अधिनियम मे 'ह्रास' शब्द की परिभाषा नही की गई है। यह लेखा-कर्म (Accountancy) का शब्द है। इसका अर्थ है किसी सम्पत्ति के मूल्य मे मुख्यत. प्रयोग और टूट-फूट (wear and tear) के कारण कमी हो जाना। किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे का कर लगने योग्य लाभ निकालने के लिये समस्त आगम व्यय (Revenue Expenses) सकल प्राप्तियो (Gross Receipts) मे से घटा दिये जाते है, किन्तु पूँजी व्ययो को बिल्कुल अलग रखा (excluded) जाता है। इसलिये स्थायी सम्पत्तियो (Fixed Assets) के सम्बन्ध मे, जो कि पूँजी व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, ह्रास की छूट दी जाती है।

ह्रास की छूट केवल इमारतो, मशीनरी, सयन्त्र या फर्नीचर के सम्बन्ध मे, जो कर-दाता की सम्पत्ति है और उसके व्यापार, व्यवसाय या पेशे के काम मे आती है, दी जाती है। यदि कोई सम्पत्ति, जैसे मोटरकार, कुछ अशो मे मालिक के व्यापार के काम मे और कुछ अशो मे उसके निजी प्रयोग मे आती हो, तो इस सम्पत्ति के लिए ह्रास की छूट भी आशिक अनुपातिक ही दी जायगी। इसी प्रकार, यदि कोई सम्पत्ति हिसाबी वर्ष (Accountancy year) में प्राप्त की गई है, तो जितने पूरे महीने उसे काम मे लाते हुए बीते हैं उनके अनुपात से ह्रास की छूट दी जायगी।

प्रारम्भक ह्रास (Initial Depreciation) पर समय के हिसाब से आशिक प्रयोग (Partial use) का कोई प्रभाव नही पडता। यह ह्रास को पूरा-पूरा पूरे साल के लिये दिया जाता है चाहे सम्पत्ति (asset) साल के बीच ही मे प्राप्त की गई हो।

जिस साल म ऐसी सम्पत्ति बेची, हटाई या समाप्त की जाय उस गत वर्ष के लिए भवन, प्लान्ट, मशीन या फर्नीचर पर ह्रास की छूट नही मिलती, क्योकि ऐसी परिस्थिति मे धारा १० [२) (VII) के अन्तगत छूट मिल जाती है।

'प्लान्ट' शब्द के अन्तर्गत गाडियाँ (vehicle), पुस्तके, वैज्ञानिक यन्त्र और शल्यक्रिया-सम्बन्धी सामग्री (Surgical Equipment) शामिल है।

जो पूँजी सम्पत्ति व्यापार के काम मे आती है उसके लिये ह्रास की छूट प्राप्त करने का अधिकार मालिक को ही है। किराया खरीद (Hire Purchase) के आधार पर ली हुई सम्पत्ति की दशा मे, खरीदने वाला सम्पत्ति की सुपुर्दगी लेते ही उसका मालिक नही बन जाता, किन्तु सम्पत्ति के नकद मूल्य (Cash value of the assets) के आधार पर उसे विशेष रियायत के रूप मे (as special case) ह्रास की छूट दी जाती है।

कर-दाता को ह्रास सम्बन्धी छूट प्राप्त करने के लिए निम्न दो शर्तों को पूरा करना चाहिए :—

(१) इन्कम टैक्स आफीसर के सन्मुख ह्रास के बारे मे माँगा गया विवरण (आय-कर सम्बन्धी रिटर्न के फार्म के अनुसार) उपस्थित करना चाहिये।

(२) ह्रास सम्बन्धी छूट की कुल रकम (Aggregate amount) सम्पत्ति की वास्तविक लागत से (actual cost of an asset) अधिक नही बढनी चाहिए।

पुस्तको और फर्नीचर के लिये यदि कर-दाता चाहे तो वह ह्रास के बजाय प्रतिस्थापन व्यय (cost of replacement) की माँग कर सकता है किन्तु ऐसी प्रतिस्थापन सम्बन्धी लागत मे किन्ही सुधारो (improvements) की लागत शामिल नही होनी चाहिये।

विकास सम्बन्धी छूट
(Development Rebate)

इस छूट के स्वीकृत करने का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढावा देना है।

धारा १० (२) (vib) के अनुसार एक कर-दाता को ३१ माच १९५४ के बाद प्राप्त किए हुए जहाज (Ships) अथवा नई मशीन तथा प्लान्ट प्रतिस्थापित करने के लिये जो कि पूर्ण रूप से व्यापार के काम मे लाई गई है (लेकिन व्यवसाय या पेशा में नही) निम्न दरो से विकास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकार है —

(अ) जहाज जो ३१ दिसम्बर १९५७ के बाद प्राप्त किये—लागत का ४०%,

(ब) जहाज जो १ जनवरी १९५८ से पहले प्राप्त किये तथा मशीन एव प्लान्ट की दशा मे—लागत का २५%।

विकास सम्बन्धी छूट केवल नई मशीन और प्लान्ट के लिए ही जो कि पूर्णतः व्यापार के लिये प्रयोग मे आती है मिलती है। अत नई मोटरकार, मोटर साइकिल, साइकिल, टायपराइटर, हिसाब लगाने की मशीने आदि के लिए विकास सम्बन्धी छूट नही माँगी जा सकती क्योकि ऐसी सम्पत्तियाँ अन्य कार्यो मे भी प्रयोग हो सकती है।

विकास सम्बन्धी छूट ह्रास-छूट का भाग नही है और यह कुल लागत के ह्रास-छूट के रूप मे पूरा (Full recoupment) हो जाने के अतिरिक्त मिलती है।

विकास सम्बन्धी छूट निम्न शर्तें पूरी होने पर ही मिलती है —

(१) कर-दाता द्वारा जहाज या मशीन तथा प्लान्ट के सम्बन्ध मे ह्रास सम्बन्धी छूट के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(२) गत वर्ष के खातो मे प्राप्त होने वाली छूट का ७५% लाभ-हानि खाते के नाम तथा रिजर्व खाता मे जमा दिखा दिया गया हो। यह शर्त, उन कर-दाताओ पर जो बिजली सप्लाई कम्पनियाँ है, तथा उन सम्पत्तियो पर जो १ जनवरी १९५८ से पहले खरीदी या प्रतिस्थापित की गई है, लागू नही होगी।

कर-दाता अपने व्यापार के लिए इस सचय को अगले १० वर्षों मे काम मे ला सकता है, लेकिन उस समय मे भी (अ) लाभाश बाँटने के लिए, अथवा (ब) भारत से बाहर भेजने के लिए या भारत से बाहर कोई सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए यह सचय काम मे नही लाया जा सकता।

(३) जिस वर्ष मे यह प्राप्त की गई है उससे आगे दस वर्षो मे यह किसी व्यक्ति सरकार को छोडकर, को हस्तातरित नही की जा सकती।

नोट—किसी भी उपर्युक्त दशाओ के टूट जाने से विकास सम्बन्धी छूट नही मिलेगी तथा जिस वर्ष मे यह छूट मिल चुकी है उसका कर-निर्धारण तबदील (Revision) कर दिया जाएगा। ऐसा रिवीजन धारा ३५ के अन्तर्गत किया जायगा।

विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाना—यदि किसी कर-दाता की कुल आय किसी गत वर्ष के लिए, विकास सम्बन्धी छूट घटाने से पूर्व, विकास सम्बन्धी छूट से कम पडती है तो विकास सम्बन्धी छूट उस वर्ष मे कुल आय तक सीमित होगी। छूट का शेष अगले ८ वर्षों तक आगे ले जाकर माँगा (claim) जा सकता है।

ह्रास सम्बन्धी विभिन्न छूटे
(Various Depreciation Allowances)

(१) साधारण ह्रास (**Normal Depreciation**)—इमारत, मशीनरी, सयत्र और फर्नीचर के सम्बन्ध म सम्पत्तियो के अपलिखित मूल्य (written down value) पर स्वीकृत दरो के अनुसार ह्रास की छूट दी जाती है। समुद्री जहाजो के लिए ह्रास की छूट उनके अप-लिखित मूल्य (written down value) पर देने के बजाय उनकी प्रारम्भिक लागत (original cost) पर दी जाती है। 'अप-लिखित मूल्य' शब्द की तथा ह्रास की कुछ प्रमुख स्वीकृत दरो की व्याख्या आगे चल कर की जायगी।

(२) अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट (**Extra Shift Allowances**)—मशीनरी और सयन्त्रो के लिये, उनको दुहरी और तिहरी पालियो में काम में लाने पर, अतिरिक्त पाली की छूट दी जाती है। अतिरिक्त पाली की यह छूट दुहरी पालियो के सम्बन्ध में साधारण ह्रास (Normal Depreciation) की ५० प्रतिशत होगी और

तिहरी पालियो के सम्बन्ध मे वह साधारण ह्रास की १०० प्रतिशत (बजाय ५०% के) तक हो सकती है।

दुहरी और तिहरी पाली मे काम करने के लिए ह्रास की छूट का हिसाब अलहदा निकालना होगा, और वह उन दिनो की सख्या के अनुपात मे होगी जितने दिन दो पालियाँ और जितने दिन तीन पालियाँ चली थी। इस उद्देश्य के लिए साल भर मे काम के दिन ३०० माने गये हैं। इस प्रकार, यदि कोई कारखाना १०० दिन दो पालियो मे और अन्य १०० दिन तीन पालियो मे चला है, तो दुहरी पाली का ह्रास पूरी साल के लिए साधारण ह्रास के ५० प्रतिशत का तिहाई होगा और तीसरी पाली का ह्रास पूरे वर्ष ने लिए साधारण ह्रास के १०० प्रतिशत का एक तिहाई होगा।

(३) अतिरिक्त ह्रास (**Additional Depreciation**)—धारा १० (२) (vi-a) के अन्तर्गत ३१ मार्च १९४८ के बाद प्राप्त की गई नई इमारतो और नई मशीनरी एव प्लान्ट के सम्बन्ध मे उस वर्ष के बाद जिसमे सम्पत्तियाँ प्रयोग मे लाई जाती है, आगामी ५ कर-निर्धारण वर्षों तक (सन् १९४९–५० से सन् १९५८–५९ तक), साधारण ह्रास के बराबर (जिसमे अतिरिक्त पाली का ह्रास शामिल न होगा) ह्रास की अतिरिक्त छूट (Further Allowance) दी जायगी।

'अप-लिखित मूल्य' निकालने के लिये अतिरिक्त ह्रास घटाया जाएगा।

१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए अतिरिक्त-ह्रास नही मिलेगा।

(४) प्रारम्भिक ह्रास (**Initial Depreciation**)—नई इमारत और नई मशीनरी व प्लाट पर उस वष के लिए, जिस वर्ष मे वे प्राप्त (Acquired) की गयी हैं, निम्नलिखित प्रारम्भिक ह्रास स्वीकार किया जाता है।

(अ) १ अप्रैल १९४६ और ३१ माच १९५६ के बीच के समय मे बनवाई गयी इमारतो पर लागत का १५ प्रतिशत।

(ब) १ अप्रैल १९४५ और ३१ मार्च १९४६ के बीच के समय मे बनवाई हुई मारतो के सम्बन्ध में लागत का १० प्रतिशत।

(स) ३१ मार्च १९५४ के बाद लगाई गई मशीनरी और प्लान्ट, जिन पर विकास की छूट (Development Rebate) नही मिलती, लागत का २० प्रतिशत प्रारम्भिक ह्रास के रूप मे पाने के अधिकारी हैं।

यह प्रारम्भिक ह्रास साधारण ह्रास की छूट (Normal depreciation Allowance) के अतिरिक्त होता है। भले ही सम्पत्ति (Asset) गतवर्ष में ही प्राप्त की गयी हो प्रारम्भिक ह्रास की पूरी छूट स्वीकार की जायगी।

तत्पश्चात् साधारण ह्रास (Subsequent normal depreciation)

निकालने के उद्देश्य से अपलिखित मूल्य मालूम करने के लिए प्रारम्भिक ह्रास घटाया नही जायगा, लेकिन किसी सम्पत्ति को अलग कर देने या बेच देने पर हानि-लाभ निकालते समय अपलिखित मूल्य निश्चित करने के लिए इस पर (प्रारम्भिक ह्रास पर) अवश्य विचार करना पडेगा ।

प्रारम्भिक ह्रास की छूट नई इमारतो, प्लान्ट एव मशीनो के सम्बन्ध मे, जो कि ३१ मार्च १९५६ के बाद प्रयोग में लाई जावे देनी बन्द कर दी गई है ।

अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

यदि किसी वर्ष व्यापार मे लाभ न होने या कम लाभ होने के कारण ह्रास की पूरी या उसके कुछ भाग की छूट न मिल सके, तो ह्रास की छूट का ऐसा भाग, जो प्राप्त नही किया जा सका है, अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation) कहलाता है । लेकिन अन्य किसी कारण (जैसे इन्कम टैक्स ऑफीसर के सम्मुख आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करने से) प्राप्त न की जा सकी ह्रास सम्बन्धी छूट की रकम को अशोधित ह्रास के अन्तर्गत शामिल नही किया जायगा ।

यदि किसी कर-दाता के पास व्यापार के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन (जैसे वेतन, जायदाद से आय आदि) भी है, तो अशोधित ह्रास की पूर्ति (set off) इन साधनो से हुई आय से की जा सकती है और जो रकम इस प्रकार पूर्ति होने से बचे (the amount not so set off) उसे ही अशोधित ह्रास के रूप मे आगामी वर्ष को ले जाया (Carried forward) जा सकता है ।

अशोधित ह्रास आगामी वर्षों के हिसाब मे अनिश्चित समय (indefinitely) तक आगे ले जाया जा सकता है और आने वाले कर-निर्धारण वर्षों मे (in subsequent assessment years) उसकी माँग की जा सकती है । लेकिन शर्त यह है कि यदि कोई व्यापारिक नुकसान भी आगामी वर्षों के हिसाब मे आगे लाया गया हो, तो अशोधित ह्रास की पूर्ति से पहले व्यापारिक हानि की ही पूर्ति (set off) की जायगी । किसी विशेष वर्ष का अशोधित ह्रास आगामी वर्ष की ह्रास सम्बन्धी छूट की रकम मे जोडा जा सकता है और उस छूट का ही भाग माना जायेगा या, यदि उस वर्ष के लिये ह्रास सम्बन्धी कोई छूट न हो तो, उस अशोधित ह्रास की रकम उस वर्ष की छूट ही मानी जायेगी । यही प्रत्येक आगामी वर्ष मे होता रहेगा ।

जब कोई व्यापार किसी वर्ष बन्द कर दिया जावे तो उसका अशोधित ह्रास आगे न ले जाया जा सकेगा और अन्य किसी हानि की भाँति ही उस अशोधित ह्रास को भी पूँजी हानि माना जायगा ।

जब किसी रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार के कर-निर्धारण मे अशोधित ह्रास पूर्ण रूप से स्वीकृत कर दिया गया है, तो फर्म के मामले मे उसे आगे न ले जाया जा सकेगा ।

अप-लिखित मूल्य (Written down value)

किसी सम्पत्ति के अप-लिखित मूल्य से निम्न अभिप्राय है—

(अ) गत वर्ष मे प्राप्त की गई सम्पत्तियो की दशा मे, कर दाता के लिये उनकी वास्तविक-लागत (actual cost) से।

(अ) गत वर्ष के पहले प्राप्त की गई सम्पत्तियो की दशा मे, वह रकम, जो कर-दाता को सम्पत्ति की वास्तविक लागत मे से ह्रास की वस्तुत प्राप्त हुई सभी छूटे घटाने के बाद बचे।

किसी इमारत के सम्बन्ध मे, जो पहले से ही कर-दाता के अधिकार मे है और २८ फरवरी १६४६ के पश्चात् व्यापारिक कार्य मे प्रयोग की गई है, अपलिखित मूल्य से आशय उस रकम का है, जो कर-दाता को उस सम्पत्ति की लागत मे से ऐसा सब ह्रास जो स्वीकृत किया जा सकता था यदि वह सम्पत्ति प्राप्त होने की तारीख से व्यापार के काम मे लगातार प्रयोग होती रहती, घटा देने के बाद निकले। इस बीच की अवधि के लिए ह्रास की दर वह दर होगी जो इमारत को व्यापार मे लगाने के दिन प्रचलित थी।

जहाँ कोई सम्पत्ति भेट या उत्तराधिकार (gift or inheritance) से प्राप्त हुई है, उसकी वास्तविक लागत, सम्पत्ति या अप-लिखित मूल्य (जो गत मालिक के लिए निर्धारित किया गया है) या बाजार भाव दोनो मे जो कम हो, मानी जावेगी।

सम्पत्ति की वास्तविक लागत निश्चित करते समय उसकी लागत का वह भाग, जिसे सरकार या किसी सावजनिक या स्थानीय सत्ता ने दिया है, घटा देना चाहिये।

साधारण ह्रास की छूट (Normal Depreciation Allowance) मालूम करने के उद्देश्य से अपलिखित मूल्य निकालने के लिए, नई इमारतो और नई मशीनरी व प्लाण्ट के सम्बन्ध मे दी गई प्रारम्भिक ह्रास की छूट वास्तविक लागत (Original cost) मे से नही घटानी है किन्तु किसी सम्पत्ति को बेचने या अलग (Discard) कर देने पर हानि-लाभ निश्चित करने के उद्देश्य से अपलिखित मूल्य मालूम करने मे प्रारम्भिक ह्रास को अवश्य ध्यान मे रखना होगा।

'वस्तुत दी गई ह्रास की छूट' (depreciation actually allowed) वाक्याश मे अशोधित ह्रास (unabsorbed depreciation) शामिल नही है। इसके अर्थ यह हुये कि किसी सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य निकालने के लिए अशोधित ह्रास (unabsorbed depreciation) को विचार मे लेना चाहिए।

ह्रास की दरे

व्यापार, व्यवसाय या पेशे का लाभ मालूम करते समय ह्रास सम्बन्धी छूटें देने के लिए कुछ प्रमुख दरें (जो अपलिखित मूल्य के प्रतिशतो के रूप मे हैं) निम्नलिखित हैं —

बिल्डिग —प्रथम श्रेणी (२½%)
द्वितीय श्रेणी (५%)
तृतीय श्रेणी (७½%)
बिल्कुल अस्थायी निर्माण जैसे छप्पर इत्यादि के लिये कोई घिसाई नही दी जाती , केवल नवकरण (renewal) की छूट मिलती है ।
फैक्टरी की इमारतो के लिए इन दरो का दुगना ह्रास दिया जाता है ।

फर्नीचर :—सामान्य दर (६%)
होटलो मे इस्तैमाल किये जाने वाला फर्नीचर (९%)

मशीनरी और प्लान्ट :—सामान्य दर (७%)
निम्न उद्योगो के प्रयोग मे आने वाली मशीनरी और प्लान्ट की विशेष दरे हैं :—
आटा मिल, चावल मिल, चीनी मिल आदि के लिए ९%, कागज मिल, इ जीनियरिंग वर्क्स आदि के लिए १०% अन्य प्रकार की मशीनरी और प्लान्ट के लिए विशेष दरे निम्न प्रकार है —
बिजली की मशीनरी . बैटरीज २०%, अन्य मशीनरी १०% ।
टैक्सटाइल मशीनरी . सूती १०%, जूट ९%, ऊनी १०% ।
हिसाब की मशीनरी और टाइप राइटर पर १५% लेकिन अतिरिक्त पाली की छूट नही मिलेगी (No Extra Shift Allowance) मोटरकार और साइकिलो पर २०% लेकिन अतिरिक्त पाली की छूट नही मिलेगी । मोटर ठेले और लारियो आदि पर २५% लेकिन अतिरिक्त पाली की छूट नही मिलेगी ।

उदाहरण

(१) एक फर्म ने, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है, १५ जून १९५७ को एक नई मशीनरी २०,००० रु० मे खरीदी । १९५७ मे यह मशीन १०० दिन दो पालियो (Double Shift) मे तथा १९५८ मे २०० दिन तीन पालियो मे चली । यदि ह्रास की स्वीकृत दर १०% हो, १९५८–५९ तथा १९५९–६० कर निर्धारण वर्षों के लिए विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की क्या छूट दी जायगी ?

कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९

	रु०
विकास सम्बन्धी छूट	
२५% नई मशीन की लागत (२०,००० रु०) पर	५ ०००

ह्रास

साधारण ह्रास, २०,००० रु० पर १०%, ६ माह के लिए	१,०००
दुहरी पाली की छूट, जो एक वर्ष के लिए साधारण ह्रास २,००० रु० के तिहाई (१००/३००) की ५०%	३३३
अतिरिक्त छूट, साधारण ह्रास के बराबर	१,०००
	२,३३३

कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६०

ह्रास

साधारण ह्रास, अपलिखित मूल्य, १७,६६७ रु० पर १०%	१,७६६
तिहरी पाली की छूट, जो १,७६६ रु० के दो—तिहाई (२००/३००) की १००%	१,१७७
	२,९४३

१९६०–६१ कर निर्धारण वर्ष के लिए अपलिखित मूल्य
१७,६६७ रु० – २,९४३ रु० = १४,७२४ रु० होगा।

(२) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक सूती मिल कम्पनी ने ह्रास सम्बन्धी आशय के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत किये है :—

भवन

	रु०	दर
कारखाने की प्रथम श्रेणी, जो १९५० से पूर्व बनी, १–१–१९५८ को अपलिखित मूल्य	१,००,०००	५%
वृद्धियाँ १–१–१९५८ को	५०,०००	
गैर कारखाने की प्रथम श्रेणी, जो १९५० से पूर्व बनी, १–१–१९५८ को अपलिखित मूल्य	५०,०००	२½%

प्लान्ट तथा मशीन .

१९५५ मे स्थापित मशीन का १–१–१९५८ को अपलिखित मूल्य	१,५०,०००	१०%
वृद्धियाँ (नई) १–७–१९५८ को	१,००,०००	
वृद्धियाँ (पुरानी Second-hand) १–७–१९५८ को	१,००,०००	

फर्नीचर .

१–१–१९५८ को अपलिखित मूल्य	१०,०००	६%
१–७–१९५८ को वृद्धियाँ	५,०००	

१९५९–६० कर निर्धारण वर्ष के लिए विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की छूट, की रकम तथा १–१–१९५९ को अपलिखित मूल्य निकालिए।

विकास सम्बन्धी छूट —१–७–१९५८ को लगाई गई नई मशीन की लागत १,००,००० रु० पर २५% — २५,००० रु०

ह्रास छूट

सम्पत्ति	साधारण	१-१-१९५९ को अपलिखित मूल्य
भवन ·	रु०	रु०
१००,००० रु० पर ५%	५,०००	९५,०००
५०,००० रु० पर ५%, ६ माह के लिए	१,२५०	४८,७५०
५०,००० रु० पर २½%	१,२५०	४८,७५०
प्लाण्ट तथा मशीन ·		
१,५०,००० रु० पर १०%	१५,०००	१,३५,०००
१,००,००० रु० पर १०%, ६ माह के लिए (नई)	५,०००	९५,०००
१,००,००० रु० पर १०%, ६ माह के लिए (पुरानी)	५,०००	९५,०००
फर्नीचर		
१०,००० रु० पर ६%	६००	९,४००
५,००० रु० पर ६%, ६ माह के लिए	१५०	४,८५०
	३३,२५०	५,३१,७५०

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष से नए भवन तथा नई प्लाण्ट तथा मशीन पर अतिरिक्त ह्रास नहीं दिया जाएगा।

(३) एक कागजी व्यापारी ने, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, अपने व्यापार के लिए १ अक्टूबर १९५५ को २०,००० रु० की लागत से एक भवन को बनवा कर समाप्त किया। १९५८-५९ के १,००० रु० की ह्रास की छूट अशोधित (unabsorbed) रही।

ह्रास दर ५% लेते हुए, १९५९-६० कर-निर्धारण वष के लिए ह्रास की छूट की रकम निकालिए।

कर-वर्ष		रु०	रु०
१९५६-५७	प्रारम्भिक ह्रास—२०,००० रु० पर १५%	३,०००	
	साधारण ह्रास—२०,००० रु० पर ५% ६ माह के लिए	५००	
	अतिरिक्त ह्रास—साधारण के बराबर	५००	१,०००
१९५७-५८	साधारण ह्रास—अपलिखित मूल्य १९,००० रु० पर ५%	९५०	
	अतिरिक्त ह्रास—साधारण के बराबर	९५०	१,९००

१९५८–५९ साधारण ह्रास—अपलिखित मूल्य १७,१०० रु० पर ५%	८५५	
अतिरिक्त ह्रास – साधारण के बराबर	८५५	
	१,७१०	
घटाया—अशोधित ह्रास आ/ले	१,०००	७१०
१९५९–६० साधारण ह्रास—अपलिखित मूल्य १६,३९० रु० पर ५%	८१९	
अशोधित ह्रास—१९५८–५९ से लाया गया	१,०००	१,८१९

(४) ३१ जुलाई १९५८ को एक व्यक्ति एक नया व्यापार चालू करता है और इसके लिये वह एक अन्य व्यक्ति से, जिसने मई १९५५ में १०,००० रु० की लागत से अपने भवन मे मशीन लगाई थी और जो अपना व्यापार बन्द कर रहा है, उससे २०,००० रु० मे मशीन खरीदता है। मशीन तथा भवन पर प्रस्तावित ह्रास की दर ९% व २½% क्रमश. है। उसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को बन्द होता है।

यदि कर-दाता अपने प्रथम कर-निर्धारण वष १९५९–६० मे विकास सम्बन्धी छूट माँगे तथा भवन तथा मशीन पर ह्रास की छूट की माग करे तो आप कहाँ तक देंगे ?

क्योंकि उसके द्वारा प्रतिस्थापित मशीन नई नही है वह मशीन के लिए किसी विकास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकारी नही है।

१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट निम्न प्रकार से होगी —

	रु०
भवन .	
साधारण ह्रास ८५८० रु० (नीचे हिसाब लगाने से लागत) पर २½% ८ मास के लिए	१४३
मशीन :	
साधारण ह्रास २०,००० रु० पर ९% ८ माह के लिये	१,२००
१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये ह्रास की छूट	१,३४३

किसी इमारत के सम्बन्ध मे जो पहले से ही कर-दाता के अधिकार मे है और २८ फरवरी १९४६ के बाद व्यापारिक कार्य मे प्रयोग की गई है, अपलिखित मूल्य से आशय उस रकम का है, जो कर-दाता को उस सम्पत्ति लागत मे से ऐसा सब ह्रास, जो स्वीकृत किया जा सकता था यदि वह सम्पत्ति प्राप्त होने की तारीख से व्यापार मे लगातार प्रयोग होती रहती, घटा देने के बाद निकले। इस नियम के अनुसार भवन का अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार से निकाला जायगा —

	रु०	रु०
मई १९५५ मे प्रारम्भिक मूल्य		१०,०००

घटाया—स्वीकृत ह्रास		
कर-निर्धारण वर्ष १९५६–५७ .		
साधारण १०,००० रु० पर २½% १० माह के लिए	२०८	
अतिरिक्त, साधारण के बराबर	२०८	
कर-निर्धारण वर्ष १९५७–५८		
साधारण, अपलिखित मूल्य ९,५८५ पर २½%	२३९	
अतिरिक्त, साधारण के बराबर	२३९	
कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९		
साधारण अपलिखित मूल्य ९,१०६ रु० पर २½%	२२७	
अतिरिक्त, साधारण के बराबर	२२७	
कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६०		
साधारण, अपलिखित मूल्य ८,६५२ रु० पर २½% ४ माह (अप्रैल से जुलाई १९५८) का	७२	१,४२०
अपलिखित मूल्य		८,५८०

इस भवन के लिए कर निर्धारण वष १९५६–५७ के लिए १५% प्रारम्भिक ह्रास मिलता है, लेकिन प्रारम्भिक ह्रास, साधारण ह्रास मालूम करने के लिए अपलिखितमूल्य पर आने के लिए नहीं घटता है।

(५) एक इजीनियरिंग कम्पनी अपनी किताबें ३१ दिसम्बर को बन्द करती है। निम्न सूचनाओं से १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की छूट की गणना कीजिये .—

		रु०
भवन	१९५१ से पूर्व बना लागत	४,००,०००
	१–१–१९५७ को वृद्धियाँ लागत	१,५०,०००
	१–७–१९५८ को वृद्धियाँ लागत	५,०००
	ह्रास जो वास्तव मे १९५८–५९ तक और कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९ को मिलाते हुए स्वीकृत किया	८०,०००
	ह्रास की दर ५%।	
मशीन	१९५१ से पूर्व लगी लागत	६,००,०००
	१–१–१९५७ को वृद्धियाँ लागत	१,००,०००
	१–७–१९५८ को वृद्धियाँ लागत	२,००,०००
	ह्रास जो वास्तव मे १९५८–५९ तक और कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९ को मिलाते हुए स्वीकृत हुआ	१,६०,०००
	ह्रास की दर १०%।	

१९५८ वर्ष मे मशीन, जोकि १९५८ से पहले लगाई गई थी, नें १०० दिन के लिए दोहरी पाली मे और ३० दिन के लिए तिहरी पाली में काम किया ।

विकास सम्बन्धी छूट ·		रु०
नई मशीन की लागत २,००,००० रु० पर २५%		५०,०००
ह्रास :		
भवन .		
साधारण ह्रास ३,३५,००० (४,००,०००–६५,०००) पर, जो कि १९५१ से पूर्व बनी इमारत का अपलिखित मूल्य है, ५%	१६,७५०	
साधारण ह्रास १,३५,००० रु० (१,५०,०००–१५,०००) पर जो कि १–१–१९५७ की वृद्धियो का अपलिखित मूल्य है, ५%	६,७५०	
साधारण ह्रास ५०,००० रु० पर, जो कि १–७–१९५८ को वृद्धियाँ है, ५% ६ माह के लिए	१,२५०	२४,७५०
मशीन		
साधारण ह्रास ४,६०,००० रु० पर (६,००,०००–१,४०,०००), जो कि १९५१ से पूव लगी मशीन का अपलिखित मूल्य है, १०%	४६,०००	
साधारण ह्रास ८०,००० रु० पर (१,००,०००–२०,०००), जो कि १–१–१९५७ को लगी मशीन का अपलिखित मूल्य है, १०%	८,०००	
साधारण ह्रास २,००,००० रु० पर जो कि १–७–१९५८ को लगाई गई, १०% ६ माह के लिए	१०,०००	
दुहरी पाली की छूट—साधारण ह्रास ५४,००० रु० के तिहाई (१००/३००) का ५०%	९,०००	
तीहरी पाली की छूट—साधारण ह्रास ५४,००० रु० के दसवें भाग (३०/३००) का १००%	५,४००	७८,४००
१९५९–६० कर-निर्धारण के लिए ह्रास की छूट		१,०३,१५०

(५) सतुलनीय घिसाई (**Balancing Depreciation**) —यदि व्यापार के काम मे आने वाली कोई मशीनरी, प्लाट या इमारत बेच दी जावे या अलग कर दी

जाय, अथवा गिरा दी जाय या नष्ट हो जाय तो उसके अप-लिखित मूल्य [अर्थात् लागत में से समस्त ह्रास, जिसके अन्दर प्रारम्भिक ह्रास भी (यदि कोई है) शामिल हो, घटाने के बाद जो रकम शेष रहे) मे से बिक्री मूल्य (Sale Price) या अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) (जैसी भी दशा हो)] घटाकर जो रकम आए, उसे सतुलनीय (Balancing Depreciation) के रूप मे निम्न के अधीन स्वीकृत किया जाता है —

(अ) कर-दाता के बही-खातो में हानि की रकम सचमुच ही अपलिखित (Write off) कर दी गई हो ।

(ब) बिक्री मूल्य (Sale Price) का अपलिखित मूल्य (Written down value) पर आधिक्य पिछले वर्षो मे वस्तुत दी गई ह्रास सम्बन्धी कुल छूट की सीमा तक, कर लगने योग्य लाभ माना जायगा । लेकिन सम्पत्ति की लागत पर बिक्री मूल्य का कोई अन्य आधिक्य पूँजी लाभ (Capital surplus) होगा और उस पर कर नही लगेगा ।

(स) बीमा अथवा क्षति-पूर्ति के रूप मे प्राप्त हुई रकम बिक्री के धन (Sale proceeds) या सम्पत्ति के अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) का अश ही मानी जायगी ।

(द) ऐसी सम्पत्ति के लिये जिसे पूर्ण रूप से व्यापार के काम मे नही लाया गया, सतुलनीय ह्रास की केवल आनुपातिक रकम की छूट मे दी जायगी ।

जब सम्पत्ति को अलग (discard) कर देने के आधार पर संतुलनीय ह्रास की माँग की जावे, तब इसकी माँग उसी वर्ष मे करनी चाहिये जिस वर्ष कि उससे काम लेना वास्तव मे बन्द किया गया लेकिन यह बन्धन अलग की हुई सम्पत्ति को बाद मे वास्तव मे बेच देने से हुई हानि के लिये अधिक ह्रास (Further depreciation) माँगने पर लागू नही होगा ।

उदाहरण

(१) एक लिमिटेड कम्पनी के पास, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है, ५०,००० रु० लागत की एक मशीनरी है । उसे सितम्बर १९५७ मे अलग कर दिया गया । उस समय इसका अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) १०,००० रु० आँका गया । इस मशीनरी पर १९५७-५८ के कर-निर्धारण वर्ष तक (और उस वर्ष के लिये भी मिलाते हुए) कुल २७,००० रु० ह्रास की माँग की गई । तत्पश्चात् मई, १९५८ में वह मशीनरी ८,००० रु० मे बेच दी गयी ।

इस मशीनरी के लिए सतुलनीय ह्रास की रकम क्या होगी ? और यदि यह अलग की हुई मशीनरी १२,००० रु० मे बेची गयी हो तो क्या स्थिति होगी ?

१०,००० रु० अवशिष्ट मूल्य के आधार पर १९५८-५९ के कर निर्धारण वर्ष मे १३,००० रु० के सतुलनीय ह्रास की माँग की जा सकती है, और ८,००० रु० के वास्तविक बिक्री मूल्य पर १९५९-६० मे सतुलन ह्रास के सम्बन्ध मे २,००० रु० अधिक छूट (Further) माँगी जा सकती है।

यदि अलग को हुई मशीनरी वास्तव मे १२,००० रु० मे बेच दी गई है तो १९५९-६० के कर-निर्धारण वष के लिये कर लगने योग्य लाभ २,००० रु० होगा, क्योकि १०,००० रु० के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर १९५८-५९ के कर निर्धारण वर्ष में १३,००० रु० की सतुलनीय ह्रास की माँग की गयी थी।

(२) मशीनरी की लागत १,००,००० रु० है। प्रारम्भिक ह्रास घटाने के बाद इसका अपलिखित मूल्य ४०,००० रु० है। यदि यह मशीनरी ३०,००० रु०, ४०,००० रु०; ७०,००० रु०, १००,००० रु०, या १,२०,००० रु० मे बेची जाती तो ह्रास के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी।

(अ) जब मशीन ३०,००० रु० मे बेची जावे तो सतुलनीय ह्रास १०,००० रु० होगा।

(आ) यदि मशीन ४०,००० रु० मे बिकती है, तो सतुलनीय ह्रास कुछ भी नही होगा और न कर लगने योग्य लाभ ही कुछ होगा।

(इ) यदि वह ७०,००० रु० मे बिकती है तो ३०,००० रु० का कर लगने योग्य लाभ होगा।

(ई) यदि वह १,००,००० रु० मे बिके, तो कर लगने योग्य लाभ ६०,००० रु० होगा।

(उ) यदि मशीन १,२०,००० रु० मे बेची जाय, तो ६०,००० रु० कर लगने योग्य लाभ होगा और २०,००० रु० पूँजीगत लाभ होगा।

(३) मशीनरी की लागत १,००,००० रु० है। प्रारम्भिक ह्रास घटा देने के पश्चात् इसका अपलिखित मूल्य ४०,००० रु० है। इसका बीमा भी हो चुका था। किन्तु वह नष्ट हो गयी और उसका अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) १०,००० रु० आका गया। यदि प्राप्त बीमे की रकम २०,००० रु०, ३०,००० रु०, ६०,००० रु०, ९०,००० रु० या १,१०,००० रु० हो तो ह्रास की क्या स्थिति होगी ?

(अ) यदि बीमे से २०,००० रु० मिला है, तो सतुलनीय ह्रास १०,००० रु० है।

(आ) यदि बीमे से ३०,००० रु० मिला है, तो सतुलनीय ह्रास कुछ नही है और कर लगने योग्य लाभ भी कुछ नही होगा।

(इ) यदि बीमे से ६०,००० रु० मिलता है, तो कर लगने योग्य लाभ की रकम ३०,००० रु० होगी।

(ई) यदि बीमे से ६०,००० रु० मिला है, तो कर लगने योग्य लाभ ६०,००० रु० होगा।

(उ) यदि बीमे से १,१०,००० रु० प्राप्त हुआ है, तो कर लगने योग्य लाभ ६०,००० रु० और पूँजीगत लाभ २०,००० रु० होगा।

(४) एक कम्पनी ने ३,५०,००० रु० लागत की नई मशीन से १ जनवरी १९५५ को व्यापार आरम्भ किया। वह अपने हिंसाब ३१ दिसम्बर को बन्द करती है। १ जनवरी १९५८ को कारखाने मे आग लग गई और मशीन नष्ट हो गई। क्योंकि कम्पनी ने मशीन का बीमा कराया था, इसलिये उसे १,५०,००० रु० क्षति-पूर्ति स्वरूप प्राप्त हुये। ह्रास की दर १०% मानते हुए, १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष मे कर-योग्य लाभ या छोडी जाने वाली हानि आय-कर अधिनियम की धारा १० (२) (VII) के आदेशानुसार निकालिए।

कर-वर्ष	रु०	रु०
१९५६-५७ मशीन की लागत		३,५०,०००
प्रारम्भिक ह्रास २०%	७०,०००	
साधारण ह्रास	३५,०००	
अतिरिक्त ह्रास	३५,०००	७०,०००
१९५७-५८ आपलिखित मूल्य		२,८०,०००
साधारण ह्रास	२८,०००	
अतिरिक्त ह्रास	२८,०००	५६,०००
१९५८-५९ अपलिखित मूल्य		२,२४,०००
साधारण ह्रास	२२,४००	
अतिरिक्त ह्रास	२२,४००	४४,८००
१९५९-६० वार्षिक ह्रास के लिए		
अपलिखित मूल्य		१,७९,२००
घटाओ प्रारम्भिक ह्रास		७०,०००
धारा १० (२) (VIII) के अनुसार		
अपलिखित मूल्य		१,०९,२००
बीमे से प्राप्त रकम		१,५०,०००
धारा १० (२) (VII) के अन्तगत कर-योग्य लाभ		४०,८००

(५) एक काटन मिल कम्पनी का हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है और उसकी ह्रासित सम्पत्तियो का विवरण निम्न है —

सम्पत्तियाँ	१-१-१९५८ को अपलिखित मूल्य	१९५८ में वृद्धियाँ	ह्रास की दर
	रु०	रु०	
मिल भवन (प्रथम श्रेणी)	१५,४७,३८०	—	५%
गोदाम (द्वितीय श्रेणी)	२,१५,७४०	—	५%
मिल मशीन	३३,१७,६९५	४,४५,९७०	१०%
मोटर ट्रक	४५,७००	—	२५%
फर्नीचर	२५,१७०	—	६%

एक गोदाम (जिसका १-१-१९५८ को अपलिखित मूल्य १,१५,६०० रु० था) मई १९५८ मे आग से पूरी तरह नष्ट हो गया है, तथा इसके लिए बीमा कम्पनी मे १,००,००० रु० प्राप्त हुए।

यह मानते हुए कि अतिरिक्त मशीन ३० जून १९५८ को लगाई गई १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की रकम निकालिए।

		रु०
१	विकास सम्बन्धी छूट १९५८ मे लगाई गई नई मशीन की लागत ४,४५,९७० रु० पर २५%	१,११,४९२
२.	ह्रास—जैसा कि नीचे गणना की गई है	४,६४,९७८
	१९५९-६० के लिए छूट	५,७६,४७०

मिल भवन. साधारण ह्रास १५,४७,३८० रु० पर ५%	७७,३६९
३१-१२-१९५८ को गोदाम. साधारण ह्रास— १,००,१४० रु० (२,१५,७४० रु०–१,१५,६०० रु०) पर ५%	५,००७
समाप्त हुआ गोदाम. सतुलनीय ह्रास (१,१५,६०० रु० – १,००,००० रु०)	१५,६००
मिल मशीन	
साधारण ह्रास ३३,१७,६९५ रु० पर १०%	३,३१,७६९
साधारण ह्रास ४,४५,९७० रु० पर १०%, ६ माह के लिए	२२,२९८
मोटर ट्रक : साधारण ह्रास ४५,७०० रु० पर २५%	११,४२५
फर्नीचर. साधारण ह्रास २५,१७० रु० पर ६%	१,५१०
कुल ह्रास	४,६४,९७

अध्याय ८

कुल आय और कुल विश्व आय
(Total Income and Total World Income)

पिछले अध्याय मे विभिन्न मदो के अन्तर्गत कर लगने योग्य आय मालूम करने की रीति समझाई गई थी, इस अध्याय मे कर-दाता की कुल आय और कुल विश्व आय मालूम करने की विधि बतायी जायगी।

कुल आय (Total Income)

कर-दाता की कुल आय से आशय उसकी आय की कुल रकम से है, जिस पर उसके निवास स्थान के आधार पर कर लगता है और जो सन्नियम द्वारा निर्धारित तरीके से मालूम की गई है।

कुल विश्व आय (Total World Income)

कर-दाता की कुल विश्व आय से अभिप्राय उसकी समस्त आय से है, भले ही वह कही भी उत्पन्न हुई हो। निम्न अपवादो को छोडकर, वे आय (incomes) जो कुल आय मे शामिल नही की जाती कुल विश्व आय मे भी शामिल नही करना चाहिये —

(i) किसी निवासी (resident) की न भेजी हुई विदेशी आय (Un-remitted foreign income) मे से ४,५०० रु० की वैधानिक कटौती (Statutory Deduction)।

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य होने के नाते परिवार की आय मे से प्राप्त की हुई रकम।

ये दो प्रकार की आय कुल आय मे शामिल नही की जाती, लेकिन उनको कुल विश्व आय मे शामिल कर लेना चाहिए।

कुल विश्व आय मालूम करने के लिए सन्नियम के निम्नलिखित आदेश हैं:—

घाटे की पूर्ति (Set-off Losses) —आय-कर तो केवल एक ही कर है अर्थात् आय की जितनी मदे है उतने कर नही है। इसलिये यदि कर-दाता को किसी वर्ष की किसी मद मे हानि हो जावे तो वह उस हानि की (जो पूँजी हानि न हो) पूर्ति कर-निर्धारण वर्ष की किसी अन्य मद के अन्तर्गत प्राप्त हुई आय से कर

सकता हे। धारा १०, जिसमे व्यापारिक आय की चर्चा है, स्वय एक स्वतन्त्र मद है। भिन्न-भिन्न व्यापार आय के पृथक्-पृथक् मद नही है। सभी व्यापार, जहाँ कही भी वे किए जाते हो, आय के एक ही मद का निर्माण करते है। इसलिए व्यापार का कर-योग्य लाभ मालूम करने के लिए कर-दाता को अपने समस्त लाभ दिखाने और उन आयो मे से उसी मद के अन्तगत हुई समस्त हानियो को काटने का अधिकार होता है।

यदि कर-दाता अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो जो घाटा उसे आय की किसी एक मद मे हुआ है उसकी पूर्ति उसी वर्ष के किसी अन्य मद के अन्तगत हुई आय से की जा सकती है। परन्तु किसी भी साझेदार को व्यक्तिगत रूप से फम के अपने भाग के घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की अपनी आय मे से करने का अधिकार नही है।

यदि कर-दाता एक रजिस्टर्ड फर्म है, तो जो घाटा उसे आय के किसी एक मद मे हुआ है उसकी पूर्त उसी वर्ष की अन्य मद से होने वाली आय से की जा सकती है। वह हानि, जिसकी इस प्रकार पूर्ति न की जा सकती हो, साझेदारो मे विभाजित कर देनी चाहिए और प्रत्येक साझेदार फर्म की हानि के अपने भाग की पूर्त उस वष की अपनी आय के किसी अन्य मद से कर सकता है।

व्यापार, व्यवसाय और पेशे के लाभ मालूम करने के लिए, सट्टे की हानि (Speculation Losses) की पूर्ति केवल सट्टे के लाभो से ही की जा सकती है।

जहाँ हानि ऐसी हानि है जो कि पूँजी लाभ के शीषक मे आती है तो वहाँ ऐसी हानि केवल उसी लाभ से अपलिखित की जा सकती है, जो कि इस शीर्षक के अन्तगत आता हो।

(२) व्यापारिक हानियो का आगे ले जाना (**Carry forward of Business Losses**)—यदि व्यापार मे किसी वर्ष हानि हो और वह उस वर्ष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके, तो हानि की यह रकम आगे ले जाई जा सकती है और व्यापार के लाभो से अगले ८ वर्षो मे पूरी की जा सकती है।

अब यह छूट और दी गई है कि आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ न केवल इसी व्यापार के लाभो से अपितु कर-दाता के अन्य व्यापार के लाभ से भी पूरी की जा सकती है, बशर्ते कि हानि उठाने वाला व्यापार अब भी चालू है।

जहाँ सट्टे की हानि उसी वष सट्टे के लाभो से पूर्णत. काटी न जा सके तो उस दशा मे ८ वर्ष तक उसे आगे ले जा सकते है और सट्टे के लाभ से पूरा कर सकते है।

यदि किसी वर्ष की पूँजी हानियाँ उसी वर्ष के पूँजी लाभो से पूर्णत अपलिखित न की जा सकें तो उन्हे पू जी लाभो से अपलिखित करने के लिए ८ वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है। ऐसे अग्रनयन की अनुमति के लिए यह आवश्यक हे कि गैर कम्पनी कर-दाताओ की दशा मे किसी गत वर्ष के दौरान मे उठाई हुई पूँजी हानि ५,००० रु० से अधिक हो।

रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्मों की व्यापारिक हानियो को आगे ले जाने के सम्बन्ध मे भी वे ही नियम लागू होते है जो हानियो की पूर्ति के सम्बन्ध में लागू होते है।

व्यापारिक हानियो के आगे ले जाने मे सन्निहित सिद्धान्त यह है कि हानियो को आगे ले जाने और उसकी पूर्ति का अधिकार केवल उस व्यक्ति को ही प्राप्त है जिसको हानि हुई है, किसी अन्य व्यक्ति को नही। यदि किसी फर्म के सगठन मे कोई परिवर्तन हुआ है अथवा व्यापार मे कोई नया साझेदार आया है (उत्तराधिकार प्रथा के अतिरिक्त किसी अन्य ढग से) तो केवल उस व्यक्ति को ही, जिसे वास्तव मे हानि हुई है अपनी आय में से उस हानि की पूर्ति करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के विधान मे परिवर्तन हुआ है तो फर्म की साझेदारी से पृथक् हुए साझेदार (outgoing partner) की हानि का भाव आगे ले जाने और पूर्ति करने का अधिकार नही है और न कोई अन्य साझेदार ही, जो ऐसी हानि मे भागी नही है, इस हानि के किसी भाग के लाभ पाने का अधिकारी हो सकता है।

हानि सूचित करने को आज्ञा (Order notifying losses)

कर-दाता की कुल आय का कर-निर्धारण के दौरान मे जब यह साबित हो जाता है कि लाभ की हानि हुई है (There is a loss of profits), जिसे आगे लाने का कर-दाता को अधिकार है, तो आय कर अधिकारी को इस हानि की लिखित सूचना कर-दाता के पास भेज देनी चाहिए। इससे हानि की रकम के सम्बन्ध मे भविष्य मे कोई झगडा न उठेगा।

उदाहरण

(१) एक कर-दाता द्वारा दी गई निम्न सूचनाओ से १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ या हानि आगे ले जाने के लिए रकम निकालिए :—

		रु०
(१)	१९५२-५३ के लिए हानि आगे ले जाई गई	२,००,०००
(२)	१९५३-५४ के लिए हानि आगे ले जाई गई	३०,०००
	१९५३-५४ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	१०,०००
(३)	१९५४-५५ के लिए हानि आगे ले जाई गई	२०,०००
	१९५४-५५ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	१०,०००
(४)	१९५५-५६ के लिए हानि आगे ले जाई गई	१०,०००
	१९५५-५६ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	५,०००
(५)	१९५६-५७ के लिए हानि आगे ले जाई गई	१०,०००
	१९५६-५७ के लिए ह्रास छूट आगे ले जाई गई	५,०००
(६)	१९५७-५८ के लिए लाभ	३०,०००
	१९५७-५८ के लिए वाजिब (due) ह्रास	१०,०००
(७)	१९५८-५९ के लिए लाभ	१,००,०००
	१९५८-५९ के लिए वाजिब ह्रास	२०,०००

(८) १९५९-६० के लिए लाभ	२,२०,०००
१९५९-६० के लिए वाजिब ह्रास	२०,०००

कर-निर्धारण वर्ष			हानि रु०	अशोधित ह्रास रु०
१९५२-५३	रकम आगे ले जाई गई		२,००,०००	—
१९५३-५४	,, ,, ,, ,, ,,		३०,०००	१०,०००
१९५४-५५	,, ,, ,, ,, ,,		२०,०००	१०,०००
१९५५-५६	,, ,, ,, ,, ,,		१०,०००	५,०००
१९५६-५७	,, ,, ,, ,, ,,		१०,०००	५,०००
१९५७-५८	लाभ	३०,०००		
	घटाया वाजिब ह्रास	१०,०००		
		२०,०००		
	१९५२-५३ की हानि काटी गई। शेष १,८०,००० रु० तथा अन्य वर्षों की हानि आ/ले	२०,०००		
१९५८-५९	लाभ	१,००,०००		
	घटाया वाजिब ह्रास	२०,०००		
		८०,०००		
	१९५२-५३ की हानि काटी गई। शेष १,००,००० रु० तथा अन्य वर्षों की हानि आ/ले	८०,०००		
१९५९-६०	लाभ	२,२०,०००		
	घटाया वाजिब ह्रास	२०,०००		
		२,००,०००		
	हानियाँ १९५२-५३ से १९५६-५७ तक काटी गई	१,७०,०००		
		३०,०००		
	अशोधित ह्रास १९५३-५४ से १९५६-५७ तक काटा गया	३०,०००		
		नही		

इस प्रकार १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय कुछ नही है, न ही कोई हानि या अशोधित ह्रास आगे ले जाने को है।

(२) यदि अ, ब और स की फर्म का पुनर्संङ्गठन हो, जिसमे अ तो रिटायर हो जावे और द साझेदारी मे शामिल हो, तो अ फर्म को छोडने से पुरानी फर्म द्वारा उठाई गई हानि में अपने भाग की हानि आगे ले जाने (Carry forward) के अधिकार से वचित हो जाता है । हाँ उसे उसी वर्ष मे इस हानि की पूर्ति अपने किसी अन्य लाभ से करने का अधिकार रहता है ।

यही नही, ब, स और द इस हानि को प्राप्त (acquire) नही करते और वे भावी लाभो मे अपने भाग के विरुद्ध A के भाग की हानि पूर्ति करने की माँग नही कर सकते ।

(३) यदि अ का व्यापार ब के हाथ आ जाता है और अ को कोई हानि होती है, तो वह इस हानि को आगे ले जाने के अधिकार से वचित हो जाता है और ब भी अपने लाभ मे से अ द्वारा उठाई गई हानि को पूरी करने की माँग नही कर सकता ।

(४) एक जूट मिल कम्पनी ने, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को बन्द होता है, १ जनवरी १९५७ को एक नई मशीन ५०,००० रु० की खरीदी जिस पर स्वीकृत ह्रास की दर ९% है ।

यह मशीन बराबर दोहरी पाली मे प्रयोग की गई है । हाँ, १९५८ मे केवल ६० दिन यह तिहरी पाली मे प्रयोग हुई ।

१९५८–५९ एव १९५९–६० के कर निर्धारण वर्षो के लिए यह मानते हुए ह्रास की छूट की रकम निकालो कि ७,००० रु० की सीमा तक ह्रास १९५८–५९ के कर-निर्धारण वर्ष मे नही माँगा जा सका था ।

	रु०
१९५८–५९ कर-निर्धारण वर्ष के लिए	
विकास सम्बन्धी छूट—५०,००० रु० पर २५%	१२,५००
साधारण ह्रास—५०,००० रु० पर ९%	४,५००
अतिरिक्त ह्रास—साधारण के बराबर	४,५००
दोहरी पाली की छूट—(साधारण से आधा)	२,२५०
	११,२५०
घटाया अशोधित ह्रास	७,०००
१९५८–५९ कर-निर्धारण वष के लिए ह्रास की छूट	४,२५०
१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए	
साधारण ह्रास—४५,७५० रु० पर ९%	४,११७
दोहरी पाली की छूट—$\frac{8}{10}$ वर्ष (३०० दिन मे से २४० दिन) के लिए साधारण ह्रास का आधा	१,६४६
तिहरी पाली की छूट—$\frac{2}{10}$ वर्ष (३०० दिन में से ६० दिन) के लिए साधारण ह्रास के बराबर	८२३
	६,५८६

अशोधित ह्रास—१९५८–५९ कर-निर्धारण वर्ष से लाये गए (अगर लाभ आज्ञा दें)	७,०००
१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट	१३,५८६

(३) कर-मुक्त आय (**Exempted Income**)—जैसा कि पिछले अध्याय मे बताया गया है, कर-मुक्त आय दो प्रकार की है . प्रथम वह जो कर से मुक्त है और कुल आय मे शामिल नही की जाती तथा दूसरी वह जो कर से मुक्त तो है लेकिन कुल आय मे शामिल की जाती है। इसलिए दूसरे प्रकार के अन्तर्गत आने वाली आय को कर-दाता की कुल आय में शामिल करना चाहिए।

(४) फर्म की आय या हानि का हिस्सा (**Share of Firm's Income or Loss**)—यदि कर-दाता किसी फर्म मे साझीदार है, तो उसकी कुल आय मालूम करने के लिए फर्म की हानि-लाभ मे उसका हिस्सा वह होता हे जो वेतन, ब्याज, कमीशन अथवा फम द्वारा दिया जाने वाला कोई अन्य पारिश्रमिक फर्म के हानि-लाभ मे उसका हिस्सा घटाने या जोडने के बाद निकलता है। फर्म के लाभ और नुकसान को साझीदारो मे विभाजित (allocate) करने की विधि 'आय कर-दाता' से सम्बन्धित आगामी अध्याय मे समझाई गई है।

(५) बन्दोबस्त या व्यवस्था (**Settlements**)—जब कोई सम्पत्ति या उससे होने वाली आय या दोनो ही पुरस्कार (Gift) के रूप मे किसी को हस्तातरित की जावे तो यह बन्दोबस्त (settlement) कहलाता है। कुल आय मालूम करने के सम्बन्ध मे बन्दोबस्त के निम्न प्रभाव होते है :—

(अ) यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का बन्दोबस्त किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष मे करता है और वह सम्पत्ति, जिसकी आय इस प्रकार दी गई है, बन्दोबस्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व मे ही रहे, तो ऐसी आय बन्दोबस्त करने वाले की ही आय मानी जाती है और इसे उसकी कुल आय मे शामिल करना चाहिए।

(आ) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति की खण्डनीय हस्तातरण (Revocable Transfer) करता है, तो इस सम्पत्ति की आय बन्दोबस्त करने वाले व्यक्ति की ही आय मानी जायगी और इसे उसकी कुल आय मे शामिल करना चाहिए।

उपर्युक्त दोनो नियमो का एक अपवाद है। वह यह कि उस सम्पत्ति या आय के बन्दोबस्त (settlement) से होने वाली आय, जो ६ वर्ष से अधिक समय तक या इसे प्राप्त करने वाले (beneficiary) के जीवन पर्यन्त खण्डनीय नही है,

और उससे हस्तातरण करने वाला कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ न उठाता हो, बन्दोबस्त करने वाले की आय नही मानी जायगी।

(इ) यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति का अखण्डनीय हस्तातरण (Irrevocable transfer) करता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय प्राप्त करने वाले की आय ही मानी जायगी बशर्ते कि यह हस्तातरण कर-दाता की स्त्री या नाबालिग बच्चे के प्रति न हो।

(६) बेनामी लेन-देन (Benami Transactions) :—'बेनामी' शब्द से मतलब बिना नाम से है। बेनामी लेन-देन वह है, जो वास्तविक व्यक्ति के नाम से न करके दूसरे के नाम से किया जाता हो। उदाहरण के लिए, कर बचाने के लिए कोई व्यक्ति नाम मात्र के लिए या दिखाने के लिए ही अपनी सम्पत्ति किसी दूसरे के नाम करदे या कोई सम्पत्ति खरीदते समय अपने नाम से उसे न खरीद कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खरीद ले तो यह बेनामो लेन-देन ही होगा। कर-निर्धारण के लिए इनकम टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि वह सम्पत्ति के असली स्वामी का पता लगाए और इस सम्पत्ति की आय को उसकी कुल आय मे जोडकर उसके ऊपर कर-निर्धारण करे।

(७) लाभाश (Dividends) :—किसी अशधारी को प्राप्त हुआ लाभाश जिस वर्ष वह घोषित हो उस वर्ष अशधारी की आय मानी जाती है, और अशधारी की कुल आय मालूम करने के लिए लाभाशो की रकम को जो उस कम्पनी से, जिस पर भारतीय आय-कर लागू होता है, वास्तव मे प्राप्त की जावे, ग्रौस करके व्यक्ति की कुल आय मे जोड देना चाहिए। ग्रौस करने की विधि पहले ही बतला दी गई है।

(८) पत्नी की आय :—किसी व्यक्ति की पत्नी को निम्नलिखित साधनो से उत्पन्न होने वाली आय उसकी (पति की) कुल आय में जोड दी जाती है :—

(अ) उस फर्म की सदस्यता से, जिसमे उसका पति साझीदार है, अथवा

(आ) उस सम्पत्ति से जो उसके पति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके (पत्नी के) पक्ष मे हस्तातरित कर दी है, उसे दशा मे नही जबकि (अ) हस्तातरण पर्याप्त प्रतिफल के लिए है और (ब) जहाँ यह हस्तान्तरण पृथक् रहने के विचार से हुआ है।

(९) नाबालिग बच्चे की आय (Income of Minor Child) —किसी व्यक्ति के नाबालिग बच्चे की आय, जो निम्नलिखित साधनो से हुई है, उस व्यक्ति (माता या पिता) की कुल आय मे शामिल की जायगी —

(अ) उस फर्म के लाभो मे नाबालिग बच्चे के प्रवेश्य से, जिसमें वह व्यक्ति (बच्चे की माता या पिता) साझीदार है, अथवा

(आ) उस सम्पत्ति से जो नाबालिग बच्चे के हक मे प्रत्यक्षत. या अप्रत्क्षतः हस्तान्तरित कर दी गई है। हाँ, उस दशा में नही, जब कि (अ) हस्तान्तरण

पर्याप्त प्रतिफल के लिए हुआ है और (ब) जहाँ नाबालिग सन्तान कोई विवाहित पुत्री है ।

(१०) अन्य पक्षो की सम्पत्तियो का हस्तान्तरण (**Transfer of Assets to Third Parties**) —यदि कोई व्यक्ति अपने या नाबालिग बच्चे या दोनो ही के हितार्थ अपनी कोई सम्पत्ति किसी पर्याप्त प्रतिफल बिना किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियो के किसी समूह को हस्तातरित करदे, तो इस सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति की ही आय समझी जायगी और उसे उसकी कुल आय मे शामिल करना चाहिए ।

उदाहरण

(१) निम्नलिखित से विभिन्न कर-निर्धारण वर्षो के लिए कर-दाता की कुल आय निकालिए —

(१) ३१ मार्च १९५४ को समाप्त हिसाबी वष —मकान जायदाद से आय ७,००० रु०, तेल के व्यापार से हानि १४,००० रु०, अन्य साधन ६,००० रु० ।

(२) ३१ मार्च १९५५ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १०,००० रु०, तेल के व्यापार से लाभ ५,००० रु० ।

(३) ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से हानि २६,००० रु० ।

(४) ३१ मार्च १९५७ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से हानि १०,००० रु० ।

(५) ३१ मार्च १९५८ को समाप्त हिसाबी वर्ष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से लाभ १०,००० रु० ।

(६) ३१ माच १९५९ को समाप्त हिसाबी वष —मकान जायदाद से आय १२,००० रु०, तेल के व्यापार से लाभ २०,००० रु० ।

कुल आय का विवरण

कर-वर्ष		रु०
१९५४-५५	मकान जायदाद से आय	७,०००
	अन्य साधनो से आय	६,०००
		१३,०००
	तेल के व्यापार से हानि	१४,०००
	हानि जो १९५५–५६ कर-निर्धारण वर्ष को ले गये	१,०००

वर्ष	विवरण		
१९५५–५६	मकान जायदाद से आय		१०,०००
	तेल के व्यापार से लाभ	५,०००	
	घटाओ १९५४–५५ की हानि	१,०००	४,०००
		कुल आय	१४,०००
१९५६–५७	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार की हानि		२६,०००
	हानि जो कर-निर्धारण वर्ष १९५७–५८ को ले गये		१४,०००
१९५७–५८	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार की हानि		१०,०००
		कुल आय	२,०००
	१४,००० रु० की हानि जो १९५६–५७ के कर-निर्धारण वर्ष आ/ला उसे १९५८–५९ के कर-निर्धारण वर्ष को आ/ले		
१९५८–५९	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार का लाभ	१०,०००	
	घटाओ १९५६–५७ कर-निर्धारण वर्ष की आ/ला हानि	१०,०००	
		कुल आय	१२,०००
	४,००० रु० हानि जो १९५६–५७ कर-निर्धारण वर्ष के आ/ला थे १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष को ले गये।		
१९५९–६०	मकान जायदाद से आय		१२,०००
	तेल व्यापार का लाभ	२०,०००	
	घटाओ १९५६–५७ कर-निर्धारण वर्ष की हानि	४,०००	१६,०००
		कुल आय	२८,०००

(२) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिये किसी कर-दाता की आय का ब्यौरा निम्न प्रकार है —

भारतीय आय

(अ) वेतन ७२५ रु० और मँहगाई भत्ता १०० रु० मासिक, और अधि-लाभांश (Bonus) १,६०० रु०।

(आ) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो से ब्याज ५०० रु० और दूसरी प्रतिभूतियो से १,००० रु० (ग्रौस)

(इ) मकान जायदाद (House property) से १,००० रु० का नुकसान निकाला गया है।

(ई) एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ मे हिस्सा १५,००० रु० है।

(उ) लाभाश (ग्रौस) ६०० रु० , बैंक डिपाजिट्स से ब्याज ४०० रु० ।

(ऊ) एक सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के नाते उसकी आय का हिस्सा ३,००० रु० है।

विदेशी आय

(अ) अफ्रीका की आय जो भारत मे लाई गई ५,००० रु० ।

(ब) ईरान मे एक व्यापार से हुई (जो भारत से सचालित किया जाता है) आय १०,००० रु० और जायदाद से २,००० रु० ।

१६५१ मे अफ्रीका मे उत्पन्न हुई कर न लगी (Untaxed) आय मे से १०,००० रु० वर्ष के बीच भारतवप मे लाया गया। १,००,००० रु० के अपने जीवन बीमा के लिए उसने प्रीमियम के ६,००० रु० दिये।

उसकी कुल आय, कुल विश्व आय और कर-मुक्त आय मालूम कीजिये, यदि वह (अ) पक्का निवासी (Resident, ordinarily resident) है, (ब) कच्चा निवासी है और (स) परदेशी (Non-resident) है।

	(अ)	(ब)	(स)
भारतीय आय	रु०	रु०	रु०
१ वेतन	११,५००	११,५००	११,५००
२ प्रतिभूतियो का ब्याज			
कर लगा	१,०००	१,०००	१,०००
कर मुक्त	५००	५००	५००
३ जायदाद (हानि)	−१,०००	−१,०००	−१,०००
४ फर्म से लाभ	१५,०००	१५,०००	१५,०००
५ अन्य साधन			
लाभाश (ग्रौस)	६००	६००	६००
बैंक की ब्याज	४००	४००	४००
	२८,०००	२८,०००	२८,०००
विदेशी आय			
१ अफ्रीका मे बिना कर लगी पिछली आय जो वर्ष के बीच भारत मे लायी गयी	१०,०००	१०,०००	—
२ अफ्रीका की आय जो भारत मे लायी गयी	५,०००	५,०००	—

३ ईरान मे पैदा हुई आय, भारत मे न भेजी गई है	१२,०००	१०,०००	—
कुल आय	५५,०००	५३,०००	२८,०००
सयुक्त हिन्दू परिवार की आय का हिस्सा जो कुल आय मे शामिल नही किया गया, लेकिन कुल विश्व आय मे अवश्य शामिल किया जाना चाहिए			३,०००
विदेशी आय			१७,०००
कुल विश्व आय			४८,०००
कर-मुक्त आय			
१ कर-मुक्त ब्याज	५००	५००	५००
२ जीवन बीमा प्रीमियम	८,०००	८,०००	७,०००
३ अनरजिस्टर्ड फर्म से आय	१५,०००	१५,०००	१५,०००
	२३,५००	२३,५००	२२,५००

जीवन बीमा प्रीमियम की कर-मुक्त रकम, कुल आय के चौथे पाँचवें भाग से अथवा ८,००० रु० से, जो भी इनमे कम हो, अधिक नही होनी चाहिये।

(३) १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्न सूचना से एक व्यक्ति की कुल आय और कर-मुक्त आय मालूम कीजिये :—

(अ) वेतन १,५०० रु० प्रति माह।

(ब) उसका स्वीकृत प्राविडेंट फण्ड मे चन्दा २,१६० रु०।

(स) मालिक का प्राविडेट फड मे चन्दा २,१६० रु०।

(द) ब्याज ९% प्रति वर्ष से, जो कि उसके प्राविडेट फड पर जमा हुआ, १,२०० रु०।

(इ) लाभाश प्राप्त हुए ५,००० रु०। इन पर १,००० रु० आय कर के लागू होते हैं।

(फ) जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया ५,००० रु०।

	रु०	रु०
१. वेतन :—	१८,०००	
मालिक का प्राविडेट फड मे १०% से अधिक का चन्दा	३६०	

	प्राविडेंट फण्ड पर जमा ब्याज, ६% प्रतिवर्ष से अधिक	४००	१८,७६०
२	लाभांश (ग्रौस)		६,०००
		कुल आय	२४,७६०

कर-मुक्त आय .

१	कर्मचारी का स्वीकृत प्राविडेंट फण्ड मे चन्दा	२,१६०
२	जीवन बीमा प्रीमियम (प्राविडेंट फण्ड चन्दा तथा जीवन बीमा प्रीमियम २४,७६० रु० के चौथाई =६,१६० रु० तक सीमित)	४,०३०
		६,१६०

(४) एक कर-दाता की, जो ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए पक्का निवासी है, आय के सम्बन्ध मे निम्न सूचनाएं प्राप्त है।

(अ) मासिक वेतन ३,००० रु०। ४ महीने के लिए वह भारत से बाहर छुट्टी पर था। छुट्टियो के दो महीनो का वेतन उसने भारत के बाहर ही प्राप्त किया और छुट्टियों के वेतन की शेष रकम उसने भारत वापस आने पर अगले वर्ष प्राप्त की।

(ब) वह एक मकान का मालिक है, जिसका एक चौथाई भाग वह अपने रहने के लिए इस्तैमाल करता है और शेष भाग को उसने ०० रु० मासिक किराये पर उठा रखा है। किराये का छठा भाग उसका एजेन्ट बतौर कमीशन ले लेता है। मकान पर लगे म्यूनिसिपल कर की रकम १,६०० रु० थी।

(स) प्राप्त लाभाश ६,६६६ रु० (ग्रौस)।

(द) सट्टे के व्यापार से ५,००० रु० हानि हुई।

१९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय निकालिए।

				रु०
१	१२ महीने का वेतन			३६,०००
२	जायदाद से आय —			
	भाडे पर उठाये गये मकान का किराया		४,८००	
	घटाओ—म्यूनिसिपल करो का आधा		६००	
	भाडे पर उठी जायदाद का वार्षिक मूल्य		४,२००	
	निजी निवास के हिस्से का भाडे पर उठे मकान की भाँति निर्धारित किया गया मूल्य	१,४००		
	घटाओ—आधा (वैधानिक छूट)	७००	७००	

कुल मकान का वार्षिक मूल्य		४,६००	
घटाओ—मरम्मत का १/६	८१६		
संग्रह व्यय ४,२०० रु० के ६% तक सीमित	२५२	१,०६८	३,८३२
१ लाभांश (ग्रौस)			६,६६६
कुल आय			४६,४६८

सट्टे के व्यापार की ५,००० रु० हानि उक्त आय से पूरी नही की जा सकती ।

(५) एक्स एक स्टक्चरल इंजीनियर है । ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष की निम्न सूचनाओं से १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय निकालिए—

(अ) उसने हिन्द स्टक्चरल इंजीनियर्स लि० बम्बई से, जिनके यहाँ वह १ अप्रैल १९५८ से लगा, ३,५०० रु० प्रति माह वेतन तथा ७,२०० रु० मनोरंजन भत्ते के प्राप्त किये । उसने वर्ष मे ६,००० रु० मनोरंजन पर व्यय किये ।

(ब) हिन्द स्टक्चरल इंजीनियर्स लि० से पहले वह पाइनियर बिल्डर्स लि० के यहाँ लगा था । उस कम्पनी के नौकरी के शर्तनामे के अनुसार उसकी सेवाए १ अक्टूबर १९५५ से तीन साल तक रहनी थी जिसमे उसे ३,००० रु० प्रति माह वेतन मिलता था लेकिन प्रबन्ध के साथ खटपट हो जाने से उसकी सेवाएँ ३१ मार्च १९५८ को समाप्त करदी गई, जो कि शर्तनामे से पहले रहा, तथा इसके लिए उसे ४ अप्रैल १९५८ को १८,००० रु० हर्जाने के प्राप्त हुए ।

(स) उसने ४८ महीने लगाकर एक स्टक्चरल इंजीनियरिंग पर एक पुस्तक लिखी । उसने उसका कॉपीराइट एक प्रकाशकों की फर्म को बेच दिया । जिसके फलस्वरूप उसे १५ जून १९५८ को १५,००० रु० मिले । उसने चाहा है कि यह राशि ४ वर्षों में फैला दी जानी चाहिए ।

(द) उसका नागपुर मे, जिसका वार्षिक मूल्य ३,६०० रु० है, एक मकान है । यह अपने रहने के लिए सुरक्षित रखा गया । गत पूर्ण वर्ष, जो ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होता है, मे यह खाली रहा क्योंकि उसे नौकरी के सिलसिले मे बम्बई में दूसरी इमारत मे रहना पडा ।

(इ) उसने अपने जीवन पर १५,००० रु० तथा अपनी पत्नी के जीवन पर १५,००० रु० जीवन प्रीमियम के चुकाये ।

			रु०
१	वेतन जैसा कि है	४२,०००	
	मनोरंजन भत्ता (अ)	७,२००	
	नौकरी के खो जाने पर हर्जाना (ब)	१८,०००	६७,२००
२.	जायदाद से आय (स)		नही

३ अन्य साधनो से आय·
कॉपीराइट बिक्री के हर्जाने का
तिहाई (द) ५,०००

१९५९–६० कर-निर्धारण के लिए कुल आय ७२,२००

उमे औसत दर पर जीवन बीमा प्रीमियम के ८,००० रु० पर आय कर की छूट पाने का अधिकार है।

उपर्युक्त कुल आय की गणना के बारे मे नोट

(अ) मनोरजन भत्ता वेतन की आय मे जुडता है और तब यदि कर्मचारी अपने वर्तमान मालिक से लगातार १ अप्रैल १९५५ से मनोरजन भत्ता प्राप्त कर रहा है, तो कर्मचारी के वेतन (जिसमे विशेष भत्ता, लाभ या अन्य सम्मिलित नही है) के पाँचवें भाग या ७ ५०० रु० जो भी दोनो मे से कम हो, कि उसमे से कटौती मिलती है। इस परिस्थिति मे मनोरजन भत्ते की कोई कटौती नही मिलेगी।

(ब) वेतन के बदले मे प्राप्त लाभो मे वर्तमान या पूर्व मालिक से नौकरी समाप्त किए जाने पर प्राप्त हर्जाना सम्मिलित है, चाहे यह केवल नौकरी खो जाने के बारे मे हो या और किसी वजह से हो। इससे भी कोई अन्तर नही पडता कि यह हर्जाना अधिकार रूप मे कमचारी द्वारा माँगा जा सकता था या मालिक ने अपने विकल्प से दे दिया है। यह हमेशा वेतन की तरह कर योग्य है।

(स) जब कि जायदाद, जो कि मालिक के पास है मे केवल एक मकान है जो कि न तो वास्तव मे मालिक द्वारा घिरा हो, न किराये पर उठाया गया हो, तथा न और ही कोई लाभ उठाया गया हो तब ऐसी जायदाद का वार्षिक मूल्य, यदि वह गत वर्ष मे खाली रही है, शून्य लिया जाएगा।

(द) यदि कोई पुस्तक १२ माह से अधिक और २४ माह से कम मे तैयार की गई है और उसके बारे मे प्राप्त एक मुश्त रकम, यदि लेखक चाहे, तो जिस वर्ष मे प्राप्त हुई है उस वर्ष मे तथा अगले वष मे ५० ५० बाँटी जाकर कर-निर्धारण होगा। यदि लेखक के पुस्तक ने २४ माह से अधिक लिए है तो एक-तिहाई जिस साल मे प्राप्त हो तथा एक तिहाई अगले वर्ष मे तथा शेष एक-तिहाई उमसे अगले वर्ष मे बाँट कर कर-निर्धारण किया जाएगा। क्योकि यह नियम ऐक्स ने चाहा है। इसलिए गत वर्ष, जो ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होता है, की कुल आय मे एक-तिहाई ५,००० रु० ही सम्मिलित किया गया है।

अध्याय ९

उद्गम स्थान पर कर की कटौती

कर एकत्र करने की दो पद्धतियाँ है। एक सीधे कर-निर्धारण से तथा दूसरे उद्गम स्थान पर कर की कटौती से। उद्गम स्थान पर कर कटौती धारा १८ मे दी गई है। धारा १८ के अतिरिक्त उद्गम स्थान पर कर-कटौती दो अन्य स्थितियो मे दी गई है। एक तो स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड मे जुडा हुआ शेष जो कि कर्मचारी को दिया जाए जिसे इसके लिए धारा ५८ H के अन्तर्गत वेतन मान लिया गया है। दूसरे धारा ५८ S के अन्तर्गत कर्मचारी की अन्य आय (allied income) जिसमे स्वीकृत सुपरैन्यूएशन फण्ड (approved superannuation fund) का चन्दा सम्मिलित है। प्रॉविडेन्ट फण्ड तथा सुपरएन्यूएशन फण्ड के ट्रस्टियो का यह कर्त्तव्य है कि वे कर्मचारी को भुगतान करते समय, जहाँ कि उन्होने एक निर्धारित न्यूनतम सेवा की अवधि पूरी नही की है, उसमे से कर की कटौती करें।

उद्गम स्थान पर कर-कटौती तथा उद्गम स्थान पर कर लगाने मे अन्तर जान लेना चाहिए। बाद वाला (उद्गम स्थान पर करारोपण) अनरजिस्टर्ड फर्मों, व्यक्तियो के समूह तथा अविभाजित हिन्दू परिवारो के कर-निर्धारण मे होता है। वहाँ पर बजाय व्यक्ति (individual) पर कर लगाया जाए जब कि उसके हाथो मे आय आ जाए उससे पहले ही इकाई के रूप मे उस समूह पर ही कर-निर्धारण कर दिया जाता है।

धारा १८ के नियम (जैसे कि वे फाइनेंस एक्ट १९५९ से सशोधित हो गए है) सक्षेप मे निम्न हैं —

वेतन

'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय मे से आय कर तथा सुपर-टैक्स दोनो काटने होते है। निवासी कर्मचारियो (resident employees) की दशा मे कर्मचारी, की 'वेतन' शीर्षक मे अनुमानित आय पर लगने वाली दरो से ('कुल आय' पर लगने वाली दरो से नही) आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा।

जहाँ कि वेतन परदेशी (non-resident) को (जो कि भारत का नागरिक तथा सरकारी नौकर भारत से बाहर सेवा करता हुआ न हो) चुकाया जाए वहाँ पर 'वेतन' शीर्षक मे अनुमानित आय पर निर्धारित की गई दरो से आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा।

वेतन से आय-कर तथा सुपर-टैक्स उस वर्ष की दरो मे (जब कि वह चुकाया गया) काटा जाएगा।

जब परदेशी कर्मचारी आय-कर अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है कि उसकी कुल आय या कुल विश्व आय कर योग्य न्यूनतम सीमा से कम है या उस पर कम दर लगनी है तो कर की कटौती या तो नही की जायेगी या नीची दर से की जायेगी।

कमचारी के वेतन से कटौती की मासिक रकम निकालते समय निम्न मदो के लिए [बशर्ते कि वे उन शर्तों को (जो कि पिछले 'कर-मुक्त आय' के अध्याय मे समझाई गई हैं) पूरी करें] कर्मचारी की कुल आय पर लागू होने वाली आय कर की दर से आय-कर से (लेकिन सुपर टैक्स से नही) छूट दी जाएगी —

(अ) सरकारी नौकर के वेतन मे डेफ़र्ड एन्यूटी खरीदने या उसकी पत्नी या बच्चो के लिए किये गये आयोजन की राशि।

(ब) ऐसे प्रॉविडेन्ट फण्ड जिसे प्रॉविडेन्ट फण्ड १९२५ लागू होता हो, या स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड या अधिकृत सुपर एन्यूएशन फण्ड को कर्मचारी द्वारा दिया गया अशदान।

(स) कर्मचारी द्वारा दिया गया जीवन-बीमा प्रीमियम यदि मालिक ऐसे प्रीमियम की राशि से सतुष्ट है।

मालिक कटौती की राशि मे घटोत्तरी या बढोरत्ती कर सकता है यदि उसने पहले ज्यादा कर काट लिया है या नही काटा है।

मालिक द्वारा काटा गया सम्पूर्ण कर मालिक को कर्मचारी के क्रेडिट में सरकार को चुकाना होगा। यदि मालिक कर नही काटता या कर काटने के बाद जमा नही करता तो वह उस कर के लिए डिफाल्ट मे कर-दाता माना जाएगा।

धारा ७ (1) के द्वितीय नियम के अनुसार, जहाँ कि कर धारा १८ के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर काट लिया जाए, वहाँ कर-दाता से स्वय कर देने को नही कहा जाएगा केवल उस स्थिति को छोड कर जहाँ कि उसने वेतन बिना ऐसा कर काटे प्राप्त किया है।

धारा २१ के अन्तर्गत हर मालिक, सरकार सहित, का कर्त्तव्य है कि वह उन व्यक्तियो के नाम तथा पते देता हुआ जिन्होने ३१ मार्च को समाप्त हुए वर्ष मे वेतन की एक निर्धारित राशि तथा उसमे से काटा गया कर का रिटर्न आय-कर अधिकारी को ३१ मार्च के ३० दिन के अन्दर दाखिल करे।

प्रतिभूतियो पर ब्याज

वह व्यक्ति जो कि 'प्रतिभूतियो पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत कोई आय देता है उसे भुगतान करते समय उस चुकाए जाने वाले ब्याज पर निर्धारित दरो से आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा।

जहाँ प्रतिभूतियो का मालिक (लेकिन कम्पनी नही) इन्कम टैक्स आफीसर से यह सार्टीफिकेट प्राप्त कर ले कि उसकी कुल आय कम से कम जितनी आय पर कर लगता हो उससे भी कम है अथवा नीची दर मे कर लगने योग्य है तो प्रतिभूतियो पर ब्याज देने वाला व्यक्ति आय-कर काटे बिना ही ब्याज की राशि दे देगा या वह नीची दर से आय-कर काटेगा ।

प्रतिभूतियो पर ब्याज देने वाले व्यक्ति को यह आवश्यक है कि वह ऐसी कर-कटौती का विवरण निर्धारित फार्म मे उस व्यक्ति को भेजे जिसके ब्याज से आय-कर काटा गया है । इन्कम टैक्स ऑफीसर को भी विवरण दिखाते हुए सूची भेजनी पडती है ।

लाभाश

एक कम्पनी के प्रधान अफसर को जो कि भारत मे लाभाश बाटता है ऐसे लाभाश से निर्धारित दरो पर आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा ।

जहाँ कम्पनी का प्रधान अफसर यह सोचता है कि लाभाश पाने वाले को धारा १५ C के नियमो के कारण लाभाश (पूर्ण या किसी भाग) पर कोई आय-कर व सुपर-टैक्स नही देना होगा, तो वह लाभाश चुकाने से पहले आय-कर अधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र द सकता है कि वह कौन-सा भाग होगा जिस पर धारा १५ C के नियमो के अनुसार कर नही देना होगा तथा आय-कर अधिकारी के यह निश्चित कर देने के बाद उस भाग पर कोई आय-कर तथा सुपर-टैक्स नही काटा जाएगा ।

कम्पनी का प्रधान अफसर सरकार को (सरकार द्वारा रखे गए अशो पर) दिए गए किसी लाभाश से कोई भी कर नही काटेगा ।

जब एक कम्पनी का प्रधान अफसर लाभाश से कर काटता है तो उसे अशधारी को कटौती का सार्टीफिकेट देना होगा ताकि अशधारी वापसी या अपने कर-निर्धारण मे कर-दायित्व के समय आवश्यक समायोजन करा सके ।

लाभाश से उद्गम स्थान पर कटौती के उपर्युक्त नियम सर्व प्रथम १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष से लागू हुए हैं, लेकिन ये केवल उन कम्पनियो के लाभ, जो कि १९६०-६१ कर-निर्धारण वर्ष मे कर-देय होगे, से बाटे गए लाभाशो पर ही लागू होगे । किसी पूर्व वर्ष के लाभो (जो कि १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष मे कर-देय है) मे से बाटे गए लाभाशो से यह कटौती नही की जाएगी और उन पर पुराने नियम ही लागू होगे ।

परदेशियो को अन्य भुगतान (Other Payments to Non-residents)

परदेशी व्यक्ति (कम्पनी को छोड कर) या एक कम्पनी, जो कि भारत मे लाभाश नही बाटती, को चुकाए जाने वाली हर एक राशि से जिस पर आय-कर अधिनियम

लागू होता है (प्रतिभूतियो पर ब्याज तथा लाभागो को छोड कर) निर्धारित दरो के अनुसार आय-कर तथा सुपर-टैक्स काटना होगा। ये भुगतान ब्याज, रॉयल्टी, कमीशन, किराया आदि हो सकते है।

उस स्थिति को छोड कर जहाँ कि चुकाने वाला परदेशी के एजेंट के रूप में स्वय कर चुकाएगा इन कटौतियो का उत्तरदायित्व भुगतान करने वाले व्यक्ति पर है।

जहाँ कि परदेशी व्यक्ति आय-कर अधिकारी से 'कर-मुक्त' या 'कर-छूट' सार्टीफिकेट प्राप्त कर लेता है तो उस पर 'प्रतिभूतियो पर ब्याज' की तरह ही कटौती की जाएगी।

सामान्य (General)

धारा १८ के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर काटा गया कर प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय का भाग रहता है तथा उसकी कुल आय मे जुडता है।

उद्गम स्थान पर कर-कटौती उस व्यक्ति से, जिसकी आय से कर काटा गया है, कर एकत्र करने का केवल एक तरीका है। अतएव उद्गम स्थान पर काटा गया तथा सरकार को चुकाया गया कर कर-दाता की ओर से चुकाया गया माना जाता है और उसके लिए कर-दाता को उसके कर-निर्धारण मे क्रेडिट दी जाती है।

धारा १८ के अन्तर्गत काटा गया उद्गम स्थान पर कर सरकार को चुकाना होगा। इसमे सरकार की जोखिम नही है अतएव कर काटने वाले व्यक्ति को चोरी हो जाने या और किसी तरह से खो जाने के बावजूद भी यह राशि सरकार को देनी होगी।

यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति धारा १८ के अनुसार कर की कटौती नही करता या कटोती करने के बाद सरकार को चुकाने मे चूक करता है तो वह डिफाल्ट मे कर-दाता माना जाएगा तथा वह जान-बूझ कर भूल करने पर दण्ड का उत्तरदायी भी होगा।

उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने कटौती करने के दायित्व से बचना चाहता है अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील का अधिकार धारा १८ के अन्तगत कर काटने तथा उसे चुकाने की शर्तो के सहित है।

निर्धारित दरे (Prescribed Rates)

जैसा कि ऊपर कहा गया है कुछ स्थितियो मे उद्गम स्थान पर कटौती निर्धारित दरो से करनी होती है। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित दरे निम्न है :—

(अ) कम्पनी को छोडकर व्यक्ति की दशा मे कुल आय पर आय-कर २५% तथा आय-कर पर सरचार्ज ५%।

जहाँ व्यक्ति परदेशी है वहाँ कुल आय पर सुपर-टैक्स बिना किसी सरचार्ज के १९% या सुपर टैक्स जो कि उस आय पर निवासी को चुकाना

होता इन दोनो मे से जो भी ज्यादा हो उससे सुपर-टैक्स भी देना होगा। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए १९% की दर कुल आय ६१,७६० रु० तक लागू होगी।

(ब) कम्पनी की दशा मे कुल आय (धारा ५६ A के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा चुकाए गए लाभाश को छोड कर) पर आय-कर, बिना किसी सरचार्ज के २०% तथा सुपर-टैक्स, बिना किसी सरचार्ज के १०% तथा भारतीय कम्पनी की दशा मे कुल आय पर (भारतीय सब्सिडियरी से या ५६ A कम्पनी से प्राप्त लाभाश को छोडकर) सुपर-टैक्स, बिना किसी सरचार्ज के, १५% तथा विदेशी कम्पनी की दशा मे . कुल आय पर (भारतीय सब्सिडियरी से या ५६ A कम्पनी से प्राप्त लाभाश को छोड कर) सुपर-टैक्स, बिना किसी सरचार्ज के ३३%।

अध्याय १०

कर-निर्धारण की कार्य विधि

(Assessment Procedure)

इनकम टैक्स ऑफीसर कर-निर्धारण करने वाला अधिकारी है। कर-निर्धारण (Assessment) से अर्थ इस बात का निश्चय करना है कि कर-दाता की कुल आय कितनी है तथा उस पर उसे कितना कर देना पडेगा। कर-निर्धारण की कार्यविधि धारा २२-२९ मे दी हुई है।

आय का नक्शा (Return of Income)

धारा २२ के अनुसार रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करना आय कर-निर्धारण की पहली कायवाही है। नोटिस दो प्रकार के होते है। प्रथम एक सामान्य (general) नोटिस होता है, जो धारा २२ (१) के अनुसार इनकम टैक्स ऑफीसर द्वारा १ अप्रैल और १ मई के बीच मे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी आय एक निश्चित आय से अधिक होती है, आज्ञा दी जाती है कि नोटिस की तारीख से ६० दिन के अन्दर वह अपनी आय का नकशा दाखिल करे।

दूसरे प्रकार का नोटिस व्यक्तिगत नोटिस होता है। धारा २२ (२) के अनुसार इनकम टैक्स ऑफीसर को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष कर-दाता के नाम यह नोटिस जारी करे और उसे नोटिस मिल जाने के ३० दिन के अन्दर स्वीकृत फार्म मे आय का नकशा दाखिल करने की आज्ञा दे।

सामान्य और व्यक्तिगत दोनो प्रकार के नोटिसो मे नकशा दाखिल करने की तारीख बढाने का अधिकार इनकम टैक्स ऑफीसर को प्राप्त है।

जो व्यक्ति किसी विशेष कारण के बिना सामान्य नोटिस के अनुसार नकशा दाखिल नही करता, उस पर कर की ड्योढी रकम दण्ड स्वरूप और लग सकती है। लेकिन जिस कर-दाता की कुल आय ३,५००) मे कम है, उस पर यह दण्ड नही लगता। व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार यदि कर-दाता नकशा दाखिल नही करता तो वह भी धारा २८ (१) के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड (penalty) का भागी है। व्यक्तिगत नोटिस के अनुसार नकशा

दाखिल न करना अपराध (offence) में भी शामिल है जिसके लिए धारा ५१ (C) के अन्तगत कर-दाता को जुर्माना भुगतना पडता है और धारा २३ (४) के अन्तर्गत उत्तम निर्णयानुसार (Best Judgment) उसका कर-निर्धारण किया जाता है। उत्तम निर्णय (Best Judgment) से क्या अभिप्राय है, यह आगामी पृष्ठो मे समझाया गया है।

यदि कोई नकशा निश्चित अवधि के अन्दर दाखिल नही किया जाता, तो धारा २३ (३) के अन्तर्गत, कर-दाता इसे कर-निर्धारण से पूर्व किसी समय दाखिल कर सकता है। किन्तु किन्ही उपयुक्त कारणो के बिना यदि नकशा निश्चित अवधि मे दाखिल नही किया गया है तो धारा २८ (१) के अन्तर्गत कर-दाता जुर्माने का भागी हो सकता है चाहे नकशा बाद मे दाखिल ही क्यो न कर दिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति ने अपना नकशा दाखिल कर दिया हो और बाद मे उसे ज्ञात हो कि उसके अन्दर कोई चूक अथवा त्रुटि रह गयी है ऐसी स्थिति मे कर-निर्धारण से पूर्व किसी भी समय वह दूसरा ठीक किया हुआ नकशा दाखिल कर सकता है। किन्तु यदि कर-दाता जान-बूझ कर गलत और झूठा नकशा दाखिल कर चुका है तो उसे इस रियायत का लाभ नही मिल सकता। जान-बूझ कर झूठा नकशा दाखिल करने के अपराध को दूसरा ठीक किया हुआ नकशा दाखिल करके सुधारा नही जा सकता और धारा २८ के अन्तर्गत कर-दाता पर जुर्माना हो सकता है।

कुछ आय बताने वाले नकशे के स्वीकृत फार्म मे यह सब दिया होता है कि विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत आय किस प्रकार भरी जाय। यह घोषित करते हुए, कि नकशे मे जो इन्दराज हो रहे हैं वे जहाँ तक उसे (कर-दाता को) अच्छी तरह ज्ञात है, सही और पूरे हैं तथा एक वर्ष विशेष से सम्बन्धित हैं, कर-दाता नकशे के फार्म मे अपने हस्ताक्षर कर देता है। साथ ही वह यह भी घोषित करता है कि यह उसकी आय का ही स्टेटमेंट है। इसी नकशे मे कर-दाता अपने निवास की श्रेणी (Class of Resident) भी घोषित कर देता है।

हानि का नकशा (**Return of Loss**) —धारा २२ (२ A) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, जिसने किसी वर्ष कोई व्यापारिक हानि उठाई है, ऐसी हानि किसी बाद के कर-निर्धारण वर्ष को आगे ले जाना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह धारा २२ (१) के अन्तर्गत सामान्य सूचना मे निर्दिष्ट किये हुये समय के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुइ अवधि के अन्दर, जिसके लिये इनकम टैक्स आफीसर ने आज्ञा दे दी है, हानि का एक नकशा वह सब विवरण दिखाते हुये जो आय के नकशे मे दिया जाता है, दाखिल करे और हानि तय कराले। अधिनियम के आय के नकशो को लागू होने वाले आदेश हानि के नकशो पर भी लागू होते हैं।

कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax)

उस आय के सम्बन्ध मे, जिससे उद्गम स्थल पर कर नही काटा जाता, जैसे प्रतिभूतियों के ब्याज और वेतन से अतिरिक्त आय, धारा १८ A मे कुछ विशेष आदेश है जिनके अन्तगत इनकम टैक्स आफीसर को यह अधिकार है कि वह कर-निर्धारण वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष मे ही कर को किश्तो मे, सग्रह के वर्ष को लागू होने वाली दरो से, सग्रह कर ले। यह आयोजन 'चुकाओ जैसे कमाओ' (Pay as you earn) योजना कहलाती हे क्योकि जैसे-जैसे आय कमाई जाती है कर सग्रह होता रहता है।

लेकिन यह अग्रिम कर तभी दिया जाता है जबकि कर-दाता की कुल आय, सबसे अन्त मे (latest) पूर्ण हुये कर-निर्धारण के अनुसार, कर से मुक्त उच्चतम रकम से २,५०० रु० अधिक हो। जब तक अन्तिम पूर्ण हुये कर-निर्धारण के अनुसार कुल आय अविवाहित व्यक्तियो के लिये ५,५०० रु० से अधिक न हो अग्रिम कर देने के लिए दायित्व उदय नही होता।

१९५९-६० मे भारतीय कम्पनियाँ धारा १८ A मे आय-कर २०, तथा सुपर-टक्स २५% चुकायेगी जबकि विदेशी कम्पनियाँ आय-कर २०% तथा सुपर-टैक्स ४३% चुकायेगी।

यदि कुल आय, जो अन्तिम पूर्ण हुये कर-निर्धारण मे दी हुई है, निर्धारित-सीमा से अधिक बैठती है तो इनकम टैक्स आफीसर उसको रकम को अग्रिम कर निश्चित करने के लिये कुल आय मान लेगा। ऐसी दशा मे कर-दाता को कर के भुगतान के चालान सहित नोटिस भेजा जायगा। अग्रिम कर साधारणत. तिमाही किश्तो मे सम्बन्धित वित्ताय वर्ष की १५ जून, १५ सितम्बर, ओर १५ मार्च को चुकाया जाता है। किश्त चुकाने के लिये समय बढाने की आज्ञा नही है। हाँ, कमीशन की आय के सम्बन्ध मे आज्ञा मिल सकती है, क्योकि कमीशन प्राय समयान्तरा पर दिया जाता है और हो सकता है कि ऐसी किश्तो के लिये निर्धारित तिथियो को प्राप्त या समायोजित न हो सका हो। ऐसी दशा मे, कमीशन के सम्बन्ध का कर तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि कमीशन प्राप्त या समायोजित न हो जाये, किन्तु कर-दाता को ऐसे कमीशन पर उसके प्राप्त होने या समायोजन करने के १५ दिन के अन्दर चुका देना चाहिये।

यदि कर-दाता यह समझता है कि उसकी कुल आय उस आय से कम होगी जो कि इनकम टैक्स आफीसर ने मानी है, तो वह अपने निजी अनुमान दाखिल कर उनके आधार पर ही कर चुका सकता है। कर-दाता द्वारा फाइल किये गये अनुमान के सम्बन्ध मे २०% का मार्जिन त्रुटि के लिये रखा जाता है। यदि नियमित कर-निर्धारण के समय यह पाया गया कि अनुमान के अनुसार चुकाया गया कर, 'कर-निर्धारित-आय' (income assessed) पर देय वास्तविक कर (actual tax payable)

के ८०% से कम है, तो कर-दाता का इस कमी के धन पर वित्तीय वर्ष की, जिसमें कि कर चुकाया गया था, १ जनवरी से नियमित कर-निर्धारण की वास्तविक तिथि तक ४% वार्षिक ब्याज चुकाना पडेगा। यदि इनकम टैक्स आफीसर यह समझता है कि कर-दाता ने जान-बूझ कर देय कर कम बताया है, तो जितना कर कम दिया गया था उसके ड्योढे तक 'अथ-दण्ड' कर-दाता पर लगा सकता है।

जिन व्यक्तियो पर पहले कर-निर्धारण हो चुका है उनके सम्बन्ध में इनकम टैक्स आफीसर ही कर के अग्रिम भुगतान के लिए आज्ञा देता है, लेकिन, यदि किसी व्यक्ति पर पहले कर-निर्धारण नही हुआ है, तो उसे चाहिये कि वह स्वय ही गत कर-निर्धारण वर्ष की १५ मार्च के पहले (before 15th March preceding the assessment year) स्वेच्छापूर्वक कर का अग्रिम भुगतान करदे, यदि कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी आय ऊपर बताई गई सीमा से अधिक होने की सभावना हो। यदि नया कर-दाता ऐसा नही करता है, तो ४% ब्याज लगाया जायगा और उस पर अर्थ-दण्ड भी लग सकता है।

सरकार द्वारा कर के अग्रिम भुगतान पर इस प्रकार ब्याज दिया जायेगा —

(अ) १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध मे कर की पेशगी चुकाई गई अधिक रकम (अर्थात् नियमित कर-निर्धारण मे निर्धारित की गई कर राशि पर चुकाई गई कुल किश्तो के आधिक्य) पर २% वार्षिक दर से।

(आ) १९५६–५७ और बाद के कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध मे कर की पेशगी चुकाई गई अधिक रकम (अर्थात् नियमित कर निर्धारण में निर्धारित की गई कर-राशि पर चुकाई गई कुल किश्तो के आधिक्य) पर ४% वार्षिक दर से।

इस प्रकार ब्याज की जो रकम चुकाई जावेगी उसकी गणना वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से अगले वर्ष मे नियमित कर-निर्धारण की तिथि तक करनी चाहिए। उदाहरण के लिये यदि १९५७–५८ के कर-निर्धारण वर्ष मे कुल चुकाया गया कर १०,००० रु० है और १९५८–५९ के कर-निर्धारण वष के लिए १५ जुलाई १९५८ को समाप्त हुये नियमित कर-निर्धारण मे, कर की रकम ९,००० रु० निश्चित की गई है तो १,००० रु० पर १ अप्रैल १९५८ से १५ जुलाई १९५८ तक ४% वार्षिक दर से ब्याज दिया जावेगा।

उदाहरण

(१) (अ) एक कर-दाता से धारा १८ A के अन्तर्गत १२,००० रु० कर चुकाने के लिये कहा गया है। उसने अपने निजी अनुमान दाखिल किये और १९५८–५९ के

कर-निर्धारण वर्ष के दौरान मे ४,००० रु० चुकाये। १९५९-६० के रिटर्न भरने पर दिया जाने वाला कर १ अक्टूबर १९५९ को ५,००० रु० निश्चित किया गया। वह दर बताइये जिस पर सरकार उसे ब्याज चुकायेगी और साथ ही यह भी सकेत कीजिये कि किस अवधि के लिये ब्याज देना पडेगा।

(ब) यह मानते हुये कि उपरोक्त मामले मे नियमित कर-निर्धारण की समाप्ति पर निर्धारित किया गया कर १०,००० रु० था, बताइये कि क्या कर-दाता को दण्ड देना पडेगा ? यदि हॉ, तो उसकी कितनी रकम, क्या दर और कितनी अवधि होगी।

(स) किसी कर-दाता ने १ जुलाई १९५७ से बिजली के सामान की दूकान खोली। उसने अपने खाते ३१ मई १९५८ को बन्द कर दिये और इनकम टैक्स ऑफीसर को यह लिखा कि वह ३१ मई को समाप्त होने वाले वष को ही अपना 'गत वर्ष' रखना चाहता है। यदि ३१ मई १९५८ को समाप्त हुई अवधि के लिये लाभ (अ) ५,४०० रु० और (ब) ९,६०० रु० हो तो क्या उसे धारा १८ A के अन्तगत कोई कर देना होगा ? यदि हॉ, तो वह अन्तिम तिथि बताइये जिस तक कि उसे कर चुका देना चाहिये और साथ ही आय की वह रकम भी बताइये, जिस पर उसे कर चुकाना होगा।

(अ) चूँकि धारा १८ A के अन्तगत चुकाया गया कर नियमित कर-निर्धारण मे निर्धारित रकम से अधिक नही है इसलिये सरकार कर-दाता को कोई ब्याज नही देगी।

(ब) चूँकि कर-दाता द्वारा दी गई रकम (४,००० रु०) नियमित कर निर्धारण मे निश्चित की गई कर राशि के ८०% (१०,००० रु० का ८०% ८,००० रु० होता है) से कम है, इसलिये कर-दाता को दण्ड स्वरूप १ जनवरी १९५९ से १ अक्टूबर १९५९ तक की अवधि के लिये ४ ००० रु० पर, (जो कि कर मे कमी रह गई थी) ४% वार्षिक दर से ब्याज देना पडेगा।

(स) यदि उसकी आय ३१ मई १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये ५,४०० रु० है तो धारा १८ A के अन्तर्गत उसे कोई कर चुकाने की आवश्यकता नही है,। हॉ, यदि आय ९,६०० रु० है तो धारा १८ A के अन्तर्गत उस कुल रकम पर १५ मार्च १९५९ को या पहले ही कर चुकाना पडेगा, क्योकि लाभो पर कर-निर्धारण १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष मे होगा जिसके लिये १८ A वर्ष १९५८-५९ होगा।

(२) एक कर-दाता को धारा १८ A के अन्तर्गत १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष के भीतर तीन-तीन हजार रुपये की चार किश्ते देनी है। उसने भुगतान इस प्रकार किये —१५-६-१९५८ को ३,००० रु०, १५-९-१९५८ को ३,००० रु०, १५-१२-१९५८ को ३,००० रु० और १५-५-१९५९ को ३,००० रु०।

यदि १९५९-६० वर्ष के लिये कर-निर्धारण १५-५-१९६० को समाप्त हो जाये, और देय कर ८,००० रु० निश्चित हो, तो धारा १८ A (५) के अन्तर्गत आप कर-दाता को क्या ब्याज छोडेगे ?

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात् १५-५-१९६० को दिया गया भुगतान विचार मे नही लिया जावेगा। वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के भीतर दी गई किश्तो (९,००० रु०) के नियमित कर निर्धारण द्वारा निश्चित की गई कर राशि (अर्थात ८,००० रु०) पर आधिक्य अर्थात् केवल १,००० रु० पर ही धारा १८ A के अन्तगत ब्याज दिया जायेगा।

अत धारा १८ A (५) के अन्तर्गत चुकाया जाने वाला ब्याज १–४–१९५९ से १५–५–१९६० तक की अवधि के लिये १,००० रु० पर ४% वार्षिक से साधारण ब्याज होगा।

(३) १९५८–५९ के कर-निर्धारण वष के लिये ३१ माच १९५९ को समाप्त हुये नियमित कर-निर्धारण मे, कर-दाता पर निश्चित किया गया कर २ ००,००० रु० था। धारा १८ (१) के अन्तगत कर दाता के लिये यह आवश्यक था कि वह १,२०,००० रु० अग्रिम कर चुकाये, लेकिन उसने धारा १८ A (२) के अन्तगत १,००,००० रु० बताते हुये अपना निजी अनुमान दाखिल किया और इसके ही अनुमार कर चुकाया। धारा १८ A (६) के अन्तगत कर दाता से जो ब्याज वसूल किया जायेगा उसे निकालिये। १९५७–५८ और १९५८–५९ के लिये कर की दरें एक ही हैं।

यह मानते हुए कि कर-दाता का अनुमान जान बूझ कर कम रखा गया है इसलिए उस पर धारा १८ A (९) की पैनल्टी लगेगी अधिकतम पैनल्टी, जो उस पर लग सकती है, की गणना कीजिए।

यदि किसी कर-दाता का कर अनुमान नियमित कर-निर्धारण मे निश्चित किये गये कर के ८०% से भी कम निकले तो उसे भुगतान से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का पहली जनवरी से लेकर नियमित कर निर्धारण की तिथि तक कर मे पडी कमी की रकम पर ४% वार्षिक (साधारण) ब्याज दण्ड स्वरूप चुकाना पडेगा।

चूँकि १९५७–५८ और १९५८–५९ के लिये कर की दरें एक ही है इसलिये धारा १८ A के अन्तर्गत लगने वाला ब्याज इस प्रकार निकाला जावेगा :—

	रु०
नियमित कर निर्धारण मे निश्चित किये गये कर ८०%	१,६०,०००
धारा १८ A के अन्तर्गत चुकाया गया कर	१,००,०००
कर की न्यूनता	६०,०००

अत धारा १८ A (६) के अन्तर्गत ६०,००० रु० पर १ जनवरी १९५८ से ३१ मार्च १९५९ तक १५ महीनो के लिये ४% वार्षिक ब्याज लगाया जावेगा, जो कि ३,००० रु० आता है।

यदि धारा १८ A (२) के अन्तगत भेजे गये कर-अनुमान मे कर-दाता ने जान-बूझ कर कमी बताई है तो धारा १८ A (९) (अ) के अन्तगत चुकाये गये कर की न्यूनता की ड्योढी राशि दण्ड स्वरूप अधिक से अधिक वसूल की जा सकती है। इस दशा में यह ६०,००० रु० का १½ गुना अर्थात् ९० ००० रु० होगी।

अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment)

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, धारा १८ A के अन्तर्गत पेशगी कर की रकम पिछले पूर्ण हुये कर-निर्धारण (Last completed assessment) के अनुसार मालूम की जाती है। इसलिए, यह सम्भव है कि जिस आय पर पेशगी कर दिया गया है, वह कर-दाता के नक्शे मे, बाद को दिखाई गयी आय से, बहुत कम बैठे। ऐसी हालत मे, जब तक कर-निर्धारण (Assessment) पूरे तौर से न हो जाय, कर की शेष रकम वसूल नही की जा सकती। कर-दाता कभी समय बढाने की अर्जी देकर, कभी सबूत साक्षी प्रस्तुत करने मे देरी करके इनकम टैक्स ऑफीसर को छकाता रहता है, और काफी अर्से तक शेष कर की अदायगी से बचा रहता है।

इन कठिनाइयो को दूर करने के लिए, इनकम टैक्स ऑफीसर को धारा २३ के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि वह कर-दाता के खुद बनाये नक्शे (रिटर्न) और इसके साथ दाखिल किये जाने वाले बहीखाते आदि हिसाब-पत्रो के आधार पर, यदि कोई हो नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) से पूर्व अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment) करले। एक अस्थायी कर-निर्धारण वस्तुत एक सक्षिप्त कर निर्धारण (Summary assessment) है। यदि कर-दाता द्वारा अदा की गयी पेशगी कर की रकम नक्शे मे दिखाई गई आय पर लगने वाली कर की रकम से अधिक होने का अनुमान हो, तो यह कोई जरूरी नही है कि इनकम टैक्स ऑफीसर अस्थायी कर-निर्धारण करे ही करे।

अस्थायी कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील नही की जा सकती और इस कर-निर्धारण (assessment) मे कर की जो रकम निश्चित कर दी गयी है उसे 'माँग की सूचना' मे आदेशित अवधि के अन्दर ही अवश्य जमा कर देना चाहिए नही तो कर दाता को कर की रपम के बराबर दण्ड (penalty) भुगतना पड सकता है।

धारा १८ के अन्तर्गत, उद्गम स्थान मे काटा गया कर या धारा १८ A के अन्तर्गत जमा किया गया पेशगी कर, अस्थायी कर-निर्धारण के लिए ही दिया हुआ माना जाता है और इसके लिए अस्थायी कर-निर्धारण मे कर-दाता को कटौती दी जाती है। इसी प्रकार, अस्थायी कर-निर्धारण के लिए दी गई कर की रकम नियमित कर-निर्धारण (Regular Assessment) के लिये दी गई रकम मानी जाती है और कर-दाता को नियमित कर-निर्धारण मे उस रकम के लिये कटौती दी जायगी।

नियमित कर-निर्धारण (Regular Assessment)

धारा २३ के अनुसार निम्न तीन प्रकार के कर-निर्धारण किये जाते है :—

(१) नकशे के आधार पर (on the basis of return)—कर-दाता से नकशा प्राप्त होने पर इनकम टैक्स आफीसर उसकी यह परीक्षा करता है कि वह आवश्यक विवरणों से पूर्ण है या नहीं तथा नकशे से सम्बन्धित आवश्यक हिसाब-पत्रक साथ में आए हैं या नहीं, और यदि उसे यह विश्वास हो जाता है कि सम्पूर्ण सामग्री सही और पूर्ण है तो धारा २३ (१) के अनुसार वह खुद ही कर-निर्धारण कर देता है, कर-दाता को दफ्तर में नहीं बुलाता।

(२) प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर (on the basis of evidence produced)—यदि इनकम टैक्स आफीसर कर-दाता के नकशे को पूर्ण और सही नहीं समझता अथवा साथ में आये हिसाब-पत्रक भी पूर्णतः समाधान प्रदान नहीं करते तो ऐसी दशा में धारा २३ (३) के अन्तर्गत आवश्यक जाँच-पड़ताल और पूछताछ के पश्चात् कर-निर्धारण कर दिया जाता है।

धारा २३ (२) के अनुसार, इनकम टैक्स आफीसर कर-दाता के नाम नोटिस जारी करता है कि उसमें निश्चित की हुई तारीख को उसके दफ्तर में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा हाजिर होकर नकशे के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करे। यदि इनकम टैक्स आफीसर कर-दाता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक समझे तो वह धारा ३७ के अनुसार आज्ञा जारी करके उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है।

धारा २२ (४) के अन्तर्गत इनकम टैक्स आफीसर को यह अधिकार है कि वह कर-दाता से बही-खाते आदि हिसाब के कागजात तलब करे। किन्तु वह कर-दाता से, जिस गतवर्ष के लाभ पर कर-निर्धारण किया जाना है उससे तीन वर्ष से अधिक अवधि के पूर्व के बही-खातों की मांग नहीं कर सकता। यह प्रतिबन्ध केवल बही-खातों के लिए ही है, हिसाब-पत्रकों (documents) पर वह लागू नहीं होता। इनकम टैक्स आफीसर बही-खातों को अपने सम्मुख पेश करने के लिए तो कह सकता है लेकिन उन्हें अपने पास नहीं रख सकता।

हिसाबों, हिसाब-पत्रकों तथा कर-दाता द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य का निरीक्षण कर इनकम टैक्स आफीसर कर-निर्धारण सम्बन्धी आज्ञा दे सकता है।

(३) अति उत्तम निर्णय के आधार पर (Best judgment assessment)—यदि कर-दाता धारा २२ (२) के अनुसार अपने नाम जारी किये गये व्यक्तिगत नोटिस के उत्तर में आय का नकशा दाखिल नहीं करता या धारा २३ (२) के अनुसार आवश्यक सबूत प्रस्तुत नहीं करता अथवा धारा २२ (४) के अन्तर्गत माँगे गये बही-खाते तथा हिसाब-पत्रकों को पेश नहीं करता तो इनकम टैक्स आफीसर यदि वह चाहे तो, उन्हें दाखिल करने के लिए उसे एक और अवसर दे सकता है। यदि तब भी कर-दाता कोई ध्यान न देकर चुप्पी साधे बैठा रहे, तो ऐसी दशा में इनकम टैक्स आफीसर को

अपने उत्तम निर्णय के अनुसार इकतरफा (ex-parte) कर-निर्धारण करने के लिए बाध्य होना पडेगा ।

यह स्वाभाविक है कि इकतरफा कर-निर्धारण किसी भी परिस्थिति में, उस कर-निर्धारण से तुलना नही कर सकता, जो कर-दाता की अमूल्य सहायता और सहयोग से किया जावेगा । आय-कर विभाग तो यही चाहता है कि कर-निर्धारण कर-दाता के सहयोग से ही किया जाय और राष्ट्र के हित मे भी यही आवश्यक है कि लम्बे अर्से तक आय-कर सम्बन्धी झगडे और विवादो को निबटाने मे खर्च होने वाला समय, शक्ति और धन बचा लिया जाय और कर-दाता तथा इनकम टैक्स आफीसर के पारस्परिक सहयोग से किसी समझोते पर पहुँचा जाय ।

उत्तम निर्णयानुसार हुए कर-निर्धारण मे कर-दाता को जितना कर देना है उसका ड्योढा, दण्ड (penalty) स्वरूप और भी भुगतान पड सकता है ।

उत्तम निर्णयानुसार हुए कर-निर्धारण के विरुद्ध कर-दाता के पास दो उपाय है : (१) धारा २७ के अन्तगत वह इनकम टैक्स आफीसर से कर-निर्धारण खारिज कर देने की प्राथना कर सकता है । (२) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ, धारा ३० के अन्तर्गत वह इस निणय के विरुद्ध अपील कर सकता है । यदि इनकम टैक्स आफीसर का निर्णय न्याय सगत नही हे, तो उसे अपील मे बदला जा सकता है ।

कर की वसूली (Recovery of Tax)

जब इनकम टैक्स आफीसर कर-निर्धारण का काय समाप्त कर चुके तो वह कर-निर्धारण आदेश जारी करता है, जिसमे यह बताया जाता है कि उस पर कितना कर लगाया गया है आर किस आधार पर लगाया गया है । इसके पश्चात् धारा २९ के अन्तगत वह कर-दाता के नाम कर की माँग करते हुए नोटिस जारी करता है कि अमुक तारीख तक अमुक ट्रैजरी या बैक मे कर की रकम जमा करदी जाय ।

धारा ४६ के अनुसार, यदि निश्चित तारीख तक कर जमा नही कराया जाता तो इनकम टैक्स आफीसर कर-दाता पर अर्थ-दण्ड (penalty) भी लगा सकता है और यदि फिर भी कर जमा न किया जावे तो वह दण्ड बढा सकता है लेकिन दण्ड की कुल रकम बकाया कर (Arrears of tax) से अधिक नही होनी चाहिए । बकाया कर निम्न तरीको मे से किसी तरह वसूल किया जा सकता है :—

(अ) इनकम टैक्स ऑफीसर कलक्टर के पास एक सार्टीफिकेट भेज सकता है, जिसमे वह रकम जो कर-दाता से लेनी रह गयी है, लिखी रहती है । इस सार्टीफिकेट के मिलने पर कलक्टर इस रकम को वसूल करने के लिए वैसी सी कार्यवाही करेगा, जैसी लगान (land revenue) वसूल करने के लिए की जाती है। यदि कर की

वसूली न हो सके तो कलक्टर को कर-दाता की कुर्की करवाने और उसकी सम्पत्ति बिकवाने का अधिकार है।

(ब) कलक्टर को कोई सार्टीफिकेट न भेजकर इनकम टैक्स अफसर यह कर सकता है कि वह अन्य व्यक्तियो के ऊपर कर-दाता की जो रकमे प्राप्य (moneys due) है उन्हे कुर्क (Attach) करले। इस आयोजन के अनुसार इनकम टैक्स ऑफीसर बेक मे जमा रकमे कुर्क करा सकता है।

कर चुकाने का प्रमाण पत्र (**Tax Clearance Certificates**)

यह विश्वास प्राप्त करने के लिये कोई व्यक्ति जो भारतीय आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर चुकाने का दायी है, बिना कर चुकाये भारतीय क्षेत्र छोडकर न चला जाये, धारा ४६ A यह निर्देश करती है कि कोई भी व्यक्ति जल, थल, वायु किसी भी मार्ग से भारत से बाहर नही जा सकेगा जब तक वह विदेश विभाग के किसी भी इनकम टैक्स ऑफीसर से, जो समय-समय पर नियुक्त किये जाये, कर चुकाने का प्रमाण-पत्र या कर-मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करले।

भारतीय निवास (Indian domicile) के व्यक्तियो और अन्य दूसरे व्यक्तियो को, जिन पर पहले कर लग चुका है, यह चाहिये कि वे अपने क्षेत्र के या कर लगाने वाले इनकम टैक्स आफीसर को निर्धारित प्रपत्र मे प्रार्थना पत्र दे। यह इनकम टैक्स ऑफीसर एक अनुमति प्रपत्र देगा जिसे विदेश विभाग के इनकम टैक्स ऑफीसर से 'कर चुकाने के प्रमाण पत्र' से बदला जा सकता है। जो व्यक्ति भारतीय निवास के नही हैं और जिन पर पहले ही कर नही लगा है, उनको चाहिये कि वे सीधे विदेश विभाग के किसी भी इनकम टैक्स ऑफीसर को निर्धारित प्रपत्र मे प्रार्थना पत्र भेजें।

कर चुकाने का प्रमाण पत्र या तो यह बताता है कि सम्बन्धित व्यक्ति पर कोई कर दायित्व नही है या यह बताता है कि उस व्यक्ति के द्वारा समस्त करो को चुकाने का सतोषजनक प्रबन्ध कर दिया गया है। यदि इनकम टैक्स ऑफीसर का यह सतोष हो जाय कि ऐसा व्यक्ति भारत लौटने का इरादा रखता है तो वह कर मुक्ति का प्रमाण-पत्र (Exemption Certificate) दे सकता है।

स्टीमशिप एव जहाज कम्पनियो की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने को इसमे सतुष्ट करले कि उनके मुसाफिरो के पास कर मुक्ति या कर चुका देने के प्रमाण-पत्र मौजूद है। यदि वह इसकी जॉच करने मे त्रुटि करते हैं और ऐसे प्रमाण-पत्र बिना ही किसी व्यक्ति को यात्रा करने की आज्ञा दे देते है तो मुसाफिर का कर चुकाने की जिम्मेदारी उन पर आ जायगी।

कुछ व्यक्तियो को उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दायित्व से मुक्त रखा गया है।

माग का अपलिखित करना (Write off of Demand)

जब कि कर-दाता के पास कोई सम्पत्ति न रहे और उस पर वाजिब कर प्राप्त होने योग्य न रहे तब इनकम टैक्स ऑफीसर की दरख्वास्त पर (जिसे इन्सपैक्टिंग एसिस्टैंट कमिश्नर रिकमेंड करे) कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह ऐसी रकम को अपलिखित कर दे।

केवल इस बात से कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी किताबो मे ऐसा कर न प्राप्त होने वाला अपलिखित कर दिया है लेकिन यदि वह पाता है कि उसे उगाहना सम्भव हो जाना है तो डिपाटमेंट के लिए उसे प्राप्त करने के लिए कोई रोक नही होगी।

कर-निर्धारण का विलोपन (Cancelation of Assessment)

धारा २७ के अनुसार, यदि कर-दाता माँग के नोटिस (Demand Notice) से एक महीने के अन्दर, निम्नलिखित किसी बात पर इनकम टैक्स ऑफीसर को सतुष्ट कर देता है, तो इनकम टैक्स ऑफीसर कर निर्धारण को खारिज कर सकता है और नया कर-निर्धारण कर सकता है —

(अ) किन्ही उचित और उपयुक्त (sufficient) कारणो वश धारा २२ के अनुसार वह नकशा भेजने मे असमर्थ हो गया था, अथवा

(ब) धारा २२ (४) अथवा धारा २३ (२) के अनुसार जारी किये गये नोटिस उसे प्राप्त नही हुए, या वह उपयुक्त कारणो वश नोटिसो की आज्ञा-पालन करने मे असमर्थ हो गया था।

यदि धारा २७ के अनुसार कर-निर्धारण खारिज कर दिया जाता है, तो धारा २३ (३) के अनुसार नया कर-निर्धारण किया जायगा।

भूल सुधार Rectification of Mistakes)

धारा ३५ के अनुसार, कमिश्नर, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर या इनकम टैक्स ऑफीसर निर्णय के समय यदि कोई भूल (जो उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यो या कागजातो से स्पष्ट प्रगट हो) रह गई हो तो उसे अपनी ओर मे या कर-दाता की प्रार्थना पर सुधार सकते है। निर्णय की तारीख से ४ वष की अवधि तक कर के निर्धारण मे हुई भूल का सुधार हो सकता है।

आकस्मिक कर-निर्धारण (Emergency Assessment)

धारा २४ A आकस्मिक कर-निर्धारण की धारा है। यह उन लोगो पर लागू होती है जिनके भारत छोडकर विदेश जाने की सभावना है और जो लौट कर भारत मे आने का इरादा नही रखते। ऐसे लोगो के कर-निर्धारण मे सामान्य कार्यवाही के अनुसार नही चला जाता। यदि कोई व्यक्ति चालू वित्तीय वष मे भारत छोडकर जाने का इरादा रखता है, तो इनकम टैक्स ऑफीसर उसे केवल ७ दिन का ही नोटिस देकर नकशा

दाखिल करने को बाध्य कर सकता है। गत वर्ष की आय के साथ साथ कर-दाता की चालू वर्ष की आय पर भी कर निर्धारण किया जा सकता है यदि उस पर साधारण प्रगति मे गत वर्ष की आय के लिए पहले से ही कर नही लगा है। जाने की तिथि तक, पिछले वर्षो की अन्तिम तिथि से, इनकम टैक्स ऑफीसर को उसकी कुल आय का अन्दाज लगा लेना चाहिए और उस पर उस वर्ष, जिसमे कर-निर्धारण हो रहा है, की दरो से कर लगाना चाहिए। यह धारा इस सामान्य नियम का अपवाद है कि कर-निर्धारण गत वर्ष की आय पर ही किया जाता है।

संस्था के स्वामित्व मे हेर-फेर (Succession of Business)

धारा २६ (२) के अनुसार, जब किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे के स्वामित्व (Proprietorship) मे कोई परिवर्तन हो गया है, तो जिन लोगो को लाभ पाने का अधिकार है उन्ही व्यक्तियो से कर वसूल किया जा सकता है। यह भी आयोजन किया गया है कि यदि पूर्व स्वामी या साझीदार का पता न चल सके या वह कर न दे सकता हो, तो उसके उत्तराधिकारी से ही उसके कर की रकम वसूल की जायगी। लेकिन उस व्यक्ति को, जिसे किसी दूसरे की ओर से कर चुकाना पडा है, उस दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार चुकाया गया कर वसूल पाने का अधिकार दिया गया है।

बन्द किये हुये व्यापार का कर-निर्धारण (Assessment of Discontinued Business)

किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे को बन्द करने का मतलब उसे बिलकुल समाप्त कर देना है। बन्द हुए व्यापार पर कर के सम्बन्ध मे, उन व्यापारो मे अन्तर रक्खा जाता है जिन पर सन् १९१८ के आय-कर अधिनियम के अनुसार किसी भी समय कर लगाया जा चुका है और जिन पर इस प्रकार कर नही लगाया गया था।

यदि १९१८ के अधिनियम के अनुसार कर लगा हो

धारा २५ (३) का सम्बन्ध बन्द हुए उस व्यापार के कर-निर्धारण (Assessment) से है, जिस पर सन् १९१८ के आय-कर अधिनियम के अनुसार किसी भी समय कर लग चुका है। १९१८ के अधिनियम के अनुसार तो चालू वर्ष के लाभ पर कर लगाया जाता था, लेकिन १९२२ के अधिनियम के अनुसार गत वर्ष के लाभ पर कर लगाया जाता था। १९२२ मे जब ऐसा परिवर्तन हुआ था, तब १९२१–२२ और १९२२–२३ के कर-निर्धारण उसी हिसाबी अवधि के लिए किये गये थे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस हिसाबी अवधि के लाभ पर दो बार कर लगा। इसीलिए जिस वर्ष मे इस प्रकार का व्यापार बन्द होता है उसमे निम्नलिखित रियायते देने के लिए धारा २५ (३) की व्यवस्था की गई है :—

(अ) जिस वर्ष मे व्यापार समाप्त किया जाता है उस वर्ष के या व्यापार बन्द होने वाले वष के या उसके भाग के लाभ पर कर-निर्धारण नही किया जाता।

(आ) कर-दाता को यह मॉग करने का अधिकार होगा कि व्यापार बन्द होने वाले वर्ष के या उसके एक भाग के लाभ को, व्यापार बन्द होने मे पूव की पूर्ण हिसाबी अवधि (Full accounting period) की आय के स्थान मे स्वीकार कर लिया जाय।

उदाहरण

हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। १९५८ का लाभ २,००,००० रु० है। ३१ मार्च १९५९ को व्यापार बन्द हो गया। इस तारीख तक ३ महीने का लाभ ४०,००० रु० है। कर-दाता को निम्न रियायते (Concessions) प्राप्त होगी —

(अ) १९५९ के ३ महीनो की आय पर कर-निर्धारण नही होना चाहिए, और

(आ) १९५८ के लिये २,००,००० रु० के लाभ पर, यदि इस पर पहले ही कर-निर्धारण हो चुका है, यह मानते हुये कि वह रकम ४०,००० रु० ही है, पुन कर-निर्धारण होना चाहिए और यदि कर अधिक वसूल हो गया है तो वह आधिक्य कर-दाता को वापस मिलना चाहिए।

यदि बन्द हुए व्यापार पर १९१८ के अधिनियम के अनुसार कर नही लगा है।

यदि कोई व्यापार, व्यवसाय या पेशा (जिसकी आय पर १९१८ के अधिनियम के अनुसार कभी कर नही लगा है) किसी वष मे बन्द हो जाता है, तो धारा २५ (१) के अनुसार उस वष मे, गत वर्ष की समाप्ति और व्यापार बन्द होने की तारीख के बीच की अवधि की आय के आधार पर कर लगाया जाना चाहिए। ऐसा कर निर्धारण करने में कर की जो दरे लागू होगी वे उस वित्तीय वर्ष की चालू दरे होगी जिसमे कि व्यापार बन्द हुआ है।

धारा २५ (२) के अनुसार व्यापार, व्यवसाय या पेशे को बन्द करने का नोटिस इनकम टैक्स अफसर को १५ दिन के भीतर ही दे देना चाहिए, नही तो व्यापार बन्द करने वाले व्यक्ति दण्ड (Penalty) के भागी बन सकते है।

अतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)

यदि इनकम टैक्स अफसर को यह विश्वास करने के कारण है कि कोई आय कर लगने से रह गई है, तो वह धारा ३४ के अनुसार, उस पर कायवाही प्रारम्भ कर सकता है। यदि उसने घाटे की या घिसाई की अधिक छूटें दे दी है तो यह धारा उसे उनके ऊपर पुनर्विचार करने का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण निम्न परिस्थितियो में जरूरी हो सकता है —

(अ) जबकि धारा २२ के अनुसार कर-दाता ने आय का नकशा दाखिल नही

किया है अथवा कर-निर्धारण के लिये आवश्यक तथ्यों को उसने पूरी तरह और सचाई के साथ प्रकट नहीं किया है, और

(ब) जब कि उन सूचनाओं के आधार पर जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास हों वह समझता है कि कोई आय कर लगने से रह गई है अथवा अधिक छूटें दे दी गयी है।

धारा ३४ के अन्तर्गत कार्यवाही

जब कोई इनकम टैक्स आफीसर इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करना चाहता है, तो उसे चाहिये कि कर-दाता को नोटिस दे। यदि धारा ३४ के अन्तर्गत दिये जाने वाले नोटिस में धारा २२ (२) का कोई आदेश भी समाविष्ट किया गया हो, तो उस आदेश को पूरा करने के लिये कर-दाता को कम से कम ३० दिन की अवधि मिलनी चाहिये।

यदि कर-दाता की ओर से कोई त्रुटि नहीं है लेकिन इनकम टैक्स आफीसर को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आय पूर्णतः या अंशतः कर निर्धारण से बच गई है, तो इस धारा के अन्तर्गत नोटिस देने के समय की सीमा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के अन्त में ४ वर्ष होगी। इस समय सीमा में अतिरिक्त कर-निर्धारण के पूरा करने के लिये एक साल की वृद्धि की जा सकती है।

जब कर-दाता की ओर से कोई त्रुटि हो, तो कर-निर्धारण पुनः खोलने (re-opening) के लिये कोई समय-सीमा (Time Limit) नहीं होगी, हां इस सम्बन्ध में निम्न प्रतिबन्ध हैं :—

(१) १९४०–४१ के पहले किसी वर्ष के लिये कर-निर्धारण फिर से नहीं खोला जा सकता।

(२) किसी कर-निर्धारण या पुनः कर-निर्धारण को पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा नहीं है।

(३) इन दशाओं में, जो कि ८ वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, इनकम टैक्स ऑफीसर इस धारा के अन्तर्गत तब ही नोटिस जारी कर सकता है (अ) जबकि एक या अधिक वर्ष के लिये कर से बची हुई आय की रकम १,००,००० रु० से कम न हो, और (ब) जबकि उसने ऐसी कार्यवाही के लिये 'कारण' दे दिया हो और सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।

युद्ध-काल में कर की चोरी के मामलों के सम्बन्ध में निपटारे की व्यवस्था जारी रहेगी। यदि कोई कर-दाता अपना मामला निपटवाना चाहता है, तो वह धारा ३४ के अन्तर्गत मिले हुए नोटिस के ६ माह के अन्दर सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को, जिसे उक्त

निपटारा करने का अधिकार प्राप्त है, प्राथना-पत्र भेज सकता है। इस प्रकार जो निपटारा होगा वह 'अन्तिम' (Final) रहेगा।

किसी वर्ष के लिये, उस वर्ष से २ वर्ष की समाप्ति के बाद, कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा यदि वह व्यक्ति, जिस पर कर-निर्धारण या पून कर-निर्धारण करना है, किसी परदेशी का प्रतिनिधि माना गया हो।

कर उस दर से चार्ज किया जायगा, जिस पर तब चार्ज किया जाता जबकि आय कर-निर्धारण से न बचाई होती। जान बूझकर छिपाई हुई आय की दशा में बचाये हुए कर की ड्यौढी रकम दण्ड स्वरूप लगाई जा सकती है।

अपील और पुनर्निर्णय (Appeals and Revision)

इनकम टैक्स ऑफीसर भी मनुष्य ही है। अन्य सभी आदमियो की भाँति उनसे भी गलतियाँ (तथ्यो की और कानून की) हो सकती है। कभी-कभी वह ईमानदारी से (किन्तु भ्रमपूर्वक) यह विश्वास किये रहता है कि उसके विचार कानून सम्मत है। इसी प्रकार कर-दाता और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच मे भी कानून और तथ्य के प्रश्न पर ईमानदारी के मतभेद हो सकते है। जब कर-दाता का इनकम टैक्स ऑफीसर से मतभेद हो, तो वह उसकी आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है अथवा उसकी निगरानी के लिये माग कर सकता है।

कर-दाता के अपील सम्बन्धी अधिकार

कर-दाता को अपील सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार दिये गये है —

(१) अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर

प्रथम तो कर-दाता इनकम टैक्स ऑफीसर के फेसलो के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है। माँग की सूचना प्राप्ति के या फैसले की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर-अन्दर अपील फाइल कर देनी चाहिये। अपील पाने पर अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर एक विशेष दिन और स्थान नियत कर देगा जब कि अपील सुनी जायेगी। सुनवाई की तिथि और स्थान सूचित करते हुए कर-दाता को बुलाने का नोटिस दिया जायेगा जो या तो खुद अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो सकता है। उसकी और इनकम टैक्स ऑफीसर की बाते सूनकर अ० अ० क० आदेश जारी करेगा जिसकी एक नकल कर-दाता को दी जायेगी। इस आदेश द्वारा कर-निर्धारण की पुष्टि की जा सकती है या उसे खारिज किया जा सकता है अथवा कर घटाया या बढाया जा सकता है।

(२) अपीलेट ट्रिब्यूनल

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के आदेशो के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील की जा सकती है। अपील का अधिकार कर-दाता को और आय-कर विभाग दोनो को

ही दिया गया है। कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफीसर को अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करने का निर्देश कर सकता है यदि उसे अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के आदेश मे कोई विरोध हो। कर-दाता को अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने के पहले १०० रु० जमा करने पडते है परन्तु अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने के लिये विभाग द्वारा ऐसी कोई रकम जमा करना आवश्यक नही है।

ट्रिब्यूनल को अपील आरोपित आदेश की प्राप्ति के ६० दिन के अन्दर ही कर देनी चाहिये।

यह अपील एक निर्धारित प्रपत्र मे भर कर भेजनी चाहिये। तथ्यो का जहाँ तक प्रश्न है ट्रिब्यूनल अपील की अन्तिम अदालत है परन्तु सन्नियम के प्रश्न पर मामला हाईकोर्ट को विचारार्थ भेजा जा सकता है।

(३) हाईकोर्ट

यदि कोई कानूनी प्रश्न पैदा हो तो कर-दाता या कमिश्नर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से मामला हाईकोर्ट को विचारार्थ भेजने की प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार की प्रार्थना-पत्र ट्रिब्यूनल को देने के लिये ट्रिब्यूनल के कर-दाता या कमिश्नर को आदेश जारी करने की तिथि से ६० दिन की अवधि सीमा रखी गई है। यह प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र मे होना चाहिये और कर-दाता द्वारा प्राथना पत्र देने की दशा मे उसके साथ १०० रु० की फीस भी आनी चाहिये।

ट्रिब्यूनल से मामले का विवरण प्राप्त होने पर, हाईकोर्ट मामले को सुनेगा और पैदा हुये कानूनी प्रश्न पर निर्णय देगा।

(४) सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध कानूनी प्रश्न पर अन्तिम अपील भारत के सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।

अपील तब ही की जा सकती है जब हाईकोर्ट यह प्रमाणित करे कि वह मामला ऐसा है जिसमे सुप्रीम कोर्ट को अपील करना उचित है।

कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार (Revision by Commissioner)

अपनी मर्जी से या कर-दाता की प्रार्थना पर कमिश्नर धारा ३३ A तथा ३३ B के अन्तर्गत पुनर्विचार करने के अपने अधिकारो का प्रयोग कर सकता है :—

(१) यदि कमिश्नर स्वय करता है तो वह किसी मामले का विवरण, जिसमे इनकम टैक्स ऑफीसर या अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर ने आदेश जारी किया, मँगा सकता है और ऐसी सब जाँच करने के उपरान्त जो वह आवश्यक समझे, वह उस पर निर्णय दे सकता है बशर्ते वह कर-दाता के लिये अहितकर न हो। हाँ, वह आदेश निम्न दशाओ मे सशोधित न कर सकेगा :—

(अ) जबकि अ० अ० क० या अ० ट्रि० को उस आदेश के सम्बन्ध मे अपील की जा सकती है और अपील का समय अभी नही निकला है, या

(आ) जब वह मामला अ० अ० क० के या अ० ट्रि० के सम्मुख चल रहा हो,

(इ) जब आदेश दिये हुये एक साल से अधिक समय बीत चुका है।

(२) यदि कर दाता इनकम टैक्स ऑफीसर अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध पुर्नविचार के लिये कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र देना चाहता है तो उसे आदेश की प्राप्ति के एक वर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र दे देना चाहिये। साथ मे २५ रु० फीस भी जानी चाहिये।

ऐसे किसी मामले मे कमिश्नर का पुर्नविचार सम्बन्धी अधिकार निम्न शर्तो के आधीन है:—

(अ) यदि आदेश के विरुद्ध अ० अ० क० या अ० ट्रि० को अपील की जा सकती है, तो कमिश्नर तभी पुर्नविचार कर सकता है जबकि अपील का समय गुजर जाय। अ० ट्रि० को अपील की दशा मे यदि कर दाता अपना अपील सम्बन्धी अधिकार छोड देता है तो समय गुजरने के पहले भी कमिश्नर आदेश पर पुर्नविचार कर सकता है।

(आ) यदि अ० अ० क० को अपील की गई है, तो अपील चलने के दौरान मे कमिश्नर अपना पुर्नविचार सम्बन्धी अधिकार प्रयोग नहीं कर सकता। हॉ, जब अपील पर निर्णय हो जाय तब वह पुर्नविचार कर सकता है।

(इ) यदि अपील अ० ट्रि० को की गई है तो फिर कमिश्नर को पुर्नविचार का अधिकार नही रहता।

प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर वह सम्बन्धित मामले की कार्यवाहियो का विवरण मँगा सकता है और विवरण आने पर ऐसी जाँच कर सकता है और ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो वह ठीक समझे। उसका निर्णय कर-दाता के विरुद्ध पक्षपातमय (Prejudicial) न होना चाहिये।

(३) उपरोक्त से यह मालूम होगा कि धारा ३३ A के अन्तर्गत कमिश्नर किसी आदेश को इस प्रकार सशोधित नही कर सकता कि उससे कर-दाता को हानि पहुँचे। अत धारा ३३ B यह आयोजन करती है कि कमिश्नर किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड मगा कर जाँच सकता है और यदि वह यह समझता है कि इनकम टक्स ऑफीसर (अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर नही) द्वारा जारी किया आदेश अनुचित है क्योकि उससे रेवेन्यू को नुकसान पहुँचता है, तो वह कर दाता को सुनवाई का उचित अवसर देकर

आवश्यक जाँच करके ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो वह उस परिस्थिति मे ठीक समझे। इस आदेश द्वारा कर-निर्धारण बढाया भी जा सकता है। किन्तु इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश धारा ३४ के अन्तर्गत जारी किये गये पुन कर निर्धारण के आदेश पर पुर्नाविचार करने के लिये पास किया जा सकता हे। ऐसा आदेश प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष गुजरने के बाद भी नही किया जा सकता।

धारा ३३ B कमिश्नर को अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर या अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेशो पर पुर्नविचार करने का अधिकार नही देती। न ही वह कमिश्नर को इनकम टैक्स ऑफीसर के निर्णय पर, जबकि कर-दाता ने उस निर्णय के विरुद्ध अपील कर रखी हो, पुर्नाविचार का अधिकार देती है।

कमिश्नर के सशोधित आदेश से जिस कर-दाता को हानि पहुँची हो वह प्रादेश सूचना की तिथि के ६० दिनो के भीतर ट्रिब्यूनल से अपील कर सकता है।

कर की वापमी (Refund)

कर की वापसी 'उद्गम स्थान पर लगने' की दशा मे, जैसे लाभाशो की दशा मे, तथा 'उद्गम स्थान पर कटौती करने' के कारण, जैसे वेतन और प्रतिभूतियो के ब्याज की दशा मे, आवश्यक हो जाती है। इसका कारण यह है कि इन दोनो ही दशाओ मे कर-दाता की कुल आय पर लागू होने वाली औसत कर की दर का पता कर लगाते या काटते समय नहीं होता।

निम्नलिखित दशाओ मे एक कर-दाता कर वापसी की माँग कर सकता है :—

(१) जब वेतन या प्रतिभूतियो के ब्याज से उद्गम स्थल पर, कर-दाता की कुल आय को लागू होने वाली दर से ऊँची दर पर कर काटा गया हो।

(२) जब कोई कर-दाता लाभाशो से आय प्राप्त करता है और उसकी कुल आय को लागू होने वाली उचित दर लाभाशो पर लगे कर की उच्चतम दर से कम है।

(३) जब दोहरे आय-कर भुगतान के सम्बन्ध मे छूट चाहिये।

(४) जब परदेशियो को किये गये भुगतानो से उच्चतम दर पर आय कर काटा गया हो, जबकि उन पर वास्तव मे कम दर से लगना था।

(५) जब कर-निर्धारण मे धारा ३५ के अन्तगत कोई गलती सुधारी गई हो, जिसके प्रभाव स्वरूप दिया गया कर कम हो जाता है।

(६) जब कर-निर्धारण के खिलाफ किसी अपील के परिणाम स्वरूप कर (जो पहले ही चुकाया जा चुका है) कम हो जाता है।

धारा ४८ के अनुसार, जब चुकाया गया कर उचित रूप से लगने वाले कर की रकम से अधिक हो तब कर-दाता को ऐसे आधिक्य की वापसी का हक है। कर की

वापसी की माँग करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स ऑफीसर के यहाँ नियमित फार्म पर प्रार्थना पत्र देना चाहिए। इस प्रार्थना-पत्र के साथ कुल आय का नकशा और दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यक अन्य साक्ष्य भी, जैसे आय-कर कटौती का प्रमाणपत्र तथा लाभांश सम्बन्धी सूचनाये (Dividend warrants) आदि अन्य आवश्यक कागजात भेजने चाहिये।

कर की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से, जिसमे कोई आय (जिस पर कर अधिक चुका दिया गया है) कर लगने को थी, चार वर्ष के भीतर-भीतर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिये १९५८-५९ मे पैदा होने वाली आय पर, जिसमे से उद्‌गम स्थान पर कर काटा गया है, १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष मे कर लगाया जायगा, और उद्‌गम स्थान पर की गयी कटौतियो के सम्बन्ध मे वापसी की माँग १९६३-६४ की समाप्ति (अर्थात् ३१ मार्च १९६४ तक) की जा सकती है।

वापसी की माँग को सिद्ध करने का भार प्रार्थना-पत्र भेजने वाले कर-दाता पर होता है। उसे यह साबित करना पडेगा कि उसने या उसकी ओर से जो कर की रकम अदा की गयी है वह उस कर की रकम से अधिक थी जो कि उससे नियमानुसार ली जा सकती है।

साधारणतया कर वापसी की अर्जी पर अर्जी देने के तीन महीनो के अन्दर कार्यवाही हो जाती है। यदि इस काम मे देर हो जाय तो इनकम टैक्स ऑफीसर या इन्सपैक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर से कहना चाहिए। कर वापसी की रकम कर-दाता को लौटाने के बजाय उस कर के विरुद्ध रख ली जा सकती है जो उससे अभी लेना रह गया हो।

यदि इनकम टैक्स आफीसर से इस आशय का सार्टीफिकेट ले लिया जाय कि कुल आय या कुल विश्व आय कर लगने योग्य नही है अथवा वह उच्चतम से कम दर पर ही कर लगने योग्य है तो प्रतिभूतियो के ब्याज पर तथा परदेशियो को दिये गये वेतनो एव दूसरी रकमो पर काटे गये कर की वापिसी के लिये माँग करने की आवश्यकता बहुत से मामलो मे नही रह जाती। सार्टीफिकेट प्राप्त करने के लिए कुल आय के नक्शे के साथ इनकम टैक्स ऑफीसर के यहा अर्जी देनी चाहिए।

यदि कर की वापसी या कर मे कमी करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाय तो उसकी अपील पहले अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ और यदि वहाँ से कर-दाता की सतुष्टि न हो तो बाद मे अपीलेट ट्रिब्यूनल से करनी चाहिए। यदि कर वापसी की माँग करने वाला कर-दाता अपील न करना चाहे तो वह कमिश्नर के यहाँ निगरानी के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है। जिस आज्ञा के विरुद्ध यह अर्जी दी जा रही है उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक निगरानी (Revision) के लिये प्राथना-पत्र दिया जा सकता है।

अध्याय ११

कर-दातागण (१)

जैसा कि एक पिछले अध्याय मे बताया जा चुका है, कर-दाताओ में व्यक्ति सयुक्त हिन्दू परिवार, फर्म तथा अन्य जन-मण्डल, कम्पनियो और स्थानीय सत्ताएँ शामिल है। इस अध्याय तथा आगामी अध्यायो मे यह बताया जायगा कि इन कर-दाताओ मे से प्रत्येक पर कर किस प्रकार लगाया जाता है।

(१) व्यक्ति (Individuals)

'व्यक्ति' शब्द मे आमतौर पर मानव मात्र (human being) का ही बोध होता है। इसके अन्तर्गत एक स्त्री, एक पुरुष, एक नाबालिग या अपरिपक्व मस्तिष्क का व्यक्ति शामिल है।

व्यक्ति पर आय-कर और अतिरिक्त कर उसकी कुल आय की रकम के अनुसार विभागीय दरो (graded scale of rates) से लगता है। व्यक्ति पर पृथक रूप से कर लगाया जाता है, चाहे वह कर के अधीन अन्य इकाइयो (units) में से किसी मे आता हो। इन परिस्थितियो मे एक व्यक्ति पर कर-दायित्व इस प्रकार है :—

(१) सयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की आय मे से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली रकम उसके हाथो मे कर मुक्त है, चाहे परिवार ने अपनी आय पर कर अदा न किया हो, लेकिन यदि सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की आय में उसकी निज की कमाई हुई आय (personal earnings) शामिल हो तो ऐसी आय पर उसके हाथो मे एक व्यक्ति की भाँति कर लगेगा। किसी हिन्दू पुत्र को पिता के अपने प्रयत्न से प्राप्त जायदाद (self-acquired property) मे जन्म लेने से ही कोई हक प्राप्त नही हो जाता। ऐसी जायदाद की आय के लिए पिता के ऊपर ही व्यक्ति के रूप मे कर लगता है।

(२) अनरजिस्टर्ड फर्म के साझीदार को फर्म के लाभ मे अपने हिस्से पर, यदि फर्म के ऊपर कर लगाया जा चुका है, कर नही देना पडता है। किन्तु दर निकालने के उद्देश्य से हिस्से की यह रकम उस साझीदार की कुल आय मे अवश्य जोडी जानी चाहिए। यदि फम की कुल आय पर उसके कर-योग्य सीमा (taxable

limit) से कम होने के कारण कर नही लगा है, तो प्रत्येक साझीदार को अपने-अपने लाभ के हिस्से पर कर देना पडेगा।

(३) एक रजिस्टड फर्म को, यदि कुल आय ४०,००० रु० से अधिक है, स्वय अपनी कुल आय पर आय-कर चुकाना पडता है, फिर भी ऐसी फर्म के साझेदार पर फर्म की आय मे उसके भाग के लिये अन्य आय के साथ कर गणना की जावेगी। हाँ, उसे निम्न छूटें (rebates) पाने का अधिकार होगा—(अ) फर्म द्वारा चुकाये गये आय-कर मे उसके भाग की रकम पर आय-कर की छूट और (आ) व्यापार के अतिरिक्त अन्य साधनो से अर्जित आय पर फर्म द्वारा चुकाये गये अनुपातिक आय-कर मे उसके भाग की रकम पर सुपर टैक्स की छूट।

(४) कर-दायित्व की दृष्टि से किसी जन-मण्डल के सदस्य की भी वही स्थिति है जो अनरजिस्टड फर्म के सदस्य की होती है।

(५) कम्पनी को, एक पृथक कर लगने योग्य इकाई के रूप मे अपने लाभ पर कर देना पडता है। वह अपने निजी दायित्व के सम्बन्ध मे ही कर अदा करती है अशधारियो के बदले मे नही। फिर भी, जब कोई लाभाश कम्पनी द्वारा किसी अशधारी को कर लगी आय मे से वितरित किया जाता है तो इस लाभाश पर आय कर (अतिरिक्त कर नही) अशधारियो की ओर से ही कम्पनी द्वारा अदा किया हुआ माना जाता है।

अशधारी द्वारा वास्तव मे प्राप्त किये गये लाभाश (Net dividend) मे आय-कर की रकम, जो उसकी ओर से अदा की हुई मानी गयी है, जोडकर सकल लाभाश (Gross dividend) मालूम कर लेना चाहिए। लाभाश की यह ग्रौस रकम ही अशधारी की कुल आय मे शामिल की जाती है।

कमायी हुई आय की छूट

एक व्यक्ति को अपनी कुल आय मे शामिल हुई समस्त कमायी हुई आय पर कमायी हुई आय की छूट दी जाती है।

एक रजिस्टर्ड फर्म की दशा मे फर्म को स्वय अपनी ओर से कर नही देना पडता। इसलिए कमायी हुई आय की छूट साझीदारो को (यदि वे फर्म के व्यावसायिक काय मे सक्रिय रूप से सहयोग देते हो) दी जाती है, और ये ही लोग फम मे अपने-अपने लाभ के हिस्सो पर आय-कर देते है।

एक अनरजिस्टर्ड फर्म को अपनी कुल आय मे शामिल कमायी हुई आय पर कमाई हुई आय की छूट पाने का अधिकार है। किन्तु यदि अनरजिस्टड फर्म अपनी कुल आय कर-योग्य सीमा (Taxable limit) से कम होने के कारण कर योग्य न हो तो ऐसी दशा मे फर्म के लाभ मे साझीदर के हिस्से पर कमायी हुई आय की छूट दी जाती है, बशर्ते कि यह साझीदार इस फर्म के व्यावसायिक कार्य मे सक्रिय रूप से सहयोग देता हो।

धारा १६ के आदेश

कर से बचने की रोक-थाम के लिए धारा १६ के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था की गयी है :—

(१) कर से बचने की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति अपनी आय किसी और के नाम बन्दोबस्त (Settle) करदे, लेकिन सम्पत्ति और जायदाद (जिनकी आय इस प्रकार हस्तातरित की गयी है) पर उसी का अधिकार बना रहे, तो ऐसी दशा से यह हस्तातरित की हुई आय उसकी ही मानी जायगी और उसे उसकी कुल आय मे शामिल किया जायगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम सम्पत्ति का कोई खण्डनीय हस्तातरण (Revocable transfer) करे, तो ऐसी सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति (हस्तातरित करने वाले) की ही समझी जायगी और उसे उसकी कुल आय मे शामिल किया जायगा।

इन दो उपर्युक्त नियमो के साथ यह अपवाद है कि किसी आय और सम्पत्ति के बन्दोबस्त से, जो ६ वर्ष से अधिक समय के पहले या हिताधिकारी (beneficiary) के जीवन काल मे खण्डनीय नही है और जिससे बन्दोबस्त करने वाले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई लाभ नही होता, होने वाली आय बन्दोबस्त करने वाले की आय नही मानी जाती।

(३) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का खण्डनीय हस्तान्तर (Revocable transfer) करता है, तो ऐसी सम्पत्ति की आय उस व्यक्ति की ही आय समझी जायगी, जिसे वह हस्तातरित की गई है, हाँ, उस दशा मे नही, जब कि वह हस्तातरण करने वाले ने अपनी पत्नी या अपने नाबालिग बच्चे के हक मे किया हो।

(४) एक व्यक्ति की पत्नी की निम्न साधनो वाली आय उसकी (पति की) कुल आय मे शामिल की जायगी—

(अ) किसी फर्म की सदस्यता से, जिसमे उसका पति साझीदार है, या

(ब) उस सम्पत्ति से, जो पति ने उसके लिए प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत हस्तातरित कर दी है। किन्तु यदि (i) यह हस्तातरण किसी पर्याप्त प्रतिफल के लिये (For adequate consideration) या (ii) अलग-अलग रहने के राजीनामे (Agreement) के सम्बन्ध मे किया गया है तो ऐसी दशा मे हस्तातरित सम्पत्ति की आय पति की कुल आय में शामिल नही की जायगी।

(५) किसी व्यक्ति (माता अथवा पिता) के नाबालिग बच्चे (निम्न की) के साधनो द्वारा होने वाली आय उस व्यक्ति की कुल आय मे शामिल की जायगी—

(अ) उस फर्म के लाभ मे नाबालिग बच्चे के प्रवेश्य से, जिसमे उसका पिता या माता साझीदार हैं, या

(ब) उस सम्पत्ति से, जो माता या पिता ने उसके लिए प्रत्यक्षत. या अप्रत्यक्षत हस्तातरित कर दी है। किन्तु यदि यह हस्तातरण पर्याप्त प्रतिफल के लिये है और जहाँ नाबालिग सतान विवाहिता पुत्री हो तो ऐसी दशा मे हस्तातरित सम्पत्ति की आय व्यक्ति (माता या पिता) की कुल आय मे शामिल नही की जायगी।

(६) यदि कोई व्यक्ति, पर्याप्त प्रतिफल के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से किसी अन्य व्यक्ति या जन-मण्डल को, अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे अथवा दोनो ही के हितार्थ सम्पत्ति, का हस्तातरण करता है तो इस सम्पत्ति की आय हस्तातरण करने वाले व्यक्ति की आय ही समझी जायगी और इसे उसकी कुल आय मे शामिल किया जायगा।

मृत्यु होने पर कर-निर्धारण

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर कर उसके कानूनी उत्तराधिकारी या प्रबन्धक (Executor or Administrator) द्वारा (Through) लगाया जाता है। मृत व्यक्ति की आय का कर-निर्धारण करते समय केवल उसकी मृत्यु की तारीख तक हुई आय पर ही विचार करना चाहिये। मृत्यु के उपरान्त होने वाली आय पर कर-निर्धारण मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियो पर किया जाता है।

उदाहरण

(१) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वष के लिए एक कर-दाता की आय के बारे में निम्न सूचना प्राप्त हुई है —

(अ) एक रजिस्टर्ड फर्म जिसमे वह साझीदार है, से वेतन ६,००० रु०।

(आ) उपर्युक्त फर्म से लगाई गई पूंजी पर ब्याज १५०० रु०।

(इ) इस फर्म से बिक्री पर १% कमीशन ७५०० रु०।

(ई) इस फर्म के व्यापार के हेतु विभिन्न स्थानो पर जाने के लिए सवारी भत्ता ३,६०० रु०।

(उ) इस फर्म की हानि का भाग, वेतन, ब्याज, कमीशन और सवारी भत्ता जो भागीदारो को चुकाया गया, को छोडते हुए, ६,००० रु०।

(ऊ) जायदाद की आय (६,००० रु० रिहायशी मकान का सम्मिलित करते हुए) १७,५०० रु०।

(ए) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो से ब्याज १,५०० रु०।

(ऐ) प्रतिभूतियो पर ब्याज (ग्रॉस) २,००० रु० जिसमें से उचित दर पर कर उद्गम स्थान पर काट लिया गया।

(ओ) एक चाय कम्पनी (जिसकी ४०% आय पर कर लगता है) से प्राप्त लाभाश ८७४ रु० ।

(औ) एक कम्पनी (जिसने अपने पूर्व कर लगे लाभ मे से लाभाश बाँटा) से प्राप्त लाभाश २,००० रु० । जिस साल मे कम्पनी ने यह लाभाश बाँटा उस वर्ष कम्पनी की आय शेष (Minus) मे थी क्योकि व्यापारिक लाभ से वाजिब ह्रास अधिक था ।

कर-दाता ने अपने तथा अपनी पत्नी के जीवन बीमा पर ६,००० रु० तथा ३,००० रु० प्रीमियम दिया ।

कर-दाता की १९५९-६० कर-निर्धारण वष के लिए कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिए ।

			रु०
(१) प्रतिभूतियो पर ब्याज	कर योग्य (Taxed)	२,०००	
	कर मुक्त (Tax-free)	१,५००	३,५००
(२) जायदाद से आय		११,५००	
किराये पर दी गई जायदाद रिहायशी जायदाद (कुल आय ३०,००० रु० के १/१० तक सीमित)		३,०००	१४,५००
(३) व्यापारिक आय	रजिस्टड फर्म से भाग		
वेतन		६,०००	
पूँजी पर ब्याज		१,५००	
कमीशन		७,५००	
		१५,०००	
घटायी फर्म मे हानि		६,०००	९,०००
(४) चाय कम्पनी से लाभाश (उद्गम स्थान पर आय-कर कटौती १२८ रु०)		१,०००	
न कर लगे लाभो से लाभाश (ग्रॉस नही किये जाएँगे)		२,०००	३,०००
		कुल आय	३०,०००

सवारी भत्ता धारा ४ (३) (vi) के अन्तर्गत कर-मुक्त है । कर-दाता को जीवन बीमा प्रीमियम ७,५०० रु० (कुल आय के चौथाई) पर आय-कर की छूट पाने का अधिकार है ।

(२) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष मे एक व्यक्ति की आय का विवरण निम्न प्रकार है—

(अ) उसका वेतन ७५० रु० मासिक था और वर्ष के लिये उसका यात्रा-भत्ता

पम्बन्धी बिल १,६६० रु० बैठा । किन्तु यात्रा मे उसका वास्तविक खर्च केवल १,१४० रु० हुआ ।

(ब) वेतन का ८% उसने १६२५ के प्रोवीडेण्ट ऐक्ट के अधीन एक प्रोवीडेण्ट फण्ड मे चन्दा दिया । उसका मालिक भी फण्ड मे उतना ही चन्दा जमा करता था। उसके प्रोवीडेण्ट फण्ड के हिसाब पर साल भर मे ब्याज के ५८० रु० हुए ।

(स) वह दो मकानो का मालिक है, जिनमे से एक १४० रु० मासिक किराये पर उठा हुआ है और दूसरा मकान, जिसका वार्षिक मूल्य ८५० रु० है, वह अपने स्वय के रहने के लिए इस्तैमाल करता है । पहले वाले के लिए वह जमीन किराये और बीमा के हिसाब मे १५० रु० देता है और दूसरे मकान के लिए २१० रु० देता है । इन दोनो मकानो पर क्रमश ४०० रु० और १५० रु० स्थानीय कर देना पडता है ।

(द) विनियोगो से उसे साल मे इस प्रकार आय हुई—

२५० रु० कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो से और ४८० रु० (ग्रौस) लाभाश के रूप मे ।

उसका बीमा हो चुका है । वह अपनी २५,००० रु० की जीवन-बीमा पालिसियो पर २,३५० रु० वार्षिक प्रीमियम देता है ।

१६५६-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय और कर-मुक्त आय मालूम करिये ।

		रु०	रु०
(१) वेतन			६,०००
(२) कर-मुक्त प्रतिभूतियो का ब्याज			२५०
(३) जायदाद से आय—			
किराये पर उठाये गये मकान का भाडा		१,६८०	
घटाओ—स्थानीय करो का आधा		२००	
		१,४८०	
निजी निवास के मकान का मूल्य	८५०		
घटाओ-स्थानीय करो का आधा	७५		
	७७५		
घटाओ इसका आधा	३८७	३८८	
दोनो मकानो का वार्षिक मूल्य		१,८६८	
घटाओ—मरम्मत का १/६	३११		
जमीन किराया और बीमा	३६०	६७१	१,१९७
(४ अन्य श्रोतो से आय—			
लाभाश (ग्रॉस)		४८०	

अतिरिक्त यात्रा भत्ता (Excess Travelling Allowance)	५२०	१,०००
कुल आय		११,४४७

कर-मुक्त आय —

(१) प्रोवीडेण्ट फण्ड के चन्दे	७२०
(२) जीवन बीमा प्रीमियम (प्रोवीडेण्ट फण्ड का चन्दा व बीमा प्रीमियम दोनो मिला कर कुल आय के १/४ या ८,००० रु० से अधिक नही होना चाहिये)	२,१४१
(२) कर-मुक्त प्रतिभूतियो का ब्याज	२५०
	३,१११

(३) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष मे एक व्यक्ति की (जो पक्का निवासी है) आय का विवरण नीचे दिया जाता है। १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये इस व्यक्ति की कुल आय और कर-मुक्त आय मालूम करिये —

(क) वर्ष के पहले ६ महीनो के लिए वेतन ३०० रु० मासिक था, जिसमे से १०% उसने एक अस्वीकृत प्रोवीडेण्ट फण्ड मे चन्दा दिया, जिसकी व्यवस्था उसका मालिक करता था।

(ख) १ अक्टूबर १९५८ मे वह छँटनी मे नौकरी से पृथक् कर दिया गया और उस तारीख को प्रोवीडेण्ट फण्ड मे से उसे ९,५०० रु० मिले (जिसमे फण्ड में उसके चन्दे और इस पर ब्याज के ६,५०० रु० शामिल हैं)। इसके अतिरिक्त, उसे नौकरी से पृथक होने पर क्षति-पूर्ति के ५,००० रु० प्राप्त हुए।

(ग) १ दिसम्बर १९५८ से उसे एक दूसरी नौकरी २५० रु० मासिक पर मिल गयी।

(घ) साल भर मे उसे यह आय और हुई :—

(i) जीवन-बीमा पॉलिसी (endowment) से ६,००० रु०, (ii) बम्बई की एक कॉटन मिल कम्पनी से लाभाश (ग्रॉस) के १,९२० रु०, (iii) अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्ज बैक एकाउण्ट से ब्याज के १०० रु०, (iv) ५०० रु० डायरैक्टर का पारिश्रमिक (fees), (v) सयुक्त हिन्दू परिवार की आय मे उसके हिस्से के २,००० रु०, (vi) आगरा जिले में अपनी कृषि भूमि से लगान के ३५० रु० और नैपाल की जमीन से लगान के १,००० रु० मिले।

(ङ) एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ में तिहाई हिस्से के ५,४०० रु०।

(च) स्टर्लिंग प्रतिभूतियो के ब्याज के ३७५ पौंड जिसमें से आधी रकम बम्बई में प्राप्त की गयी और शेष को लन्दन मे ही पुन विनियोग कर दिया गया।

इस व्यक्ति ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम के ५,००० रु० दिये।

			रु०
१.	वेतन जिसमे ३,००० रु० प्रो० फण्ड के और ५,००० रु० क्षतिपूर्ति के शामिल हैं)		१०,८००
२	अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ		५,४००
३	अन्य साधनो से आय		
	लाभाश (ग्रास)	१,९२०	
	डाइरैक्टर का पारिश्रमिक	५००	
	प्राप्त स्टर्लिंग आय	२,५००	
	नेपाल की भारत भेजी आय	१,०००	
	अनरैमिटेड स्टर्लिंग आय	२,५००	८,४२०
		कुल आय	२४,६२०

कर मुक्त आय

१	अनरजिस्टड फर्म से लाभ	५,४००
२	जीवन बीमा प्रीमियम कुल आय के १/४ तक सीमित	५,०००
		१०,४००

नैपाल मे जो कृषि भूमि है, उसका लगान कृषि-आय के अन्तर्गत नही माना जा सकता क्योकि वह भारत मे मालगुजारी नही देती ।

(४) एक अमरीकन कैमिस्ट बम्बई मे पहली बार १ जनवरी १९५९ को एक कैमीकल वर्क्स मे चीफ कैमिस्ट के पद पर नियुक्त होकर आया । कैमीकल वर्क्स के साथ पचवर्षीय एग्रीमेंट के अनुसार उसे ६,००० रु० मासिक वेतन महीने की प्रत्येक आखिरी तारीख को मिलना तय हुआ । ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के लिये उसकी अन्य आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(अ) ३% भारतीय सरकार की प्रतिभूतियो पर ६ महीने का ब्याज २,५०० रु० ।

(ब) भारतीय कम्पनियो से प्राप्त लाभाश ६,८५० रु० (ग्रास) ।

(स) बम्बई की एक कम्पनी से डाइरैक्टर का पारिश्रमिक २५० रु० ।

(द) अमरीका की कृषि आय के ५०,००० रु०, जिसमे से आधी रकम मार्च सन् १९५९ मे उसके पास बम्बई भेज दी गयी ।

एक अमरीकन बीमा कम्पनी मे उसका ५,००० डालरो का जीवन बीमा है, जिसके प्रीमियम मे उसने ५०० डालर न्यूयार्क मे अदा किये ।

१९५९–६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस व्यक्ति की कुल आय बताइए ।

		रु०
१	वेतन	१८,०००
२	प्रतिभूतियो पर ब्याज	३७५

३	लाभाश (ग्रॉस)	६,८५०
	डाइरैक्टर का पारिश्रमिक	२५०
	विदेशी आय जो प्राप्त हुई	२५,०००
	कुल आय	५०,४७५

"गतवर्ष १९५८-५९" के लिये कर-दाता भारत मे कच्चा निवासी (Resident not ordinary resident) है।

(५) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के लिये मि० जमशेदजी का हानि-लाभ खाता इस प्रकार है —

	रु०		रु०
वेतन	४०,०००	ग्रॉस लाभ	५,००,०००
मृत कर्मचारियो की विधवाओ को भत्ता	३,०००	मशीनरी की बिक्री पर लाभ	५०,०००
पोस्टेज स्टेशनरी	१,०००		
गुप्त कमीशन	१०,०००		
बम्बई यूनीवर्सिटी को दान	१०,०००		
किराया	६,०००		
स्टाफ प्रो० फण्ड को चन्दा (मान्यता प्राप्त)	५,०००		
विनियोगो के बेचने पर हानि	१,००,०००		
पूँजी पर ब्याज	५,०००		
शुद्ध लाभ	३,७०,०००		
	५,५० ०००		५,५०,०००

(अ) बेची हुई मशीनरी का वास्तविक मूल्य (Original cost) १,००,००० रु० था और ३१ माच १९५८ को इसका अपलिखित मूल्य ७०,००० रु० था।

(ब) मिस्टर और मिसेज जमशेदजी का साझेदारी मे एक व्यापार भी चलता है, जिसका रजिस्टर्ड फर्म के रूप मे १९५९-६० के लिये कर-निर्धारण योग्य लाभ ६०,००० रु० निश्चित हुआ है। फर्म की सम्पूर्ण पूँजी मि० जमशेदजी द्वारा लगाई गई है और इसका लाभ भी दोनो साझीदारो मे बराबर बँट जाता है।

(स) मि० जमशेदजी ने एक खण्डनीय हस्तातरण किया है, जिसकी लाभाशो से होने वाली आय १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए १०,००० रु० है। इस हस्तान्तरण के अनुसार यह आय मिसेज जमशेदजी को जीवन पर्यन्त प्राप्त होती रहेगी।

(द) मिसेज जमशेदजी ने भी एक खण्डनीय हस्तान्तरण किया है, जिसकी लाभाशो से होने वाली आय १९५९-६० के कर-निर्धारण के वर्ष के लिए १५,००० रु० है। इस हस्तान्तरण के अनुसार वह आय उनके तीनो बच्चे, जो नाबालिग हैं, भोगेंगे।

मिस्टर और मिसेज जमशेदजी तथा नाबालिग बच्चो के ट्रस्टियो का कर-दायित्व १९५९–६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए क्या होगा ? बताइये।

	रु०	रु०
हानि-लाभ खाते के अनुसार लाभ		३,७०,०००
जोड़ो—अस्वीकृत खर्चे		
गुप्त कमीशन	१०,०००	
विनियोगो की बिक्री पर हानि, जो पूँजी हानि है	१,००,०००	
पूँजी पर ब्याज	५,०००	
बम्बई यूनीवर्सिटी को दान	१०,०००	१,२५,०००
		४,९५,०००
घटाओ—मशीनरी की बिक्री पर पूँजी लाभ, जो लागत-मूल्य से बिक्री मूल्य का आधिक्य है		२०,०००
	कर-योग्य लाभ	४,७५,०००

बेची हुई मशीनरी का अपलिखित मूल्य ७०,००० रु० है, ५०,००० रु० के मुनाफे पर बेचने के लिये इसे १,२०,००० रु० मे बेचा गया होगा। इसलिये ५०,००० रु० मे से २०,००० रु० पूँजीगत लाभ है।

१९५९-६० के लिये मिस्टर जमशेदजी का कर-निर्धारण

			रु०	रु०
१	व्यापार मे लाभ	अपना व्यापार	४,७५,०००	
		रजिस्टर्ड फर्म से	३०,०००	५,०५,०००
२	अन्य साधनो से			
	फर्म की आय मे पत्नी का हिस्सा			३०,०००
	दोनो हस्तांतरणो (settle-ments)से आय			२५,०००
३	पूँजी लाभ			२०,०००
			कुल आय	५,८०,०००

मिस्टर जमशेदजी को (१) पूँजी लाभ २०,००० रु० पर ५,६६,६६६ रु० (अर्थात् अन्य आय जमा (+) पूँजी लाभ का एक-तिहाई) पर लागू होने वाली दरो से आय-कर, तथा (२) अन्य आय ५,६०,००० रु० पर लागू होने वाली दरो से आय-कर चुकाना होगा।

उन्हे अतिरिक्त-कर ५,६०,००० रु० पर चुकाना होगा क्योकि पूँजी लाभ पर अतिरिक्त-कर चुकाना नही होता।

उन्हे कुल आय पर लागू होने वाली औसत दरो पर आय-कर और अतिरिक्त कर दोनो की १०,००० रु० (दान) पर छूट पाने का अधिकार है।

उन्हे रजिस्टड फर्म द्वारा चुकाये गये आय कर की छूट पाने का अधिकार है क्योकि रजिस्टर्ड फर्म की आय ४०,००० रु० से अधिक है तथा उसकी कुल आय मे रजिस्टड फर्म की सम्पूर्ण आय सम्मिलित है।

मिसेज जमशेद जी और नाबालिग बच्चो के ट्रस्टियो पर कोई कर नही लगेगा।

(६) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष मे डॉक्टर अ को निम्न साधनो से आय हुई . –

	रु०
(अ) डॉक्टरी पेशे से आय	५०,०००
(ब) जमीन के किराये से आय	१०,०००
(स) लाभाशो (ग्रौस) से आय	१५,०००
(द) जायदाद से आय, जो आय-कर अधिनियम की धारा ९ के आदेशानुसार निर्धारित की गई है	३०,०००

डॉक्टर अ ने १ अप्रैल १९५८ को ५,००,००० रु० का अखण्डनीय हस्तातरण ट्रस्ट (irrevocable deed of trust settlement) के लिये किया है। इसके प्रन्यास सलेख (trust deed) मे निम्न व्यवस्था है—

ट्रस्ट की सम्पूर्ण आय भोगने की हकदार जीवन पर्यन्त डाक्ट अ की पत्नी होगी। उनकी मृत्यु के उपरान्त यदि डॉक्टर अ जीवित रहे तो सम्पूरण आय को भोगने का हक उन्हे होगा।

ट्रस्ट की सारी पूँजी जॉइन्ट स्टॉक कम्पनियो के शेयरो के रूप मे है, ३१ माच १९५९ को समाप्त हुए वर्ष मे ३०,००० रु० के लाभाश (ग्रौस) प्राप्त हुए थे। यह रकम डाक्टर महोदय की पत्नी को दे दी गयी।

३० मार्च १९५९ को ट्रस्टियो ने अपने अधिकार से, जो उन्हे इस सम्बन्ध मे प्राप्त था, ट्रस्ट के उपयुक्त अशो को बेच दिया। अशो की बिक्री से ६,००,००० रु० प्राप्त हुए।

१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये डा० अ की कुल आय निकालिये।

१९५९–६० के लिये डाक्टर अ का कर निर्धारण

		रु०
१ जायदाद से आय		३०,०००
२. पेशे से आय		५०,०००
३ अन्य साधनो से आय .		
जमीन से किराया	१०,०००	
ग्रॉस लाभाश	१५,०००	
पत्नी के हक मे ट्रस्ट की आय	३०,०००	५५,०००

४ पूँजी लाभ—ट्रस्ट विनियोगो के बेचने पर हुआ	१,०० ०००
कुल आय	२,३५,०००

ट्रस्ट के अन्तर्गत एक सम्पत्ति (अर्थात् शेयस) ट्रस्टियो को हस्तातरित कर दी गई है, जिसकी संम्पूर्ण आय केवल डॉक्टर महोदय की पत्नी को ही जीवन पर्यन्त मिलेगी। इसलिए यह ट्रस्ट खण्डनीय (revocable) ट्रस्ट नही है और धारा १६ (१) सी के अनुसार ट्रस्ट की आय डाक्टर महोदय की आय नही मानी जायगी। लेकिन ट्रस्ट के अन्तगत एक सम्पत्ति का पर्याप्त प्रतिफल के बिना (without adequate consideration), ट्रस्टियो को पत्नी के हितो मे हस्तातरण हुआ है। इसलिये धारा १६ (३) बी के अनुसार ट्रस्ट की आय हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति की ही आय मानी जायगी। इसीलिए, लाभाश की आय ३०,००० रु० जो ट्रस्ट विनियोगो पर हुई तथा ऐसे विनियोगो की बिक्री पर हुआ पूँजी लाभ १,००,००० रु० दोनो ही डाक्टर अ की आय माने जाएँगे।

(७) कई वर्षो से अ कपडे का व्यापार कर रहा है जिसके खाते ३१ मार्च तक प्रतिवर्ष बनते है। १ अगस्त १६५८ को उसने परचूनिया का नया व्यापार भी आरम्भ किया। १६५६-६० के कर-निर्धारण के समय तक उसने परचूनी व्यापार के खाते नही बनाये थे।

(अ) यदि उसका कर-निर्धारण जून १६५६ मे किया जाये और वह यह प्रार्थना करे कि वह अपने परचूनी व्यापार के प्रथम वष के खाते ३१ जुलाई १६५६ को बन्द करेगा, तो क्या आप उसकी प्राथना स्वीकार कर लेगे ? यदि हाँ, तो क्यो ?

(ब) यदि उसका कर-निर्धारण सितम्बर १६५६ मे किया जाय और वह यह प्रार्थना करे कि वह ३१ जुलाई को समाप्त होने वाले वष को 'गत वर्ष' मानना चाहता है, तो क्या आप उसकी प्राथना स्वीकार कर लेगे ? यदि हाँ, तो क्यो ?

(अ) आय के प्रत्येक श्रोत के लिये कर-दाता एक पृथक् 'गतवर्ष' रखने का अधिकारी है। इस दशा मे, करदाता के विद्यमान कपडा व्यापार का हिसाबी वष ही उसका गत वर्ष है जबकि उसका परचूनी व्यापार १ अगस्त १६५८ को आरम्भ हुआ था। परचूनी व्यापार के लिये वह किसी भी अवधि को, व्यापार आरम्भ करने की तिथि से १२ महीने समाप्त होने तक किसी भी अवधि को, 'गत वर्ष' मान सकता है क्योकि करदाता परचूनी व्यापार के लिये ३१ जुलाई १६५६ को खाते बन्द करना चाहता है (अर्थात् व्यापार आरम्भ करने के ठीक १२ महीने की अवधि के बाद), इसलिये वह ३१ जुलाई को समाप्त होने वाले वर्ष को अपना 'गत वष' रख सकता है। उसकी प्रार्थना इस सम्बन्म मे स्वीकार कर ली जायेगी और ऐसी दशा मे १६५६-६० के कर-निर्धारण वष के लिये परचूनी व्यापार का कोई गत वर्ष न होगा ?

(ब) यदि सितम्बर १६५६ मे कर-निर्धारण रखा जावे, तो करदाता ३१ जुलाई १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का अपने परचूनी व्यापार का गत वर्ष तब रख सकता है जब उस दिन को ही उसने उस व्यापार के खाते बन्द किये हो। लेकिन खाते कर-

निर्धारण की तिथि तक नही बनाये गये है। चूँकि खाते बन्द नही किये गये हैं इसलिये कर-दाता को, ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के अलावा कोई अन्य गत वर्ष रखने का विकल्प नही रहता। १-८-१९५८ से ३१-३-१९५९ तक अवधि के लिये परचूनी व्यापार की आय पर १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण होगा।

(२) हिन्दू अविभाजित परिवार
(Hindu Undivided Families)

आय-कर के उद्देश्य के लिए, हिन्दू लॉ (Hindu Law) के अनुसार एक सयुक्त हिन्दू-परिवार (Joint Hindu Family) और एक अविभाजित हिन्दू-परिवार (Hindu Undivided Family) मे अन्तर है। हिन्दू लॉ मे एक सयुक्त हिन्दू परिवार मे सब व्यक्ति शामिल किये जाते हैं जो एक ही पूर्वज के वशज हैं (Lineally descended) और उनकी पत्नियो और अविवाहित पुत्रियो को भी इसके अन्दर शामिल किया जाता है। लेकिन, आय-कर की दृष्टि से अविभाजित हिन्दू परिवार वह है, जो निम्न दो शर्तों को पूरा करता हो—

(१) परिवार की शामिलाती जायदाद (Common property) हो। शामिलाती जायदाद मे निम्न जायदाद शामिल होती है—

(१) पैतृक जायदाद (Ancestral property)।

(ब) पैतृक जायदाद की सहायता से प्राप्त सम्पत्ति।

(स) परिवार के सदस्यो द्वारा व्यक्तिगत रूप से पैतृक सम्पत्ति की सहायता के बिना प्राप्त की हुई सम्पत्ति, जिसे वे लोग (परिवार के सदस्य) परिवार की सम्पत्ति मानते हो।

(२) परिवार मे हिन्दू सहभागिता (Coparcenary) हो। अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यो मे निम्न व्यक्ति शामिल होते है।

(अ) सहभागी (Coparceners) यानी वे व्यक्ति जिन्हें बँटवारे पर हक माँगने का अधिकार प्राप्त है, और

(ब) अन्य लोग जो हिन्दू लॉ के अनुसार केवल गुजर-बशर (Maintenance) के हकदार है।

हिन्दू लॉ मे सयुक्त परिवार केवल पुरुष सदस्य के साथ ही बन सकता है अथवा केवल स्त्री सदस्यो से ही उसका निर्माण हो सकता है। आय-कर के उद्देश्य के लिए यदि सम्पत्ति में कोई सहभागी या समाशी (Coparceners) नही हैं, तो परिवार अविभाजित हिन्दू परिवार नही हो सकता। जैसा कि आगे बताया गया है, अविभाजित हिन्दू परिवार, हिन्दू लॉ के दो सम्प्रदायो (Schools) द्वारा नियन्त्रित है—(१) दाय भाग और (२) मिताक्षरा। दाय भाग बगाल मे और मिताक्षरा भारत के शेष हिस्सो मे प्रचलित है।

निम्न दशाओं मे आय को अविभाजित हिन्दू परिवार की आय नही माना जाता और न उस पर इस रूप में कर-निर्धारण ही किया जा सकता है —

(अ) जब किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य की आय उसकी निज की कमायी हुई आय हो, तो उस आय के लिए उसके हाथो (व्यक्ति रूप में) कर लगेगा।

(आ) किसी हिन्दू के पुत्र को जन्म लेने से ही अपने पिता के निजी प्रयत्नो से पैदा की गयी सम्पत्ति मे हक प्राप्त नही हो जाता। ऐसी सम्पत्ति की आय के लिए पिता के ऊपर व्यक्ति के रूप मे ही कर-निर्धारण किया जाता है।

(इ) दाय भाग कानून के अनुसार, जन्म से ही पुत्र पैतृक सम्पत्ति मे हकदार नही हो जाता। पिता के मरने के पश्चात् ही पहली बार उसे यह हक प्राप्त होता है। इसलिए पिता के जीवन-काल मे पैतृक सम्पत्ति की आय पर व्यक्ति की आय के रूप मे ही कर-निर्धारण होगा, बशर्ते कि पिता स्वय अपने भाई के साथ उस पैतृक सम्पत्ति का सहभागी (Coparcener) न हो। अर्थात् पिता ने उस पैतृक जायदाद को किसी भाई के साथ प्राप्त (inherit) न किया हो।

(ई) मिताक्षरा कानून के अधीन किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के एक-मात्र जीवित पुरुष सदस्य की आय पर, यदि उसके कोई पुत्र न हो, उसकी व्यक्तिगत आय के रूप मे ही कर-निर्धारण होता है। इस व्यक्ति की पत्नी और पुत्री जीबित होने से इस स्थिति मे परिवर्तन नही होता, क्योकि पैतृक सम्पत्ति मे पत्नी और पुत्री का कोई हक नही है।

(उ) यदि सयुक्त परिवार (Joint famly) का कोई सदस्य अपने हानि-लाभ पर कोई स्वतन्त्र व्यवसाय करता है, तो इस व्यवसाय की आय उस सदस्य की अपनी निजी आय होगी, परिवार की नही, चाहे उसने व्यवसाय के लिए परिवार के कोष मे से ही रुपया उधार लिया हो। व्यवसाय से होने वाली उसकी निजी आय पर एक व्यक्ति के रूप मे आय-कर लगेगा।

(ऊ) यदि सयुक्त परिवार (Joint family) के सदस्य साझीदारी मे अपने-अपने लाभ के लिये कोई व्यापार-व्यवसाय करते हो, तो उसके लाभ साझेदारी की आय होगी, परिवार की नही, और साझीदारो के लाभो पर अनरजिस्टर्ड फर्म के रूप मे कर लगेगा।

अविभाजित हिन्दू परिवारो का कर-निर्धारण
(Assessment of Hindu Undivided Families)

एक अविभाजित हिन्दू परिवार पर उसकी कुल आय के अनुसार, किसी व्यक्ति की भाँति ही एक पृथक् इकाई के रूप मे (कर्त्ता या प्रबन्धक के द्वारा) कर-निर्धारण

१०

किया जाता है और परिवार के सदस्यो की पृथक् आय पर कर-निर्धारण करते समय इस बात का विचार नही किया जाता कि परिवार की आय परिवार के सदस्यो मे किस प्रकार वितरित की जाती है। यह बात उन मामलो मे भी होती है जिनमे परिवार की आय कर लगने योग्य सीमा मे कम हो और इसलिये इस पर कर न लगता हो। यही बात अतिरिक्त-कर के लिए लागू होती है।

एक अविभाजित हिन्दू परिवार पर व्यक्ति की भाँति कर-निर्धारण किया जाय यह सचमुच ही बडी कठोरता है। लेकिन यह कठोरता निम्न व्यवस्थाओ द्वारा कुछ असो मे कम हो जाती है —

(अ) कर-मुक्त आय की सीमा उच्चत्तर (higher) है,

(ब) सरचार्ज की सीमा भी उच्चतर है,

(स) जीवन-बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध मे अपेक्षाकृत बडी रकमो के लिए छूट दी जाती है।

एक अविभाजित हिन्दू परिवार को उसकी कुल आय मे शामिल कमाई हुई आय के लिये कमाई हुई आय की छूट दी जाती है।

किसी अविभाजित हिन्दू परिवार द्वार अपने किसी पुरुष सदस्य या उसकी पत्नी के जीवन-बीमा के लिए दी गई रकमे, परिवार की कुल आय के चौथे भाग तक या १६,००० रु० तक, जो भी इनमे कम हो, आय कर से मुक्त है।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार को अधिकतम कर अयोग्य आय तथा सरचार्ज सीमा कितनी होगी यह 'कर-गणना' से सम्बन्धित अध्याय मे बताया गया है।

बँटवारे के पश्चात् कर-निर्धारण

(Assessment after partition)

यदि एक बार परिवार पर अविभाजित रूप मे कर-निर्धारण हो चुका है तो बँटवारा होने के बाद भी उस पर अविभाजित परिवार के रूप मे ही कर-निर्धारण होता रहेगा, जब तक कि इनकम टैक्स ऑफीसर उस बँटवारे को स्वीकार न कर ले।

धारा २५ A अविभाजित हिन्दू परिवार के बटवारे के पश्चात् के कर-निर्धारण से सम्बन्ध रखती है। यह धारा तभी लागू होती है जब अविभाजित हिन्दू परिवार का कोई सदस्य कर-निर्धारण के समय या उससे पूर्व यह कहता है कि परिवार मे बँटवारा हो गया है, और यदि पूछ-ताछ करने के पश्चात् इनकम टैक्स ऑफीसर को भी यह इत्मीनान हो जाय कि सयुक्त परिवार की सम्पत्ति का बँटवारा परिवार के सदस्यो के बीच निश्चित भागो में हो गया है, तो वह इस बँटवारे की स्वीकृति प्रदान करते हुए आज्ञा (Order) जारी कर सकता है।

इसके पश्चात इनकम टैक्स ऑफीसर परिवार का कर-निर्धारण करेगा,

मानो कि उसका बँटवारा ही न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि उसे यह मालूम करनी है कि परिवार की कुल आय कितनी है और उस पर दिये जाने वाले कर की रकम इस प्रकार निकालना है, कि मानो वह एक इकाई द्वारा देना था। इस प्रकार कर-निर्धारण कर लेने के पश्चात् परिवार के ऊपर लगी कर की रकम को वह परिवार के सदस्यो मे, बटवारे मे मिले हिस्सो के अनुसार, बाँट देता है। ये सदस्य, सयुक्त रूप मे और व्यक्तिगत रूप मे भी सयुक्त परिवार की कुल आय पर लगे कर के लिए दायी होते है।

आशिक बँटवारा (Partial Partition)

कुछ परिस्थितियो मे एक अविभाजित हिन्दू परिवार का कुछ अशो मे ही बँटवारा होता हे। 'आशिक बँटवारे' (Partial Partition) से उन स्थितियो का सकेत होता है जबकि (1) परिवार से एक या कुछ सदस्य अलग हो जाते है, और (11) जबकि परिवार की सम्पत्ति के केवल कुछ अश का ही विभाजन होता है। पहली स्थिति मे तो पृथक् होने वाले सदस्यो से आय-कर के उद्देश्य से अलहदा रूप मे व्यवहार किया जायेगा और शेष सदस्यो को एक अविभाजित परिवार के रूप मे ही समझा जाता है। दूसरी स्थिति मे सयुक्त परिवार पर ही, उसकी अविभाजित सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध मे, कर लगेगा।

उदाहरण

(१) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए गतवर्ष के लिये किसी अविभाजित हिन्दू परिवार ने एक नक्शा दाखिल किया जिसमे आय निम्न प्रकार दिखायी गई है —

	रु०
जायदाद का किराया (मरम्मत के लिए १/६ घटाने के बाद)	२०,०००
कपडे के व्यवसाय से आय	६०,०००
सट्टे से लाभ	२०,०००

पूछगछ करने के पश्चात् आपको निम्न तथ्य ज्ञात होते है —

(अ) ३१ माच १९५८ को कपडे के व्यवसाय का, परिवार के विभिन्न सदस्यो मे, उनमे से प्रत्येक का पूँजी खाता (Capital account) खोल देने पर, बँटवारा हो गया। इसके बाद इस व्यापार को चलाने के लिये, परिवार के सदस्यो मे साझेदारी हो गयी।

(ब) इस बिल्डिग के म्यूनिसिपल टैक्स के रूप मे परिवार ने ३,००० रु० अदा किये।

१९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस परिवार का कर-दायित्व निश्चित करिये।

	रु०	रु०
१ जायदाद का ग्रौस किराया, मरम्मत का १/६ बिना कटे	२४,०००	
घटाओ—स्थानीय करो के लिये कटौती	१,५००	
जायदाद का वार्षिक मूल्य	२२,५००	
घटाओ—१/६ भाग मरम्मत के लिये	३,७५०	१८,७५०
२ सट्टे का लाभ		२०,०००
	कुल आय	३८,७५०

परिवार को आय-कर अतिरिक्त कर ३८,७५० रु० पर १९५९-६० की दरो से देना पडेगा।

कपडे का व्यवसाय (जिसका बँटवारा हो चुका है) की आय पर परिवार को आय के रूप मे कर-निर्धारण नही होगा, बल्कि इसके ऊपर अनरजिस्टर्ड फर्म की आय के रूप में कर लगाया जायगा।

(२) एक हिन्दू अविभाजित परिवार सोना, चाँदी, महाजनी, दलाली और शेयरो का व्यापार करता है। उसने ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए गत वर्ष के लिये दाखिल किये आय के नक्शे मे निम्नलिखित विवरण दिखाया :—

	रु०		रु०
चाँदी मे हानि	१,००,०००	सोने मे लाभ	१,५०,०००
प्रतिभूतियो की बिक्री पर हानि	२०,०००	गिन्नी में लाभ	२५,०००
शेयर व्यापार मे हानि	५०,०००	दलाली ब्याज और कमीशन से लाभ	१,५०,०००
कानूनी व्यय	३०,०००	प्रतिभूतियो और लाभांशो का ब्याज	५०,०००
डूबा ऋण	५०,०००		
एस्टेब्लिशमेण्ट एव कन्टिनजैन्सीज	२०,०००		
शुद्ध लाभ	१,०५,०००		
	३,७५,०००		३,७५,०००

पुस्तको की परीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :—

(अ) चाँदी खाते को हैजिंग अनुबन्ध (Hedging contract) मे हुई हानि के १,००,००० रु० और चाँदी के सट्टे मे हुई हानि के ५०,००० रु० से नाम किया गया है।

(आ) कानूनी व्यय मे, चोरी से लाये स्वर्ण की कथित खरीद (alleged purchase) से सम्बन्धित क्रिमिनल कार्यवाही मे खर्च हुये १०,००० रु० शामिल हैं।

(इ) डूबे ऋणो मे व्यापार भवन की तिजोरी चोरी गये रुपयो की १०,००० रु० हानि और कर्त्ता के साले को, जिसका व्यापार असफल हो गया, बिना ब्याज दिये अखण्डनीय ऋण के २०,००० रु० शामिल है।

(ई) सस्थापन व्यय (Establishment expenses) मे निम्न शामिल है — कर्त्ता के पुत्र को दिये गये वेतन के ३,००० रु० और उसके (कर्त्ता के पुत्र के) दफ्तर आने जाने के लिये मोटर साइकिल की खरीद (सितम्बर १६५८ मे) के १,००० रु०।

हानियो और व्ययो की मदो को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के कारण देते हुए परिवार की कुल आय निकालिये।

		रु०
उक्त विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ		१,०५,०००
घटाओ—प्रतिभूतियो और लाभाश का ब्याज (अलग-अलग विचारते हुये)		५०,०००
		५५,०००
जोडो—चाँदी के सट्टे की हानि	५०,०००	
क्रिमिनल कार्यवाही	१०,०००	
तिजोरी से चुराया गया रुपया	१०,०००	
अखण्डनीय ऋण जो महाजनी व्यापार की साधारण प्रगति मे नही है।	२०,०००	
मोटर साइकिल की लागत	१,०००	६१,०००
		१,४६,०००
घटाया—मोटर साइकिल का ह्रास साधारण २०% से ६ माह के लिए		१००
कर-योग्य व्यापार लाभ		१,४५,६००
ब्याज तथा लाभाश-ग्रॉस मान लिए गए		५०,०००
कुल आय		१,६५,६००

उपरोक्त गणना निम्न टिप्पणियो के अधीन है —

(१) चाँदी के सट्टे मे हानि के ५०,००० रु० स्वीकार नही किये जायेगे, क्योकि उस वर्ष सट्टे का कोई लाभ नही है,

(२) क्रिमिनल कार्यवाही मे खर्च हुए १०,००० रु० कानूनी व्यय स्वीकार योग्य कटौती नही है।

(३) व्यापार भवन से नगदी की चोरी भी व्यापार से सम्बन्धित नही कही जा सकती और वह स्वीकार योग्य नही है। यदि यह साबित किया जा सके कि रोकड व्यापारिक स्कन्ध का भाग है और हानि किसी कमचारी के गबन के कारण हुई तो मामला दूसरा हो जायगा। परन्तु साधारणत: इस प्रकार की हानि कर-दाता की

लापरवाही से ही होती है और ऐसी हानि को स्वीकार करने के लिये अधिनियम में कोई व्यवस्था नही है।

(४) कर्त्ता के साले को २०,००० रु० ऋण, बिना ब्याज देना, व्यापारिक ऋण नही। अत डूबे ऋण की माँग अस्वीकृत की जाती है।

(५) कर्त्ता के पुत्र को वेतन स्वरूप दिये गये ३,००० रु० स्वीकार हैं यह मानते हुए कि उसने व्यापार में सचमुच काम किया था।

(६) मोटर साइकिल की लागत (१,००० रु०) अस्वीकृत कर दी गइ हे क्योकि यह पूँजी व्यय है। परन्तु १,००० रु० पर ह्रास स्वीकृत किया जायेगा क्योकि हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता का पुत्र एक कमचारी हे।

अध्याय १२

कर-दातागण (२)

(३) फर्में (Firms)

'फर्म', 'साझेदार' और 'साझीदारी' शब्दो का अर्थ आय-कर के उद्देश्य के लिए भी वही है, जो १९३२ के भारतीय साझेदारी अधिनियम (Indian Partnership Act of 1932) मे दिया गया है, केवल 'साझीदार शब्द के अन्तगत उस किसी व्यक्ति को भी शामिल कर लिया गया है, जो नाबालिग होने पर भी साझेदारी के लाभ में हिस्सेदार है।

साझेदारी का नाता अनुबन्ध से उन्पन्न होता है स्थिति (Status) से नही। इसलिए अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य, जो पारिवारिक व्यापार करते हो, इस व्यापार के साझीदार नही माने जा सकते। लेकिन एक अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यो को यह विकल्प है कि वे चाहे तो पारिवारिक व्यवसाय का विभाजन करालें और तत्पश्चात परिवार की अन्य सम्पत्ति (assets) का विभाजन कराए बिना साझीदार के रूप मे उस व्यवसाय को चलावें।

आय कर के उद्देश्य के लिए फर्म रजिस्टर्ड होती है या अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड फर्म उसे कहते है जो धारा २६ ए की व्यवस्थानुसार रजिस्टड हुई हो, और अनरजिस्टर्ड फर्म वह है जो इस प्रकार रजिस्टड नही है।

रजिस्ट्रेशन—फर्म की रजिस्ट्री निम्न शर्तों के पूरा करने पर हो सकती है—

(१) फर्म का सगठन साझेदारी प्रलेख के अन्तगत किया जाय,

(२) साझेदारो के व्यक्तिगत शेयर उस प्रलेख में स्पष्टत निर्धारित कर दिये जायें, **और**

(३) वष का लाभ व हानि इस निर्धारित अनुपात मे ही साझेदारो मे विभाजित किया जाय।

यह रजिस्ट्रेशन उस रजिस्ट्रेशन से भिन्न है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। यह फर्म की रजिस्ट्री कहलाती है परन्तु वास्तव मे वह साझेदारी प्रलेख (Partnership deed) की रजिस्ट्री है।

रजिस्ट्री कराने के लिये सम्बन्धित क्षेत्र के इनकम टैक्स ऑफीसर को एक प्रार्थना पत्र देना चाहिये। इसके लिये एक विशेष निर्धारित फार्म भरना पडता है।

यदि प्रारम्भिक रजिस्ट्री करानी है तो प्रार्थना-पत्र फर्म के हिसाबी वर्ष की समाप्ति के पहले या फम बनने के छः महीने के भीतर, जो भी तिथि पहले हो, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। उस फर्म को जिसकी फर्मो के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री हो चुकी है या जिसका साझेदारी प्रलेख सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो चुका है, यह अनुमति है कि वह हिसाबी वर्ष की समाप्ति के पहले कभी भी प्राथना-पत्र दे दे। यदि फर्म इस बात से सतुष्ट करदे कि प्रार्थना-पत्र मे देरी किसी पर्याप्त कारण वश हो गई थी, तो इन्कम टैक्स ऑफीसर समय को बढा सकता है।

यदि फर्म की एक बार इन्कमटैक्स ऑफीसर से रजिस्ट्री हो चुकी है तो फर्म के साझेदारो की प्रार्थना पर उसे प्रतिवर्ष नया किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के नवकरण के लिये प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष मे ३० जून के पहले प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिये।

यदि प्राथना-पत्र की प्राप्ति पर इन्कमटैक्स ऑफीसर को यह विश्वास हो जाता है कि साझेदारी प्रलेख मे दी गई सूचनाओ के अनुकूल ही कोई फर्म वास्तव मे विद्यमान है तो वह उस प्रलेख पर फर्म के रजिस्टर्ड हो जाने की सूचना अकित कर देगा। इस प्रकार दिया गया रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र केवल उस वर्ष के कर निर्धारण के लिये ही प्रभावशील होगा जो उसमे उल्लिखित है।

फर्मो का कर निर्धारण (Assessment of Firms)

किसी फर्म की कर-योग्य आय निर्धारित करने के लिये फर्म को उसके सदस्यो से पृथक् एक इकाई के रूप मे माना जाता है। किन्तु धारा १० (१४) बी के अनुसार वेतन, ब्याज, कमीशन या पारिश्रमिक के रूप मे साझीदार को जो रकम दी गई है, वह घटाई नही जा सकती।

धारा १६ (१) बी के अन्दर वह विधि बताई गई है, जिसके अनुसार फर्म की कर देय आय (assessable income) उसके साझीदारो मे बॉटी जानी चाहिये। इस धारा के अनुसार, फर्म की देय आय मे प्रत्येक साझीदार का हिस्सा फर्म से प्राप्त की गई वास्तविक आय नही होता, बल्कि वह निम्न रूप मे निकाली गई आय होता है—

(अ) पहले तो फर्म का धारा १० मे वर्णित नियमो के अनुसार हानि-लाभ निकाला जाता है।

(ब) फर्म की आय इस प्रकार निकालने के पश्चात् साझीदारो को वेतन, ब्याज, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक के रूप मे दी गई रकमे घटा दी जाती हैं, और

(स) फर्म की शेष कर-देय आय (Balance of assessable income) को साझीदारो के बीच में उनके लाभ के हिस्सो के अनुपात में बॉट दिया जाता है।

(द) अन्त मे, यदि फर्म की कुल आय मे कोई स्वीकृत धार्मिक दान शामिल है तो कटौती (Rebate) के मतलब के लिये ऐसे दान को साझेदारो मे उनके लाभ-विभाजन के अनुपात मे बॉट देना चाहिये।

यदि फम द्वारा किया जाने वाला व्यापार बन्द कर दिया जाय तो फर्म की कुल आय पर, इनकम टैक्स आफीसर उसी तरह जैसे कि व्यापार बन्द नही हुआ हो मानकर, कर-निर्धारण करेगा तथा यदि फर्म कोई आज्ञा भग (default) करती है तो उस पर दण्ड (penalty) लगाई जा सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति जो बन्द किए जाने वाले समय पर साझीदार था फर्म द्वारा दिए जाने वाले कर तथा दण्ड को देने के लिए, सयुक्त तथा पृथक् दोनो रूप से, दायी होगा।

धारा २६ (१) के द्वितीय आयोजन के अन्तगत जबकि एक साझेदार पर निर्धारित किया गया कर उससे वसूल न किया जा सकता हो तो वह कर फर्म से ही वसूल किया जा सकता है।

उदाहरण

अ, ब और स एक फर्म मे साझीदार है। फम के हानि-लाभ म इनका हिस्सा क्रमश $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{5}$ और $\frac{1}{5}$ है। ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ-हानि-खाता निम्न प्रकार है —

		रु०		रु०
व्यापारिक खर्च		५०,०००	ग्रॉस लाभ	१,४५,०००
पूँजी पर ब्याज	अ	३,०००	प्रतिभूतियो पर ब्याज	
	ब	२,०००	(ग्रॉस)	५,०००
	स	१,०००		
ब को वेतन		६,०००		
स को कमीशन		३,०००		
शुद्ध लाभ		८५,०००		
		१,५०,०००		१,५०,०००

फर्म की कर-देय आय (assessable income) बताइये और उसे तीनो साझीदारो मे बॉटिए।

	रु०	रु०
फर्म की कुल आय		
१ व्यापारिक लाभ		
हानि-लाभ खाते के अनुसार		
शुद्ध लाभ	८५,०००	

जोडो—खर्चे जो स्वीकृत नही है :			
पूँजी पर ब्याज	६,०००		
साझीदार का वेतन	६,०००		
साझीदार का कमीशन	३,०००	१५,०००	
		१,००,०००	
घटाओ—लाभाश जो व्यापारिक लाभ के रूप मे नही है		५,०००	९५,०००
२ लाभाश (ग्रौस)			५,०००
		फर्म की कुल आय	१,००,०००

फम को कुल आय साझीदारो मे निम्न प्रकार बाँटी गई—

	(अ) रु०	(ब) रु०	(स) रु०
पूँजी पर ब्याज	३,०००	२,०००	१,०००
वेतन	—	६,०००	—
कमीशन	—	—	३,०००
कुल आय का शेषाश (२, २ और १)	३४,०००	३४,०००	१७,०००
	३७,०००	४२,०००	२१,०००

(अ) रजिस्टड फर्मे (Registered Firms)

आयकर—१९५६–५७ कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व एक रजिस्टर्ड फर्म को कर नही देना पडता था परन्तु साझेदारो पर उनके लाभ-भागो पर उनकी वैयक्तिक कर दरो से सीधे कर लगाया जाता था। लेकिन १९५६ के फाइनेस एक्ट ने यह स्थिति बदल दी है।

१९५६–५७ और बाद के कर-निर्धारण वर्षो के लिए एक रजिस्टर्ड फर्म को जिसकी आय ४०,००० रु० से अधिक हो, फाइनेस एक्ट मे निर्दिष्ट की गई दरो से आय-कर चुकाना होगा। १९५८–५९ एव १९५९–६० कर-निर्धारण वर्षों के लिये ये दरें निम्न है :—

(१) कुल आय के प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नही
(२) कुल आय के अगले ३५,००० रु० पर	५%
(३) कुल आय के अगले ७५,००० रु० पर	६%
(४) कुल आय के शेष भाग पर	९%

जहाँ तक साझेदारो का सम्बन्ध है, उन पर पहले की तरह ही उनके लाभ-भागो पर सीधे कर लगेगा लेकिन उन्हे फर्म द्वारा नये आयोजनो के अन्तर्गत चुकाए गए कर में अपने-अपने भाग की रकम पर वैयक्तिक दरो के अनुसार आय-कर की छूट मिलेगी। फर्म द्वारा चुकाए आय-कर से साझेदारो का भाग उनके आपस के लाभ-विभाजन के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

सुपर टैक्स —एक रजिस्टर्ड फर्म पर सुपर-टैक्स नही लगता। फर्म की आय मे प्रत्येक साझेदार का भाग उसकी कुल आय मे जोड दिया जाता है और फिर उस पर वैयक्तिक रूप से सुपर-टैक्स लगता है।

यदि रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय 'व्यापार' से प्राप्त हुई है तो साझेदारो को उनके व्यक्तिगत कर-निर्धारण मे सुपर-टैक्स के लिये फर्म द्वारा चुकाए गए आय कर के किसी भाग की छूट नही दी जाएगी, लेकिन यदि फर्म की आय मे 'व्यापार' के मद के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से भी आय है तो उस अन्य भाग पर लगने वाले आय-कर की छूट साझेदारो के व्यक्तिगत कर-निर्धारण सुपर-टैक्स के लिए दी जाएगी।

जहाँ कि एक रजिस्टर्ड फर्म का कोई साझेदार परदेशी है या आय-कर अधिकारी यह समझता है कि रजिस्टड फर्म का कोई साझेदार पाकिस्तान मे रहता है तो ऐसे साझेदार का फर्म की आय में भाग का फर्म पर कर-निर्धारण किया जाएगा तथा चुकाने वाले कर की रकम, उस पर वैयक्तिक रूप मे यदि कर-निर्धारण किया जाए, यह मानते हुए, निकाली जायगी। इस तरह निश्चित की हुई राशि फर्म को चुकानी होगी।

घाटे की पूर्ति और उसका आगे ले जाना (**Set-off and carry forward**)—यह पहले ही एक अध्याय मे समझाया जा चुका है।

कमाई हुई आय की छूट (**Earned Income Relief**)—रजिस्टर्ड फर्म तथा उस अनरजिस्टर्ड फर्म, जोकि रजिस्टर्ड फर्म की तरह मानी जाय, की दशा में साझेदारो को जो कि कर-दाता हैं, यदि उन्होने फर्म के व्यापार मे सक्रिय भाग लिया है, कमाई हुई आय की छूट दी जाएगी। इस हेतु फर्म की आय मे से प्रत्येक साझेदार का भाग कमाई हुई आय' तथा 'न कमाई हुई आय' के भाग मे बाँटा जायगा।

लाभ का गलत विभाजन (**Wrong Distribution of Profits**)—यदि रजिस्टर्ड फर्म का लाभ साझेदारी सलेख के अनुसार नही बाँटा जाए और फर्म का कोई साझेदार अपनी वास्तविक आय से कम आय का नकशा दाखिल करे तो इन्कम-टैक्स ऑफीसर उस साझेदार पर दण्ड लगा सकता है और इसके लिए अन्य साझेदार दण्ड स्वरूप दी गई रकम को वापिस करने की माग नही कर सकता।

उदाहरण

नोट · उदाहरण (२) 'कर-गणना' अध्याय को पूर्ण अध्ययन कर लेने के बाद करना चाहिए।

(१) कर-निर्धारण वष १९५९-६०। हिसाबी वर्ष समाप्त हुआ ३० जून १९५८ को। एक रजिस्टर्ड फर्म मे अ, ब, तथा स तीन साझेदार है जो २ ४ १० के अनुसार लाभ बॉटते है। फर्म की कुल आय 'व्यापार' से १,००,०००, नीचे की बातो को ध्यान रखते हुए, मानी गई —

	रु०
अ को चुकाया गया वेतन	१५,०००
ब को चुकाया गया ब्याज	६,०००
स को चुकाया गया कमीशन	९,०००

(अ) फर्म के द्वारा चुकाये जाने वाले कर की (ब) हर साझेदार को लाभ जो कि उसकी कुल आय मे जुडना है, तथा (स) हर साझेदार के आय-कर तथा सुपर-टैक्स के कर-निर्धारण मे यदि कोई क्रेडिट, रिबेट या कटौती मिलनी हो तो उसकी गणना कीजिए।

(अ) फर्म द्वारा चुकाया जाने वाला कर :

	रु०
प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नही
अगले ३५,००० रु० पर ५%	१,७५०
अगले २५,००० रु० पर ६%	१,५००
रजिस्टर्ड फर्म द्वारा चुकाया जाने वाला कर	३,२५०

(ब) हर साझेदार का आय-का भाग (Share income of each partner)

	अ रु०	ब रु०	स रु०
वेतन	१५,०००	—	—
ब्याज	—	६,०००	—
कमीशन	—	—	९,०००
आय का शेष (२ ४. १०)	८,७५०	१७,५००	४३,७५०
	२३,७५०	२३,५००	५२,७५०

(स) साझेदारो को फर्म द्वारा चुकाए गए आय-कर के लिए निम्न छूट मिलेगी।

	रु०
अ—३,२५० रु० का २/१६	४०६
ब—३,२५० रु० का ४/१६	८१३
स—३,२५० रु० का १०/१६	२,०३१
	३,२५०

नोट क्योकि रजिस्टर्ड फम की कुल आय 'व्यापार' से प्राप्त की गई है अतएव फर्म द्वारा चुकाए गए आय-कर के लिए साझेदारो को सुपर-टैक्स मे कोई रिबेट नही मिलेगी।

साझेदारो के आय-कर चुकाने के लिए कुल आय मे रजिस्टर्ड फर्म से आय का भाग 'कमाई हुई आय' मानी जाएगी यदि सब साझीदारो ने उस फम के व्यापार मे सक्रिय सहयोग दिया है।

(२) एक रजिस्टर्ड फर्म मे अ और ब दो साझेदार हैं जो कि १ २ के अनुपात में लाभ और हानि बाँटते हैं। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय नीचे की तरह निकाली गई .

		रु०	रु०
जायदाद			५०,०००
व्यापार		१,००,०००	
ए को वेतन	१२,०००		
ब को ब्याज	१८,०००	३०,०००	
			१,३०,०००
			१,८०,०००

(अ) फर्म द्वारा चुकाये जाने वाला कर, साझेदारो के भाग, तथा उनके आय-कर तथा सुपर-टैक्स मे कर के भाग की रिबेट की गणना कीजिए।

(ब) अ द्वारा चुकाये जाने वाला कर, यह मानते हुए कि उसे अन्य कोई आय नही है, निकालिए।

	रु०
कुल आय के प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नही
कुल आय के अगले ३५,००० रु० पर ५%	१,७५०
कुल आय के अगले ७५,००० रु० पर ६%	४,५००
शेष ३०,००० रु० पर ९%	२,७००
रजिस्टर्ड फर्म द्वारा चुकाये जाने वाला आय-कर	८,९५०

हर साझीदार का आय का भाग निम्न होगा।

	अ	ब
	रु०	रु०
वेतन	१२,०००	—
ब्याज	—	१८,०००
आय का शेष (१.२)	५०,०००	१,००,०००
	६२,०००	१,१८,०००

व्यापार के मद को छोड कर अन्य मदो से फर्म का आय पर आय-कर निम्न होगा .—

$$\frac{८,९५० \times ५०,०००}{१,८०,०००} = २,४८६ \text{ रु०}$$

इसलिए उनके वैयक्तिक कर-निर्धारण मे निम्न रिबेट मिलेगी —

	आय-कर की रिबेट	सुपर-टैक्स की रिबेट
	रु०	रु०
अ (एक-तिहाई)	२,९८३	८२९
ब (दो-तिहाई)	५,९६७	१,६५७
	८,९५०	२,४८६

१९५९-६० के लिए अ का कर-निर्धारण

		रु०
१	जायदाद से आय का भाग ५०,००० रु० का एक-तिहाई (न कमाई हुई)	१६,६६७
२	१२,००० रु० वेतन सहित व्यापार आय से भाग (कमाई हुई आय यह मानते हुए कि अ ने सक्रिय भाग लिया है)	४५,३३३
	कुल आय	६२,०००

		रु०
४५,३३३ रु० की कमाई हुई आय पर आय-कर		८,३५३-२५
१६,६६७ रु० की न कमाई हुई आय पर आय-कर		४,१६६-७५
		१२,५२०-००
सामान्य सरचार्ज १२,५२० रु० पर ५%	६२६	
विशेष सरचार्ज . ४,१६६ ७५ रु० पर १५%	६२५	१,२५१-००
		१३,७७१-००
घटाया—२९८३ रु० के आय-कर पर रिबेट $\frac{२,९८३ \times १३,७७१}{६२,०००}$ =		६६२-५६
चुकाये जाने वाला आय-कर		१३,१०८-४४ (अ)
४५,३३३ रु० की कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स		४,६००-००
१६,६६७ रु० की न कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स		५,७००-००
		१०,३००-००
सामान्य सरचार्ज . १०,३०० रु० पर ५%	५१५	
विशेष सरचार्ज : ५,७०० रु० पर १५%	८५५	१,३७०-००
		११,६७०-००

घटाया—८२६ रु० के सुपर-टैक्स पर रिबेट .

$$\frac{८२६ \times ११,६७०}{६२,०००} =$$ १५६-००

चुकाये जाना वाला सुपर-टैक्स ११,५१४-०० (ब)

अतएव कुल चुकाये जाने वाला कर (अ)+(ब) = २४,६२२-४४ रु० ।

(ब) अन-रजिस्टर्ड फर्मे (Unregistered Firms) —

अनरजिस्टर्ड फर्म के कर-देय लाभ साझेदारो मे उसी प्रकार बाटे जाते है, जिस प्रकार की रजिस्टर्ड फर्म के लाभ। अनरजिस्टर्ड फर्म और उसके साझेदारो का कर-निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है —

आय कर .—अनरजिस्टर्ड फर्म पर एक व्यक्ति की भाँति ही उसकी कुल आय की रकम के अनुसार कर लगाया जाता है। यदि उसकी कुल आय कर-योग्य सीमा से कम है तो उस पर कोई आय-कर नही लगता।

धारा १४ (२) (a) के अन्तर्गत, फर्म के लाभ के उस भाग पर जिस पर फर्म ने आय-कर दे दिया है साझेदार को आय-कर नही देना होगा, लेकिन यह लाभ का भाग अन्य आय पर कर देने के लिए आय-कर की दर निकालने के लिए जोडा जाएगा।

यदि फर्म की कुल आय न्यूनतम कर-सीमा से कम है अथवा फर्म अपने आय-कर को चुकाने में असमर्थ है तो फर्म के लाभ का भाग साझेदार के हाथ मे कर-मुक्त नही होगा।

सुपर-टैक्स :—एक व्यक्ति की तरह ही एक अनरजिस्टर्ड फम पर भी सुपर-टैक्स लगता है। धारा ५५ के नियम द्वितीय के अनुसार यदि फर्म पर सुपर-टैक्स लगा है तो फर्म के लाभ के भाग पर साझेदार को सुपर-टैक्स नही देना होगा तथा यह भाग कुल आय में भी नही जोडा जाएगा। जरूरी यह है कि फर्म पर सुपर-टैक्स लगा है या नही।

धारा २३ (५) (b) .—जब कि व्यक्तिगत साझेदारो की कुल आय किसी अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय से बहुत अधिक हो तो फर्म के लिए अनरजिस्टर्ड रहना ही लाभदायक है। इस प्रकार से कर की बचत को रोकने के लिए धारा २३ (५) (b) का यह आदेश है कि अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा मे इनकम टैक्स ऑफीसर फर्म द्वारा दिए जाने वाले कर का निर्धारण करने के बजाय प्रत्येक साझेदार की कुल आय पता लगाए और इस कुल आय में उसकी फर्म की आय को भी सम्मिलित करते हुए प्रत्येक साझेदार द्वारा दिया जाने वाला कर निश्चित करे। हाँ, यह शर्त है कि अतिरिक्त कर सहित उस कर की कुल रकम जो ऐसी विधि के अन्तर्गत साझेदारो द्वारा चुकाई जावे वह उस कुल रकम से अधिक होनी चाहिए जो कि फर्म और साझेदार, व्यक्तिगत रूप से साझेदार पृथक-पृथक कर-निर्धारण होने की दशा मे चुकाते।

जहाँ कि आय-कर अधिकारी धारा २३ (५) (b) के अन्तर्गत अनरजिस्टर्ड फर्म पर कर लगाए वहाँ यह कहना उचित नही है कि उस पर रजिस्टर्ड फर्म की तरह कर लगाया गया है। कारण यह है कि रजिस्टर्ड फर्म मे साझेदारो के ऊपर आय-कर और अतिरिक्त-कर के अतिरिक्त फर्म पर भी टैक्स लगता है। धारा २३ (५) (b) के अन्तर्गत साझेदारो पर कर लगाने के अतिरिक्त अनरजिस्टर्ड फम पर कर लगाने का उसे कोई अधिकार नही है।

जिस दशा मे कर-निर्धारण की उक्त विधि अपनाई गई हो और जब किसी अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई साझेदार परदेशी हो या पाकिस्तान मे रहता हो तो ऐसे साझेदार के फर्म मे आय-भाग के लिए फम पर कर-निर्धारण किया जाएगा और देय कर की रकम उस दर से निकाली जाएगी जो कि तब लागू होती जब कि उसी आय के लिए उस पर व्यक्तिगत रूप से कर-निर्धारण होता। इस प्रकार निकाली गई कर की रकम फर्म द्वारा चुकाई जावेगी।

घाटे की पूर्ति और अग्रनयन (**Set-off and carry forward of losses**)—अनरजिस्टर्ड फम प्रथम तो अपने घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की अपनी अन्य आय में से कर सकती है और शेष घाटे को धारा (२४) (२) के अनुसार व्यापारिक हानि के रूप मे आगे ले जा सकती है। किन्तु किसी अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई साझीदार फर्म की हानि मे अपने हिस्से की पूर्ति अपनी अन्य आय से नही कर सकता।

कमाई हुई आय की छूट (**Earned income relief**)—जब कि अनरजिस्टर्ड फर्म खुद ही आय-कर के लिये दायी बनाई जावे तो उसकी कुल आय मे शामिल समस्त कमाई हुई आय पर कमाई हुई आय की छूट दी जाती है। ऐसी परिस्थितियो मे अनरजिस्टड फर्म के साझीदार को फर्म के लाभ मे अपने उस हिस्से के लिये, जो आय-कर की दर निकालने के लिए उसकी कुल आय मे शामिल किया जाता है लेकिन जिसपर कर नही लगता, कमाई हुई आय की छूट नही दी जाती है।

यदि रजिस्टर्ड फम की कुल आय पर कर योग्य सीमा से कम होने के कारण कर नही लगता तो फर्म के साझीदार को फर्म के लाभ मे उसके हिस्से पर कमाई हुई आय को उचित छूट दी जाती है बशर्ते कि वह साझेदारी के व्यावसायिक कार्य में सक्रिय सहयोग दे रहा हो।

उदाहरण

(१) एक फर्म क अ, ब और स तीन साझीदार हैं, जिनके हिस्से क्रमशः ४, ३ और १ है। १९५८ के फम के हानि-लाभ खाते से ज्ञात होता है कि फर्म को, निम्न मदें काटने (charge) के बाद १६,००० रु० की शुद्ध हानि हुई पूँजी पर ब्याज · अ ३,००० रु०, ब २,००० रु०, स १,००० रु० और स का वेतन २,००० रु०।

अ की अन्य साधनो से कर लगने योग्य आय ५,००० रु० है, लेकिन ब और स की ऐसी कोई आय नही है ।

यदि फर्म (i) रजिस्टर्ड हो और (ii) अनरजिस्टर्ड हो तो उसका कर निर्धारण किस प्रकार किया जायगा ?

पूँजी पर ब्याज और साझीदार के वेतन के लिए सुधार (adjustment) करने के बाद, फर्म का नुकसान ८,००० रु० रहेगा, और तीनो साझीदारो के क्रमश हिस्से निम्न प्रकार होगे—

	अ	ब	स
	रु०	रु०	रु०
पूँजी पर ब्याज	३,०००	२,०००	१,०००
वेतन			२,०००
फर्म की हानि मे हिस्सा	−८,०००	−६,०००	−२,०००
	−५,०००	−४,०००	१,०००

(अ) जब फर्म रजिस्टर्ड है—

अ फर्म के घाटे मे अपने हिस्से (५,००० रु०) को ५,००० रु० की अपनी अन्य आय में से पूर्ण (set-off) कर सकता है और इस प्रकार उस पर कोई कर नही लगेगा ।

ब बर्फ की हानि में अपने हिस्से ४,००० रु० की पूर्ति ८ वर्षो तक इसी फर्म के आगामी लाभ मे अपने हिस्से से कर सकता है ।

स की कुल आय १,००० रु० ही है, इसलिए उस पर कर नही लगेगा ।

(ब) यदि फर्म रजिस्टर्ड नही है—

अनरजिस्टड फर्म अपने ८,००० रु० की घाटे की पूर्ति आगामी कर-निर्धारण मे अपनी भावी आय से स्वय कर सकती है ।

अ अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति अपनी अन्य आय में से नही कर सकता । उसे पूरे ५,००० रु० पर कर अदा करना पडेगा ।

ब भी आगामी वर्षो की आय मे से घाटे की पूर्ति नही कर सकेगा और स पर कर लगेगा ही नही ।

(२) एक रजिस्टर्ड फर्म मे अ और ब बराबर के साझीदार है । ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का हानि-लाभ खाता निम्न प्रकार है ।

	रु०		रु०
वेतन और बोनस	४,०००	सकल लाभ (Gross Profit)	३४,६००
सामान्य व्यय	६,०००		
बिक्री-कर	३,०००	बैंक ब्याज	१,०००

किराया और महसूल	१,३००	विनियोगो की बिक्री पर से लाभ	३,०००
ह्रास कोष	१,२००		
	३००		
डूबते खाते कोष	८००		
विज्ञापन	२,०००		
चन्दे और दान-पुण्य	१,०००		
मोटरकार बेचने पर नुकसान	२,०००		
पूँजी और ब्याज अ	१,५००		
ब	१,५००		
साझीदारो का वेतन अ	१,२००		
ब	१,८००		
कमीशन ब को	१,०००		
शुद्ध लाभ (Net Profit)	१०,०००		
	३८,६००		३८,६००

(क) सामान्य खर्चों मे २०० रु० एक नया साझेदारी सलेख (partnership deed) लिखाने के लिये चुकाये गये कानूनी खर्चो के २०० रु० शामिल हैं।

(ख) विज्ञापन-व्यय के अन्दर स्थायी चिह्न (permanent signs) का खर्च ७०० रु० और अखबारो मे विज्ञापन देने का व्यय १,३०० रु० शामिल हैं।

(ग) चन्दे और दान के व्यय मे निम्नलिखित व्यय शामिल हैं —व्यापार समिति को दिये चन्दे के २०० रु०, शरणार्थियो के लिये छप्पर बनवाने मे खर्च हुए ५०० रु० और एक स्कूल को दान दिया गया ३०० रु०।

(घ) मोटरकार साझीदारो के बिल्कुल निजी इस्तैमाल मे आती थी।

(ङ) ह्रास की स्वीकृत रकम केवल ५०० रु० है।

साझीदारो की अन्य आय निम्न प्रकार है —

अ—प्रतिभूतियो की ब्याज (ग्रौस) ५,००० रु०, लाभाश (ग्रौस) ३,००० रु०; और ब्याज से विदेशी आय जो भारत मे नही भेजी गई ३,००० रु०।

ब—प्रतिभूतियो की ब्याज (ग्रौस) ७,००० रु०, लाभाश (ग्रौस) ४,००० रु०, जायदाद की कर लगने योग्य आय ५,००० रु०, ब्याज से विदेशी आय, जो भारत में नही भेजी गयी १,००० रु०।

यह मानते हुए कि अ और ब दोनो पक्के निवासी हैं, इनका कर-दायित्व बताइये।

	रु०	रु०
हानि-लाभ खाते के अनुसार लाभ		१०,०००
जोडो—अस्वीकृत व्यय —		
ह्रास कोष	१,२००	
डूबत खाता कोष	८००	
पूँजी पर ब्याज	३,०००	

साझीदारो का वेतन	३,०००	
साझीदारो का कमीशन	१,०००	
कानूनी खर्चा	२००	
विज्ञापन व्यय जो पूँजी व्यय है	७००	
चन्दे और दान	८००	
मोटरकार की बिक्री पर घाटा	२,०००	१२,७००
		२२,७००
घटाओ—विनियोगो के बेचने पर लाभ, जो पूँजी लाभ है	३,०००	
ह्रास की छूट	५००	३,५००
फर्म की कर देय आय (assessable income)		१९,२००

३,००० रु० के पूजी लाभ पर कर नही लगेगा, क्योकि वह ५,००० रु० से कम है।

फर्म की कुल आय साझीदारो मे निम्न प्रकार वितरित हुई —

	अ	ब
	रु०	रु०
पूँजी पर ब्याज	१,५००	१,५००
वेतन	१,२००	१,८००
कमीशन	—	१,०००
आय का शेषाश	६,१००	६,१००
	८,८००	१०,४००

१९५९-६० के लिये अ और ब का कर-निर्धारण—

	अ	ब
	रु०	रु०
१ प्रतिभूतियो पर ब्याज (ग्रौस)	५,०००	७,०००
२ जायदाद की आय	—	५,०००
३ व्यापारिक लाभ	८,८००	१०,४००
४ लाभाश ग्रौस	३,०००	४,०००
विदेशी आय	३,०००	१,०००
कुल आय	१९,८००	२७,४००

रजिस्टर्ड फर्म पर कर नही लगेगा, क्योकि उसकी कुल आय ४०,००० रु० से अधिक नही है। अ १९,८०० रु० पर आय कर देगा (८,००० रु० पर १९५८-५९ की दरो से और शेष आय पर १९५९-६० की दरो से), ब २७,४०० रु० पर आयकर देगा (११,००० रु० पर १९५८-५९ की दरो से और शेष आय पर १९५९-६० की दरो

से)। प्रतिभूतियो के ब्याज और लाभाशो पर उद्गम स्थानो में जो कर सग्रह हुआ या काटा गया है उसके लिए उन्हे छूट (Credit) मिलेगी।

(३) क दो पृथक् व्यापारो (अ और ब) का मालिक है। अ व्यापार से उसे ५०,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ और ब व्यापार से उसे ८०,००० रु० का नुकसान हुआ। उसे ६०,००० रु० एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ मे अपने हिस्से के मिले। क का कर-दायित्व क्या है ?

कुल आय का लेखा

		रु०
१	प्रोप्राइटरी बिजनैस से हानि (५०,००० रु० −८०,००० रु०)	−३०,०००
२	अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ (जिस पर कर लग चुका है) में हिस्सा	६०,०००
	कुल आय	३०,०००

क्योकि अनरजिस्टर्ड फर्म की आय पर आय-कर और अतिरिक्त कर लगाया जा चुका है, क को कर देने की आवश्यकता नही है। ३०,००० रु० के घाटे पर उसे ३०,००० रु० पर लागू होने वाली दरो से आय-कर और अतिरिक्त-कर देना पडेगा। चूँकि रकम एक हानि है इसलिये यह महत्वपूर्ण नही है कि कर की दर क्या हो। कर शून्य है। दर धनात्मक (+ या Positive) है और वह रकम जिससे इसका गुणन किया गया है शेषात्मक (− या Negative) है। इसलिये देने वाला कर भी शून्य है।

(४) एक फर्म को, जिसके अ और ब दो बराबर के साझीदार हैं, ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए व्यापारिक वष मे ३०,००० रु० का निम्न प्रकार घाटा हुआ :—

	रु०
साझीदार अ को पूँजी का १०,००० रु० ब्याज देने के बाद व्यापार का लाभ	५०,०००
एक पट्टे की जायदाद से हानि	८०,०००
शुद्ध हानि	३०,०००

साझीदार अ को इस वर्ष मे २५,००० रु० मकान की जायदाद से आय हुई। साझीदार ब ने, जिसे इस वर्ष कोई आय नही हुई, ३१ माच १९५८ को बन्द हुये कपडे के अपने व्यक्तिगत व्यवसाय की, पिछले वर्ष से आगे लाई हुई १०,००० रु० हानि पूरी करने की माँग की।

फर्म को (i) रजिस्टर्ड, और (ii) बिना रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड फर्म पर लागू होने वाले तरीके से २३ (५) बी के अन्तर्गत कर अयोग्य मानते हुए प्रत्येक साझीदार की कुल आय मालूम करिये।

	रु०
हानि-लाभ खाते के अनुसार फर्म का लाभ	५०,०००
जोडो—साझीदार अ को ब्याज	१०,०००
	६०,०००
घटाओ—पट्टे की जायदाद से हानि	८०,०००
शुद्ध हानि	२०,०००

साझीदार अ और ब मे फर्म की हानि का बटवारा—

	अ	ब
	रु०	रु०
पूँजी पर ब्याज	१०,०००	—
व्यापार की आय का शेषाश	२५,०००	२५,०००
	३५,०००	२५,०००
घटाओ—पट्टे की जायदाद से हानि	४०,०००	४०,०००
हानि	५,०००	१५,०००

(अ) यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो साझीदार अ फर्म की हानि मे अपने हिस्से (अर्थात् ५,००० रु०) की पूर्ति ८ वष तक अपनी २५,००० रु० की जायदाद की आय मे से कर सकता है और उसकी कुल आय केवल २०,००० रु० होगी। साझीदार ब फर्म की हानि मे अपने हिस्से (अर्थात् १५,००० रु० की पूर्ति आगामी वर्षो मे फम की आय मे से कर सकता है। साझीदार ब का कपडे का निजी व्यवसाय बन्द हो गया, इसलिए इस व्यवसाय की घाटे की पूर्ति करने का अधिकार भी इस व्यवसाय के साथ समाप्त होगा। उसे यह घाटा आगे लाने का अधिकार नही है।

(ब) यदि फर्म रजिस्टर्ड नही है तो फम की २०,००० रु० की हानि की पूर्ति आगामी वर्षो मे इसी फर्म की भावी आय से ८ वर्ष तक की जा सकती है और किसी भी साझीदार को फम की हानि मे अपने हिस्से की पूर्ति अपनी अन्य आय मे से (यदि कोई है) करने का अधिकार नही है। इसलिए अ की कुल आय २५,००० रु० होगी और ब की कुल आय कुछ भी नही होगी।

(५) एक अनरजिस्टर्ड फर्म ने, जिसके अ और ब साझीदार है, १६५८ साल की आय का नकशा निम्न प्रकार दाखिल किया है।

		रु०
(अ) अ की पूँजी पर ५,००० रु० और ब की पूँजी पर ३,००० रु० ब्याज के घटाकर ब्याज से हुई आय		२०,०००
(आ) एक चीनी मिल कम्पनी से वस्तुत प्राप्त मैनेजिग एजेंसी कमीशन	२०,०००	

घटाओ—पर्याप्त प्रतिफल के लिये किये गये एक ठहराव के अनुसार एक तीसरी पार्टी को दी गई रकम	२०,०००	कुछ नही
(इ) ब को दिया गया ६,००० रु० कमीशन घटाने के बाद सट्टे का नुकसान		२०,०००
	कुल आय	कुछ नही

हिसाब-किताब जाँचने के दौरान मे निम्न तथ्यो का पता चलता है—

(अ) वर्ष का मैनेजिंग एजेंसी कमीशन ६०,००० रु० बैठा, किन्तु कर दाता ने अपनी हिसाब-पद्धति को महाजनी पद्धति से रोकड पद्धति मे बदल दिया, और ४०,००० रु० का शेषाश, जो १९५९ मे प्राप्त किया गया, उस वर्ष (१९५९) की आय माना गया।

(आ) साझीदारो के बैंक के निजी खातो मे विभिन्न रकमे जमा हैं जिनमे से प्रत्येक का कुल योग १५,००० रु० है। पूछने पर यह बताया गया कि ये रकमे घर के जेबरात बेचने से प्राप्त हुई हैं लेकिन इस बात का कोई सबूत नही दिया गया।

फर्म की कुल आय मालूम करिये।

		रु०	रु०
१	ब्याज की आय, पूँजी पर ब्याज जोडने के बाद		२८,०००
२	मैनेजिग एजेंसी कमीशन	६०,०००	
	घटाओ—एक तीसरी पार्टी को दी गई रकम	२०,०००	४०,०००
३	छिपी आय (जो अनुमानत. सट्टे से है)	३०,०००	
	घटाओ-सट्टे की हानि, ब का ६,००० रु० का (कमीशन अस्वीकृत करने के बाद)	१४,०००	१६,०००
	कुल आय		८४,०००

यह मान लिया गया है कि धारा १२-ए के अनुसार मैनेजिग एजेंसी कमीशन के सम्बन्ध का माँगा गया घोषणा-पत्र (declaration) इनकम टैक्स ऑफीसर के यहाँ दाखिल कर दिया गया है।

इनकम टैक्स ऑफीसर की स्पष्ट आज्ञा के बिना कर-दाता को अपनी हिसाब-पद्धति बदलने का अधिकार नही है।

किन्ही सतोषजनक प्रमाणो के अभाव मे, साझीदारो के निजी बैंक खातो मे जमा रकमो को छिपी आय माना जा सकता है।

(६) १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय १०,००० रु० निणय की गई। इसमे दो समान साझीदार है अ और ब। अपने हिस्से की आय के साथ ही हर साझीदार को १,५०,००० रु० की कर-योग्य आय है। फर्म पर कर कैसे लगेगा ?

अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा मे, धारा २३ (५) (B) के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फम माना जा सकता है, यदि ऐसा करने पर पहली स्थिति से अधिक कर बनता है।

इस स्थिति मे, यदि अनरजिस्टर्ड फर्म का, धारा २३ (५) (B) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की तरह कर-निर्धारण हो, तो क्योकि हर साझीदार की अन्य कर-योग्य आय १,५०,००० रु० की है अतएव फम की कुल आय १०,००० रु० पर १०,००० रु० पर लागू होने वाली दरो से बहुत ऊँची दरो पर कर लगेगा। इसलिए इस अनरजिस्टर्ड फर्म मे धारा २३ (५) (B) का लगाना अनिवार्य है।

फर्म के सगठन मे परिवर्तन
(Change in Constitution of Firm)

फर्म के सगठन मे परिवर्तन या तो किसी साझीदार की मृत्यु हो जाने से अथवा उसमे किसी नये साझीदार के प्रवेश्य से होता है। "नव निर्मित फर्म" (a firm newly constituted) से अभिप्राय यह है कि वर्तमान फर्म नये सगठन के अन्तर्गत नये सचालक साझीदारो के नेतृत्व मे चल रही है। इससे यह मतलब नही निकाला जाता कि एक बिल्कुल ही नवीन फर्म की स्थापना हुई है।

यदि किसी फम के सगठन मे कोई परिवतन हुआ है अथवा कोई फर्म पुनर्गठित हुई है तो धारा २६ (१) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के समय फर्म जिस रूप मे सगठित है उसी रूप मे फर्म पर कर-निर्धारण किया जायगा किन्तु फर्म का लाभ, गत वर्ष मे फर्म के जो मालिक या साझीदार रहे थे उन्ही मे बॉटा जायगा न कि उन लोगो मे जो कर-निर्धारण के समय लाभ मे भाग पाने के हकदार हो। इस प्रकार साझीदार के ऊपर कर केवल उसी लाभ पर लगता है जिसको प्राप्त करने का वह गत वप मे वास्तविक रूप से हकदार था। यहाँ सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक साझीदार (वर्त्तमान या भूतपूर्व) गत वर्ष में फर्म के लाभ मे अपने ही हिस्से पर कर देगा।

यदि किसी साझीदार के ऊपर लगाये हुये कर की वसूली उससे न हो सके तो वह फर्म से कर-निर्धारण के समय जिस प्रकार भी वह सगठित हो उसी रूप मे वसूल किया जा सकता है।

धारा (२४) (२) ई के अन्तर्गत, यदि फर्म के किसी अवसर प्राप्त (retired) अथवा स्वर्गवासी साझीदार के हिस्से में फर्म के नुकसान के हिस्से की रकम आती है तो फर्म इस घाटे की पूर्ति बाद के किसी वर्ष के अपने लाभ मे से नही कर सकती, केवल वह

अवसर-प्राप्त अथवा मृत साझीदार हो उस वर्ष ही की अपनी अन्य आय मे से इसकी पूर्ति कर सकता है ।

उदाहरण

(१) अ, ब और स जो कि साझीदार है, क्रमश १/२, १/४ और १/४ के अनुपात मे लाभ का विभाजन करते है । स १ अक्टूबर १९५८ से साझीदार नही रहा और अन्य साझेदारो ने अपना लाभ-विभाजन अनुपात बदले बिना व्यापार चालू रखा ।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुये वर्ष के लिये फर्म का शुद्ध लाभ, अ का ३,६०० रु०, ब का ३,००० रु० और स का १,५०० रु०, वेतन तथा पूँजी पर अ का १,४०० रु०, ब का १,००० रु० और स का ५०० रु० काटने के पश्चात्, २४,००० रु० हुआ ।

यदि फर्म रजिस्टर्ड है तो साझेदारो की कुल आय की गणना करिये । साझेदारो की प्राइवेट आय इस प्रकार है—

अ २०,००० रु०, ब १०,००० रु० और स ५००० रु० ।

फर्म की कुल आय

साझेदारो को विभाजित वर्ष का शुद्ध लाभ—

		रु०	रु०
अ ($\frac{1}{2}$ का $\frac{1}{2}$ + $\frac{2}{3}$ का $\frac{1}{2}$)		१४,०००	
ब ($\frac{1}{4}$ का $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ का $\frac{1}{2}$)		७,०००	
स ($\frac{1}{4}$ का $\frac{1}{2}$)		३,०००	२४,०००
जोडो साझेदारो को दिया गया वेतन ·	अ	३,६००	
	ब	३,०००	
	स	१,५००	८,१००
जोडो साझेदारो को दिया गया ब्याज ·	अ	१,४००	
	ब	१,०००	
	स	५००	२,९००
		कुल आय	३५,०००

साझेदारो मे वितरण

	लाभ	वेतन	ब्याज	कुल
	रु०	रु०	रु०	रु०
अ	१४,०००	३,६००	१,४००	१९,०००
ब	७,०००	३,०००	१,०००	११,०००

स	३,०००	१,५००	५००	५,०००
	२४,०००	८,१००	२,६००	३५,०००

साझेदारो की कुल आय

	अ	ब	स
	रु०	रु०	रु०
फर्म से आय का भाग	१६,०००	११,०००	५,०००
प्राइवेट आय	२०,०००	१०,०००	५,०००
कुल आय	३६,०००	२१,०००	१०,०००

(२) अ, ब और स किसी फर्म मे साझेदार थे। उनमे हानि-लाभ क्रमश १/२, १/४ और १/४ के अनुपात मे बटता था। आठ माह के बाद स फर्म से अलग हो गया और क उसके स्थान मे आ गया। लाभ-हानि का अनुपात इस प्रकार रखा गया —

अ ६/१६, ब ५/१६ और क ५/१६

३० जून १६५८ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये हिसाब की पुस्तकें ४३,००० रु० का लाभ प्रगट करती हैं।

पुस्तक लाभ निम्न को नाम (Debit) करने के बाद निकाला गया —

(अ) अ को दिये गये ब्याज का ४,००० रु०, (आ) ब को चुकाया गया वेतन ६,००० रु०, (इ) स को दिया गया दुकान किराया ३,००० रु०, (ई) क को दिये गये कमीशन के १,५०० रु० और (उ) पुण्यार्थ सस्थाओ को दान २,००० रु०।

फर्म को नई मशीन पर, जिसकी प्रारम्भिक लागत १,००,००० रु० है और जो गत वर्ष के मध्य में लगवाई गई थी विकास सम्बन्धी छूट तथा ह्रास की कटौती १०% दर से देनी है।

फर्म की कुल आय निकालिये और साझेदारो मे उसका विभाजन करिये।

	रु०
पुस्तको के अनुसार निकलने वाला लाभ	४३,०००
जोडो—अ को दिया गया ब्याज	४,०००
ब को दिया गया वेतन	६ ०००
क को दिया गया कमीशन	१,५००
पुण्यार्थ दान	२,०००
	५६,५००

घटाओ—विकास सम्बन्धी छूट व ह्रास	२५,०००	
साधारण ६ माह के लिए	५,०००	३०,०००
	कुल आय	२६,५००

साझीदारो मे विभाजन—

	अ	ब	स	क
	रु०	रु०	रु०	रु०
ब्याज	४,०००	—	—	—
वतन	—	६,०००	—	—
कमीशन	—	—	—	१,५००
शेष—				
८ माह के लिए (१०,००० रु०)	५,०००	२,५००	२,५००	—
४ माह के लिए (५,००० रु०)	१,८७५	१,५६३	—	१,५६२
	१०,८७५	१०,०६३	२ ५००	३,०६२
दान जो कर-मुक्त है				
८ माह के लिए (१,३३३ रु०)	६६७	३३३	३३३	—
४ माह के लिए (६६७ रु०)	२५०	२०८	—	२०९
	९१७	५४१	३३३	२०९

(३) एक अनरजिस्टर्ड फर्म को, जिसके अ, ब और स बराबर के साझीदार हैं ३१ मार्च १९५८ को समाप्त हुये वर्ष मे १२,००० रु० की हानि हुई। १ अप्रैल १९५८ को स की मृत्यु हो गई और मूल साझेदारी सलेख के अन्तर्गत, अ और ब ने उसके पुत्र द को साझेदार बना लिया। तत्पश्चात् अ, ब और द बराबर साझेदारो के रूप मे व्यापार चलाते रहे।

यदि १९५८–५९ के हिसाबी वर्ष के लिये नई फर्म की आय १५,००० रु० थी, तो आप १९५९–६० के कर निर्धारण वष के लिये अ, ब और द की नई फर्म का किस आय पर कर निर्धारण करेगे और उक्त कर-निर्धारण वर्ष के लिये अ, ब और द प्रत्येक साझेदार के आय-भाग की किस प्रकार गणना करियेगा ?

१९५७–५८ कर-निर्धारण वर्ष के लिये पुरानी फर्म की हानि मे स का अनुपातिक भाग जो ४,००० रु० है उसकी १९५८–५९ के कर-निर्धारण वर्ष के लिये नई फर्म के लाभो मे से पूर्ति नही की जा सकती। केवल फर्म की हानि के शेष ८,००० रु० की इस प्रकार पूर्ति की जा सकेगी तदनुसार अ, ब और द की फर्म की १९५८–५९ के हिसाबी

वर्ष की आय कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिये ७,००० रु० (१५,०००–८,०००) निश्चित की जावेगी।

अ, ब और द का आय भाग इस प्रकार होगा।
अ—५,००० रु० – ४,००० रु० = १,००० रु०
ब—५,००० रु० – ४,००० रु० = १,००० रु० और
द—५,००० रु०

फर्म का बन्द या भग होना
(Discontinuance of Dissolution)

धारा ४४ के अन्तगत, यदि फर्म या अन्य जन-मडली द्वारा किये जाने वाला व्यापार बन्द हो जाये या फम या जन-मडली भग हो जाये तब इन्कम टैक्स ऑफीसर यह मान कर कि कोई बन्द या भग नही हुआ है फर्म या जन-मण्डली की कुल-आय पर कर-निर्धारण करेगा। यदि इस ओर फर्म या अन्य जन-मण्डली द्वारा कोई आज्ञा भग (default) की जाती है तो इस पर दण्ड (penalty) लगाई जा सकती है।

हर वह व्यक्ति, जो कि बन्द या भग होने के समय फर्म का साझीदार या मण्डली का सदस्य था, कर तथा दण्ड चुकाने के लिये पृथक तथा सयुक्त (Joint and several) दोनो रूप से उत्तरदायी होगा।

यदि कभी फर्म के ऊपर सन् १९१८ के आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लग चुका है तो, कारोबार के बन्द होने पर धारा (३) के अनुसार, और फर्म के प्रबन्ध में परिवर्तन होने पर धारा २५ (४) के अनुसार, फर्म को छूट प्राप्त करने का अधिकार है।

उदाहरण

(१) एक रजिस्टर्ड फर्म मे, जिसकी आय ३० जून १९५७ को समाप्त हुए वर्ष के लिये ३६,००० रु० है, अ, ब और स बराबर के साझीदार है। १ जनवरी १९५८ को अ साझेदारी से रिटायर हो गया और उसकी जगह द साझीदार बन गया। ३० जून १९५८ को समाप्त हुए वर्ष की फर्म की कुल आय ४८,००० रु० है।

यह मानते हुए कि साझीदारो की कोई अन्य आय नही है, १९५८–५९ और १९५९–६० के कर-निर्धारण वर्षा के लिए फर्म का और उसके साझीदारो का कर-निर्धारण किस प्रकार किया जायगा, यह दिखलाइये।

(क) १९५८–५९ के लिए कर-निर्धारण साझीदार ब, स और द की फर्म के रूप मे (क्योकि कर निर्धारण के समय फम का साझेदारी सगठन इसी प्रकार है) होगा, किन्तु ३० जून १९५७ को समाप्त हुए गत वष के लिये फम की आय निश्चित और निर्धारित हो जाने पर इसे कर-निर्धारण के लिये अ, ब और स से बाँट दिया जायगा (ब, स और द मे नही), क्योकि ये ही व्यक्ति तो साझीदार फर्म की आय के हकदार थे।

अ, ब और स प्रत्येक पर १२,००० रु० पर कर लगाया जायगा, किन्तु द कोई कर नही देगा, क्योकि ३० जून १९५७ को समाप्त हुए वर्ष की आय मे से उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नही हुआ।

(ख) यह मानते हुए कि ३० जून १९५८ को समाप्त हुए वर्ष की आय साल भर एक सी होती रही है, ३१ दिसम्बर १९५७ तक के छह महीनो की आय २४,००० रु० हुई। १९५९–६० के कर-निर्धारण के निमित्त ब, स और द मे साझीदारी फर्म की कुल आय निम्न प्रकार बाँटी जायगी —

	अ	ब	स	द
	रु०	रु०	रु०	रु०
३१ दिसम्बर १९५७ तक छ महीनो का लाभ	८,०००	८,०००	८,०००	—
३० जून १९५८ तक छह महीनो का लाभ	—	८,०००	८,०००	८,०००
	८,०००	१६,०००	१६,०००	८,०००

प्रत्येक साझीदार फर्म के लाभ के अपने भाग पर स्वय कर देगा।

(२) एक रजिस्टर्ड फर्म के तीन साझीदार है। अ, ब और स। हानि-लाभ मे इनका क्रमशः २, २ और १ का हिस्सा है। ३० सितम्बर १९५८ को अ फर्म से रिटायर हो गया और इसी तारीख को उसकी जगह द, जो इसी फर्म मे ३०० रु० मासिक वेतन पर सहायक के रूप मे काय करता था, साझेदार बन गया। ब, स और द के हिस्से क्रमश ४, ३ और ३ थे। इन साझेदारो ने यह भी तय कर लिया कि चालू खातो पर कोई ब्याज नही लगाई जायगी।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के लिये फर्म का हानि-लाभ खाता निम्न प्रकार है —

	रु०		रु०
१ अप्रैल १९५८ को स्कन्ध	२०,०००	बिक्री	१,५०,०००
खरीद	८०,०००	३१ मार्च ५९	
वेतन	१२,०००	को स्कध	१५,०००
किराया	६,०००	स के चालू खाते	
सामान्य व्यय	१,७००	पर ब्याज	३२०
चन्दे . व्यापारिक	६०		
दान पुण्यार्थ	८०		
चालू खातो पर ब्याज .			
अ	५६०		
ब	४४०		
शेष	४४,४८०		
	१,६५,३२०		१,६५,३२०

साझीदारो की अन्य कर लगने योग्य आय निम्न प्रकार हैं :—

अ—लाभाश (ग्रौस) ५,७६० रु०
ब—बैंक डिपॉजिट पर ब्याज ५०० रु०
स—कुछ नही
द—फर्म मे कर्मचारी के रूप मे वेतन

यदि फर्म कर लगने योग्य लाभ साल के दोनो अर्द्ध भागो मे बराबर होता है, तो बताइये १९५९–६० के लिए कर-निर्धारण किस प्रकार होगा ?

		रु०
हानि लाभ खाते के अनुसार लाभ		४४,४८०
जोडो—मदे जो अस्वीकृत हैं :		
दान पुण्य के चन्दे	८०	
चालू खाते पर ब्याज	१,०००	१,०८०
		४५,५६०
घटाओ—चालू खाते का ब्याज		३२०
फर्म की कुल आय		४५,२४०

साझीदारो के मध्य फर्म की कुल आय का वितरण—

	अ	ब	स	द
	रु०	रु०	रु०	रु०
चालू खातो का ब्याज	५६०	६४०	–३२०	—
पहले छह महीनो का शेषाश (२, २ और १)	८,७७६	८,७७६	४,३८८	—
दूसरे छह महीनो का शेषाश (४, ३, ३) ..	—	९,०४८	६,७८६	६,७८६
	९,३३६	१८,२६४	१०,८५४	६,७८६

साझीदारो की कुल आय का विवरण

		अ	ब	स	द
		रु०	रु०	रु०	रु०
१	वेतन	—	—	—	१,८००
२	फर्म से लाभ	९,३३६	१८,२६४	१०,८५४	६,७८६
३	लाभाश (ग्रौस)	५,७६०	—	—	—
४	बैक ब्याज	—	५००	—	—
	कुल आय ..	१५,०९६	१८,७६४	१०,८५४	८,५८६

ब, स और द की फर्म पर ४५,२४० रु० की कुल आय पर कर-निर्धारण किया जायगा , अ, ब, स और द प्रत्येक अपनी-अपनी कर-देय आय पर कर देगे । लेकिन उन्हे फर्म द्वारा चुकाये गये आय-कर मे अपने भाग के बराबर आय-कर की छूट (Rebate of income tax) मिलेगी ।

यदि अ, ब और स की फर्म पर १६१८ के आय-कर अधिनियम के अनुसार किसी समय कर लग चुका है तो धारा २५ (४) की व्यवस्थानुसार अ को छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

अन्य जन-मण्डल या सस्थाएँ
(Other Association of Persons)

'जन-मण्डल' या सस्था (Association) शब्द का कोई टैक्नीकल अर्थ नही है । इससे केवल समुदाय या ग्रुप का ही अर्थ प्रकट होता है । कोई जन-मण्डल (जो एक कम्पनी, फर्म, सयुक्त हिन्दू परिवार या स्थानीय सस्था के रूप मे नही है) व्यक्तियो, व्यावसायिक फर्मो या कम्पनियो की अथवा अविभाजित हिन्दू परिवारो की सस्था हो सकती है । जन-मण्डल या सस्था मे नाबालिग भी शामिल हो सकते है ।

किसी सम्पत्ति को, जिसे आय कमाने के उद्देश्य से प्रबन्धित किया जायगा, प्राप्त करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियो द्वारा मिलकर बनी कोई सस्था या समिति 'अन्य जन-मण्डल' (Other association of persons) के अन्तर्गत आती है । सह-उत्तराधिकारी (Co-heirs या Co-legatees) को भी, जो किसी सामान्य उद्देश्य (Common intention) से मिल कर काम करे, एक जन-मण्डल कहा जा सकता है । अत यदि किसी मृत मुसलमान के लडके अपने बाप की सम्पत्ति का मिलकर या सयुक्त रूप से प्रबन्ध करते है , सयुक्त रूप मे ही किराये की रकमो को वसूल करते हैं और अपने खातो मे सयुक्त रूप से ही उन्हे जमा करते हैं, तो उनका इस प्रकार कार्य करना एक जन-मण्डल (Association of persons) का ही काम माना जायगा ।

धारा ६ (३) के आदेशानुसार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति सयुक्त रूप मे किसी मकान-जायदाद (House property) के निश्चित और निर्धारित हिस्सो मे मालिक हैं, तो ऐसी जायदाद की आय के लिए उन्हे जन-मण्डल नही माना जा सकता । यह धारा केवल मकान जायदाद (House property) की आय के सम्बन्ध मे ही लागू होती है, आय के अन्य साधनो के लिए नही । साथ ही, यदि मकान-जायदाद पर व्यक्तियो का सयुक्त अधिकार तो है किन्तु इसमें इनके हिस्से निश्चित और निर्धारित नही है, तो ऐसी दशा में भी यह धारा इन लोगो पर लागू नही होगी . इसलिए जब विनियोग अथवा आय के अन्य साधनो पर सम्मिलित रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियो का अधिकार हो अथवा जायदाद के ऊपर भी जब सम्मिलित रूप से अनिर्धारित हिस्सो मे अधिकार हो तो जायदाद के सह-स्वामियो (co-owners) पर जन-मण्डल की भाँति आय-कर लगेगा ।

जन-मण्डल पर आय-कर और अतिरिक्त-कर ठीक व्यक्ति की भाँति ही लगता है। जन-मण्डल की आय मे प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इस प्रकार माना जाता है कि मानो वह अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का हिस्सा हो।

अनरजिस्टर्ड फर्म की भाँति ही जन मण्डल को भी कमाई हुई आय की छूट दी जाती है।

(४) कम्पनियाँ (Companies)

आय-कर अधिनियम मे दी हुई 'कम्पनी' शब्द की परिभाषा कम्पनियो के अधिनियम की परिभाषा से अधिक विस्तृत है। आय-कर अधिनियम की धारा २ (५ A) के अनुसार कम्पनी से मतलब है :—

(अ) किसी भी भारतीय कम्पनी से, अथवा

(आ) किसी सस्था या जन-मण्डल से है (जो चाहे समामेलित(incorporated) हो या न हो और चाहे भारतीय हो या विदेशी), जिस पर १९४७-४८ के कर-निर्धारण वर्ष मे कम्पनी के रूप मे कर-निर्धारण हुआ है (या होता) अथवा जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रैवेन्यू ने आय-कर के लिए कम्पनी घोषित कर दिया है।

'भारतीय कम्पनी' शब्द से अभिप्राय उस कम्पनी से है जिसकी व्याख्या १९५६ के कम्पनियो के अधिनियम मे की गई है अथवा जो कम्पनी पूर्व ख भाग के राज्यो (Former Part B States) मे या इन राज्या मे विलय हुए (merged) राज्यो मे लागू होने वाले कानून के अन्तर्गत बनी है और रजिस्टड हुई है तथा जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस भारत मे है।

कम्पनी का निवास स्थान (Residence of a Company)

धारा ४ A के अनुसार एक कम्पनी भारत मे किसी वर्ष के लिये निवासी है (अ) यदि यह भारतीय कम्पनी है, अथवा (ब) यदि उसका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण (Control and management) पूर्ण रूप से उस वर्ष में भारत मे स्थित है।

एक कम्पनी यदि निवासी है तो वह भारत मे पक्का निवासी होगी।

कर निर्धारण (Assessment)

दूसरे कर-दाताओ की भाँति एक कम्पनी की कर-निर्धारण कार्यवाहियाँ भी कम्पनी के प्रमुख अधिकारी द्वारा कुल आय का नक्शा दाखिल करने से प्रारम्भ होती हैं। कम्पनी के प्रमुख अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह कम्पनी के निम्तारण मे होते हुये भी कुल आय का एक नकशा दाखिल करे।

कम्पनी के करारोपण की अनोखी विशेषताये (Special Features)

कम्पनियो के कर-निर्धारण की निम्नलिखित अनोखी विशेषताये है—

(१) एक कम्पनी को आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनो ही देना पडता है,

भले ही उसकी कुल आय कितनी भी हो। उसे आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनो ही अपनी सम्पूर्ण कुल आय पर प्रदिष्ठ दरो (Prescribed flat rates) से देना पडेगा।

(२) कम्पनी, जिस पर कर लगता है, जो लाभाश अशधारी को चुकाती है उस पर आय-कर (अतिरिक्त-कर नही) जिससे लाभाश बढा दिया गया है अशधारी के लिए चुकाया गया माना जाता है।

(३) १९५७–५८ कर-निर्धारण वर्ष से विनोयोग कर्ता अथवा मालिक कम्पनी (investing or principal company) को अपनी भारतीय सबसिडियरी कम्पनी से प्राप्त लाभाश के हेतु १०% कॉरपोरेशन टैक्स देना होगा, जबकि उसे अपनी अन्य कुल आय तथा जैसा कि वह भारत मे या बाहर लाभाश बॉटती है, के अनुसार अतिरिक्त कर २०% या ३०% चुकावा होगा।

(४) यदि आय-कर अधिकारी यह सोचे कि एक अम्पनी के, जिसमे पब्लिक का कोई विशेष हित नही है, सचालको का अधिकाश अश रखने वाले व्यक्तियो को पुरुष्कार, लाभ या सुविधाओ के रूप मे किया गया व्यय, कम्पनी की उचित व्यापारिक आवश्यकताओ और इनसे प्राप्त हुए लाभ का ध्यान रखते हुए अत्यधिक या अनुचित है तो उसे यह अधिकार है कि ऐसे व्यय को अस्वीकृत कर दे। इनकम टैक्स ऑफीसर का विवेकाधिकार (discretionary power) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली सम्पत्तियो के सम्बन्ध मे कम्पनी द्वारा ह्रास सम्बन्धी छूट की माग पर भी लागू होता है।

(५) अशधारी द्वारा सुपरटैक्स बचाने की रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है —

(अ) 'लाभाश' शब्द की परिभाषा इतनी विस्तृत कर दी गई है कि कम्पनी द्वारा अशधारियो को किये गये सभी प्रकार के वितरण इसमे शामिल हो गये है।

(ब) भारत मे कर लगने वाले लाभो से भारत के बाहर दिया गया लाभाश भारत मे ही उदय मान लिया गया है, और इसलिये, उस पर अतिरिक्त-कर लगेगा भले ही अशधारी निवासी है या नही।

(स) एक कम्पनी 'लाभाश' की परिभाषा के प्रभाव से बचने की यह युक्ति कर कर सकती है कि वह किसी प्रकार का वितरण न करे, लेकिन इस पर धारा २३ (अ) ने अकुश लगा दिया है। यह धारा उन कम्पनियो पर लागू होती है जिनमे पब्लिक का विशेष हित (substantial interest) नही है। यदि कोई कम्पनी एक निर्दिष्ट प्रतिशत सीमा तक वितरण नही करती, तो त्रुटि की सीमा पर उसे एक निश्चित दड सहित अतिरिक्त-कर देना पडेगा।

(६) एक कम्पनी द्वारा जारी किये गये बोनस शेयरो पर और दत्त पूँजी के ६% से अधिक लाभाश के वितरण पर विशेष अतिरिक्त-कर लगता है।

(७) गैर कम्पनी कर-दाताओ की दशा मे, यदि पूँजी लाभ की रकम ५,००० रु० से अधिक नही है, तो पूँजी लाभो पर आय-कर नही लगेगा। किन्तु कम्पनी की दशा मे आय कर लगेगा (अतिरिक्त-कर नही) चाहे उनकी रकम कितनी भी हो।

(८) साधारणत कम्पनी को अपनी कुल आय पर, जिसमे अन्य कम्पनियो से प्राप्त लाभाश शामिल है, आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनो ही देना पडता है। लेकिन अन्य भारतीय कम्पनियो मे अपना आधिक्य विनियोग करने को उत्साहित करने के लिये धारा ५६ (अ) ने किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभाश को अतिरिक्त कर से मुक्त कर दिया है बशर्ते उस धारा की शर्ते पूरी हो गई हो।

हानियो का निराकरण (Set-off of losses)

यदि कोई कम्पनी दो या अधिक पृथक व्यापार चलाती है, तो यह एक व्यापार हानि उसी वर्ष मे दूसरे व्यापारो के लाभ से पूरा कर सकती है। यह आवश्यक नही है कि ये व्यापार एक ही स्थान पर चलाए जायँ। जब कम्पनी भारत मे निवासी है, तो वह अपने विदेशी व्यापार की हानियॉ अपने भारतीय व्यापार से पूरी कर सकती है। सन्नियम के अन्तगत विभिन्न व्यापार आय के अलग-अलग श्रोत नही माने जाते। सभी व्यापार भले हो वे कही भी चलाए जावे, धारा १० के अन्तर्गत कर योग्य लाभ निकालने के लिए एक ही 'मद' माने जाते है।

कर-गणभा —कम्पनी द्वारा चुकाए जाने वाले आय-कर और अतिरिक्त-कर निकालने की विधि 'कर-गणना' सम्बन्धी अध्याय मे बताई गई है।

उदाहरण

(१) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक कोल कम्पनी का हानि-लाभ खाता इस प्रकार है .—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	४,००,०००	कोयले की बिक्री	२०,००,०००
निकाला गया कोयला	८,००,०००	अन्तिम स्कन्ध	५,००,०००
वेतन एव मजदूरी	८०,०००		
उत्पादन पर रॉयल्टी	२,००,०००		
साधारण खर्चे	५०,०००		
कानूनी व्यय	१०,०००		
दलाली	११,०००		
अकेक्षक की फीस	१,०००		

रवाना किये गये			
कोयले पर वाटर बोर्ड का कर	५००		
लाभ पर आधारित सडक-कर	३००		
कर्मचारियो की क्षति-पूर्ति			
सम्बन्धी बीमे का प्रीमियम	२००		
शेष जो आ/ले	६,४७,०००		
	२५,००,०००		२५,००,०००
प्रबन्ध अभिकर्त्ता का कमीशन	४७,३५०	शेष नी/ला	६,४७,०००
सचालको की फीस	१६,०००	प्रतिभूतियो का ब्याज (ग्रास)	६,५००
विनियोगो की बिक्री पर हानि	१४,३५०	ट्रॉसफर फीस	६००
हैदराबाद की खान से हुई हानि	४६,०००		
ह्रास	१,००,०००		
करारोपण कोष (provision)	२,६०,०००		
लाभाश कोष	२,००,०००		
शेष चिट्ठे को	२,३७,७००		
	६,५४,४००		६,५४,४००

निम्न सूचनाओ को ध्यान मे रखते हुये १६५६–६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कम्पनी की कुल आय निकालिये —

(अ) कम्पनी की प्रथा के अनुसार प्रारम्भिक स्कन्ध और अन्तिम स्कन्ध दोनो ही लागत से २०% कम मूल्याकित किये गये है।

(आ) साधारण खर्चों में निम्न मदे शामिल है —(क) २५,००० रु० जो बाढ मे रक्षा के लिए पक्की रोक बनवाने की लागत है और (ख) १,००० रु० जो पत्थर के कोयले (Coke) की किस्म सुधारने के लिये वैज्ञानिक अनुसन्धानो का व्यय है।

(इ) कानूनी व्यय एक ऐसे मुकद्दमे का खर्चा है, जो कुछ खानो के प्रति कम्पनी के स्वत्वाधिकारो की रक्षा के लिये लडा गया था।

(ई) वेतन एव मजदूरी मे निम्न मदे शामिल है (क) एक स्वीकृत सुपरएनुएशन फण्ड मे चन्दा १,००० रु० और (ख) उक्त फण्ड से एक रिटायर्ड मैनेजर को दी गई पेंशन के ३,००० रु०।

(उ) दलाली मे कम्पनी के अशो को बिकवाने के ५,००० रु० है।

(ऊ) सचालको की फीस में १८,००० रु० की वह रकम शामिल है, जो एक सचालक को आधुनिक कार्य प्रणालियो (Mining methods) का अमेरिका जाकर अध्ययन करने के लिये दी गई थी।

(ए) डूबे ऋण मे से, जिसके लिये १९५६-५७ के कर-निर्धारण वर्ष मे छूट दी जा चुकी थी, प्राप्त हुये ४०,००० रु० श्रमिक कल्याण कोष में स्थानान्तरित कर दिये गये थे।

(ऐ) सभी सम्पत्तियो के सम्बन्ध मे, जून १९५८ मे की गई मशीनरी की वृद्धि को छोडकर, ह्रास की छूट ७५,००० रु० है। नई वृद्धि के लिये ह्रास की दर १०% है।

	रु०	रु०
लाभ—हानि-लाभ खाते से		२,३७,७००
जोडो—अस्वीकृत व्यय		
रोक की लागत, जो पूँजी व्यय है	२५,०००	
सुपरएनुएशन फण्ड से दी गई पेंशन	३,०००	
दलाली, जो पूँजी व्यय है	५,०००	
लाभ पर आधारित सडक-कर	३००	
विनियोगो की बिक्री पर हानि जो पूँजी व्यय है	१४,३५०	
लगाया गया ह्रास	१,००,०००	
करारोपण कोष (Taxation Provision)	२,९०,०००	
लाभाश कोष	२,००,०००	६,३७,६५०
		८,७५,३५०
घटाओ—स्वीकृत ह्रास		
पुरानी सम्पत्तियो के लिये	७५,०००	
नई मशीनरी के लिए विकास सम्बन्धी छूट	५०,०००	
साधारण ह्रास के नई मशीनरी पर ६ महीनो के लिये	१०,०००	१,३५,०००
		७,४०,३५०
जोडो—प्राप्त हो गये डूबे ऋण जिन्हे लाभ-हानि खाते मे नही दिखाया गया		४०,०००
		७,८०,३५०
घटाओ—प्रतिभूतियो का ब्याज जिस पर अलग विचार किया गया है		६,५००
	कर योग्य लाभ	७,७३,८५०
१ प्रतिभूतियो का ब्याज (ग्रॉस)		६,५००
२ व्यापारिक लाभ		७,७३,८५०
	कुल आय	७,८०,३५०

टिप्पणियाँ —(अ) धारा १३ के अनुसार यह आवश्यक है कि स्कन्ध सदा आधार पर मूल्याकित करें भले ही वह आधार कुछ भी हो।

(आ) कम्पनी के खदान सम्बन्धी अधिकारो की रक्षा करने मे जो कानूनी व्यय उठाने पडे, वे आगम व्यय है, क्योकि उन्हे कम्पनी की पूँजी सम्पत्तियो (Capital assets) के पोषणार्थ (Maintenance) व्यय किया गया है।

(इ) आधुनिक कार्य-प्रणालियो के अध्ययन हेतु इङ्गलैड की यात्रा के लिये सचालक को चुकाया गया १८,००० रु० पूर्णरूपेण व्यापार के काम के लिये किया गया खर्चा है, क्योकि यात्रा से कम्पनी की निर्माण क्रियायें काफी सुधर जायेगी और लाभ बढ जायगा।

(२) एक कम्पनी से सम्बन्धित निम्न सूचनाओ की सहायता से १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय मालूम करिये —

३० जून १९५८ को समाप्त हुये वर्ष का लाभ-हानि खाता

	रु०		रु०
चीनी का प्रारम्भिक स्कन्ध	५२,४००	चीनी और चुकन्दर की बिक्री	१०,५८,४००
गन्ने की खरीद	४,६६,२००	चीनी का अन्तिम स्कन्ध	७६,१००
निर्माण सम्बन्धी व्यय	२,५६,३००		
वेतन एव मजदूरी	२५,२००		
उपयोग मे आया स्टोर्स	४६,६००		
साधारण खर्चे	८,५००		
कमीशन एव दलाली	३६,४००		
ऋण पर ब्याज	९,०००		
सचालको की फीस	५,५००		
अकेक्षको की फीस	७००		
बिक्री-कर	४,३००		
डूबे ऋण और सदिग्ध ऋण कोष	२९,६००		
ह्रास	६४,८००		
शेष आ/ले	१,२६,०००		
	११,३४,५००		११,३४,५००
प्रबन्ध अभिकर्त्ता का कमीशन	१२,६००	पिछले वर्ष का शेष नी/ला	८,२००
साधारण कोष	७५,०००	शेष नी/ला	१,२६,०००
लाभाश का आयोजन	३०,०००		
अग्रनयन (carry forward)	१६,६००		
	१,३४,२००		१,३४,२००

(अ) एक ऋण-दाता द्वारा छोडी हुई ऋण-राशि १०,००० रु० जो उसके प्रति कमीशन के रूप में कम्पनी द्वारा देय थी, और जिसे कम्पनी ने पिछले वर्ष के आगम खाते (revenue a/c) मे नाम डाल दिया था, और सट्टे से लाभ के ३,००,००० रु०

एक विशेष कोष (special reserve) को ले जाये गये है। यह कहा गया है कि सट्टा कम्पनी का नियमित-व्यापार नही है।

(आ) वेतन और मजदूरी में एक प्रॉवीडेंट फण्ड का, जो मान्यता प्राप्त नही है, कम्पनी द्वारा दिया गया २,००० रु० चन्दा शामिल है।

(इ) साधारण खर्चो में निम्न मदें शामिल है :—(क) एक अस्पताल को दान के ५०० रु० जहाँ कम्पनी के कर्मचारियो का मुफ्त इलाज किया जाता है, और (ख) कम्पनी के लिये दीर्घ-कालीन ऋण का प्रबन्ध करने के हेतु एक दलाल को दिया गया कमीशन १,६०० रु०।

(ई) कमीशन और दलाली मे प्रबन्ध अभिकर्त्ताओ द्वारा चुकाया गया मुफ्त कमीशन १०,००० रु० शामिल है। कम्पनी आय-कर अधिकारियो को हर तरह से संतोष दिलाने के लिये तैयार है किन्तु केवल ऐसा कमीशन पाने वालो के नाम नही बतलाना चाहती, क्योकि ऐसा करने से उसके व्यापार को हानि पहुचेगी।

(उ) संदिग्ध ऋण-कोष की रकम १५,००० रु० है।

(ऊ) ऋण पर ब्याज नैपाल के किसी बैंकर को चुकाये गये है। कम्पनी ने इस पर कोई कर नही काटा है, क्योकि नैपाल मे हुए इकरारनामे की शर्तो के अनुसार ऋण-दाता ब्याज की पूरी रकम (कोई कर घटाये बिना) पाने का अधिकारी है।

(ए) ह्रास की स्वीकृत छूट ५५,८०० रु० है।

	रु०	रु०
लाभ—लाभ हानि खाते से		१,२६,०००
जोडो—अस्वीकृत खर्चे		
प्रॉवीडेन्ट फण्ड (जिसे मान्यता प्राप्त नही है) का चन्दा	२,०००	
ऋण पर दलाली, जो पूँजी व्यय है	१,६००	
गुप्त कमीशन	१०,०००	
सदिग्ध ऋण-कोष (Provision)	१५,०००	
भारत से बाहर दिया गया ब्याज	६,०००	
ह्रास का अधिक्य (Excess)	६,०००	४६,६००
		१,७२,६००
घटाओ – प्रबन्ध अभिकर्त्ता का कमीशन		१२,६००
		१,६०,०००
जोडो—लाभ-हानि खाते मे न दिखाई गई मदे— एक ऋणी द्वारा छोडा गया धन		१०,०००
सट्टे का लाभ		३०,०००
कुल आय		२,००,०००

टिप्पणियाँ—(क) ऋण-दाता द्वारा जो १०,००० रु० छोडे गये हैं उसे आय नही माना जा सकता।

(ख) यह मान लिया गया है कि प्रॉवीडेण्ट फण्ड एक अखण्डनीय प्रन्यास (Irrevocable Trust) के रूप मे सगठित नही हुआ है। अतएव ऐसे फण्ड का चन्दा घटाने योग्य नही है।

(ग) जहाँ ब्याज कर लगने वाले क्षेत्र से बाहर चुकाया गया हो और अधिनियम के अन्तर्गत उधार देने वाले के हाथो कर लगने योग्य हो (उदाहरण के लिये, धारा ४२(१) के अन्तर्गत) तो उसे घटाने की स्वीकृति तब ही मिल सकती है जबकि ऐसे ब्याज में से धारा १८ के अन्तर्गत कर काट लिया जावे या कर लगने वाले क्षेत्र मे कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिस पर ऐसे ब्याज के सम्बन्ध मे धारा ४३ के अन्तर्गत प्रतिनिधि रूप मे कर लग सकता हो।

चूँकि ऋण का इकरारनामा नैपाल में किया गया था और ब्याज भी नैपाल मे देय (Payable) है, इसलिये ऐसे ब्याज से आय नैपाल मे ही उदय होती है, किन्तु धारा ४२ (१) के अन्तर्गत वह भारत मे उदय हुई मानी गई है। अत ऐसे ब्याज पर भारतीय कर लगेगा।

(घ) कम्पनी का यह दावा कि सट्टे का लाभ उसकी आकस्मिक आय है स्वीकार नही किया जा सकता, क्योकि यह सट्टे का व्यवहार व्यापार के रूप मे एक साहसिक प्रयत्न (Adventure in the nature of trade) है।

(३) ३१-मार्च १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के लिये, होजियरी के निर्माण मे सलग्न एक कम्पनी का हानि-लाभ खाता नीचे दिया गया है—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	५०,०००	बिक्री	२,८०,०००
उपयोगो मे आया सूत (लागत पर)	७४,०००	अन्तिम स्कन्ध	३६,०००
निर्माण सम्बन्धी व्यय	१,१६,०००	ब्याज	२,५००
मरम्मत	१६,०००		
एस्टेब्लिशमेंट	३,५००		
विज्ञापन	४,५००		
यात्रा व्यय	३,०००		
अकेक्षण की फीस	५००		
विविध खर्चे	१,५००		
आय-कर	२,०००		
बिजली का मोटर बेचने पर हुई हानि	१,०००		
साख, जिसे अपलिखित कर दिया गया है	१२,५००		
ब्लॉक सुधार को	१०,०००		
शुद्ध लाभ	२४,०००		
	३,१८,५००		३,१८,५००

नीचे दी गई सूचना को विचार मे लेते हुए १९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये कम्पनी की कुल आय निकालिये—

(अ) कम्पनी अपने स्कन्ध का सदैव लागत पर ही मूल्याकन करती रही है। ३६,००० रु० का अन्तिम स्कन्ध लागत पर ही मूल्याकित किया गया है। यदि ५०,००० रु० प्रारम्भिक स्कन्ध लागत पर ही मूल्याकित किया जाता, तो वह ३०,००० रु० बैठता, और सच तो यह है कि ३१ माच १९५८ को बनाये गये चिट्ठे (Balance sheet) मे प्रारम्भिक स्कन्ध ३०,००० रु० दिखाया गया था, जो कर-निर्धारण के लिये स्वीकार कर लिया गया था।

(आ) मरम्मत में १२,००० रु० की एक वह रकम शामिल है, जो अप्रैल-जुलाई १९५८ मे इमारतो मे विस्तार (Additions to buildings) करने की लागत है। इस प्रकार बने अतिरिक्त भवनो से कार्यालय और गोदाम का काम लिया जाता है।

(इ) विज्ञान मे ३,००० रु० की वह रकम शामिल है जो कारखाने की इमारत के ऊपरी कोने पर एक स्थायी प्रबन्ध करने पर खर्च हुई जिसके द्वारा कारखाने मे उपयोग होने वाली विभिन्न निर्माण क्रियाओ (Manufacturing processes) की फिल्म स्लाइडे प्रदर्शित की जा सके।

(ई) विविध खर्चो मे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सम्मुख की गई अपील के सम्बन्ध मे नियुक्त किए गये वकील की फीस के १,००० रु० शामिल है।

(उ) बिजली का पुराना मोटर, जिसका लागत मूल्य १६,००० रु० और अपलिखित मूल्य १०,००० रु० था, वर्ष के दौरान मे ६,००० रु० मे बेचा गया और एक नया मोटर दिसम्बर १९५८ मे २०,००० रु० मे खरीदा गया।

(ऊ) पहली अप्रैल १९५८ को जो सम्पत्तियाँ विद्यमान थी उनके सम्बन्ध में ह्रास की छूट १९,७४० रु० है।

	रु०	रु०
लाभ—लाभ-हानि खाते से		२४,०००
जोडो—अस्वीकृत खर्च .—		
प्रारम्भिक स्कन्ध की अधिक दिखाई गई रकम	२०,०००	
नई इमारत की लागत	१२,०००	
विज्ञापन, जो पूँजी व्यय है	३,०००	
वकील की फीस	१,०००	
आय-कर	२,०००	
अपलिखित साख	१२,५००	
ब्लॉक सुधार कोष	१०,०००	६०,५००
		८४,५००
घटाओ—ह्रास की छूट		
पुरानी सम्पत्तियाँ	१९,७४०	

नई इमारतें		
साधारण ह्रास ८ महीने के लिये		
२½% की दर से	२००	
नया मोटर .		
विकास सम्बन्धी छूट २५%	५,०००	
साधारण ह्रास ३ महीने के लिये		
१०% से	५००	
नये फिक्शचर्स (Fixtures)		
साधारण ह्रास ६% से ६ महीने के		
लिये ३,००० रु० पर	९०	२५,५३०
	लाभ जो कुल आय है	५८,९७०

टिप्पणियाँ —(अ) यह मान लिया गया है कि बिजली के पुराने मोटर का १०,००० रु० अपलिखित मूल्य निकालने के लिये, प्रारम्भिक ह्रास (यदि कोई हो) विचार मे ले लिया गया है। इस मोटर की बिक्री पर १,००० रु० की हानि सतुलनीय ह्रास के रूप मे स्वीकृत की जा सकती है और इसे १९,४७० रु० शामिल मान लिया गया है।

(आ) इनकम टैक्स की अपीलो के सम्बन्ध मे चुकाये गये कानूनी खर्चे और लेखपाल की फीस व्यापारिक खर्च के रूप मे घटाये न जा सकेंगे।

(४) किसी टैक्सटाइल कम्पनी से सम्बन्धित निम्न सूचनाओ से १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय निकालिये —

नाम (Dr)	रु०	जमा (Cr)	रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	९,००,०००	कपडा, सूत	
कच्चा माल और स्टोर्स	१५,६०,०००	और क्षेप्य (waste)	
मजदूरी एव वेतन	६,००,०००	की बिक्री	४० ००,०००
सकल लाभ	२१,४०,०००	बिक्री कमीशन का	
		कोष	२,००,०००
			३८,००,०००
		अन्तिम स्कन्ध	१४,००,०००
	५२,००,०००		५२,००,०००
एस्टेब्लिशमेट	५०,०००	सकल लाभ	२१,४०,०००
किराये, कर आदि	२३,०००	एक पुरानी मशीन का	
ऋणपत्रो का ब्याज	२,५०,०००	बिक्री धन (लागत	
साधारण खर्चे	१२,०००	मूल्य ५,००० रु० और इस	
कानूनी व्यय	१३,०००	पर पिछले वर्षो मे ह्रास पूर्ण	
विज्ञापन	१०,०००	रूप से काटा जा चुका है)	१०,०००

छपाई एव स्टेशनरी	२,०००	अपलिखित डूबा ऋण, जिसके लिये पिछले कर-निर्धारण मे छूट दे दी गई थी	१०,०००
कपडे का स्कन्ध, जो जल गया	३०,०००	आय कर की वापसी	५,०००
शुद्ध लाभ	१७,८०,०००	ट्रान्सफर फीस	५,०००
	२१,७०,०००		२१,७०,०००

मैनेजिंग एजेण्ट का कमीशन	१,०७,०००	गत वर्ष का शेष	५०,०००
करारोपण कोष	५,९०,०००	इस वष का लाभ	१७,८०,०००
लाभाश	४,००,०००		
ह्रास (स्वीकृत रकम के बराबर)	४,००,०००		
ऋण-पत्र शोधन कोष मे चन्दा	१,००,०००		
दान	१,००,०००		
शेष बैलेन्स शीट को	१,३३,०००		
	१८,३०,०००		१८,३०,०००

(अ) बिक्री कमीशन कोष खाता (Selling Commission Provision a/c) यह बताता है कि (क) वर्ष के दौरान मे वास्तव मे चुकाये गये बिक्री कमीशन की रकम, जो नाम डाली गई (Debited) है, ५०,००० रु० है, और (ख) भूतकाल मे आयोजित किये गये कमीशन के लिये, जो इस वर्ष के दौरान मे किसी एक प्रतिनिधि द्वारा छोड दिया गया, १०,००० रु० जमा है।

(आ) ऋण-शोधन कोष के विनियोग के रूप मे कम्पनी ने ५% ब्याज वाले ६,००,००० रु० अकित मूल्य के अपने ही ऋण-पत्र खरीद लिये। उन पर ब्याज सीधा कोष को जमा किया किन्तु अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत उसमे से कोई कर नही काटा गया।

(इ) विज्ञापन व्यय मे वह व्यय शामिल है जो एक सिनेमा कम्पनी को दिवाली १९६३ को समाप्त होने वाले पॉच वर्षो के लिये स्लाइडें दिखाने के हेतु दिया गया।

(ई) आग से जला हुआ कपडा प्रारम्भिक स्कन्ध मे तो शामिल था किन्तु अन्तिम स्कन्ध मे नही। लाभ-हानि खाते मे नाम (Debit) की गई मद के साथ की दूसरी द्विप्रविष्टि रिजव खाते के जमा (Credit) मे की गई थी।

(उ) कानूनी व्यय मे एक अशधारी को, जिसने यह धमकी दी थी वह मैनेजिंग एजेन्ट के विरुद्ध इस बात का दावा करेगा कि उन्होने कम्पनी के लाभो का एक बडा भाग कमीशन के रूप मे हजम कर लिया है, समझौता करने के प्रतिफल स्वरूप दिये गये १०,००० रु० शामिल हैं।

(ऊ) दान की रकम वह है जो एक स्वीकृत सस्था को चन्दा दी गई थी।

अपनी गणना मे आप जो समायोजन (adjustments) करे, उनके लिये कारण लिखिये ।

	रु०	रु०
शुद्ध लाभ—हानि-लाभ खाते से		१७,८०,०००
जोडो (अ) बिक्री कमीशन का कोष (Provision) (वस्तुत. चुकाई गई रकम की छूट ही स्वीकृत की जायगी)		२,००,०००
(आ) कपडे का स्कन्ध (यह मानते हुए कि उसका बीमा नही हुआ है) जो अग्नि से जल गया, क्योकि इसे सचित कोष के बजाय प्रारम्भिक स्कन्ध को जमा करना चाहिये था ।		३०,०००
(इ) ऋण-पत्र शोधन कोष के विनियोगो के रूप मे लिये हुये ऋण-पत्रो का ब्याज, जिसे हानि-लाभ खाते मे जमा (credit) नही किया गया ।		३०,०००
(ई) आगामी वर्षो के लिये चुकाया गया विज्ञापन व्यय		८,०००
(उ) कानूनी खर्चे, जो व्यापार से सम्बन्धित कार्यो के लिये नही हैं ।		१०,०००
		२०,५८,०००
घटाओ (अ) मशीन की बिक्री पर पूँजी लाभ, जो लागत मूल्य पर बिक्री धन का आधिक्य है	५,०००	
(आ) मैनेजिंग एजेण्ट का कमीशन, जो १७,८०,००० रु० का उक्त लाभ निकालने से पहले, काटा नही गया था ।	१,०७,०००	
(इ) आय-कर की वापिसी, जो आय नही है ।	५,०००	

(ई) ह्रास की छूट	४,००,०००	
(उ) वस्तुत दिया गया बिक्री कमीशन	५०,०००	५,६७,०००
		१४,९१,०००
जोडो—कमीशन जो एजेन्ट ने छोड दिया परन्तु जिसे हानि-लाभ खाते मे जमा नही किया		१०,०००
	व्यापारिक लाभ	१५,०१,०००
	पूँजी लाभ	५,०००
	कुल आय	१५,०६,०००

टिप्पणियाँ —एक स्वीकृत सस्था को चन्दे के दिये गये ७५,३०० रु० (जो कुल आय का $\frac{1}{20}$ है) पर उसकी कुल आय पर लगने वाले आय-कर की औसत दर से आय-कर की छूट (rebate) कम्पनी को मिलेगी किन्तु अतिरिक्त-कर की छूट नही ।

भूतकाल मे आयोजित किये गये (provided for) कमीशन की मँद मे १०,००० रु० जिन्हे इस वर्ष के दौरान मे एक ऋण-दाता द्वारा छोड दिया गया, आय नही है ।

अबीमित स्कन्ध को आग से हुई हानि, यदि वह हानि-लाभ खाते से काटने योग्य है, तो प्रारम्भिक स्कन्ध या खरीद मे से भी काट देनी चाहिये । इस दशा मे, चूँकि खरीद कपडे की है इसलिये, हानि की रकम प्रारम्भिक स्कन्ध मे से ही काटनी चाहिए ।

(५) एक चीनी मिल कम्पनी का, ३१ अगस्त १९५८ को समाप्त हुये वष के लिये, हानि-लाभ खाता इस प्रकार हे —

	रु०		रु०
निर्माण सम्बन्धी व्यय	१३,७०,५९०	चीनी एव चुकन्दर की आय	२३,२२,६००
उत्पादन-कर	२,१५,०००	कृषि भूमियो से किराया	१,९००
वेतन एव मजदूरी	२,४०,९९०	स्टाफ क्वाटर्स से किराया	५,४००
एस्टेब्लिशमेट चार्जेज	१,००,३००	मच्छी क्षेत्रो की आय	१,०००
साधारण खर्चे	२७,५००	फैरी की आय	१,०००
सचालको की फीस	३,५००	गन्ने एव दूसरी फसलो की बिक्री राशि	१२,१५,३४०
ऋण-पत्रो का ब्याज	५०,०००	ट्रान्सफर फीस	६००
मैनेजिग एजेंट का पुरस्कार	८२,०००	मोटर ट्रक की बिक्री से लाभ	१,२३०
ह्रास	१,३८,०००		
खेती के व्यय	९,१५,०००		
करारोपण आयोजन	५०,०००		
शुद्ध लाभ	३,५६,१९०		
	३५,४९,०७०		३५,४९,०७०

१९५९-६० के कर-निर्धारण वर्ष के लिये निम्न सूचना को विचार मे लेने के बाद कम्पनी की कुल आय मालूम करिये —

(अ) गन्ने और दूसरी फसलो की बिक्री राशि मे, कारखाने के उपयोग मे आये गन्ने को उपजाने और निर्माणी व्यय के नाम डाले हुये व्यय के १०,२४,००० रु० शामिल है। ऐसे गन्ने का औसत बाजार मूल्य ११,५०,००० रु० है।

(आ) वर्ष के दौरान मे ३,२३० रु० मे जो मोटर ट्रक बेची गई थी, उसे भूतकाल मे १७,००० रु० में खरीदा गया था, इसके सम्बन्ध मे ह्रास के लिये गत कर-निर्धारणो में १५,००० रु० की माँग की गई थी, जिसमे प्रारम्भिक ह्रास शामिल है।

(इ) साधारण व्ययो मे निम्न शामिल हैं—(क) १,५०० रु० कानूनी व्यय, जो किन्ही कृषि-क्षेत्रो के प्रति कम्पनी के स्वत्वाधिकार सम्बन्धी किसी मुकद्दमे को लडने में खर्च हुये, और (ख) निर्माण सम्बन्धी नये ढगो का जापान जाकर अध्ययन करने के लिए एक सचालक को चुकाया गया यात्रा व्यय ९,००० रु०।

(ई) वर्ष के दौरान मे कम्पनी ने एक वैज्ञानिक अनुसन्धान-शाला निर्मित चीनी की किस्म सुधारने के लिये स्थापित की और अनुसन्धान शाला की सज्जा एव उसके पोषण (Maintenance) पर क्रमश २५,००० रु० और १२,००० रु० व्यय किये। पहली रकम एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज मे और दूसरी साधारण खर्चों मे नाम डाली हुई (Debited) है।

(उ) अनुसन्धानशाला को छोडते हुये शेष सभी सम्पत्तियो के सम्बन्ध मे ह्रास के लिये ७५,००० रु० की छूट स्वीकार कर ली गई है।

(ऊ) डूबते खाते डाली गई रकम (जिसकी छूट पिछले कर-निर्धारण वर्षों मे दी जा चुकी है) मे से १५,००० रु० वसूल हो गये, जिन्हे श्रमिक कल्याण कोष को स्थानातरित कर दिया था।

व्यापार से कम्पनी के कर लगने योग्य लाभ दिखाते हुये, कम्पनी का समायोजित (Adjusted) हानि-लाभ खाता निम्न प्रकार है—

	रु०		रु०
निर्माण सम्बन्धी व्यय	१४,९६,५९०	चीनी एव चुकन्दर की आगम	२३,२२,६००
उत्पादन कर	२,१५,०००	वसूल हुई डूबते खाते की रकम	१५,०००
वेतन एव मजदूरी	२,४०,९९०	ट्रान्सफर फीस	६००
एस्टेब्लिशमेट चार्जेज	७५,३००	मोटर ट्रक की बिक्री से लाभ	१,२३०
साधारण व्यय	२६,०००		
सचालको की फीस	३,५००		
ऋण-पत्रो का ब्याज	५०,०००		
प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओ का कमीशन	८२,०००		
ह्रास	७५,०००		
अनुसन्धान पर हुये पूँजी व्यय का १/५	५,०००		
कर लगने योग्य लाभ	७०,०५०		
	२३,३९,४३०		२३,३९,४३०

		रु०	रु०
१	जायदाद से आय		
	किराये, जो वार्षिक मूल्य है	५,४००	
	घटाओ मरम्मत के लिये १/६	६००	४,५००
२	व्यापार के लाभ		७०,०५०
३	दूसरे साधनो से—मच्छी क्षेत्रो से		
	आय	१,०००	
	फैरी की आय	१,०००	२,०००
	कुल आय		७६,५५०

टिप्पणियाँ— (अ) चीनी के प्रारम्भिक एव अन्तिम स्कन्धो को (Sugar and Molasses Revenue) की मद मे समायोजित (adjust) कर लिया गया होगा। कुछ कम्पनियाँ इस ढग को पसद करती हैं, क्योकि वे अपने स्कन्धो को हानि-लाभ खाते मे नही दिखाना चाहती।

(आ) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर १२,००० रु० का आगम व्यय स्वीकृत है।

(इ) जापान की यात्रा के लिये एक सचालक को दिये गये ६,००० रु० कटने योग्य व्यय है, क्योकि वह व्यापार के उद्देश्यो के लिये है।

(ई) यह मान लिया गया है कि कम्पनी के कर्मचारियो के क्वाटर्स पर कोई स्थानीय कर नही लगता, इसलिये जायदाद का वार्षिक मूल्य निकालने के लिये प्राप्त किराये की रकम से स्थानीय करो के लिये कोई कटौती नही की गई है।

(उ) कम्पनी के किन्ही कृषि-भूमियो पर स्वत्वाधिकार (Title) की रक्षा के लिये किये गये कानूनी व्यय १,५०० रु० आगम व्यय है, किन्तु व्यापार से कर लगने योग्य लाभ निकालने के लिये उनकी कटौती स्वीकार न होगी, क्योकि वे कर अयोग्य कृषि-आय के सम्बन्ध मे किये गये थे।

(५) परदेशी (Non-residents)

परदेशी पर सभी आय के लिये (अ) जो भारत मे प्राप्त हो या प्राप्त हुई मानी जाये, भले ही वह कही भी उदय हो, और (ब) जो भारत मे उदय हुई हो या उदय हुई मानी जाये भले ही वह कही भी प्राप्त हो, कर लगाया जाता (Chargeable) है।

परदेशियो को अपनी विदेशी आय पर कर नही देना पडता भले ही वह भारत मे लाई या भेजी जाये। किसी परदेशी की विदेशी आय तब ही कर योग्य होती है जबकि वह भारत मे प्राप्त की जाये। किन्तु यदि वह भारत मे लाई गई है तो कर योग्य न होगी। 'प्राप्त करने' और 'लाई जाने मे' अन्तर है। 'प्राप्त करने' का अर्थ 'प्रथम प्राप्ति' से है। जो आय एक बार प्राप्त हो गई हे वही फिर प्राप्त नही की जा सकती। अत जब आय भारत के

बाहर प्राप्त (received) हो चुकी है तो उसे भारत भेजना 'लाया जाना' (bringing in) होगा।

वह धारा, जिसके अन्तर्गत आय भारत मे उदय या अर्जित (accrue or arise) हुई मानी जाती है और जिसका परदेशियो से अधिक सम्बन्ध है ४२ वी धारा है। धारा ४२ (१) का बडा व्यापक प्रभाव है। इसकी शब्द रचना इस प्रकार रखी गई है कि जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक भारत मे व्यापार करने से परदेशी को हुआ सभी लाभ कर-क्षेत्र मे आ जाये। इस प्रकार आय के निम्न चार वर्ग रखे गये है :—

(१) भारत मे किसी व्यापारिक सम्बन्ध मे प्रत्यक्षत. या अप्रत्यक्ष रूप से उदय होने वाली आय,

(२) भारत मे किसी जायदाद (Property) से उदय होने वाली आय,

(३) भारत मे किसी सम्पत्ति (asset) या आय के श्रोत से आय, और

(४) वह आय जो ब्याज पर उधार दिये गये धन से उदय हो.भारत मे नगद या वस्तु रूप मे (in cash or in kind) मे लाई जाय।

यह सम्भव है कि आय की उक्त मदो के सम्बन्ध मे अनुबन्ध भारत के बाहर किया जाये और उसकी शर्तों के अनुसार द्रव्य भारत के बाहर देय (Payable) रखा जाये। ऐसी दशाओ मे, आय भारत के बाहर उदय या अर्जित होती है, किन्तु धारा ४२ (१) के अन्तर्गत ऐसी आय भारत मे उदय अथवा अर्जित मानी जायगी।

परदेशी फर्मों के भारतीय प्रतिनिधि जो कि टैक्नीकल दृष्टि से न तो उनकी शाखाये है, और न सहायक फर्मे, अपने स्वामियो की ओर से उस कर को चुकाने के लिये दायी होगे जो कि उनके स्वामियो पर भारतीय लाभो के सम्बन्ध मे निर्धारित किया जाये। किसी परदेशी का कर-निर्धारण या तो स्वय उसके नाम से या उसके प्रतिनिधि के नाम से किया जा सकता है और अन्तिम दशा मे ऐसे कर के सम्बन्ध मे ऐसा प्रतिनिधि ही कर-दाता मान लिया जायेगा।

कर-गणना

धारा १७ (१) मे वह आधार बतलाया गया है जिसके अनुसार परदेशियो की कुल आय पर कर की गणना की जानी चाहिये।

एक परदशी द्वारा दिये जाने वाले आय-कर और सुपर टैक्स की गणना विधि कर-गणना' सम्बन्धी अध्याय में समझाई गई है।

अध्याय १३

कर की गणना
(Computation of Tax)

आय-कर अधिनियम आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनो से ही सम्बन्धित है। उसमे कर-निर्धारण के आधार, विधि और व्यवस्था (machinery) का वर्णन किया गया है। इसके अन्दर दरो की तालिका (Schedule of Rates), जिनके हिसाब से कि कर लगाया जायगा, नही दी जाती। करो की दरे पार्लियामेंट द्वारा मार्च में प्रति वर्ष पास किये जाने वाले फाइनेन्स ऐक्ट (Annual Finance Act) द्वारा निश्चित और निर्धारित की जाती है।

आय-कर अधिनियम कोड के रूप मे एक स्थायी विधान (enactment) है। इसके आदेशो को सम्बन्धित वर्ष के फाइनेन्स ऐक्ट द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार, यदि वह वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व ही पास कर दिया जाय, कार्यान्वित किया जाता है। किन्तु यदि किसी कारण से फाइनेन्स ऐक्ट के पास होने मे देरी होती हो तो, धारा ६७ बी के अन्तर्गत पिछले वर्ष फाइनेन्स ऐक्ट द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार अथवा पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत उस वर्ष के फाइनेन्स बिल मे प्रस्तावित दरो के अनुसार, दोनो में जो भी कर-दाताओ के हित मे हो कर लगाया जायगा।

कर लगने वाली आय पर आय-कर की गणना (Computing) दो पद्धतियो से की जा सकती है—आय अनुसार (Step System) और विभागानुसार (Slab System)। आय अनुसार पद्धति में कुल आय की पूरी रकम पर एक ही दर के अनुसार जो कुल आय पर लागू होती हो, आय-कर चुकाना पडता है और कुल आय की विभिन्न रकमो के लिए आय-कर की भिन्न-भिन्न दरे निर्धारित हैं। यदि आय ऊँची है, तो इसके लिए दर भी ऊँची है। यह पद्धति १ अप्रैल १९३९ को समाप्त कर दी गयी, किन्तु इस तिथि से पूर्व इसी पद्धति के अनुसार कर लगाया जाता था। इस पद्धति के अनुसार उन कर-दाताओ के साथ, जिनकी कुल आय उस सीमा से, जहाँ पर दरें बदलती है, कुछ ही अधिक बैठती थी, कठोरता और अन्याय होता था। इस कठोरता को दूर करने के लिए कुछ सीमान्त छूट (Marginal relief) दी जाती है।

आय के अनुसार कर-निर्धारण से जो कठोरता, अन्याय और असमान फल होते हैं, उन्हे समाप्त करने के लिये १९३९ के फाइनेन्स ऐक्ट ने करारोपण की एक नई और न्यायोचित पद्धति, जिसे विभागानुसार करारोपण कहते है, प्रचलित की। इसके अनुसार आय को विभागो मे बॉटा जाता है। पहले विभाग पर कोई कर नही लगता। इसके बाद प्रत्येक अगले विभाग (Successive slab) के लिये बढती हुई दर से आय-कर लगाया जाता है।

आय-कर की दरे

१९५९ के फाइनेस एक्ट द्वारा १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्नलिखित दरे निर्धारित की गई है। ये दरे वही है जो कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९ के लिए लागू थी।

(१) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा अरजिस्टर्ड फर्म के लिए —

कुल आय के भाग पर

	(अ)	(ब)	(स)	दर
	रु०	रु०	रु०	
(१) प्रथम	३,०००	३,३००	३,६००	कुछ नही
(२) अगले	२,०००	१,७००	१,४००	३%
(३) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	६%
(४) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	९%
(५) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	११%
(६) अगले	२,५००	२,५००	२,५००	१४%
(७) अगले	५,०००	५,०००	५,०००	१८%
(८) शेष पर				२५%

कालम (अ) जब कि व्यक्ति का कोई बच्चा उस पर निर्भर न हो अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार में नाबालिग साझी न हो।

(ब) जब कि व्यक्ति का एक बच्चा उस पर निर्भर हो अथबा हिन्दू अविभाजित परिवार मे एक नाबालिग साझी हो।

(स) जब कि व्यक्ति का एक से अधिक बच्चे उस पर निर्भर हो अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार मे एक के अधिक नाबालिग साझी हो।

प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार जिनकी कुल आय २० ००० रु० से अधिक है, तथा अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य जन-मण्डल के लिए :-

	दर
(१) कुल आय के प्रथम १,००० रु० पर	कुछ नही
(२) कुल आय के अगले ४,००० रु० पर	३%
(३) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	६%
(४) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	९%
(५) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	११%
(६) कुल आय के अगले २,५०० रु० पर	१४%
(७) कुल आय के अगले ५,००० रु० पर	१८%
(८) कुल आय के शेष पर	२५%

'विवाहित व्यक्ति' वाक्याश मे विधवायें और विधुर भी शामिल है। कोई व्यक्ति विवाहित है या नही इसका निर्णय गत वर्ष के अन्तिम दिन की स्थिति के आधार पर लगाना चाहिए।

उपर्युक्त दरो के अनुसार १,००० रु० की वैयक्तिक छूट, २,००० रु० की विवाह की छूट तथा ३०० प्रति बच्चा दो बच्चो के लिए बच्चो की छूट है। विवाह तथा बच्चो की छूट केवल उन व्यक्तियो के लिए, जिनकी कुल आय २० ००० रु० से बढती नही है।

कर-मुक्ति की सीमा (**Exemption Limit**)—यदि कुल आय निम्न निर्दिष्ट सीमाओ से अधिक नही है तो कुल आय पर कोई आय-कर नही दिया जायेगा। साथ ही सीमावर्ती छूट का भी निम्न आयोजन है :—

(अ) आय कर उस राशि के जो कि कुल आय कर मुक्ति की सीमा स बढ रही है के आधे से अधिक नही होगा। इस अध्याय मे उदाहरण (२) देखिये।

(ब) विवाहित व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक है, द्वारा चुकाया जाने वाला आय कर (१) २०,००० रु० पर चुकाये जाने वाले आय-कर तथा (२) उस राशि के जो कि कुल आय २०,००० रु० से बढती है के आधे से जोड से नही बढेगा। इस अध्याय मे उदाहरण (४) देखिए।

ऊपर वर्णित कर-मुक्ति की सीमा निम्न है :—

(अ) ६,००० रु० उस स्थिति मे जब कि हिन्दू अविभाजित परिवार मे कम से कम दो वयस्क साझी (adult coparceners) हैं, तथा

(ब) ३,००० रु० अन्य किसी दशा मे।

आय-कर पर सरचार्ज—आय कर पर सरचार्ज दो श्रेणियो मे विभाजित किया गया है।

(अ) सामान्य सरचार्ज यूनियन के हेतु जो कुल आय पर लगे आय-कर का ५% है तथा अतिरिक्त सरचार्ज १,००,००० रु० से अधिक कमाई हुई आय (earned income) पर लगे आय-कर का ५% तथा,

(ब) न कमाई हुई आय (unearned income) पर लगे आय-कर पर विशेष सरचार्ज १५% जिसको कि राज्यो (states) मे बँट जाना है।

विशेष सरचाज की गणना के लिए न कमाई हुई आय को उस भाग मे, जहा कि कमाई हुई आय समाप्त होती है, माना जाता है या ऊँचे विभाग मे यदि आवश्यकता हो तो। इस अध्याय में उदाहरण (५) देखिए।

यदि व्यक्ति की कुल आय ७,५०० रु० से तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय १५,००० से न बढे तो कोई सरचार्ज नही लिया जाता है। इन सीमाओ के ऊपर १,५०० रु० तक इक्विटी अशो (equity shares) पर लाभॉश पर भी सरचार्ज की छूट है।

सरचार्ज के लिए भी सीमावर्त्ती छूट का आयोजन है। सरचार्ज के हेतु, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कर-मुक्ति सीमा और कुल आय के अन्तर से सामान्य सरचार्ज या विशेष सरचार्ज या दोनो एक साथ लेकर आधे से नही बढना चाहिये। सामान्य सरचार्ज ५% तथा विशेष सरचार्ज १५% निकालने के लिए उन दोनो के लिए सीमावर्त्ती छूट अलग-अलग लेनी चाहिये। इन दोनो सरचाज का योग, हर एक पर सीमावर्त्ती छूट लगाने के बाद, ७,५०० रु० से कुल आय का जो आधिक्य है उसके आधे तक सीमित कर दिया है। इस अध्याय मे उदाहरण (६) और (७) देखिये।

(२) कम्पनियो तथा स्थानीय सत्ताओ के लिए

उसकी कुल आय पर आय-कर की दर ३०% है (साथ मे सरचार्ज ५% है। भले ही कुल आय की रकम कुछ भी हो।

(३) रजिस्टर्ड फर्मो के लिए

	दर
(१) कुल आय के प्रथम ४०,००० रु० पर	कुछ नही
(२) कुल आय के अगले ३५,००० रु० पर	५%
(३) कुल आय के अगले ७५,००० रु० पर	६%
(४) कुल आय के शेष पर	९%

(४) उच्चतम दर (Maximum Rate)

परदेशी की दशा मे जिन्होने अपनी कुल विश्व आय पर दर जो लगती है उस पर कर-निर्धारण की घोषणा नही की हो तथा ट्रस्टी, मैनेजर अथवा रिसीवर्स (Receivers) जहाँ कि आय स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के पक्ष मे प्राप्त नही की जाय

अथवा जहाँ कि वैयक्तिक भाग बाँटने वालो का (beneficiaries) ज्ञात नही हो तो ऐसी दशा मे आय-कर उच्चतम दरो से चार्ज किया जाता है। एसी दशाओ मे आय-कर की उच्चतम दर २५% (उस पर सरचार्ज २०% सहित) कुल आय पर लगेगी।

(५) परदेशी (**Non residents**)—एक परदेशी व्यक्ति को (एक कम्पनी को छोडकर) आय कर और सुपरटैक्स निम्नलिखित ढग से देना पडेगा :—

(अ) कुल आय पर (भले ही इसकी रकम कुछ भी हो) आय-कर अधिकतम दर से, और

(ब) कुल आय पर (भले ही इसकी रकम कितनी भी हो) सुपर-टैक्स १६% से (बिना सरचार्ज) या उतना सुपर टैक्स जो वह अपने निवासी होने की दशा मे कुल आय पर चुकाता, दोनो मे जो भी अधिक हो। कर-निर्धारण वर्ष १६५६–६० के लिए यह दर १६% की कुल आय ६१,७६० रु० तक ही लागू होगी।

हाँ, एक परदेशी को सदैव के लिये केवल एक ही बार यह निर्णय करने का विकल्प दिया जाता है कि वह उक्त आधार पर कर देगा या अपनी कुल विश्व आय को लागू होने वाली दरो से कुल आय पर आय-कर और सुपर टैक्स चुकावेगा। इस विकल्प का प्रयोग करने के लिये उस कर-निर्धारण वर्ष की, जबकि परदेशी पहले-पहल कर-निर्धारण का उत्तरदायी बना था, ३० जून के पूर्व ही इनकम टैक्स ऑफिसर को लिखित घोषणा पत्र दे देना चाहिये। जो भी आधार एक बार चुन लिया जायेगा वही बाद के सब वर्षो को भी लागू होगा।

आय जिस पर उद्गम स्थान पर कटौती होगी—वेतन, प्रतिभूतियो पर ब्याज तथा भारतीय आय-कर देने वाली कम्पनियो के लाभाश की दशा मे उद्गम स्थान पर आय-कर काटने या एकत्र करने की व्यवस्था है। इसलिए १६५६–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण करने के लिए ऐसी आय पर, जो कि एक कर दाता (कम्पनी को छोड कर) की कुल आय मे शामिल है, १६५८–५६ कर-निर्धारण वर्ष की लागू होने वाली दरे लगेगी। जबकि कुल आय के शेष पर १६५६–६० कर-निर्धारण वर्ष का दरें लागू होगी।

क्योकि १६५८–५६ तथा १६५६–६० की दरें एक ही है यह नियम १६५६–६० कर-निर्धारण वर्ष मे लागू नही हो रहा हे।

कर मुक्त आय—जब किसी करदाता की कुल आय मे कोई ऐसी आय शामिल है जोकि आय-कर और या सुपर टैक्स से मुक्त है, तो आयकर और सुपर टैक्स पहले तो कुल आय पर निकाला जावेगा और फिर आय-कर व सुपर टैक्स की औसत दरो से आय कर और/या सुपर टैक्स की छूट (rebate) काट दी जावेगी।

पूँजी लाभ—एक कम्पनी को अपनी कुल आय को लागू होने वाली दर से पूँजी लाभ पर आय-कर चुकाना पडता है, लेकिन पूँजी लाभो पर सुपर टैक्स नही देना पडता। पूँजी लाभो पर और अन्य आय पर दिया जाने वाला आय कर इस प्रकार निकाला जाता है।

(अ) पूँजी लाभ पर दिये जाने वाले आय कर की दर करदाता की अन्य आय से सम्बन्धित है। पूँजी लाभ का १/३ अन्य आय मे जोड दिया जाये और इस प्रकार निकले योग की रकम को लागू होने वाली आय-कर की दर ही वह दर है जिसके आधार पर सम्पूर्ण पूँजी लाभ पर आय-कर लगेगा। लेकिन किसी भी दशा मे पूँजी लाभ पर आय-कर ५,००० रु० पर पूँजी लाभ के आधिक्य की आधी रकम से अधिक न हो सकेगा। यही सीमावर्ती छूट है।

यही नही, पूँजी लाभ पर कोई आय-कर नही लगता यदि (अ) पूँजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नही है, या (ब) कुल आय (जिसमे पूँजी लाभ शामिल है) १०,००० रु० से अधिक नही है।

(ब) अन्य आय पर दिये जाने वाले आय-कर और सुपर-टैक्स की गणना पूँजी लाभ घटा कर निकली कुल आय पर की जावेगी।

अतिरिक्त कर (Super Tax)

धारा ५५ के अनुसार, अतिरिक्त कर (Super tax) आय-कर का ही एक अतिरिक्त (Additional) प्रभार (Duty) है जो गत वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध मे लगाया और चुकाया जाता हे। यह कर व्यक्ति विशेष, सयुक्त हिन्दू परिवार, कम्पनी, स्थानीय सत्ता, अनरजिस्टर्ड फर्म तथा अन्य जन-मण्डलो से वसूल किया जाता है।

एक रजिस्टर्ड फर्म पर अतिरिक्त-कर नही लगाया जाता, लेकिन फम के साझीदारो पर उनकी अन्य आय के साथ मे साझेदारी के मुनाफो पर, अतिरिक्त कर लगाया जाता है। एक अनरजिस्टर्ड फर्म, के जिसे धारा २३ (५) वी के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म के रूप मे माना जाता है, अतिरिक्त-कर के उद्देश्य से भी रजिस्टर्ड फर्म ही माना जाता है।

सामान्यत एक कम्पनी को अपनी सम्पूर्ण आय पर, जिसमे अन्य कम्पनियो से प्राप्त लाभांश भी सम्मिलित हैं आय-कर और सुपर टैक्स दोनो ही चुकाना होता है। लेकिन कम्पनियो को इस बात का प्रोत्साहन देने के लिए कि वे अपने आधिक्य कोष भारत में कुछ मुख्य (Basic) उद्योगो मे लगाएँ, धारा ५६ A ऐसी कम्पनियो को (चाहे भारतीय हो या विदेशी हो) भारतीय कम्पनी से जो कि ३१ जनवरी १९५२ को प्रारम्भ हुई है, प्राप्त लाभाश पर सुपर-टैक्स की छूट का आयोजन करती है, बशर्ते कि

ऐसी लाभाश देने वाली भारतीय कम्पनी सम्पूर्णतया या मुख्यत निश्चित प्रदिष्ट उद्योगो (certain specified industries) मे कार्यरत है।

२८ फरवरी १९५३ के बाद विद्यमान कम्पनियो द्वारा उत्पादन बढाने या निर्दिष्ट मदो के उत्पादन मे अलग इकाइयाँ प्रारम्भ करने के लिए जनता से चन्दा लेकर सग्रह की गई नई पूँजी के सम्बन्ध मे दिये गये लाभाशो के लिए भी यह नियम लागू होता है।

सामान्य नियम के रूप मे जो कुल आय आय-कर के लिये निर्धारित की जावे उस पर ही अतिरिक्त कर लगाया जाता है। लेकिन निम्न दशाओ मे अतिरिक्त कर की कुल आय आय-कर की कुल आय से भिन्न होती है —

(१) जब कोई अनरजिस्टर्ड फर्म या अन्य जन-मण्डल (कम्पनी नही) स्वय ही अतिरिक्त-कर के लिये दायी हो, तो ऐसी फर्म या जन-मण्डल मे सदस्य के लाभ का हिस्सा अतिरिक्त कर ही कुल आय मे शामिल नही किया जाता।

(२) किसी व्यापार के बन्द होने या प्रबन्ध बदले जाने की दशा मे, जो कि १९१८ के कानून के अन्तर्गत कर-योग्य हुआ है, व्यापार बन्द होने या प्रबन्ध बदले जाने वाले वर्ष के लाभ आय-कर से कर-मुक्त हो सकते है लेकिन, जैसा कि एक पूर्व अध्याय मे समझाया गया है, उन पर सुपर टैक्स देना होगा।

(स) जब कुल आय मे कुछ पूँजी लाभ शामिल हो, तो सुपरटैक्स कुल आय—पूँजी लाभ पर लगाया जायगा क्योकि पूँजी लाभो पर सुपरटैक्स नही लगता।

पुण्यार्थ दान (Charitable Donations)

सभी कर-दाताओ (कम्पनी को छोडकर) द्वारा किसी स्वीकृत सस्था या काय मे दिया गया दान आय-कर और अतिरिक्त-कर दोनो से मुक्त है। कम्पनियो द्वारा दान मे दी गई रकम आय-कर से मुक्त है अतिरिक्त-कर से नही। लेकिन दान मे दी गई ये रकमे कुल आय मे अवश्य शामिल की जाती है, हाँ, औसत दर से आय-कर और अतिरिक्त कर की छूट (Rebate) काट दी जाती है।

अतिरिक्त कर की दरे

१९५९-६० के कर निर्धारण वर्ष के लिए १९५९ के फाइनेन्स एक्ट द्वारा अतिरिक्त कर की निम्नलिखित दरे निर्धारित की गई है।

(१) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार तथा अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा मे —

कुल आय के विभाग (slabs)	दर
१ प्रथम २०,००० रु० पर	कुछ नही
२ अगले ५,००० रु० ,,	५%
३ अगले ५,००० रु० ,,	१५%
४ अगले १०,००० रु० ,,	२०%
५ अगले १०,००० रु० ,,	३०%
६ अगले १०,००० रु० ,,	३५%
७ अगले १०,००० रु० ,,	४०%
८ शेषाश पर	४५%

सुपर टैक्स पर सरचार्ज—सुपर टैक्स पर सरचार्ज (आय-कर पर सरचार्ज की तरह) निम्न है —

(अ) कुल आय के सुपर टैक्स पर सामान्य सरचाज ५% और १,००,००० रु० से अधिक कमाई हुई आय के सुपरटैक्स पर अतिरिक्त सरचार्ज ५%, तथा

(ब) न कमाई हुई आय के सुपर टैक्स पर विशेष सरचार्ज १५% जब एक करदाता की कुल आय मे दोनो कमाई हुई तथा न कमाई हुई आय शामिल हो तो न कमाई हुई आय जिस विभाग मे कमाई हुई आय समाप्त होती है उससे सम्बन्धित या आवश्यकता पडने पर ऊँचे विभाग मे मानी जाती है।

(२) स्थानीय सत्ताओ के लिए

सुपर टैक्स की दर सम्पूर्ण कुल आय पर १६% है। साथ मे इस सुपर टैक्स पर १२½% सरचाज भी लगेगा।

(३) सहकारी समितियो के लिए

सुपर टैक्स की दरें इस प्रकार है कुल आय के प्रथम २५,००० रु० पर कुछ नही, कुल आय के शेष पर १६%। ऐसे सुपर टैक्स पर १२½% का सरचाज भी है।

(४) कम्पनियो के लिए

कम्पनियो पर लगाये गये सुपर टैक्स को 'कॉरपोरेशन टैक्स' कहते है। प्रत्येक कम्पनी (चाहे भारतीय हो या विदेशी हो) के लिए सुपर टैक्स की बेसिक दर ५% बिना किसी सरचार्ज के है। यह दर कुछ परिस्थितियो में बदली हुई प्रतिशत पर निश्चित छूट से घटा दी गई है।

वेतन (Salaries)—जब कि एक कर-दाता (कम्पनी नही) की कुल आय मे वेतन जिस पर सुपर टैक्स काट लिया गया है (उदाहरणार्थ, जब कि वेतन की आय २०,००० रु० से बढती हैं) तब १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष का कर-निर्धारण करते

हुए कर-दाता को ऐसे वेतन पर सुपर टैक्स १९५८-१९५९ की दरो से देना होगा तथा उसे कुल आय के शेष पर १९५९-६० की दरो से सुपर टैक्स देना होगा।

कर-निर्धारण की गणना
(Computation of Assessment)

कर-दाता का कर-निर्धारण (Assessment) तैयार करने के लिए क्रमशः निम्न कदम उठाने आवश्यक हैं —

(१) पहले बता दी गई विधि के अनुसार कुल आय मालूम करिये। उद्गम स्थान पर कर की जो रकमे काटी गयी हैं या अदा हो चुकी हैं, उन्हे जोड लीजिये। कर-दाता के परदेशी (Non-resident) होने की दशा में, यह जरूरत हो तो उसकी कुल विश्व आय भी निकालिये।

(२) कुल आय पर आय-कर तथा सरचार्ज की रकम निकालिये और आय-कर की औसत दर मालूम कीजिये। सुपर टैक्स तथा उस पर सरचाज की रकम मालूम कीजिये और यदि आवश्यक हो, तो सुपर टैक्स की औसत दर भी निकालिये। सुपर टैक्स की औसत दर तब निकालना आवश्यक होगा जबकि कर-दाता की कुल आय मे पुण्यार्थ दान की रकम शामिल हो।

(३) कुल आय मे शामिल आय की वह रकम निश्चित करिये, जो आय कर और। या अतिरिक्त-कर से मुक्त है तथा उस पर छूट की रकम निकालिये।

(४) उपर्युक्त विधि से निकाली हुई आय-कर और अतिरिक्त कर को ग्रौस रकम (Gross amonnt) मे से निम्नलिखित रकमे (Amount) घटाइए —

(अ) कर-मुक्त आय पर छूट (Rebate) की रकम।

(ब) कर की वह रकम जो उद्गम स्थान पर दी जा चुकी है।

(स) धारा १८ ए के अनुसार कर की पेशगी दी हुई रकम और उस पर ब्याज।

(द) विदेशी आय पर दुहरे कर सम्बन्धी छूट (Double taxation relief) की रकम यदि कोई हो।

इस प्रकार, उपर्युक्त रकमे घटाकर जो रकम शेष बचे, वह अदा किये जाने वाले या वापस (Refund) किए जाने वाले कर की नेट रकम होगी। यदि कर-दाता पर दण्ड (Penalty) की कोई रकम है तो उसे भी इसमे जोड दीजिये। इस प्रकार जो रकम आये वह अदा किये जाने वाले या वापस किये जाने वाले कर की कुल रकम होगी।

उदाहरण

(१) निम्न दशाओ मे १९५९-६० कर-निर्धारण वष के लिए देय कर की राशि निकालिये :—

(अ) अविवाहित व्यक्ति । जायदाद की आय ४,५०० रु० ।

(आ) विवाहित व्यक्ति जिसके दो बच्चे है । जायदाद की आय ४,५०० रु० ।

(इ) एक विधवा जिसके एक बच्चा है । व्यापार लाभ ४,८०० रु० तथा जायदाद की आय ३,६०० रु० ।

(ई) हिन्दू अविभाजित परिवार जिसमे तीन नाबालिग साझी (minor coparceners) है । व्यापार लाभ १,२०,००० रु० तथा जायदाद की आय १२,००० रु० । जीवन बीमा प्रीमियम २०,००० रु० चुकाया ।

(उ) एक विधुर (Widower) जिसके कोई बच्चा नही है । वेतन ६,००० रु० जायदाद की आय ८०० रु०, साधारण अशो पर लाभाश ८२२ रु० (नेट) ।

(ऊ) विवाहित व्यक्ति । वेतन ८०,००० रु० । वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे चन्दा ६,००० रु० । जीवन बीमा प्रीमियम १०,००० रु० ।

(ए) अनरजिस्टर्ड फर्म । व्यापार लाभ २५,००० रु० तथा प्रतिभूतियो पर ब्याज (नेट) २४,५०० रु० ।

	रु०
(अ) न कमाई हुई आय पर आय-कर	
प्रथम १,००० रु० पर	कुछ नही
अगले ३,५०० रु० पर ३%	१०५
चुकाया जाने वाला आय-कर	१०५

इस पर कोई सरचार्ज नही होगा क्योकि कुल आय ७,५०० रु० से अधिक नही है ।

	रु०
(आ) न कमाई हुई आय पर आय-कर	
प्रथम ३,६०० रु० पर	कुछ नही
अगले ९०० रु० पर ३%	२७
चुकाया जाने वाला आय-कर	२७

इस पर कोई सरचार्ज नही होगा क्योकि कुल आय ७,५०० रु० से अधिक नही है ।

	रु०	रु०
(इ) कमाई हुई आय पर आय-कर		
प्रथम ३३०० रु० पर		कुछ नही
अगले १,५०० रु० पर ३%	४५	४५
न कमाई हुई आय पर आय-कर		
२०० रु० पर ३%	६	

२,५०० रु० पर ६%	१५०	
९०० रु० पर ९%	८१	२३७ ००
		२८२ ००
आय-कर पर सामान्य सरचार्ज २८२ रु० पर ५%		१४ १०
आय-कर पर विशेष सरचार्ज २३७ रु० पर १५%		३५ ३५
चुकाया जाने वाला आय-कर		३३१ ६५

(ई) कमाई हुई आय १,२०,००० रु० पर आय कर ।

	रु०	रु०
१,००,००० रु० पर	२२,०२० ००	
२०,००० रु० पर २५%	५,००० ००	२७,०२० ००
	27 020 00	
न कमाई हुई आय पर आय-कर		३,००० ००
१२,००० रु० पर २५%		३०,०२० ००
सामान्य सरचार्ज । ३०,०२० रु० पर ५%	१५०१ ००	
५,००० रु० पर ५%	२५० ००	
विशेष सरचार्ज ३००० रु० पर १५%	४५० ००	२,२०१ ००
		३२ २२१ ००

घटाया—जीवन बीमा प्रीमियम पर आय-कर की छूट (१६,००० रु० तक सीमित)

$$\frac{१६,००० \times ३२२२१}{१,३२,०००} = \quad ३,९०५ \; ५६$$

चुकाया जाने वाला आय-कर २८,३१५ ४४

कमाई हुई आय १,२०,००० रु० पर सुपर-टैक्स ।

१,००,००० रु० पर	२७००० ००	
२०,००० रु० पर ४५%	९,००० ००	३६,००० ००

न कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स ।

१२,००० रु० पर ४५%		५,४०० ००
		४१,४०० ००
सामान्य सरचार्ज । ४१,४०० रु० पर ५%	२,०७० ००	
९,००० रु० पर ५%	४५० ००	
विशेष सरचार्ज । ५,४०० रु० पर १५%	८१० ००	३,३३० ००

चुकाया जाने वाला सुपर-टैक्स	४४,७३० ००
चुकाया जाने वाला आय-कर	२८,३१५ ४४
चुकाया जाने वाला सुपर-टैक्स	४४,७३० ००
चुकाया जाने वाला कुल-कर	७३,०४५'४४

(उ) १	वेतन (१२० रु० आय-कर उद्गम स्थान पर काटा गया)		रु० ६,०००
२	जायदाद की आय		८००
३	साधारण अंशो पर ग्रॉस लाभाश (आय-कर ३७८ रु० लागू हुआ)		१,२००
		कुल आय	८,०००

कमाई हुई आय पर आय-कर (६,००० रु०)		१२०
न कमाई हुई आय पर आय-कर (२,००० रु०)		१३५
		२५५
उद्गम स्थान पर आय-कर चुकाया		
वेतन	१२०	
लाभाश	३७८	४९८
वापिसी (Refund) की रकम		२४३

कुल आय साधारण अंशो पर लाभाश को छोडकर ७,५०० रु० से तथा कुल आय साधारण अंशो पर लाभाश को शामिल करके ९,००० रु० से अधिक नही है। इसलिये आय-कर पर सरचार्ज नही लगेगा।

	रु०	रु०
(ऊ) ८०,००० रु० पर आय-कर		१७,०२०
सामान्य सरचार्ज १७,०२० रु० पर ५%		८५१
		१७,८७१
घटाय—प्रॉविडेण्ट फण्ड चन्दे तथा जीवन बीमा प्रीमियम की छूट ८,००० रु० तक सीमित : $\frac{८००० \times १७८७१}{८००००}$		१,७८७
		१६,०८४

सुपर टैक्स · ८०,००० रु० पर	१८,०००	
सामान्य सरचार्ज · १८,००० रु० ५%	९००	१८,९००
चुकाया जाने वाला कुल कर		३४,९८४

(ए) १ प्रतिभूतियो पर ब्याज (उद्गम स्थान पर आय-कर १०,५०० रु० कटा)	३५,०००	
२. व्यापार लाभ	२५,०००	
कुल आय	६०,०००	

कमाई हुई आय पर आय-कर २५,००० रु० पर		३,२७० ००
न कमाई आय पर आय-कर ३५,००० रु० पर		८,७५० ००
		१२,०२० ००
सामान्य सरचार्ज १२,०२० रु० पर ५%		६०१ ००
विशेष सरचार्ज ८,७५० पर १५%		१,३१२ ५०
		१३,९३३ ५०
कमाई हुई आय पर सुपर टैक्स · २५,००० रु० पर	२५० ००	
न कमाई हुई आय पर सुपरटैक्स . ३५,००० रु० पर	९,२५० ००	
	९,५०० ००	
सामान्य सरचार्ज ९,५०० रु० पर ५%	४७५ ००	
विशेष सरचार्ज ९,२५० रु० पर १५%	१,३८७ ५०	११,३६२ ५०
चुकाया जाने वाला कुल कर		२५,२९६ ००

(२) एक अविवाहित व्यक्ति का ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार से लाभ ३,१०० रु० है तथा उसने जीवन बीमा प्रीमियम के ६०० रु० चुकाये। १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये चुकाये जाने वाले कर की रकम निकालिये।

इस दशा मे, निम्न मे से कम रकम, चुकाये जाने वाला आय-कर होगा :—

(अ) विभागीय दरो से गणना पर कर।

(ब) ३००० रु० से ३१०० रु० के आधिक्य का आधा।

विभागीय दरो (Slab rates) से ३,१०० रु० पर आय-कर ६३ रु० होगा जब कि ३,००० रु० के ऊपर ३,१०० रु० के आधिक्य का आधा ५० रु० है। क्योकि कुल आय ७ ५०० रु० से कम है अतएव आय-कर पर कोई सरचार्ज नही लगेगा।

	रु०
कुल आय पर आय-कर	५०·००
घटाया—जीवन बीमा प्रीमियम (कुल आय के चौथाई तक सीमित) ७७५ रु० पर औसत दर छूट	१२·५०
चुकाया जाने वाला आय-कर	३७·५०

अविवाहित व्यक्ति की दशा मे सीमावर्ती (marginal relief) कुल आय ३,१२७ रु० तक लागू होगी।

(३) एक विवाहित (बिना किसी बच्चे के) कर्मचारी की ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे १,००० रु० मासिक कर-मुक्त वेतन (Tax-free salary) मिला। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसका ग्रॉस वेतन क्या होगा ?

वास्तविक प्राप्त हुए वेतन के साथ ही उसपर लागू कर को साथ लेते हुए कर-मुक्त वेतन ग्रॉस करने की विधि को "कर के ऊपर कर" पद्धति कहा जाता है ।

	रु०	रु०
१—१२,००० रु० पर आय-कर :		
३,००० रु० पर	नही	
२,००० रु० पर ३%	६० ००	
२,५०० रु० पर ६%	१५० ००	
२,५०० रु० पर ९%	२२५ ००	
२,००० रु० पर ११%	२२० ००	
	६५५ ००	
सरचार्ज ५% से	३२ ७५	६८७ ७५
२—६८७ रु० ७५ नये पैसे पर आय-कर :		
५०० रु० पर ११%	५५ ००	
१८७ ७५ रु० पर १४%	२६ २९	
	८१ २९	
सरचार्ज ५% से	४ ०६	८५·३५
३—८५ रु० ३५ नये पैसे पर आय-कर :		
८५ ३५ रु० पर १४%	११ ९३	
सरचार्ज ५% से	० ६०	१२·५३

४—१२ रु० ५३ नये पैसे पर आय-कर ·		
१२ ५३ रु० पर १४%	१ ७५	
सरचाज ५% से	० ०९	१ ८४
५—१ रु० ८४ नये पैसे पर आय-कर .		
१ ८४ रु० पर १४%	० २६	
सरचार्ज ५% से	० ०१	० २७
मालिक द्वारा दिया गया कुल कर		७८७ ७४
चुकाया गया कर-मुक्त वेतन		१२,००० ००
	ग्रॉस वेतन की राशि	१२,७८७ ७४
	या (कहिए)	१२,७८८ ००

(४) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक विवाहित व्यक्ति (जिसके कोई बच्चा नही है) को व्यापार से लाभ २०,२०० रु० है। १९५९-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए चुकाये जाने वाले कर की राशि निकालिये।

विवाह तथा बच्चो की छूट कुल आय २०,००० रु० तक ही स्वीकृत की जाती है। इस दशा मे चुकाया जाने वाला आय-कर सीमावर्ती छूट के आधीन है। इसलिये चुकाया जाने वाला आय-कर इनके योग से नही बढेगा ,—

	रु०
(अ) आय-कर जो कुल आय २०,००० रु० होने पर चुकाना होता	१,९६० ००
(ब) २०,००० रु० के ऊपर २०,२०० रु० के अधिक्य का आधा	१०० ००
चुकाया जाने वाला आय-कर	२,०६० ००
सामान्य सरचार्ज आय-कर पर २०६० रु० ५%	१०३ ००
सुपर-टैक्स २०,२०० रु० पर	१० ००
सामान्य सरचार्ज सुपर-टैक्स पर १० रु० पर ५%	५०
चुकाया जाने वाला कुल कर	२,१७३ ५०

क्योकि न कमाई हुई आय नही है इसलिये विशेष सरचार्ज नही लगेगा।

इस जैसी दशा मे २०,२४० रु० कुल आय तक सीमावर्ती छूट स्वीकृत की जाती है। यदि व्यक्ति के एक बच्चा है, समावर्ती छूट २०,२७६ रु० तक और यदि व्यक्ति के दो बच्चे हैं तो यह छूट कुल आय २०,३१२ रु० तक मिलती है।

(५) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक विवाहित व्यक्ति की कुल आय २,१५,००० रु० है जिसमे से १,३०,००० रु० कमाई हुई तथा ८५,००० रु० न कमाई हुई आय के हैं। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा चुकाये जाने वाले कर की गणना कीजिये।

		रु०	रु०
कमाई हुई आय पर आय-कर	१,००,००० रु० पर	२२,०२०	
	३०,००० रु० पर	७,५००	२९,५२०
न कमाई हुई आय पर आय-कर	८५,००० रु० पर		२१,२५०
			५०,७७०
आय-कर पर सामान्य सरचार्ज	(५०,७७० रु० पर ५%)	२,५३९	
	(७,५०० रु० पर ५%)	३७५	
आय-कर पर विशेष सरचार्ज	(२१,२५० रु० पर १५%)	३,१८८	६,१०२
आय-कर तथा सरचार्ज			५६,८७२ (अ)
कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स	१,००,००० रु० पर	२७,०००	
	३०,००० रु० पर	१३,५००	४०,५००
न कमाई हुई आय पर सुपर-टैक्स	८५,००० रु० पर		३८,२५०
			७८,७५०
सुपर-टैक्स पर सामान्य सरचार्ज	(७८,७५० रु० पर ५%)	३,९३७	
	(१३,५०० रु० पर ५%)	६७५	
सुपर-टैक्स पर विशेष सरचार्ज	(३८,२५० रु० पर १५%)	५,७३७	१०,३४९
सुपर-टैक्स तथा सरचार्ज			८९,०९९ (ब)

चुकाये जाने वाला कुल कर (अ)+(ब)=१,४५,९७१ रु०।

(६) एक विवाहित व्यक्ति ने (जिसके कोई बच्चा नहीं है) गत वर्ष, जो कि ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होता है, मे ७,५२० रु० का वेतन कमाया तथा ७५२ रु० वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड मे अशदान दिये तथा जीवन बीमा प्रीमियम १,२०० रु० चुकाये। वह राशि जो कि उसके वेतन में से उस वर्ष मे काटी जानी चाहिए थी निकालिए।

इस दशा मे आय-कर पर सरचार्ज के लिए सीमावर्ती छूट मिलेगी। ७,५२० रु० पर आय-कर २११ ८० रु० होगा। २११ ८० रु० पर ५% सरचार्ज १० ५९ रु० होता है जो कि ७,५२० रु० तथा ७,५०० रु० के अन्तर के आधे से अधिक है। इसलिये सरचार्ज १० रु० तक सीमित है।

यह सीमावर्ती छूट कुल आय ७,५२१ रु० तक स्वीकृत की जायेगी। विवाहित व्यक्ति, जिसके एक बच्चा है, की दशा में यह छूट ७,५२० रु० तथा विवाहित व्यक्ति, जिसके दो बच्चे है, की दशा मे यह छूट ७,५१९ रु० तक मिलेगी।

प्रॉविडेन्ट फण्ड चन्दे तथा जीवन बीमा प्रीमियम की छूट कुल आय ७,५२० रु० के एक-चौथाई तक अर्थात् १,८८० रु० तक सीमित होगी।

	रु०
आय-कर ७,५२० रु० पर	२११ ८०
आय-कर पर सरचार्ज जैसा कि ऊपर कहा गया है	१० ००
	२२१ ८०
घटाया—आय-कर की छूट १,८८० रु० पर = $\frac{२२१\text{·}८० \times १,८८०}{७,५२०}$ = ५५ ४५	५५ ४५
उद्गम स्थान पर आय-कर कटा	१६६ ३५

(७) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष मे एक व्यक्ति को, जिसके दो बच्चे है, निम्न कर-योग्य आय है

	रु०
जायदाद से आय	२,५६०
व्यापार लाभ	५,०००
साधारण अशो पर लाभाश (आय कर उद्गम स्थान पर दिया ३०० रु०)	१,५००

१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये चुकाये जाने वाले आय-कर की गणना कीजिये।

		रु०	रु०
(१) जायदाद से आय (न कमाई हुई)		२,५६०	
(२) व्यापार से लाभ (कमाई हुई)		५,०००	
(३) साधारण अशो से लाभाश (न कमाई हुई)		१,५००	
	कुल आय	९,०६०	
कमाई हुई आय पर आय-कर	३,६०० रु० पर	कुछ नही	
	१,४०० रु० पर ३%	४२ ००	४२ ००
न कमाई हुई आय पर आय-कर	२,५०० रु० पर ६%	१५० ००	
	१,५६० रु० पर ९%	१४० ४०	२९० ४०
			३३२·४०

सामान्य सरचार्ज ३३२ ४० रु० (जो कि ६०६० रु० तथा ७,५०० रु० के अन्तर के आधे से कम है) पर ५%	१६ ६२
विशेष सरचार्ज २६० ४० रु० पर १५%=४३ ५६ इसलिये यह ६० रु० के आधे (जो कि ६,००० रु० से ६,०६० रु० का आधिक्य है) तक सीमित होगा	३० ००
वाजिब (Due) कुल आय-कर तथा सरचार्ज	३७६ ०२
घटाया—लाभाश पर दिया गया आय कर	३००,००
चुकाया जाने वाला आय-कर	७६ ०२

क्योंकि दोनो सरचार्ज एक साथ लेते हुए (१६ ६२ रु०+३० रु० = ४६ ६२ रु०) कर मूक्ति सीमा ७,५०० रु० से आधिक्य के आधे से कम है, इसलिये चुकाया जाने वाला सरचार्ज ४६ ६२ रु० होगा।

(८) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक विवाहित व्यक्ति को उसके कपडे के व्यापार से १५,००० रु० की कर-योग्य आय है तथा उसने ६,००० रु० विनियोगो की बिक्री पर पूंजी लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए चुकाये जाने वाले आय-कर की रकम निकालिये।

पूंजी लाभ पर आय-कर अन्य आय+पूंजी लाभ की तिहाई पर लागू होने वाली दरो पर लिया ज्याता है। इसलिये १८,००० रु० पर (१५,००० रु० +पूंजी लाभ का तिहाई ३,००० रु०) आय कर निम्न होगा :—

	रु०
कमाई हुई आय पर आय-कर १५,००० रु० पर	१,१२०
न कमाई हुई आय पर आय-कर ३,००० रु० पर	५४०
	१,६६०
सामान्य सरचार्ज १,६६० रु० पर ५%	८३
विशेष सरचार्ज, ५४० रु० पर १५%	८१
	१,८२४
	१,१२०
सामान्य सरचाज १,१२० रु० पर ५%	५६
आय-कर तथा सरचार्ज पूंजी लाभ ६,००० रु० पर उस दर से जो १८,००० रु० पर लागू हो रही है अर्थात् १,८२४ रु० का आधा	९१२
१९५९-६० कर-निधारण वष के लिये देय आय-कर	२०८८

(६) अ (विवाहित व्यक्ति जिसके दो बच्चे हैं) जिसने वर्षान्त ३१ मार्च १९५९ मे निम्न प्राप्त किया, को वापस (refund) होने वाली राशि की गणना कीजिये —(अ) प्रतिभूतियो पर ब्याज ३,५०० रु० (नैट) तथा (ब) लाभांश एक ऐसी कम्पनी से जिसकी ४०% आय पर लगता है, ४०% कर-मुक्त है तथा २०% कृषि आय है, ४,३७० रु० ।

अ का १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण			रु०
(१) प्रतिभूतियो पर ब्याज (ग्रॉस), उद्गम स्थान पर ३०% आय-कर के कटे १,५०० रु० ।			५,०००
(२) लाभाश (ग्रॉस), इस पर लागू होने वाला आय-कर ६३० रु० होता है, जैसा कि नीचे निकाला गया है ।			५,०००
		कुल आय	१०,०००
आय-कर १०,००० रु० पर १९५८-५९ की दरो से			४१७ ००
सामान्य सरचार्ज ४१७ रु० का ५%			२० ८५
विशेष सरचार्ज ४१७ रु० का १५%			६२ ५५
वाजिब (Due) आय-कर १९५९-६० कर निर्धारण वर्ष के लिए			५०० ४०
उद्गम स्थान पर एकत्र आय-कर			
प्रतिभूतियो के ब्याज पर	१,५००		
लाभाश पर	६३०		२,१३० ००
घटाया—१९५९-६० कर निर्धारण वर्ष के लिये आय-कर			५०० ४०
		वापसी (Refund) की रकम	१,६२९ ६०

टिप्पणियाँ

(१) प्रतिभूतियो पर ब्याज मे से उद्गम स्थान पर आय-कर की कटौती कम्पनी की दशा मे ३१ ५% (३०%+१ ५% सरचाज) तथा अन्य दशा मे ३०% (२५%+५% सरचार्ज) होगी ।

(२) लाभाश (४३७० रु०) निम्न फार्मूले को लगा कर ग्रॉस किया गया है।

$$\frac{४,३७०}{१-\left[\frac{४०}{१००}\times\frac{३१ ५}{१००}\right]} = ५,००० \text{ रु० ।}$$

(१०) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे एक कम्पनी के कर्मचारी ने ४०,००० रु० वेतन तथा भत्तो के प्राप्त किये तथा कम्पनी द्वारा रखे गये स्वीकृत

प्रॉविडेन्ट फण्ड मे ५,००० रु० अपने चन्दे के दिये, जिसमे कि मालिक ने भी उतना ही धन दिया। प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते पर ५,००० रु० ब्याज के जमा हुए।

उसने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी ५०,००० रु० की पर ६,००० रु० प्रीमियम चुकाए।

१९५९-६० के लिए उसका कर-निर्धारण तैयार कीजिये।

१९५९-६० के लिए कर- निर्धारण

	रु०
वेतन तथा भत्ते	४०,०००
मालिक का प्रॉ० फण्ड मे अशदान कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक	१,०००
कुल आय	४१,०००
आय-कर ४१,००० रु० पर	७,२७० ००
सामान्य सरचाज ७,२७० रु० पर ५%	३६३ ५०
	७,६३३ ५०
घटाया—आय-कर की छूट ८००० रु० पर $\frac{८,००० \times ७,६३३ ५०}{४१,०००}$ =	१,४८९ ४६
चुकाया जाने वाला आय-कर	६,१४४ ०४
सुपर-टैक्स ४१,००० रु० पर	३,३०० ००
सामान्य सरचार्ज ३,३०० रु० पर ५%	१६५ ००
चुकाया जाने वाला सुपर-टैक्स	३,४६५ ००
आय कर तथा सरचार्ज	६,१४४ ०४
सुपर-टैक्स तथा सरचार्ज	३,४६५ ००
वाजिब (Due) कुल कर	९,६०९ ०४
घटाया—राशि जो उद्‌गम स्थान पर काटी गई	९,६०९ ०४
राशि जो अब देय है	कुछ नही

टिप्पणियाँ

(१) प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते पर जमा ब्याज ५,००० रु० छोड दिया गया है क्योकि यह वेतन के तिहाई से कम है तथा प्रस्तावित दर ६% से कम से लगाई गई है।

(२) आय-कर की छूट केवल कर्मचारी के स्वय के चन्दे पर ही मिलती है, मालिक द्वारा दिये गये चन्दे पर नही।

(३) स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी के स्वय के चन्दे की उच्चतम राशि जिस पर छूट दी जा सकती है वेतन के पाँचवें भाग या ८,००० रु० जो भी दोनो मे से कम हो, है। स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड के चन्दे तथा जीवन बीमा प्रीमियम दोनो को एकत्र लेते हुए यह छूट वेतन के चौथाई भाग या ८,००० रु० जो भी दोनो मे से कम हो, के लिए स्वीकृत की जाती है।

(४) सुपर-टैक्स के लिए जीवन बीमा प्रीमियम तथा प्रॉविडेण्ट फण्ड मे चन्दो के लिए कोई छूट नही है।

(११) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये एक विवाहित व्यक्ति (जिसके तीन बच्चे हैं) की निम्न आय थी :—

(अ) प्रतिभूतियो पर व्याज (ग्रॉस) ४०० रु०, उद्गम स्थान पर आय-कर की कटौती हुई १०० रु०।
(आ) प्रतिभूतियो पर ब्याज (कर-मुक्त) १०० रु०।
(इ) जायदाद से आय २,००० रु०।
(ई) कपडा व्यापार से लाभ २,५०० रु०।
(उ) एक अनरजिस्टर्ड फर्म मे आधा भाग १५,००० रु०।
(ऊ) एक सहकारी समिति से लाभाश ५०० रु०।
(ए) एक कम्पनी से लाभाश जो अपनी आय पर कोई कर नही चुकाती १,००० रु०।
(ऐ) एक कम्पनी से लाभाश जिसकी सम्पूर्ण आय पर कर लगता है, ३,४२५ रु०।

उसने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर जो २०,००० रु० की है पर २,५०० रु० प्रीमियम चुकाया तथा १,००० रु० एक यूनीवर्सिटी को दान दिया।

१९५९–६० के लिये उसका कर-निर्धारण तैयार कीजिये।

		आय रु०	उद्गम स्थान पर कटौती रु०
१	प्रतिभूतियो पर ब्याज (ग्रॉस)	४००	१२०
	प्रतिभूतियो पर ब्याज (कर-मुक्त)	१००	
२	जायदाद से आय	२,०००	
३	व्यापार स्वय का कपडा व्यापार	२,५००	
	अनरजिस्टर्ड फम से हिस्सा	१५,०००	
४.	अन्य साधन		
	सहकारी समिति से लाभाश	५००	
	लाभाश ऐसी कम्पनी से जो अपनी आय पर कर नही देती	१,०००	

लाभाश ऐसी कम्पनी से जो अपनी सम्पूर्ण आय पर कर देती है	५,०००	१,५७५
कुल आय	२६,५००	१,६६५

	रु०
कमाई हुई आय पर आय-कर २५०० रु० पर	४५ ००
न कमाई हुई आय पर आय-कर २४,००० रु० पर	३,६०० ००
सामान्य सरचार्ज ३,६४५ रु० पर ५%	१८२ २५
विशेष सरचाज ३,६०० रु० पर १५%	५४० ००
	४,३६७ २५

कर-मुक्त आय	रु०
प्रतिभूतियो (कर-मुक्त) पर ब्याज	१००
सहकारी समिति से लाभाश	५००
अनरजिस्टर्ड फर्म से हिस्सा	१५,०००
जीवन बीमा प्रीमियम—बीमित राशि के १०% तक सीमित	२,०००
पुण्याथ दान कुल आय-कर-मुक्त आय (२६,५००–१००–५००–१५,०००–२०००) के ५% तक सीमित	४४५
	१८,०४५

कुल आय पर लगने वाला आय-कर	४,३६७ २५
घटाया—१८,०४५ रु० कर-मुक्त आय पर छूट $\frac{१८०४५ \times ४३६७\ २५}{२६५००}$ = २६७३ ८५	२,६७३ ८५
१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये चुकाया जाने वाला आय-कर	१,३९३ ४०
आय-कर उद्गम स्थान पर दिया	१,६९५ ००
वापसी (Refund) की रकम	३०१ ६०

कर-दाता सुपर-टैक्स के लिये दायी नही है। सुपर-टैक्स हेतु कुल आय मे से अनरजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा १५,००० रु० घटा देना होगा। जब यह कर दिया जाता है तो शेष ११,५०० रु० रहता है जोकि सुपर-टैक्स सीमा से नीचे है।

अध्याय १४

दोहराने के प्रश्नोत्तर

(१) निम्न मदो को सक्षेप मे समझाइए —

(अ) आय

(ब) कृषि आय

(स) कमाई हुई आय

(द) आकस्मिक आय

(इ) पूँजी-लाभ

(ई) गत-वष

(उ) अशोधित ह्रास

(ऊ) अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट

(ए) सतुलनीय ह्रास

आय—आय-कर अधिनियम मे 'आय' मद को पूरी तरह से नही समझाया है। निश्चित साधनो द्वारा नियमित रूप से जो सामयिक द्राव्यिक आय होती है उसे आय कहते है। अगर कोई प्राप्ति विशेष ऐसी है जिसका साधन स्थिर नही किया जा सकना, तो इस प्राप्ति को कर-योग्य आय नही माना जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सडक पर घूम रहा हे और यदि मार्ग मे उसे १,००० रु० की थैली पडी हुई मिले और वह उसे उठाकर अपने कब्जे मे करले, तो उसकी यह प्राप्ति आय के अन्तर्गत शामिल नही की जा सकती, क्योकि इसका साधन स्थिर नही है।

कृषि आय—कृषि आय उस जमीन की आय मानी जाती है जो कृषि के काम मे लाई जाती हो तथा जिस पर सरकार को लगान या स्थानीय सत्ता को कर दिया जाता है। उस जमीन से प्राप्त होने वाली आय जो उपर्युक्त दोनो शर्तो को पूरा नही करती कृषि आय नही है।

कमाई हुई आय—वह आय जो कि व्यक्तिगत मेहनत से प्राप्त हो 'कमाई हुई आय' कहलाती है, जबकि व्यक्तिगत मेहनत से न वसूल होने वाली आय 'न कमाई हुई'

कही जाती है। तमाम वेतन, पेन्सन अथवा भूतपूर्व सेवाओ के लिए अन्य भत्ते 'कमाई हुई आय' है। व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय से लाभ भी 'कमाई हुई आय' है, यदि वह कर-दाता ने स्वय चलाया है। 'अन्य स्रोतो से आय' भी कमाई हुई आय मानी जाएगी यदि वह व्यक्तिगत मेहनत (exertion) से प्राप्त हो जैसे सचालक-शुल्क तथा किताबो से रॉयल्टी।

आकस्मिक आय—यह वह आय है जो कि आकस्मिक तरह की होती है तथा जोकि किसी व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय से प्राप्त न हो। यह 'आँधी के आम' की तरह है जैसे लौटरी मे प्राप्त होने वाली राशि।

पूँजी-लाभ—यह पूँजी सम्पत्ति के विक्रय हस्तान्तरण, तबदीली आदि पर हुए लाभ है। पूँजी-सम्पत्ति का अर्थ कर-दाता द्वारा रखी गई किसी प्रकार की सम्पत्तियो से है चाहे वे व्यापार से सम्बन्धित हे या नही, लेकिन इसमे व्यापारिक-स्कन्ध, वैयक्तिक सम्पत्तियाँ तथा कृषि आय सम्मिलित नही है।

गत-वर्ष—गत वष का अर्थ या तो पहला समाप्त हुआ आर्थिक वर्ष है या पहले समाप्त हुए वर्ष मे जिस १२ माह की अवधि के लिए कर-दाता ने अपने हिसाब बनाये है वह अवधि है। इस तरह गत-वर्ष पहले आर्थिक वर्ष के साथ-साथ या उसके अन्दर ही समाप्त हो जाना चाहिये।

अशोधित ह्रास—जब अपर्याप्त लाभ के कारण वर्ष भर की पूरी ह्रास छूट नही माँगी जा सकती तो उस बचे हुए शेष को कि इस कारण से नही माँगा जा सका है अशोधित ह्रास कहते है और यह अशोधित ह्रास भविष्य के कर-निर्धारणो मे अनिश्चित-काल तक आगे ले जाया जा सकता है।

अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट—प्लाण्ट और मशीन की स्थिति मे दुहरी तथा तिहरी पाली के उपयोग के लिए एक 'अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट' ह्रास मे दी जाती है। यह अतिरिक्त छूट दुहरी पाली उपयोग की दशा मे साधारण ह्रास की ५०% तथा तीहरी पाली उपयोग मे साधारण ह्रास की १००% होती है। अतिरिक्त पाली उपयोग की छूट की गणना करने के लिए वर्ष मे ३०० दिन "कार्य करने के दिन" माने जाएँगे।

सतुलनीय ह्रास—जबकि भवन, प्लाण्ट अथवा मशीन, जो कि व्यापार के हेतु प्रयोग की जाती है, बेच दी जाय या समाप्त करदी जाय या नष्ट हो जाय तब विक्रय-मूल्य या स्क्रैप-मूल्य से अपलिखित-मूल्य की जो अधिकता हो वह सतुलनीय या अन्तिम (terminal) ह्रास के रूप मे दी जाती है।

(२) एक निवासी किन दशाओ मे भारत का निवासी तथा पक्का निवासी कहा जाता है ?

एक व्यक्ति भारत मे गत वर्ष में निवासी माना जाता है

(१) यदि वह उस वष मे १८२ या अधिक दिनो के लिए रहा है, या

(२) यदि उसने भारत मे अपने रहने के लिए निवास-स्थान कम से कम १८२ दिनो के लिए रखा है तथा वह उस वर्ष मे किसी समय भारत में भी था, या

(३) यदि वह भारत में उस वर्ष मे कम से कम एक दिन के लिए तो अवश्य ही आया हो परन्तु उसका यह आगमन आकस्मिक न हो तथा वह भारत मे पहले चार वर्षों के अन्दर कम से कम ३६५ दिन उपस्थित रहा हो, या

(४) यदि वह भारत मे उस वर्ष आया हो तथा इनकम टैक्स आफीसर को यह विश्वास हो गया हो कि वह भारत मे आने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रहने के इरादे से आया है।

पक्का निवासी अर्थात् 'निवासी और साधारण निवासी' होने के लिए उसे निम्न दो शर्तो को और पूरा करना होगा .—

(१) वह उस वर्ष से दस वर्षो मे कम से कम नौ वर्षो मे उपयुक्त शर्तों के अनुसार भारत मे निवासी रहा हो, तथा

(२) वह उस वर्ष के पहले ७ वर्षो के दौरान मे दो वर्षो से अधिक अवधि तक भारत मे रहा हो।

---

(३) आय की वे कौनसी श्रेणियाँ है जिन पर आय-कर अधिनियम लागू नही होता ?

आय की निम्न श्रेणियो पर आय-कर अधिनियम लागू नही होता, अर्थात् यह आय-कर-दाता की कुल आय मे नही जोडी जाती हैं.

१. धार्मिक अथवा पुण्यार्थ रखी गई जायदाद से आय जैसे शिक्षा, बीमारी सेवा या अन्य उद्देश्य से जो कि सामान्य जनता के लाभ के लिए हो।

२ धार्मिक या पुण्यार्थ सस्थाओ जैसे मन्दिर की आय।

३ स्थानीय सत्ता जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड की आय।

४ वधानिक अथवा स्वीकृत प्रॉवीडेण्ट फण्ड द्वारा किये गए विनियोगो से आय।

५ विशेष भत्ता (मनोरजन भत्ते को छोडकर) जो कि कार्यालय के कर्त्तव्यो को पूरा करने के लिए दिए जाय लेकिन केवल उस सीमा तक जहाँ तक

कि वे वास्तव मे व्यय किए जाय। यात्रा भत्ता तथा कनवियेन्स भत्ता इस छूट के उदाहरण है।

६ भारतीय मालिक से प्राप्त अभारतीय कर्मचारी को भारत से बाहर अपने घर छुट्टी पर जाने के लिए मुफ्त अथवा छूट के पैसेज की राशि।

७ आकस्मिक आय।

८ कृषि आय।

९ भूतपूर्व भारतीय स्टेट के नरेश को प्रिवी पर्स की रकम।

१० एक स्वीकृत अनुसधान सस्था की आय।

११ विदेशी सस्था के भारत मे डिप्यूट किये गये कर्मचारी का पारिश्रमिक।

१२ पोस्टल बचत खाते, सेविंग्स सर्टिफिकेट तथा ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट पर ब्याज।

Que (४) उन आयो को बतलाइए जो कि आय-कर से मुक्त हैं (लेकिन सुपर-टैक्स से नही) तथा जो कर-दाता की कुल आय मे सम्मिलित की जायेगी।

Ans निम्न वे आय है जो कि आय-कर से मुक्त है (लेकिन सुपर-टैक्स से नही) तथा जो कर-दाता की कुल आय मे सम्मिलित की जाएँगी —

(१) डेफर्ड एन्यूटी या उसकी पत्नी तथा बच्चो के आयोजन के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन से सरकार द्वारा काटी गई राशि लेकिन यह राशि वेतन के पाँचवे भाग से अधिक नही होनी चाहिए।

(२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो का ब्याज।

(३) 'अनरजिस्टर्ड फर्म' या 'व्यक्तियो के समूहो' से प्राप्त होने वाली वह आय जिस पर कर लग चुका है से मिले लाभ का भाग।

(४) करदाता या उसकी पत्नी या उसके पति (या हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा मे किसी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी) के जीवन पर जीवन बीमा प्रीमियम बशर्ते कि वार्षिक प्रीमियम बीमित राशि के १०% से अधिक न हो।

(५) स्टैट्यूटरी प्रॉविडेन्ट फण्ड मे कर्मचारी द्वारा किया गया अशदान।

(६) स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड मे कर्मचारी द्वारा किया गया अशदान बशर्ते कि अशदान की राशि वार्षिक वेतन के एक-तिहाई या ८,००० रु० से, जो कम है, से अधिक न हो।

(७) स्वीकृत सुपर एन्यूएशन फण्ड में कर्मचारी द्वारा किया गया अशदान।

नोट:—छूट (१), (४), (५), (६) तथा (७) को एक साथ लेते हुए राशि, व्यक्ति की दशा में, कुल आय के एक-चौथाई या ८,००० रु० मे से जो कम हो उससे तथा

हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा मे, कुल आय के एक-चौथाई या १६,००० रु० मे से जो कम हो उससे अधिक न हो।

---

(५) पुण्याथ दान किन स्थितियो मे और कहाँ तक कर-मुक्त है ?

Ans. कर-दाता को पुण्यार्थ उद्देश्य से भारत मे स्थित किसी सस्था या फण्ड को, दिये गये पुण्यार्थ दान पर कर की छूट दी जाती है। यह छूट केवल जब मिलती है जबकि चुकाए गए दान की कुल राशि २५० रु० से कम तथा १,००,००० रु० से या कर-दाता की कुल आय (उसमे से कर-मुक्त आय, यदि कोई हो, घटा कर) के १/२० मे से जो कम हो, उससे अधिक न हो।

कर-मुक्त दान की राशि कर-दाता की कुल आय मे जुडेगी। कम्पनियो को छोडकर कर-दाताओ की दशा मे पुण्यार्थ दान आय-कर तथा सुपर-टैक्स दोनो से मुक्त है लेकिन कम्पनियो मे यह केवल आय-कर से मुक्त है।

---

(६) वेतन से कर योग्य आय निकालने के लिए किन कटौतियो की स्वीकृति दी जाती है ?

वेतन से कर-योग्य आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ स्वीकार की जाती है —

(१) कर्मचारी द्वारा अपने कर्त्तव्यो की पूर्ति के हेतु खरीदी गई किताबो पर ५०० रु० तक की राशि।

(२) सरकारी कमचारी की दशा मे जिसे मनोरजन भत्ता मिल रहा है उसके वेतन का (विशेष भत्ते, लाभ तथा अन्य सुविधाओ को निकाल कर) पाँचवे भाग या ५,००० रु० जो भी दोनो मे से कम हो, की राशि।

अन्य किसी कर्मचारी की दशा मे जिसे कि मनोरजन भत्ता मिल रहा है उसके वेतन का (विशेष भत्ते, लाभ तथा अन्य सुविधाओ को निकाल कर) पाँचवे भाग या ७,५०० रु०, जो भी दोनो मे से कम हो, की राशि बशर्ते कि उसे वर्तमान मालिक से मनोरजन भत्ता १ अप्रैल १९५५ से मिल रहा है।

किसी भी दशा मे मनोरजन भत्ते की कटौती मनोरजन भत्ते की राशि से नही बढ सकती।

(३) कर-दाता द्वारा रखी गई तथा उसकी नौकरी मे प्रयोग की गई कनवेयन्स (Conveyance) पर हुई साधारण टूट-फूट का वह भाग जो कि उसकी नौकरी के सिलसिले मे प्रयोग पर निकाला जाए।

यदि कर-दाता को अपने मालिक से कनवेयन्स भत्ता मिलता है तो उसे यह कटौती नही मिलेगी।

(४) कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाओ की शर्त्तों पर सम्पूर्ण रूप से तथा आवश्यक रूप से अपने कर्त्तव्यो की पूर्ति हेतु (मनोरजन भत्ते को छोडते हुए) किए गए व्यय की राशि।

---

(७) मकान जायदाद से आय के सम्बन्ध मे मद 'वार्षिक मूल्य' का क्या अर्थ है ?

मकान जायदाद से कर-योग्य आय निकालने के लिए वार्षिक मूल्य की एक काल्पनिक राशि निकालनी होती है जो कि वास्तव मे प्राप्त होने वाले किराये की राशि होना जरूरी नही है।

वार्षिक मूल्य जायदाद का वास्तविक किराये का मूल्य हे अर्थात् वह मूल्य जिस पर कि वह खुले बाजार मे किराये पर उठाई जा सकती हो। म्यूनिसिपल शहरो मे प्रायः म्यूनिसिपल मूल्याकन मूल्य ही वार्षिक मूल्य लिया जाता है। लेकिन जहाँ वास्तव मे प्राप्त किराया इस म्यूनिसिपल मूल्याकन से अधिक हो वहाँ वार्षिक मूल्य वास्तव मे प्राप्त किराया लिया जाता है।

वार्षिक मूल्य की राशि निम्न समायोजनो के बाद आती है —

(१) जब जायदाद किरायेदार के पास हो और इस पर स्थानीय कर लगते हों तो, वार्षिक मूल्य निकालते समय ऐसे करो का आधा घटाया जाएगा,

(२) जब जायदाद मालिक के अपने रहने के लिए प्रयोग की जाए तो पहले तो उसका वार्षिक मूल्य उसी प्रकार निकाला जाएगा जैसे कि वह किरायेदार को उठी है और उसके बाद इस राशि में से इसका आधा या १,८०० रु०, जो भी दोनो मे से कम है, घटा दिया जाता है। लेकिन इस तरह घटायी हुई राशि यदि मालिक को कुल आय के १०% से अधिक है तो वार्षिक मूल्य कुल आय का १०% लिया जाएगा।

(३) जब कर-दाता के पास केवल एक मकान है जो उसने अपने रहने के लिए रख छोडा है और यदि वह गत वष मे बिलकुल खाली रहा है तो इसका वार्षिक मूल्य कुछ नही (Nil) लिया जाएगा और यदि वह कुछ अवधि के लिए खाली रहा हो तो आनुपातिक (Proportionate) लिया जाएगा। यदि मकान किराए को उठा दिया गया हो या इससे कर-दाता ने अन्य कोई लाभ उठाया हो तो यह छूट नही मिलेगी।

---

que (८) जायदाद से कर योग्य आम निकालते समय वार्षिक मूल्य मे से कौन-सी कटौतियाँ स्वीकार की जायेंगी ? कौन-सी मकान-सम्पत्ति कर से मुक्त है ?

Ans जायदाद से कर योग्य आय निकालते समय वार्षिक मूल्य में से निम्न कटौतियाँ स्वीकार की जाती हैं :—

१ मरम्मत के लिए वार्षिक मूल्य का छठा भाग, चाहे वास्तव मे मरम्मत की गई हो या नही। हाँ, यदि किरायेदार ने स्वय मरम्मत को वहन करने के लिए सविदा कर लिया है तो मरम्मत के लिए वार्षिक मूल्य तथा चुकाये गये किराये का अन्तर ही दिया जाएगा लेकिन यह अन्तर भी वार्षिक मूल्य के छठे भाग से नही बढना चाहिए।

२ नष्ट होने या नुकसान के खतरो से जायदाद को हानि से बचाने के लिए कराये गये बीमे का प्रीमियम।

३ जायदाद के रहन पर ब्याज या कोई अन्य पूँजी प्रभार जो जायदाद पर हो। धन किस उद्देश्य के लिए उधार लिया गया था यह विचारणीय नही होगा।

४ जायदाद पर कोई ऐसा वार्षिक भार जो पूँजीगत भार नही है।

५ जायदाद के खरीदने, बनवाने या मरम्मत कराने के लिए जो ऋण लिया गया है उसका ब्याज।

६ यदि जायदाद की जमीन का कोई किराया दिया जाता है तो ऐसे किराये की रकम।

७ जायदाद पर दी जाने वाली किसी मालगुजारी की रकम।

८ जायदाद खाली पडे रहने की छूट जो वार्षिक मूल्य का वह भाग है जो जायदाद खाली पडे रहने की अवधि के अनुपात मे हो।

६ सग्रहण व्यय, जो वार्षिक मूल्य का ६% या वास्तविक राशि (दोनो में जो कम हो)।

१० न वसूल हुआ किराया, यदि कर दाता ने कर वसूली के लिए तमाम उचित कदम उठा लिये हैं।

यदि मिलने वाली छूटे जायदाद के वार्षिक मूल्य से अधिक बैठें तो यह जायदाद से हुई हानि दूसरे शीर्षको के अन्तर्गत होने वाली आय मे से काटी जा सकती है।

कर-मुक्त जायदाद की आय—निम्न स्थितियो में जायदाद से आय-कर मुक्त है —

(अ) वह मकान जो कृषि आय में काम आने वाली भूमि के निकट स्थित है और कृषि कार्यो की देखभाल के हेतु रहने के लिए आवश्यक हो।

(ब) कर-दाता द्वारा अपने व्यापार के लिए, जिसके लाभो पर कर लगता है, प्रयोग किया जाने वाला मकान या जायदाद।

Que (६) व्यापार के कर-योग्य लाभ निकालने के लिए स्वीकार किये जाने वाले

व्ययो तथा उन व्ययो एव हानियो को भी जो कि स्वीकार नही किये जाते पूर्ण रूप से समझाइए।

स्वीकृत व्यय

१ उस भवन का किराया जहाँ व्यापार चलाया जाता हे।

२ उस भवन की मरम्मत का व्यय, जिसमे कर-दाता किरायेदार के रूप मे रहता है, और उसकी मरम्मत का उसने दायित्व ले रखा है।

३ व्यापार के लिए उधार ली गई पूँजी का ब्याज।

४ व्यापार मे काम आने वाले गोदाम, भवन, प्लाण्ट और मशीन, फर्नीचर, स्कध अथवा स्टोर्स की हानि के खतरे के लिए बीमा कराने का प्रीमियम।

५ व्यापार मे काम आने वाले मकान, मशीन, फर्नीचर एव सयन्त्र के सम्बन्ध मे चालू मरम्मत।

६ व्यापार के काम मे आने वाले भवन, मशीन, प्लाट, मशीन का ह्रास।

७ ह्रास की पूरी छूट प्राप्त होने से पूर्व किसी भवन मशीन या प्लाण्ट के बेचने पर हुई हानि।

८ व्यापार के काम मे आने वाले मृतक या बेकार जानवरो को बेच देने पर हुई हानि।

९. व्यापारिक स्थान के ऐसे भाग के सम्बन्ध मे मालगुजारी, स्थानीय महसूल या म्यूनिसिपल कर जो व्यापार के काम मे आता हो।

१० कमचारियो को दिया गया बोनस या कमीशन वशर्ते उसकी राशि उचित हो।

११ डूबे ऋण (Bad Debts)।

१२, व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक खोज पर किया गया कोई रिवेन्यू व्यय।

१३ किसी वैज्ञानिक अनुसधान करने वाली सस्था को दिया गया चन्दा, जो व्यापार से सम्बन्धित अनुसधान कार्य करती हो।

१४ वह सारा पूँजी व्यय, जो व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक अनुसधान पर किया गया हो, लगातार और बराबर की किश्तो मे व्यय, करने के वर्ष से आगामी पाँच वर्षों तक घटाने दिया जायगा।

१५ अन्य व्यापारिक व्यय जो व्यापार के लिए पूर्णतः और मूलतः व्यापारिक कार्यों के लिए किये जावें।

अस्वीकृत व्यय तथा हानियाँ :

१ किसी परदेशी को दिया हुआ कोई ब्याज या वेतन जब तक कि इसमे से कर न काटा गया हो।

२ किसी फर्म द्वारा फर्म के साझेदारो को दिया हुआ कोई ब्याज, वेतन, कमीशन या पुरस्कार।

३ अस्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड अथवा कर्मचारी के लाभो के लिए रखे गए फण्ड मे दिया गया चन्दा।

४ कम्पनी द्वारा अपने किसी सचालक को या ऐसे व्यक्ति को जो कि कम्पनी मे समुचित हित्त रखता हो दिया गया अत्यधिक पारिश्रमिक, लाभ या सुविधा।

५ किसी कम्पनी की सम्पत्तियो के सम्बन्ध मे, जो कि उपर्युक्त व्यक्तियो द्वारा पूर्णत. या अशत अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हो दिया गया अत्यधिक अलाउन्स।

६ मालिक या साझेदारो द्वारा निकाले गये आहरण।

७ मालिको के निजी या व्यक्तिगत व्यय

८ दान-पुण्य के रूप मे किये गये व्यय।

९ सदिग्ध ऋण कोष या अन्य कोष।

१० आय पर लगे तमाम कर।

११ पूँजीगत व्यय।

१२ किसी मकान जायदाद का किराया जो व्यापार के स्वामित्व मे हो और व्यापार के प्रयोग मे आती हो।

१३ पिछली हानियाँ।

१४ स्वीकृत रकम से ह्रास का आधिक्य।

१५ अन्य व्यय, जो पूर्णत व्यापार के लिये नही किए जायें, जैसे कर्मचारियो को कर बचाने के लिये चुकाया गया अधिक पारिश्रमिक।

१६ कोई ऐसी हानि जो व्यापार से सम्बन्धित नही है।

---

(१०) व्यापार के लाभ निकालने के लिए आय-कर के लिए क्या निम्न व्ययो की कटौती की जा सकती है—कारण सहित बतलाइए :—

(अ) आय कर चुकाने के लिए लिये गए ऋण पर ब्याज।

(ब) कर्मचारियो की सेवाओ के लिए दी गई भेट (Gifts) लेकिन ये भेट कर्मचारी कानून से प्राप्त नही कर सकते थे।

(स) प्रासवदिक तिथि (contracted date) से पूर्व रिटायर किये जाने वाले कमचारी को चुकाया गया हर्जाना ।

(द) ग्राहको को दिये गये ऋण तथा पेशगियो के सम्बन्ध मे डूबा ऋण ।

(ई) विज्ञापन व्यय ।

(अ) यह स्वीकार योग्य कटौती है, क्योंकि व्यापार के हेतु उधार ली गई पूँजी पर ब्याज दिया गया है ।

(ब) कर्मचारियो को स्वेच्छा से दी गई भेंट ताकि वे व्यापार मे रहे और उनकी कार्यकुशलता बढे स्वीकार योग्य कटौती है, क्योकि यह सम्पूर्णत तथा मूलत व्यापार के लिए है ।

(स) यह स्वीकार योग्य कटौती है क्योकि इससे चुकाने वाला आगे के वेतन चुकाने के दायित्व से बच जाएगा ।

(द) यह केवल बैंकर या ऋण देने वाले की दशा मे स्वीकार योग्य कटौती है लेकिन अन्य किसी व्यापार मे नही । जहाँ ऋण व्यापारिक एक्सपिडियेसी (commercial expediency) के लिये दिये जाएँ यह व्यापार के सम्बन्ध मे नही है ।

(ई) विज्ञापन व्यय स्वीकार किये जाते हैं यदि वे माल को साधारण रूप से बेचने तथा वतमान व्यापार को बढाने के लिए हो । लेकिन नये व्यापार को शुरू करने तथा व्यापार को नई दिशा में बढाने मे हुआ विज्ञापन व्यय पूँजीगत व्यय है ।

---

(११) "अन्य स्रोतो से आय" मद मे कर लगने वाली आय के कुछ उदाहरण दीजिए ।

"अन्य स्रोतो से आय" मद मे कर लगने वाली आय के निम्न उदाहरण है :—

१ एक कर्मचारी द्वारा अपने मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कमाई हुई कोई फीस या कमीशन ।

२ प्रतिभूतियो पर ब्याज के अतिरिक्त तमाम ब्याज ।

३. भवन तथा कृषि आय वाली भूमि से लगी (attached) भूमि के अतिरिक्त जमीन से आय ।

४ कम्पनियो से लाभाश ।

५ प्राप्त होने वाला कोई जमीन का किराया (Ground-Rent) ।

६. मकान जायदाद को सब-लैट (sub-letting) करने से आय ।

७ रॉयल्टी, सचालक-शुल्क, कमीशन आदि से आय ।

८ बाजारो, हाटो तथा फिशरियो (Fisheries) से मिली आय।
९ विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन अथवा पैन्शन।
१० भारत से बाहर स्थित जमीन से कृषि आय।

---

(१२) विकास सम्बन्धी छूट क्या है ? वे क्या शर्ते है जिनके आधीन विकास सम्बन्धी छूट दी जाती है ?

एक कर-दाता को ३१ मार्च १९५४ के बाद प्राप्त किये हुए जहाज अथवा नई मशीन तथा प्लान्ट प्रतिस्थापित करने के लिए, जो कि पूर्णरूप से व्यापार के काम मे लाई गई है, (लेकिन व्यवसाय या पेशा मे नही) निम्न दरो से विकास सम्बन्धी छूट पाने का अधिकार है —

(अ) जहाज जो ३१ दिसम्बर १९५७ के बाद प्राप्त किये—लागत का ४०%।

(ब) जहाज जो १ जनवरी १९५८ से पहले प्राप्त किये तथा मशीन एव प्लान्ट की दशा मे—लागत का २५%।

विकास सम्बन्धी छूट केवल नई मशीन तथा प्लान्ट के लिए ही जो कि पूर्णत. व्यापार के लिए प्रयोग मे आती है, मिलती है। अत नई मोटर कार, मोटर साइकिल, साइकिल, टाइपराइटर, हिसाब लगाने की मशीने आदि के लिए विकास सम्बन्धी छूट नही माँगी जा सकती क्योकि ऐसी सम्पत्तियाँ अन्य कार्यो मे भी प्रयोग हो सकती हैं।

विकास सम्बन्धी छूट ह्रास छूट का भाग नही है। कुल लागत का ह्रास के रूप में पूरी हो जाने के अतिरिक्त भी विकास सम्बन्धी छूट दी जाती है।

विकास सम्बन्धी छूट निम्न शर्तें पूरी होने पर ही मिलती है —

(१) कर दाता द्वारा जहाज या प्लान्ट तथा मशीन के सम्बन्ध मे ह्रास सम्बन्धी छूट के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिया जाए।

(२) गत वर्षों के खातो मे प्राप्त होने वाली छूट का ७५% लाभ-हानि खाते से रिजर्व खाते मे हस्तातरित कर दिया जाये।

(३) जिस वर्ष में यह प्राप्त की गई है उससे आगे दस वर्षो मे यह किसी व्यक्ति, सरकार को छोड कर, को हस्तातरित नही की जाए।

---

(१३) आय-कर अधिनियम के घाटे की पूर्ति तथा आगे ले जाने के क्या नियम है ?

घाटे की पूर्ति :—एक कर-दाता की कुल आय निकालने के लिए आय के एक शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली हानि उस कर-निर्धारण वर्ष मे अन्य किसी मद की आय से

पूरी (set off) की जा सकती है। पूँजीगत हानि की पूर्ति केवल पूँजीगत लाभो से तथा सट्टे की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के लाभो से की जा सकती है।

व्यापारिक हानियो को आगे ले जाना —यदि व्यापार मे किसी वष हानि हो और वह उस वष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके, तो हानि की यह रकम आगे ले जाई जा सकती है और व्यापार के लाभो मे भावी ८ वर्षो तक यह पूरी की जा सकती है। आगे लाई हुई व्यापारिक हानियाँ न केवल इसी व्यापार के लाभो से अपितु कर-दाता के अन्य व्यापारो के लाभ से भी पूरी की जा सकती है बशर्ते कि हानि उठाने वाला व्यापार अब भी चालू है।

जहाँ सट्टे की हानि उसी वष के सट्टे के लाभो से पूर्णत काटी न जा सके तो उस दशा मे उसे अगले ८ वर्षो तक आगे ले जा कर उसे भावी सट्टे के लाभ से पूरा कर सकते है।

यदि किसी वर्ष की पूँजी हानियाँ उसी वर्ष के पूँजी लाभो से पूर्णत पूरी न की जा सके, तो उन्हे भावी पूँजी लाभो से अगले ८ वर्षो तक आगे ले जा कर भावी पूँजी लाभो मे पूरा कर सकते हैं। ऐसे अग्रनयन की अनुमति के लिए यह आवश्यक है कि गैर कम्पनी कर दाताओ की दशा मे किसी गत वर्ष के दौरान मे उठाई गई पूँजी हानि ५,००० रु० से अधिक हो।

---

(१४) निवासी तथा पक्के निवासी व्यक्ति की दशा मे निम्न आय को किस प्रकार विचार मे लाया जायगा ?

(अ) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय का भाग।

(ब) एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का भाग।

(स) भूमि (Land) से आय।

(द) व्यापार मे प्रयोग की गई मशीन की बिक्री पर लाभ।

(ई) प्राप्त हुई भेंटे (Gifts)।

(अ) हिन्दु अविभाजित परिवार की आय का मिला हुआ भाग पूर्णत कर-मुक्त है। न इस पर कर लगता है और न ही यह कुल आय मे सम्मिलित किया जाता है।

(ब) जहाँ कि अनरजिस्टर्ड फर्म पर कर लगता है वहाँ पर साझेदार द्वारा प्राप्त किये गये लाभ के भाग पर फिर कर नही लगेगा। आय-कर के हेतु यह उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है ताकि उसकी अन्य आय पर कर लगने के लिए दर निकाली जा सके। सुपर-टैक्स के हेतु यह कुल आय से छोड दिया जाता है।

(स) जहाँ कि भूमि कृषि उद्देश्यो के लिए प्रयोग की जाय तथा ऐसी भूमि पर या तो सरकार द्वारा मालगुजारी या किसी स्थानीय सत्ता द्वारा स्थानीय दरें लगें तो ऐसी

भूमि से प्राप्त आय कृषि आय है तथा यह प्राप्त करने वाले की कुल आय से बिलकल छोड़ दी जाती है।

जहाँ भूमि कृषि उद्देश्य के लिए प्रयोग न की जाए या ऐसी भूमि पर सरकार की मालगुजारी या म्युनिसिपैलिटी की स्थानीय दरे न लगे तो ऐसी भूमि से आय कृषि आय नहीं है तथा यह प्राप्त करने वाले के हाथो मे कर-देय है।

हाँ, यदि भूमि भारत से बाहर स्थित है तो इसकी आय हमेशा कर-देय है।

(द) मशीन पर भूत मे मिले हुए ह्रास की सीमा तक हुए व्यापार मे प्रयुक्त मशीन की बिक्री का लाभ व्यापार के लाभ की तरह ही कर-योग्य है, लेकिन लाभ की राशि जो कि ऐसे ह्रास से आधिक्य है पूँजी लाभ है जो कि विभिन्न दर से कर-योग्य भी है।

(ई) अपने निजी कारणो से मिली भेंटें (जैसे जन्मदिन तथा विवाह की भेंट) आकस्मिक आय है तथा कर से पूर्णत. मुक्त है। लेकिन एक कर्मचारी को मिली भेंटे, जो कि कार्यालय में की गई सेवाओ का परिश्रमिक है, कर-योग्य हैं।

---

(१५) सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण (Best Judgment Assessment) क्या है ? क्या यह दुबारा खोला जा सकता है ?

जबकि कर-दाता आय का रिटर्न दाखिल न करके या आवश्यक सबूत प्रस्तुत न करके या माँगे गए हिसाब-किताबो को पेश न करके आय-कर अधिकारी के साथ असहयोग करता है तो ऐसी स्थिति मे आय-कर अधिकारी को अपने उत्तम निर्णय के अनुसार एक-तरफा (ex-parte) कर-निर्धारण करने के लिए बाध्य होना पडेगा।

हाँ, एक सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण दुबारा खोला जा सकता है। यह भी सम्भव हो सकता है कि कर-दाता की गलती जानबूझ कर नही हो और ऐसा कुछ उन कारणो से, जो कि उसके नियन्त्रण से बाहर है, हुआ है। ऐसी स्थिति मे कर-दाता कर-निर्धारण आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर ही आय-कर अधिकारी को इसकी समाप्ति का, कुछ विशेष कारण देते हुए जिनसे कर-दाता नोटिसो के अनुसार कार्य करने मे असमर्थ रहा है, प्रार्थना पत्र देगा।

यदि आय कर अधिकारी इस बात से सतुष्ट हो जाए कि कर-दाता के पास नोटिस पूरे न करने के पर्याप्त कारण है तो वह पहले कर-निर्धारण को समाप्त करके नए कर-निर्धारण का कार्य करेगा। यदि आय-कर अधिकारी सतुष्ट नही होता तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस अस्वीकृति के लिए कर-दाता के पास अपील का अधिकार है।

(१६) स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड तथा अस्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड में अन्तर बतलाइए तथा हर एक के लिए आय-कर अधिनियम के सक्षेप मे नियम बतलाइए ।

एक फर्म द्वारा विवाहित व्यक्ति ४०० रु० मासिक वेतन पर रखा गया। उसने मालिक द्वारा रखे गए प्रॉविडेण्ट फण्ड मे ८% चन्दा दिया तथा उसके मालिक का चन्दा १२% है। ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए गत वर्ष मे उसके प्रॉविडेण्ट फण्ड मे ५% वार्षिक ब्याज से ४५० रु० क्रेडिट हुए।

उसने अपनी जीवन पॉलिसी पर १,५०० रु० प्रीमियम दिया।

आय कर से मुक्त आय निकालिए (अ) जब कि स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड है तथा (ब) जब कि अस्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड है।

स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड वह है जो कि आय-कर अधिनियम मे दी गई शर्तों को पूरा करता है तथा जो कि आय-कर कमिश्नर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अस्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड वह फण्ड है जो इस प्रकार स्वीकार न किया जाए। इन प्रॉविडेण्ट फण्डो से सम्बन्धित नियम निम्न हैं :—

स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड —मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक का चन्दा वेतन के भाग के रूप मे कर्मचारी की कुल आय में सम्मिलित होगा।

कर्मचारी के प्रॉविडेण्ट फण्ड पर क्रेडिट हुए ब्याज का वह भाग, जो कि उसके वेतन के एक-तिहाई से अधिक तथा ६% वार्षिक से अधिक हो, वेतन के भाग के रूप मे कर्मचारी की कुल आय मे सम्मिलित होगा।

कर्मचारी द्वारा प्रॉविडेण्ट फण्ड में चन्दा उसके वार्षिक वेतन के पाँचवे भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनों मे से कम हो, तक आय-कर से (सुपर-टैक्स से नहीं) मुक्त है।

रिटायर होने पर कर्मचारी को प्राप्त हुई प्रॉविडेण्ट फण्ड की राशि भी आय-कर तथा सुपर-टैक्स दोनो से मुक्त है तथा यह उसकी कुल आय मे भी सम्मिलित नही की जाएगी, बशर्ते कि कर्मचारी ने मालिक के लिए लगातार पाँच वर्षों तक सेवा की है।

कर्मचारी को अपने जीवन बीमा प्रीमियम के लिए भी आय-कर की छूट मिलेगी, बशर्ते कि उसका प्रॉविडेण्ट फण्ड मे अपना स्वय का चन्दा तथा जीवन बीमा प्रीमियम दोनो मिलाकर उसकी कुल आय के चौथाई भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनो मे से न बढे, से अधिक न हो।

अस्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड :—आय-कर कमिश्नर द्वारा न स्वीकार किए गए प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी का चन्दा आय-कर से मुक्त नही है, तथा अस्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड के जुडे हुए शेष (accumulated balance) के भुगतान के समय मिली राशि

पर (इसमे से कमचारी का स्वय का चन्दा तथा उस पर ब्याज घटाकर) प्राप्ति के वर्ष मे वेतन के भाग के रूप मे भी कर लगेगा। कमचारी द्वारा चुकाए गए जीवन बीमा प्रीमियम के लिए कुल आय के चौथाई भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनो मे से कम हो, पर छूट मिलेगी।

	रु०
(अ) वेतन ४०० रु० प्रति माह	४,८००
मालिक का अशदान २% से	९६
कुल आय	४,८९६
कर-मुक्त आय	
प्रॉविडेण्ट फण्ड मे स्वय का अशदान जीवन	३८४
बीमा प्रीमियम (प्रॉविडेण्ट फण्ड अशदान तथा प्रीमियम दोनो मिला कर ४,८९६ रु० के चौथे भाग तक सीमित)	८४०
	१,२२४
(ब) वेतन-कुल आय	४,८००
कर मुक्त आय	
जीवन बीमा प्रीमियम-कुल आय के चौथे भाग तक सीमित	१,२००

(१७) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक व्यक्ति की आय के निम्न विवरण है :—

(अ) वेतन ३०० रु० प्रति माह।

मकान किराया भत्ता ५० रु० प्रति माह।

अस्वीकृत प्राविडेट फड मे स्वय का अशदान २४ रु० प्रति माह।

मालिक द्वारा प्रॉविडेन्ट फण्ड मे अशदान ३०० रु०।

प्रॉविडेन्ट फड पर ५% प्रति वर्ष की दर से ब्याज २५० रु०।

(ब) विनियोगो से आय

१ अक्टूबर १९५८ को बैंक में स्थायी जमा खाते मे रखे गये १०,००० रु० पर ४% प्रति वर्ष से ब्याज।

४०,००० रु० की सरकारी प्रतिभूतियो पर ३% ब्याज।

एक कम्पनी के प्रीफेरेन्स शेअरो से लाभाश ५०० रु०।

(स) अपने पितामह (Grandfather) से प्राप्त भेंट ५,००० रु०।

(द) उसके पास एक मकान है जिसके आधे मे उसका पुत्र रहता है तथा दूसरा आधा ५० रु० प्रति माह किराए पर चढा है।

उसने अपनी बीमा पॉलिसी पर २५० रु० चुकाये।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय निकालिये तथा वह राशि बतलाइए जिस पर उसे आय-कर की छूट मिलेगी।

			रु०
१.	वेतन—मकान भत्ता सहित		४,२००
२.	जायदाद से आय		
	वार्षिक किराया मूल्य (किराये के बराबर)	१,२००	
	घटाया—मरम्मत के लिए छटा भाग	२००	१,०००
३	प्रतिभूतियो से ब्याज (उद्‌गम स्थान पर कर-कटौती ३६० रु०)		१,२००
४	अन्य स्रोत		
	ग्रॉस लाभाश (इन पर लगा आय-कर २२९ रु०)		७२९
	बैंक की स्थायी जमा पर ब्याज		२००
		कुल आय	७,३२९

उसे जीवन बीमा प्रीमियम २५० रु० पर आय-कर की छूट मिलेगी।

---

(१८) अ को जो कि बम्बई की एक कम्पनी मे १० वर्ष से अधिक से नौकर है, अप्रैल १९५८ से १,००० रु० मासिक वेतन मिलता है। १० दिसम्बर १९५८ को उसने वेतन में से ३,००० रु० की पेशगी (Advance) ली जो कि उसके दिसम्बर १९५८ तथा आगे के वेतन मे से ५०० रु० की किश्तो मे कटनी थी।

१ जनवरी १९५९ से वह कम्पनी की ईरान मे शाखा का मैनेजर १,५०० रु० मासिक वेतन पर हो गया, जिसका आधा वह ईरान मे लेता था तथा आधे मे से पेशगी की किस्त काट कर उसके बम्बई के बैंक खाते मे जमा होता था।

यह मानते हुए कि हर माह का वेतन अगले माह की पहली तारीख को चुकाया गया १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कर-योग्य आय निकालिए।

धारा ७ (१) के अन्तर्गत वेतन की आय पर वाजिब हुए (accrual) आधार पर कर लगता है। जिस वर्ष मे वह चुकाई जाए उस वर्ष की आय मान कर उस पर कर लगाने का कोई प्रश्न नही आता। अतएव १९५९–६० के लिए अ पर एक पक्के निवासी की स्थिति मे निम्न आय पर कर लगेगा :—

		रु०
बम्बई मे की गई ६ माह की सेवाओ का वेतन (चाहे जहाँ प्राप्त हुई है)		६,०००
वेतन के लिए ली गई पेशगी		३,०००
		१२,०००
घटाया—दिसम्बर के वेतन से पेशगी का पुनर्भुगतान		५००
		११,५००
वेतन जो ईरान मे कमाया लेकिन भारत मे प्राप्त किया (१-२-१६५६ को २५० रु० तथा १-३-१६५६ को २५० रु०)		५००
विदेशी आय . ईरान मे ३ माह का १,५०० रु० मासिक से वेतन	४,५००	
घटाया—बम्बई मे प्राप्त राशि	५००	
	४,०००	
घटाया—वैधानिक छूट	४,५००	—
कुल आय		१२,०००

नोट विदेशी वेतन से आय, जो कि भारत भेजी जाए, की दशा मे ४,५०० रु० की वैधानिक छूट १६६०–६१ कर-निर्धारण वष से समाप्त कर दी गई है। हाँ, यदि अनरैमिटेड विदेशी आय वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से हो तो ४,५०० रु० की वैधानिक छूट १६५६–६० कर-निर्धारण वर्ष से समाप्त कर दी गई है।

---

(१६) क ने जो कि एक लिमिटेड कम्पनी का कर्मचारी है ३१ मार्च १६५६ को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी आय के निम्न विवरण दिए हैं —

(अ) वेतन १-४ १६५८ से ३०-६-१६५८ तक १,००० रु० प्रति माह।

(ब) मनोरजन भत्ता १-४-१६५८ से ३०-६-१६५८ तक २५० रु० प्रति माह। १ अप्रैल १६५५ से पहले उसे १५० रु० प्रति माह मनोरजन भत्ता मिलता था।

(स) बीमा कम्पनी को उसके जीवन पर तथा उसके हेतु कम्पनी द्वारा सीधे चुकाया गया प्रीमियम २४० रु०।

(द) क द्वारा अपने जीवन बीमा पर स्वय द्वारा चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम २,००० रु०।

(इ) कम्पनी से अपनी स्वेच्छा से छोडी गई नौकरी के लिए अगले दो वर्षो तक अन्य कार्य न करने के हेतु क द्वारा प्राप्त राशि २४,००० रु०।

(फ) बैक के बचत खातो पर ब्याज ३४० रु०।

(ग) नेशनल सेविंग्स सार्टीफिकेट से ब्याज ५०० रु० ।

(घ) अपने शहर मे उसका एक मकान है जिसमे उसके भाई मुफ्त मे रहते है। इस मकान का वार्षिक मूल्य म्यूनिसिपल रजिस्टर के अनुसार १,८०० रु० है तथा वर्ष के लिए म्यूनिसिपल कर ४०० रु० है ।

(ङ) १ अप्रैल १९५८ से ३० सितम्बर १९५८ तक मालिक ने उसे अपने निजी प्रयोग के लिए एक कार दी थी जिसका ७५ रु० मासिक का व्यय मालिक के ऊपर था तथा शेष के लिए 'क' उत्तरदायी था ।

१९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए क की कुल आय निकालिए तथा न मदो तथा राशियो को बतलाइए जिन पर उसे कर की छूट स्वीकार की जायेगी ।

		रु०	रु०
१	वेतन		
	६ माह के लिए १,००० रु० मसिक	६,०००	
	६ माह के लिए मनोरजन भत्ता	१,५००	
	क के जीवन तथा लाभ के लिए कराये गए जीवन बीमा पर मालिक द्वारा चुकाया प्रीमियम	२४०	
	स्वेच्छा से छोडने पर मालिक द्वारा प्राप्त राशि	२४,०००	
	मालिक द्वारा वहन किए कार के व्यय-का क के निजी प्रयोग के लिए दी गई थी—	४५०	
		३२,१९०	
	घटाया—मनोरजन भत्ता—क के वेतन (भत्ते लाभ तथा अन्य सुविधाओ को छोडकर) का पाँचवा भाग अर्थात् ६००० रु० का 1/5	१,२००	३०,९९०
२	जायदाद से आय		
	वार्षिक किराया (letting) मूल्य	१,८००	
	घटाया—म्यूनिसिपल करो का आधा	२००	
		१,६००	
	घटाया—मरम्मत के लिए छटा भाग	२६६	१,३३४
३.	अन्य स्रोत .		
	बैक खातो पर ब्याज		३४०
	कुल आय		३२,६६४

क को औसत दर से जीवन बीमा प्रीमियम २२४० रु० पर आय-कर की छूट मिलेगी ।

क के मकान का काल्पनिक मूल्य (notional value) कर-योग्य है। इससे कोई अन्तर नही पडता कि वह भाई द्वारा मुफ्त मे रखा गया है।

---

(२०) अ.एक चारटर्ड एकाउन्टैन्ट है जो अपना हिसाब रोकड़ी पद्धति पर रखता है। उसका गत वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है। १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय के नकशे मे उसने ७५,००० रु० की शुद्ध पेशे की प्राप्तियाँ दिखलाई। उसकी ग्रॉस प्राप्तियाँ ८५,००० रु० थी तथा उसने १०,००० रु० की व्ययो की कटोतियाँ माँगी।

जनवरी १९५८ मे उसके पुत्र के विवाहोत्सव मे उसे २०,००० रु० की लागत की बहुमूल्य भेटे (Gifts) प्राप्त हुई। उसने आय के नकशे में इसकी कीमत नही दिखलाई।

उसने गत वर्ष मे ऐसी कम्पनी से जिसके लाभो पर अशोधित ह्रास के कारण कर नही लगता १,००० रु० लाभाश के प्राप्त किए।

उसने १ अक्टूबर १९५८ को ४०,००० रु० की ३% सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी जिस पर प्रति वर्ष १ जनवरी तथा १ जौलाई को व्याज मिलता है। उसने १ जनवरी १९५९ को १८० रु० आय-कर की कटौती के बाद ४२० रु० शुद्ध व्याज के प्राप्त किए। खरीद के समय उसने ९० रु० की उन पर आय कर की कटौती के बाद विक्रेता को २१० रु० वाजिब हुए व्याज के लिए दिए थे।

१९५९-६० वर्ष के लिए आप अ का कर-निर्धारण कैसे करेंगे ?

		रु०
१	प्रतिभूतियो पर व्याज (ग्रॉस)	६००
२	पेशे की आय	७५,०००
३	लाभाश	१,०००
	कुल आय	७६,६००

कुल आय पर १८० रु० की उद्गम स्थान पर कर-कटौती की क्रेडित देते हुए कर-निर्धारण किया जाएगा।

लाभाश से प्राप्त राशि को ग्रॉस नही करना है क्योकि लाभाश देने वाली कम्पनी के उन लाभो पर कर नही लगा है।

अ द्वारा अपने पुत्र के विवाहोत्सव पर मिली २०,००० रु० की भेटे कर-देय नही है क्योकि ये तो अपने निजी कारणो से प्राप्त हुई है।

अ द्वारा प्रतिभूतियो को खरीदते समय दिए गए २१० रु० से उसकी प्रतिभूतियो की लागत बढ गई है। ब्याज चुकाने की तारीख पर प्रतिभूतियाँ जिसके हाथ मे होती है कर उसी पर लगता है। इसलिए १ जनवरी १९५९ को अ द्वारा प्राप्त हुआ ग्रॉस ब्याज ६०० रु० अ के हाथो मे ही कर देय है।

---

(२१) ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे एक व्यक्ति को निम्न साधनो से आय है —

(अ) उसने अपने किराएदार अ, जिसे उसने अपनी कृषि भूमि किराए पर दे रखी है, से १०,००० रु० किराये के प्राप्त किए। अ इस जमीन को नही जोत रहा है बल्कि उसने उस पर दूकाने बना ली है। १०,००० रु० मे से ६,००० रु० दुकानो का किराया तथा उसके चारो तरफ की जमीनि के ४,००० रु० बताए गये।

(ब) उसने वर्ष मे ५०० रु० मासिक वेतन पर एक फर्म के मैनेजर पद पर कार्य किया। ३१ मार्च १९५८ को समाप्त हुए वर्ष मे लिए गए ३,००० रु० के ऋण की अदायगी २५० रु० की मासिक किस्तो मे इस वर्ष की गई। स्वीकृत प्रॉबीडेण्ट फण्ड मे उसने २५ रु० प्रति माह चन्दा दिया, मालिक ने भी उतना ही चन्दा दिया। ३१ मार्च १९५९ को उसके खाते मे २०० रु० ब्याज के क्रेडिट हुए।

(स) उसने वर्ष मे हिन्दु अविभाजित परिवार, जिसमे वह तथा उसका अवयस्क (minor) पुत्र है, से आय के अपने भाग के १०,००० रु० प्राप्त किये।

उसे अपने जीवन के १५,००० रु० के बीमे पर २,००० रु०, अपनी पत्नी के जीवन के १५,००० रु० के बीमे पर २,००० रु० तथा अपने अवयस्क पुत्र के जीवन के ५,००० रु० के बीमे पर ५०० रु० प्रीमियम दिया।

१९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिये उसकी कुल आय तथा आय-कर से मुक्त आय की राशि निकालिए।

		रु०	रु०
१	वेतन		
	१९५८–५९ वर्ष के लिए वाजिब धन	६,०००	
	घटाया – १९५७–५८ के ऋण के लिए भुगतान	३,०००	३,०००

२	अन्य स्रोतो से आय ·	
	भूमि का किराया जो कि कृषि उद्देश्यो के लिए प्रयोग नही की गई	१०,०००
	कुल आय	१३,०००
	आय कर से मुक्त आय .	
	(अ) स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड मे स्वय का अशदान	३००
	(ब) अपने जीवन बीमे पर प्रीमियम बीमित राशि के १०% तक सीमित	१,५००
	(स) अपनी पत्नी के जीवन बीमे पर प्रीमियम-बीमित राशि के १०% तक सीमित	१,५००
		३,३००

नोट—मालिक द्वारा प्रॉविडण्ट फण्ट मे दिया गया चन्दा, जो कि कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक नही है, कुल आय मे सम्मिलित नही किया जायगा।

यह मान लिया गया है कि प्रॉविडेण्ट फण्ड मे जमा हुआ ब्याज ६% प्रतिवष से अधिक नही है अतएव ब्याज कुल आय मे शामिल नही किया जाएगा।

अवयस्क पुत्र के जीवन के बीमे पर चुकाया गया प्रीमियम ५०० रु० पर कोई छूट नही मिलेगी। हाँ, कर-दाता तथा उसके पुत्र के हिन्दु अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण मे इसके लिए छूट मिलेगी।

---

(२२) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष मे एक कम्पनी का लाभ, जैसा कि लाभ-हानि खाते से दिखलाया गया है, ७,५०,००० रु० था। लाभ-हानि खाते मे कुछ निम्न मदें थी —

(अ) स्टोर्स का प्रारम्भिक एव अन्तिम स्कन्ध ४,५०,००० रु० तथा ४,८०,००० रु० क्रमश था।

(ब) किराया प्राप्त हुआ १०,००० रु०।

(स) कर्मचारियो को बोनस ५०,००० रु०।

(द) सदिग्ध ऋण के लिए आयोजन २५,००० रु०।

(ई) बिक्री कर ४५,००० रु०।

(फ) ह्रास १,२०,००० रु०।

(ग) मैनेजिग एजेण्टो का कमीशन ६५,००० रु०।

नीचे की सूचनाओं को ध्यान मे रखते हुए १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी का कर-योग्य लाभ तथा इसकी कुल आय निकालिए —

१ १९५७ मे स्टोर्स का प्रारम्भिक एव अन्तिम स्कन्ध १०% से कम अंकित किया गया, इसलिए इसका समायोजन १९५८–५९ के कर-निर्धारण मे भी पड़ा। इस वर्ष का (१९५८) अन्तिम स्कन्ध ठीक मूल्यांकित किया गया है।

२ दुकान के किराए मे विक्रय एजेण्ट को किराए पर दी गई दुकान का किराया ३,००० रु० तथा शेष मिल से दो मील पर बने क्वाटरो के किराये के मजदूरो से प्राप्त हुए।

३ वर्ष के अन्तर्गत सदिग्ध ऋणो के लिए आयोजन मे से ५,००० रु० का डूबा ऋण अपलिखित किया गया। यह उस व्यक्ति पर वाजिब था जिसे फैक्टरी भवन के प्रसविदे के सिलसिले में पेशगी दिए गये थे।

४ स्वीकार किए जाने वाला ह्रास ९५,००० रु० आता है।

विक्रय एजेंटो को किराए पर दी गई दुकान तथा मील से दो मील पर बने क्वार्टरो को कम्पनी की व्यापारिक सम्पत्तियाँ नही माना जा सकता। इसलिए किराये से आय व्यापारिक लाभ के भाग की तरह कर योग्य नही है, बल्कि यह जायदाद से आय ली जायगी।

		रु०
लाभ—लाभ-हानि खाते से		७,५०,०००
घटाया—प्राप्त किराया जो कि जायदाद की आय है		१०,०००
		७,४०,०००
जोडो—सदिग्ध ऋणो के लिये आयोजन	२५,०००	
ह्रास	१,२०,०००	१,४५,०००
		८,८५,०००
घटाया—स्टोर्स के प्रारम्भिक स्कंध के कम मूल्यांकन के कारण समायोजन (४,५०,००० रु० का १/९)		५०,०००
		८,३५,०००
घटाया—स्वीकृत ह्रास		९५,०००
	कर-योग्य लाभ	७,४०,०००

१ जायदाद से आय

प्राप्त किराया १०,०००

घटाया—मरम्मत के लिए छठा भाग	१,६६६	८,३३४
२ व्यापारिक लाभ		७,४०,००१
	कुल आय	७,४८,३३४

५,००० रु० का डूबा ऋण स्वीकार नही किया जाएगा क्योकि यह फैक्टरी भवन के प्रसविदे मे एक व्यक्ति को पेशगी दिए गए थे।

---

(२३) ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक लिमिटेड कम्पनी, जोकि बिजली के सामान के निर्माण मे लगी है, ने १२,५०,००० रु० का लाभ दिखलाया। १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्न सूचनाओ को ध्यान मे रखते हुए, कम्पनी की कुल आय की गणना कीजिए —

(अ) १९५८ वर्ष मे कम्पनी का एक गोदाम, जिसमे २,५०,००० रु० का स्कध था, आग से नष्ट हो गया। बीमा कम्पनी से प्राप्त हुए ढाई लाख रुपये (नष्ट हुए भवन के लिए १,००,००० रु० तथा नष्ट हुए स्कध के लिए १½ लाख रु०) भवन खाते को क्रेडिट किए गए। ३१ दिसम्बर १९५७ को नष्ट हुए गोदाम का अपलिखित मूल्य १,१५,००० रु० था।

(ब) कम्पनी द्वारा लन्दन की एक प्रदर्शिनी मे की गई बिक्री का लाभ ५,००० रु०, जो कि लन्दन बैंक मे जमा किया गया, सायोगिक सचय (Contingencies Reserve) मे क्रेडिट किया गया।

(स) ८३,००० रु० ब्याज के लाभ-हानि खाते मे डेबिट मे रखे गए, जिसका विवरण निम्न है

	रु०
उधारो पर चुकाया गया ब्याज	९८,७००
घटाया—प्रतिभूतियो पर ब्याज, आय-कर की कटौती के बाद प्राप्त	१३,७००
	८५,०००

(द) लाभ-हानि खाते मे ह्रास के २,५०,००० रु० चार्ज किए गए लेकिन स्वीकार योग्य ह्रास ३,००,००० रु० की राशि है

(ई) प्रबन्ध सचालक के पुत्र ने, जिसकी अवस्था २२ वष है, जून १९५८ मे बी काम परीक्षा पास करके कम्पनी मे असिस्टेन्ट की नौकरी ५०० रु० मासिक वेतन पर करली। लेकिन १ अक्टूबर १९५८ से उसका वेतन १,५०० रु० तक बढा दिया गया।

(फ) १९५७ मे कुछ मैकेनिकल यूनिटो पर व्यय ३५,००० रु० रिवेन्यू को चार्ज किया गया था जिसे आय-कर अधिकारी ने उसे विशेष रूप का बतला कर अस्वीकार कर दिया। इसलिये कम्पनी ने १९५८ के हिसाबो मे मशीन मरम्मत खाते को ३५,०००

रु० से क्रेडिट कर के तथा मशीन खाते को इसी राशि से डेबिट करके हस्तातरण की प्रविष्टि पास की।

		रु०
लाभ—लाभ-हानि खाते के अनुसार		१२,५०,०००
घटाया—प्रतिभूतियो पर ब्याज—आगे विचारा गया		१३,७००
		१२,३६,३००
जोडो—बीमा कम्पनी से आग से नष्ट हुए स्कध की प्राप्त हुई राशि जोकि भवन खाते मे क्रेडिट की गई	१,५०,०००	
डेबिट किया गया ह्रास	२,५०,०००	
प्रबध सचालक के पुत्र के वेतन का भाग जोकि कम्पनी के व्यापार के लिए न होने के कारण अस्वीकार किया गया	३,०००	४,०३,०००
		१६,३९,३००
घटाया—आग से नष्ट हुए गोदाम का सतुलनीय ह्रास	१५,०००	
स्वीकार किया गया ह्रास	३,००,०००	
मशीन की मरम्मत जो पूँजीगत है	३५,०००	३,५०,०००
		१२,८९,३००
जोडो—भारत से बाहर कमाई हुई आय भारत मे नही लाई गई		५,०००
कर योग्य लाभ		१२,९४,३००

१	प्रतिभूतियो पर ब्याज (ग्रॉस)	२०,०००
२	व्यापारिक लाभ	१२,९४,३००
	कुल आय	१३,१४,३००

प्रबन्ध सचालक के पुत्र का वेतन तो उसके लिए ५०० रु० मासिक भी बहुत ज्यादा था। इसे चार माह बाद ही १५०० रु० मासिक तक बढाना किसी भी तरह व्यापारिक हितो की दृष्टि से बिलकुल भी ठीक नही है। इसलिए व्यापार के उद्देश्यो के लिए न होने के कारण यह ३ माह तक १००० रु० मासिक वेतन अत्याधिक है जो कि स्वीकार नही किया जाएगा।

---

(२४) कर-दाता एक लिमिटेड कम्पनी। कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०। हिसाबी वर्ष कलेन्डर वर्ष १९५८। व्यापार . जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरी।

१९५८ के लिए लाभ-हानि खाता

	रु०		रु०
तेल, ईंधन तथा अन्य स्टोर्स	१,००,०००	जिनिंग तथा प्रेसिंग चार्जेस प्राप्त हुए	३,००,०००
वेतन तथा मजदूरियां	८०,०००		
ह्रास	४०,०००		
विविध व्यय	४०,०००		
लाभ c/d	४०,०००		
	३,००,०००		३,००,०००

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी की कुल आय निकालिए :—

(अ) ३१ दिसम्बर १९५७ को स्थायी सम्पत्ति की लागत ८,००,००० रु० थी तथा जून १९५९ में ये नई वृद्धियाँ की गई हैं भवन (प्रथम श्रेणी की लेकिन कारखाने की नहीं) १,००,००० रु० तथा मशीन १,००,००० रु०।

१९५८-५९ कर-निर्धारण वर्ष के अन्त में फैक्टरी भवन का (प्रथम श्रेणी) तथा मशीन प्रत्येक का अपलिखित मूल्य २,००,००० रु० था, ह्रास की प्रस्तावित दर ५% क्रमश है।

१९५८ वर्ष में फैक्टरी ने वर्ष पर्यन्त दुहरी पाली मे काम किया।

(ब) २०,००० रु० जिनिंग तथा प्रेसिंग खाते से सायोगिक सचय को सीधे ही हस्तातरण किए गए।

(स) १०,००० रु० के डूबत ऋण से जो कि पहले कर-निर्धारण मे अस्वीकृत कर दिए गए थे उन से ५,००० रु० वसूल हुए जो कि सामान्य सचय (General Reserve) को क्रेडिट कर दिए है।

(द) तेल, ईंधन तथा अन्य स्टोर्स की राशि १,००,००० रु० मे ५०,००० रु० की प्रयोग मे आई स्टोर्स की, नीचे गणन की गई, लागत सम्मिलित है :—

	रु०
१-१-१९५८ को लागत पर स्टोर्स का स्टाक	५०,०००
१९५८ के अन्तर्गत क्रय	६०,०००
	१,१०,०००
घटाया—३१-१२-१९५८ को १०,००० रु० ह्रास के काट कर स्टोर्स का स्टॉक	६०,०००
	५०,०००

(ई) वेतन तथा मजदूरी मे (१) ६०० रु० मृतक मैनेजर की विधवा को पेन्शन, तथा (२) वर्तमान मनेजर को १९५९ के ६ माह के लिए ५०० रु० प्रति माह पेशगी भी सम्मिलित है।

(फ) विविध व्यय मे (१) कमचारियो के बच्चो के लिए सितम्बर १९५८ मे बनाए गए नए स्कूल की लागत २०,००० रु० तथा स्कूल के अध्यापको का वेतन ६००० रु० तथा (२) कर्मचारियो के मनोरजन क्लब के लिए अप्रैल १९५८ को खरीदे गए १,००० रु० के रेडियो मेट की लागत सम्मिलित है।

		रु०
लाभ—लाभ-हानि खाते के अनुसार		४०,०००
जोडो—जिनिग तथा प्रेसिग आय जो कि लाभ-हानि खाते मे नही दिखलाया गया	२०,०००	
स्टोर्स के अन्तिम स्कध का मूल्याकन	१०,०००	
मैनेजर को पेशगी वेतन	३,०००	
स्कूल भवन की लागत जो पूंजीगत व्यय है	२०,०००	
रेडियो मेट की लागत जो पूंजीगत व्यय है	१,०००	
काटा गया ह्रास	४०,०००	९४,०००
		१,३४,०००
घटाया—जून १९५८ मे प्रतिस्थापित मशीन पर विकास सम्बन्धी छूट (१,००,००० रु० का २५%)	२५,०००	
ह्रास जैसा कि नीचे निकाला गया	४५,२२५	७०,२२५
	कुल आय	६३,७७५

ह्रास छूट

	रु०
फैक्टरी भवन . २,००,००० रु० पर ५%	१०,०००
नोन-फेक्टरी भवन १,००,००० रु० पर २½%, ६ माह के लिए	१,२५०
स्कूल-भवन २०,००० रु० पर २½%, ३ माह के लिए	१२५
मशीन . २०,००० रु० पर ९%	१८,०००
१,००,००० रु० पर ९%, ६ माह के लिए	४,५००
दुहरी पाली उपयोग की छूट (२२,५०० रु० पर ५०%)	११,२५०
रेडियो : १००० रु० पर १५%, ८ माह के लिए	१००
	४५,२२५

तमाम स्टॉक का मूल्याकन युनिफोर्म आधार (uniform basis) पर होना चाहिए। जब स्टोर्स का प्रारम्भिक स्कन्ध लागत पर मूल्याकित किया गया था तब अन्तिम स्कन्ध का मूल्याकन भी लागत पर होना चाहिए। इसलिए अन्तिम स्कन्ध के मूल्य मे १०,००० रु० का ह्रास स्वीकार नही किया जा सकता।

रेडियो सेटं पर ह्रास की प्रस्तावित दर १५% है।

१६५८ हिसाबी वर्ष का कर-योग्य लाभ निकालते समय पिछले या अगले वर्ष के व्यय बेकार है। अतएव, १६५६ के लिए दी गई मैनेजर को ६ माह की वेतन की पेशगी काटने योग्य नही है।

---

(२५) एक रजिस्टड फर्म, जिसमे तीन समान अ, ब और स साझेदार है, के पास आगरा मे सूती मिल है जिसका ३१ दिसम्बर १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता ५,३४,००० रु० लाभ दिखलाता है।

१६५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए, निम्न सूचनाओ को ध्यान मे रखते हुए फर्म की कुल आय निकालिए —

(अ) साझेदारो के व्यक्तिगत खाते निम्न प्रविष्टियाँ दिखलातें हैं :—

१ फर्म से साझेदारो ने कपडे खरीदने की लागत के हर साझेदार के खाते मे १५००० रु० डेबिट हुए। पूछने पर यह पता लगा कि यह बिक्री लागत से १०% कम पर की गई है।

२ अ को १०,००० रु० तथा ब को १२,००० रु० पूँजी पर ब्याज के क्रेडिट किए गए जब कि स को ब्याज के ६,००० रु० डेबिट किए गए।

३. स के खाते को १ जुलाई १६५८ को कुछ कृषि भूमि को खरीदने के लिए दिए गए ४% प्रति वर्ष ब्याज के ऋण पर ३,००,००० रु० डेबिट किए गए। उसी रोज फर्म ने वह राशि बैक से ६% प्रति वष ब्याज पर उधार ली।

(ब) वर्ष के अन्तर्गत फर्म ने रुई मे सट्टे का व्यापार किया, जिसमे प्राप्त हुआ लाभ ७,५०,००० रु० तथा चुकाई गई हानि ५,५०,००० रु० हुई। यह २,००,००० रु० का शेष रुई के अन्तिम स्कन्ध से घटा दिया गया है।

(स) लाभ-हानि खाते को डेबिट हुए विविध व्यय में (१) २०० रु० एक स्वीकृत दान के तथा (२) स्ट्राइक को रोकने के लिए मजदूरो के नेताओ को दिए गए १,००० रु० भी सम्मिलित हैं।

		रु०
लाभ जैसा कि १९५८ के लाभ हानि खाते के अनुसार है		५,३४,०००
जोडो—साझेदारो को बिक्री १०% लागत से कम पर (४५,००० रु० का १/९)	५,०००	
साझेदारो को चुकाया गया ब्याज	२२,०००	
बैंक को चुकाया गया ब्याज जो व्यापार के लिए न हो कर एक साझेदार के लिए ऋण पर है (३,००,००० रु० पर ६ माह के लिए २%)	३,०००	
स्वीकृत दान	२००	
श्रमिक नेताओ को भुगतान जो कि व्यापार के लिए नही माना जाएगा	१,०००	३१,२००
मिल का कर-योग्य लाभ		५,६५,२००

१	सूती मिल का कर-योग्य लाभ	५,६५,२००
२.	सट्टे का लाभ	२,००,०००
	कुल आय	७,६५,२००

क्योकि पुण्यार्थ दान २५० रु० से कम है अतएव साझेदारो को इसपर कर की कोई छूट नही मिलेगी ।

---

(२६) एक फर्म है जिसके अ, ब और स ½ . ¼ ¼ के अनुपात मे तीन साझेदार हैं। इसका लाहौर मे कपडे का व्यापार ब साझेदार द्वारा तथा बम्बई में रुई का व्यापार तथा सट्टे का व्यापार स साझेदार द्वारा देखा जाता है। अ साझेदार केवल आर्थिक (Financial) साझेदार है।

३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए गत वर्ष के लिए व्यापार की लाभ-हानियाँ निम्न थी :—

कपडा व्यापार से शुद्ध लाभ . ५०,००० रु० ।
रुई व्यापार से शुद्ध लाभ ८०,००० ।
सोना चादी के सट्टा व्यापार से हानि ५०,००० ।
ये राशियें हिसाबी वर्ष के अन्त में किताबो में निम्न समायोजनो से पहले हैं :—
अ को चुकाया गया ब्याज ४,००० रु० ।
ब को वेतन ३,००० रु० ।
ब को किराया ६०० ।
स को वेतन २,४०० रु० ।

साझेदार अ का बम्बई मे लेन-देन का व्यापार है। उसकी ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष की शुद्ध आय १,५०,००० रु० थी। उसके पास अपने रहने के लिए एक मकान है जिसका वार्षिक किराया मूल्य ६,००० रु० है, इसके लिए ५०० रु० म्युनिसिपल कर दिये गए हैं।

साझेदार ब जो कि गत वर्ष पर्यन्त लाहौर मे रहा, के पास बम्बई मे एक मकान है, उसने इस मकान का एक भाग फर्म को ५० रु० प्रति माह की दर से किराए पर दे रखा है। दूसरा भाग उसने अपने निवास के लिए रख रखा है। बम्बई मे उसके बैंक खाते मे ५,००० रु० जमा हुए पाये गये। यह राशि पाकिस्तान मे समामेलित कम्पनी से लाभांश है।

साझेदार स का अपना स्वय का सट्टे का व्यापार है। ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष मे उसकी उस व्यापार से ९०,००० रु० की आय है।

फर्म तथा साझेदारो की कुल आय निकालिए।

फर्म की कुल आय :

			रु०
पाकिस्तान मे कपडा व्यापार :			
हिसाब किताब से शुद्ध आय		५०,०००	
घटाया ब को वेतन		३,०००	
		४७,०००	
जोडो ब को वेतन (अस्वीकृत)		३,०००	५०,०००
बम्बई मे रुई व्यापार			
हिसाब किताब से शुद्ध आय		८०,०००	
घटाया अ को ब्याज	४,०००		
ब को किराया	६००		
स को वेतन	२,४००	७,०००	
		७३,०००	
जोडो अस्वीकृत अ को ब्याज	४,०००		
स को वेतन	२,४००	६,४००	७९,४००
		कुल आय	१,२९,४००

क्योकि सट्टे की हानि अन्य व्यापारिक आय से समाप्त नही की जा सकती अत सट्टे की ५०,००० रु० की हानि ऊपर की कुल आय से नही काटी जाएगी। यह सट्टे

के व्यापार की हानि ८ वर्ष तक आगे के सट्टे के व्यापार के लाभो से काटने के लिए आगे ले जाई जाएगी।

फर्म की कुल आय साझेदारो में निम्न तरह से बाँटी जाएगी

	अ	ब	स
	रु०	रु०	रु०
वेतन	—	३,०००	२,४००
ब्याज	४,०००	—	—
शेष (½ · ¼ · ¼)	६०,०००	३०,०००	३०,०००
	६४,०००	३३,०००	३२,४००

साझेदार अ की कुल आय

१ बम्बई मे स्वय के व्यापार से आय		१,५०,०००
फर्म की आय का भाग		६४,०००
२ जायदाद से आय :		
रिहाइसी मकान का वार्षिक किराया मूल्य	६,०००	
घटाया—म्यूनिसिपल कर	२५०	
	५,७५०	
घटाया—वैधानिक छूट	१,८००	
वार्षिक मूल्य	३,९५०	
घटाया—मरम्मत के लिए छठा भाग	६५८	३,२९२
		२,१७,२९२

साझेदार ब की कुल आय

१ फर्म की आय का भाग		३३,०००
२. जायदाद से आय		
फर्म को किराए पर दिए गए भाग का वार्षिक मूल्य	६००	
घटाया—मरम्मत के लिए छठा भाग	१००	५००
३ भारत में प्राप्त लाभांश		५,०००
		३८,५००

साझेदार ब की कुल आय .

१. फर्म की आय का भाग	३२,४००
सट्टे का लाभ	९०,५००
	१,२२,४००

नोट :—क्योंकि साझेदार ब परदेशी है तथा पाकिस्तान में रह रहा है उसका फर्म की आय का भाग फर्म पर कर-निर्धारण किया जाएगा तथा इस से वाजिब कर फर्म से वसूल किया जाएगा।

---

(२७) १६५६-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए, जिसकी आय निम्न है, एक विवाहित व्यक्ति द्वारा चुकाये जाने वाले कर की गणना कीजिए :—

व्यापार से कर-योग्य आय ४०,००० रु० ।

जायदाद से कर-योग्य आय ५,००० रु० ।

जीवन बीमा के लिए उसने १०,००० रु० प्रीमियम चुकाया।

	रु०	रु०
आय-कर—कमाई हुई आय ४०,००० रु० पर	७,०२० ००	
आय-कर—न कमाई हुई आय ५,००० रु० पर	१,२५० ००	
	८,२७० ००	
सामान्य सरचार्ज—८,२७० रु० पर ५%	४१३·५०	
विशेष सरचार्ज— १,२५० रु० पर १५%	१८७ ५०	८,८७१
सुपर-टैक्स—कमाई हुई आय ४०,००० रु० पर	३,००० ००	
सुपर-टैक्स—न कमाई आय ५,००० रु० पर	१,५००·००	
	४,५००·००	
सामान्य सरचार्ज—४,५०० रु० पर ५%	२२५ ००	
विशेष सरचार्ज—१,५०० रु० पर १५%	२२५ ००	४,९५०
कुल वाजिव कर		१३,८२१
घटाया—जीवन बीमा प्रीमियम पर आय की रिबेट (८,००० रु० पर) $\frac{८,००० \times ८,८७१}{४५,०००} =$		१,५७७
चुकाया जाने वाला कर		१२,२४४

नोट—जीवन बीमा प्रीमियम जिस पर आय कर की छूट मिलती है वह कुल आय के चौथे भाग या ८,००० रु०, जो भी दोनो में से कम हो, से नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए इस स्थिति में छूट केवल ८,००० रु० तक ही मिलेगी।

---

(२८) एक लिमिटेड कम्पनी ने अपना व्यापार १ अप्रैल १९५८ को प्रारम्भ किया तथा अपनी किताबे ३१ मार्च १९५९ को बन्द की। निम्न विवरणो से १९५९-६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए ह्रास की छूट की राशि निकालिए —

	रु०	दर
फैक्टरी भवन (प्रथम श्रेणी) नया	५०,०००	५%
नोन-फैक्टरी भवन (प्रथम श्रेणी) नया	२५,०००	२½%
प्लान्ट तथा मशीन (१ अप्रैल १९५८ को नई प्रतिस्थापित)	१,००,०००	१०%
अतिरिक्त प्लान्ट तथा मशीन (१ अगस्त १९५८ कोई नई प्रतिस्थापित)	२०,०००	१०%
मोटर कारे (नई)	२२,०००	२०%
टाइपराइटरे (नई)	५,०००	१५%
फर्नीचर	२,०००	६%
फर्नीचर जो १ सितम्बर १९५८ को बढाया गया	५००	६%

१९५९-५० के लिए ह्रास की छूट

	रु०
फैक्टरी भवन ५०,००० रु० पर ५%	२,५००
नोन-फैक्टरी भवन : २५,००० रु० पर २½%	६२५
प्लाण्ट तथा मशीन १,००,००० रु० पर १०%	१०,०००
प्लाण्ट तथा मशीन . २०,००० रु० पर १०%, ८ माह के लिए	१,६६७
मोटर कारें २२,००० रु० पर २०%	४,४००
टाइपराइटरें . ५,००० रु० पर १५%	७५०
फर्नीचर . २,००० रु० पर ६%	१२०
फर्नीचर . ५०० रु० पर ६%, ७ माह के लिए	१७
	२०,०७९

कम्पनी को प्लाण्ट तथा मशीन पर ३०,००० रु० (१,२०,००० रु० पर २५%) विकास सम्बन्धी छूट मिलेगी। मोटर कारो तथा टाइपराइटरो पर कोई विकास सम्बन्धी छूट नही मिलेगी।

(२९) कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९। व्यापार के लिए हिसाबी वर्ष . दिवाली वर्ष।

क एक विवाहित व्यक्ति है जिस पर १५ जनवरी १९५९ को निम्न आधार पर कर-निर्धारण हुआ .—

		रु०
१	वेतन (उद्गम स्थान पर कर कटा ६५० रु०)	१२,०००
२	मालिक (एक लिमिटेड कम्पनी) से भत्ता अपनी सेवाओं की शर्तों के अनुसार	४,०००
३	व्यापार से आय	२०,०००

कर-दाता ने अपील की, लेकिन आय-कर अधिकारी द्वारा की गई माँग का ३० जनवरी १९५९ को चुका दिया था।

अपील के आदेश के अनुसार जो कि १५ मई १९५९ को हुआ उसे निम्न छूटे

(अ) भत्ते से आय ४,००० रु० से कम हो गई, तथा

(ब) व्यापार से आय ५,००० रु० से कम हो गई।

कर-दाता को अपील आदेश के अनुसार अब आगे चुकाये जाने वाली या उसे वापिस होने वाली राशि की गणना कीजिए।

		रु०
३६,००० रु० की कुल आय पर	आय-कर	६,०२० ००
	सरचार्ज ५%	३०१ ००
	सुपर-टैक्स	२,२०० ००
	सरचार्ज ५%	११० ००
	चुकाया जाने वाला कुल कर	८,६३१ ००
२७,००० रु० की कुल आय पर	आय-कर	३,७७० ००
	सरचाज ५%	१८८·५०
	सुपर-टैक्स	५५०·००
	सरचाज ५%	२७ ५०
		४,५३६ ००

	रु०
३० जनवरी १९५९ को चुकाया गया कर	८,६३१·००
कुल आय पर (अपील के कारण कम हुई) वाजिब कर	४,५३६ ००
वापिसी वाजिब रकम (Amount of Refund due)	४,०९५ ००

---

(३०) १९५८–५९ कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक व्यक्ति पर ६०,००० रु० की कमाई हुई आय पर कर-निर्धारित हुआ। इसमे १५,००० रु० की छिपी हुई कमाई

हुई आय भी सम्मिलित है। कर-दाता द्वारा चुकाये जाने वाले कुल कर की तथा लगाये जाने वाली अधिकतम पेनल्टी की राशि की गणना कीजिए।

		रु०
आय-कर ६०,००० रु० पर		१२,०२० ००
सामान्य सरचार्ज ५% से		६०१ ००
	चुकाये जाने वाला आय-कर	१२,६२१ ००
सुपर-टैक्स ६०,००० रु० पर		९,५०० ००
सामान्य सरचार्ज ५% से		४७५ ००
	चुकाये जाने वाला सुपर-टैक्स	९,९७५ ००
	चुकाये जाने वाला कुल कर	२२,५९६ ००
आयु-कर ४५,००० रु० पर		८,२७० ००
सामान्य सरचार्ज ५% से		४१३ ५०
सुपर-टैक्स ४५,००० रु० पर		४,५०० ००
सामान्य सरचार्ज ५% से		२२५ ००
	चुकाये जाने वाला कुल कर	१३,४०८ ५०

छिपाये जाने वाला कर = २२,५९६ रु० — १३४०८ ५० रु० = ९१८७ ५० रु०। इसलिए धारा २८ (१) (c) के अन्तगत पेनल्टी छिपाये गए कर का १½ गुणा अर्थात् १३,७८१·२५ रु० होगी।

---

(३१) २५ मार्च १९५९ को एक भारतीय कम्पनी ने ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभाश घोषित किया।

एक अशधारी अ ने अप्रैल १९५९ मे इस कम्पनी के १०,००० रु० लाभाश प्राप्त किया। १९५९–६० कर-निर्धारण मे अ द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कर-क्रेडिट की, निम्न दो स्थितियो मे, गणना कीजिए।

(अ) यदि कम्पनी की पूर्ण आय पर कर लगता है।

(ब) यदि कम्पनी की ५०% आय पर कर लगता है, ४०% कृषि आय है तथा १०% सरकारी प्रतिभूतियो से कर-मुक्त ब्याज है।

एक अंशधारी द्वारा प्राप्त किया गया लाभांश उस गत वर्ष की आय मानी जायगी जिसमें कि यह घोषित किया गया है न कि जब वह प्राप्त हुआ है। इसलिए, अप्रैल १९५९ को प्राप्त हुआ लाभांश भी ३१ मार्च १९५९ को समाप्त हुए गत वर्ष की आय है क्योंकि लाभांश २५ मार्च १९५९ को घोषित किया गया था।

अ को दोनों स्थितियों में निम्न टैक्स क्रेडिट दी जायगी

	शुद्ध लाभांश	ग्रॉस लाभांश	टैक्स क्रेडिट
	रु०	रु०	रु०
(अ)	१०,०००	१४,५९८	४,५९८
(ब)	१०,०००	११,८६९	१,८६९

अ की कुल आय में ग्रॉस लाभांश की राशि सम्मिलित की जायगी।